55वीं वार्षिक रिपोर्ट
55th Annual Report
2017-18

एन एस सी
NSC
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)
CIN-U74899DL1963GOI003913

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

निदेशक मण्डल
Board of Directors

श्री विनोद कुमार गौड़
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri Vinod Kumar Gaur
Chairman-cum-Managing Director

श्री दिनेश अरोड़ा
निदेशक(सरकारी नामांकित)
Shri Dinesh Arora
Director(Govt. Nominee)

श्री रोहित माथुर
निदेशक(सरकारी नामांकित)
Shri Rohit Mathur
Director(Govt. Nominee)

श्री वि. मोहन
निदेशक (वित्त)
Shri V. Mohan
Director (Finance)

श्रीमती प्रतिभा सुमन
स्वतंत्र निदेशक
Smt. Partibha Suman
Independent Director

डॉ. बी. बी. मोहन्ती
स्वतंत्र निदेशक
Dr. B.B. Mohanty
Independent Director

श्री श्याम वीर सैनी
स्वतंत्र निदेशक
Shri Shyam Vir Saini
Independent Director

आवरण पृष्ठ : पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे व मझोले किसानों के द्वारा पैदा किए गए बीजों को प्रसंस्करण करते हुए मोबाईल बीज प्रसंस्करण संयंत्र।

Front Cover :For Processing of Raw Seed of Small/Marginal Farmers in Hilly Areas, Mobile Seed Processing Plant is in action.

पर्यावरणीय नीति

बीजों के प्रसंस्करण, जांच, भंडारण तथा विपणन, वितरण में कार्यरत एन एस सी, स्वच्छ व हरित पर्यावरण के संरक्षण हेतु वचनबद्ध है।यह नीति हमारी निम्न वचनबद्धताओं की अभिपुष्टि है:

- ★ बीज प्रसंस्करण संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण में सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल चलन।
- ★ प्राकृतिक संसाधनों जैसे विद्युत, जल और ईंधन का दक्षतापूर्ण उपयोग एवं संरक्षण ।
- ★ संबद्ध पर्यावरण विधिक, नियमों एवं विनियमों का पालन।
- ★ प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानकों, चलनों एवं तकनीकी के अनुसार प्रदूषण और पर्यावरण क्षति की रोकथाम।
- ★ पर्यावरणीय निष्पादन में निरन्तर सुधार।

पर्यावरणीय उद्देश्य

- ★ प्रसंस्करण संयंत्र के चारो ओर हरित आवरण में सुधार कराना।
- ★ प्रसंस्करण संयंत्र का पर्यावरण के अनुकूल विधि द्वारा सहज प्रचालन सुनिश्चित करने के लिये अनुरक्षण करना।
- ★ प्रदूषण और पर्यावरण क्षति को रोकने के लिये कचरे का पृथक्करण, संग्रहण और निपटान की प्रणालियों का पालन करना।
- ★ जल संग्रहण के उपाय करना।
- ★ आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों एवं स्थानीय समुदाय सहित संपूर्ण संस्थान में पर्यावरणीय पहलुओं एवं संबंधित प्रभावों पर सूचानाओं के प्रसार द्वारा जागरुकता लाना।

ENVIRONMENTAL POLICY

NSC, engaged in production, processing, marketing, testing, storage and distribution of seed, is committed to preserve clean and green environment. This policy statement is in affirmation of our commitment to:

- Safe and environmentally sound practices in operation and maintenance of seed processing plant.
- Efficient utilization and conservation of natural resources like electricity, water and fuels.
- Comply with relevant environmental legislation, rules and regulations.
- Prevention of pollution and environmental degradation in accordance with prevailing international / national standards, practices and technology.
- Continual improvement in environmental performance.

ENVIRONMENTAL OBJECTIVES

- Improving the green cover in and around the processing plant.
- To carry out maintenance of the processing plant to ensure smooth running of plant in an environmentally friendly manner.
- To adhere to the systems of segregation, collection and disposal of waste to prevent pollution and environmental degradation.
- To undertake water harvesting measures.
- Enhance awareness by dissemination of information on environmental aspects and related impacts through out organization including suppliers, contractors and local community.

To make sure the publicity of the NSC's Seeds in far flung Rural Areas Mobile Campaign vehicle is in action

निगम के बीजों के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार सुनिश्चित करने हेतु माबाईल वाहन द्वारा अभियान

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कम्पनी)
सीआईएन: U74899DL1963GOI003913
बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली.110012
(आईएसओ 9001:2015 एवं14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-"Mini Ratna" Company)
CIN :U74899DL1963GOI003913
Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012
(An ISO 9001 : 2015 and 14001 : 2015 Certified Company)

दूरभाष (Phone No.) : 91-11- 25846292, 25846295, फैक्स (Fax) : 91-11-25846462, 25849216
ई–मेल/ E-mail : nsc@indiaseeds.com वेबसाईट/ Website : www.indiaseeds.com

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री विनोद कुमार गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Sh. Vinod Kumar Gaur, Chairman-cum-Managing Director
श्री दिनेश अरोड़ा, निदेशक
Sh. Dinesh Arora, Director
श्री रोहित माथुर, निदेशक
Sh. Rohit Mathur, Director
श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त)
Sh. V. Mohan, Director (Finance)
श्रीमती प्रतिभा सुमन, निदेशक
Smt. Partibha Suman, Director
डॉ. बी. बी. मोहन्ती, निदेशक
Dr. B,B. Mohanty, Director
श्री श्याम वीर सैनी, निदेशक
Sh. Shyam Vir Saini, Director

कंपनी सचिव
COMPANY SECRETARY

श्री मो. राक़िम
Sh. Md. Raquim

कार्यापालक
EXECUTIVES

श्री कुलदीप सिंह, वरिष्ठ महा प्रबंधक (उत्पादन)
Sh. Kuldeep Singh, Sr. General Manager (Prodn.)
श्री बी. बी. साव, वरिष्ठ महा प्रबंधक (मानव संसाधन)
Sh. B. B. Saw, Sr. General Manager (Human Resources)
श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
Sh. Kaushik Rakshit, Sr. General Manager (Finance &Accounts)
श्री ए.के. घिल्डियाल, अपर महा प्रबंधक (सतर्कता)/मुख्य सतर्कता अधिकारी
Sh. A.K.Ghildiyal, Addl.General Manager (Vig.)/C.V.O.
श्री दीपक रस्तोगी, अपर महा प्रबंधक (विपणन)
Sh. Deepak Rastogi, Addl.General Manager (Marketing)
डॉ. एस.के. यादव, अपर महा प्रबंधक (मानव संसाधन)
Dr. S K Yadav, Addl.General Manager (Human Resources)
श्री प्रेम चन्द, अपर महा प्रबंधक (गुण नियंत्रण)
Sh. Prem Chand, Addl.General Manager (QC)
श्री नीरज वर्मा, उप महा प्रबंधक (अभियांत्रिकी)
Sh. Neeraj Verma, Dy.General Manager (Engineering)
श्री शैलेन्द्र कुमार, उप महा प्रबंधक (सामग्री प्रबंधन)
Sh. Sheelendra Kumar, Dy.General Manager (M.M.)

बैंकर्स
BANKERS

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

सांविधिक लेखा परीक्षक
STATUTORY AUDITORS

सर्वश्री ललित गुप्ता एण्ड एसोसिएटस, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली
M/s Lalit Gupta & Associates, Chartered Accountants, New Delhi

शाखा लेखा परीक्षक
BRANCH AUDITORS

1. सर्वश्री वी. पी. सी. एंड एसोसिएटस, सनदी लेखाकार, कोलकाता(प.ब.)
   M/s V.P.C. & Associates, CA, Kolkata (W.B.)
2. सर्वश्री राव एंड रवी, सनदी लेखाकार, हैदराबाद(तेलंगाना)
   M/s Rao & Ravi, CA, Hyderabad(Telangana)
3. सर्वश्री इनानी एंड इनानी, सनदी लेखाकार, अहमदाबाद(गुजरात)
   M/s INANI & INANI, CA, Ahmedabad(Gujarat)
4. सर्वश्री एस.सी.बिछावत एंड कंपनी, चैन्नई (तामिलनाडु)
   M/s S. C. Bichhawat & Co., Chennai(Tamilnadu)
5. सर्वश्री वीरेन्द्र राजीव एंड एसोसिएट, हनुमानगढ़ (राज.)
   M/s Virendra Rajiv & Associates, Hanumangarh(Raj.)
6. सर्वश्री एस.पी. गोयल एंड कंपनी, हिसार (हरियाणा)
   M/s S.P.Goyal & Co., Hisar(Haryana)
7. सर्वश्री जी.कृष्णा एंड कंपनी, पटना (बिहार)
   M/s G. Krishana & Co., Patna (Bihar)
8. सर्वश्री शेखर पटेल एंड कंपनी, रायचूर (कर्नाटक)
   M/s Shekhar Patel & Co., Raichur(Karnataka)
9. सर्वश्री प्रकाश भट्ट एंड एसोसिएटस, बैंगलुरु (कर्नाटक)
   M/s Prakash Bhatt & Associates, Bengaluru (Karnataka)

पंजीकृत कार्यालय
REGISTERED OFFICE

बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012
Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012

क्षेत्रीय प्रबन्धकों के पतों की सूची

ADDRESSES OF REGIONAL MANAGERS

1. श्री ए. ब्रिटू
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर
हैब्बल, बैंगलुरु-560024 (कर्नाटक)
Sh. A. Britto
National Seeds Corporation Ltd.
University of Agril. Sciences Campus
Hebbal, BENGALURU-560024 (KARNATAKA)
Ph. : 080-23415816, 23416824,23410159

2. श्री गुलवीर सिंह पवार
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
48-49, सैक्टर-बी, इंडस्ट्रियल एरिया
गोविन्द पुरा, भोपाल-462023 (मध्य प्रदेश)
Sh. Gulbir Singh Pawar
National Seeds Corporation Ltd.
48-49, Sector-B, Industrial Area, Govind Pura
BHOPAL-462023 (MADHYA PRADESH)
Ph. : 0755-2787122, 2580271

3. श्री मुकेश कुमार जाट
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
प्लॉट नं. 24, इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-IX
एस.ए.एस. नगर, मोहाली (पंजाब)-160062
Sh. Mukesh Kumar Jat
National Seeds Corporation Ltd.
Plot No. 24, Industrial Area Phase-IX,
SAS Nagar,MOHALI (PUNJAB)-160062
Ph. : 0172-2214388, 2215388

4. श्रीमती पी. पी. आयशा
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
22-सी, सीडको (उतर), औद्योगिक क्षेत्र,
नजदीक टेलीफोन एक्सचैंज, अम्बातुर
चेन्नई-600098 (तमिलनाडू)
Smt. P.P. Ayesha
National Seeds Corporation Ltd.
22-C, SIDCO (N), Industrial Estate,
Near Telephone Exchange Ambattur,
CHENNAI-600098 (TAMILNADU)
Ph. : 044-26242363, 26256192

5. श्री के. सी. शर्मा
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
चौमु हाउस (तबेला), सी-स्कीम
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001 (राजस्थान)
Sh. K.C. Sharma
National Seeds Corporation Ltd.
Chomu House (Tabela)
Sardar Patel Marg,C-Scheme
JAIPUR - 302001 (RAJASTHAN)
Ph. : 0141-2376760, 2365947

6. श्री पी. के. पटनायक
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
सेक्टर 4 व 5, ब्लॉक-ए क्यू, प्लॉट नं.12,
साल्ट सिटी, कोलकाता-700016 (पश्चिम बंगाल)
Sh. P. K. Patnaik
National Seeds Corporation Ltd.
Sector-IV & V, Block-AQ, Plot No. 12 Salt City,
KOLKATA-700016 (WEST BENGAL)
Ph. : 033-23671077, 23671074

7. श्री असीम गंगवार
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
569/153, बारा बिरवा, पीकाडली होटल के नजदीक
कानपुर मार्ग, लखनऊ-226004 (उत्तर प्रदेश)
Shri Aseem Gangwar
National Seeds Corporation Ltd.
569/153, Barabirwa, Near Picadali Hotel,
Kanpur Road , LUCKNOW - 226004 (UP)
Ph. : 0522-2424825, 2424826 Fax-2421832

8. श्री ओंकार सिंह
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
शेखपुरा, राजा बाजार, पटना-800014, (बिहार)
Sh. Onkar Singh
National Seeds Corporation Ltd.
Sheikhpura, Raja Bazar
PATNA - 800014 (BIHAR)
Ph. : 0612-2287744,2280200,2280202

9. डॉ. विजय कराहणे
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
681-690, मार्किट यार्ड, गुलटेकड़ी
पुणे-411037 (महाराष्ट्र)
Dr. Vijay Karahne
National Seeds Corporation Ltd.
681-690, Market Yard, Gultekdi
PUNE - 411037 (MAHARASHTRA)
Ph. : 020-24267059, 24264587, 24266584

10. श्री एम. वी. सुधाकर
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
17-11,तुकाराम गेट, नार्थ लालागुडा
सिकन्दराबाद-500017 (तेलांगना)
Sh. M. V. Sudhakar
National Seeds Corporation Ltd.
17-11,Tukaram Gate, North Lalguda
SECUNDERABAD-500017(TELANGANA)
Ph. : 040-27731152,27730635

फार्मों के प्रभारी निदेशकों के पतों की सूची

ADDRESSES OF DIRECTORS INCHARGE OF FARMS

1. श्री बी.पी. सिंह
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 कि. मी. सिरसा रोड,
हिसार-125001(हरियाणा)
Sh. B.P. Singh
National Seeds Corporation Ltd.
Cenral State Farm,
10 K.M., Sirsa Road,HISAR-125001(HARYANA)
Ph. : 01662-275581, 275797

2. श्री यश पाल सिंह
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला - श्रीगंगानगर(राजस्थान)
Sh. Yash Pal Singh
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, Suratgarh
Distt. Sri Ganganagar (RAJASTHAN)
Ph. : 01509-220084, 220006, 220309

3. श्री आनन्द कृष्णा
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़
जिला - श्रीगंगानगर-335785 (राजस्थान)
Sh.Anand Krishna
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, Sardargarh
Distt. Sri Ganganagar-335785 (RAJASTHAN)
Ph. : 01509-238296

4. डॉ. पी. के. त्यागी
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला - श्रीगंगानगर-335709 (राजस्थान)
Dr. P. K. Tyagi
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, Jetsar
Distt.:Sri Ganganagar-335709 (RAJASTHAN)
Ph. : 01498-261202, 261227

5. श्री एस. पी. सिंह
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, ज्वालागेरा,
रायचूर -584143 (कर्नाटक)
Sh. S.P. Singh
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, JAWALAGERA
RAICHUR -584143(KARNATAKA)
Ph. : 08583-201246

6. श्री पी.के. पटनायक
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, जेडएआरसी, नालहाटी
जिला : बीरभूम - 731220 (पश्चिम बंगाल)
Shri P.K. Patnayak
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, ZARC,Nalhati
Distt.: Beerbhum-731220 (WEST BENGAL)
Mob. : 08348206642

7. श्री आर. एन. एस. यादव
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, बलियापुर
पोस्ट-बलियापुर-828201
जिला - धनबाद(झारखण्ड)
Sh. R. N. S. Yadav
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, BALIYAPUR
P.O. Baliyapur-828201
Dist. Dhanbad(JHARKHAND)
Mob. : 09534123907

8. श्री गुलाब सिंह ओला
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
केन्द्रीय राज्य फार्म, सुकिन्दा
पोस्ट-दामोदरपुर वाया सुकिन्दा-755018
जिला - जाजपुर(उड़ीसा)
Sh. Gulab Singh Ola
National Seeds Corporation Ltd.
Central State Farm, SUKINDA
P.O. Damodarpur Via Sukinda -755018
Dist. Jajpur(ORISSA)
Mob. : 09070106981

विषय सूची
CONTENTS

सूचना
Notice 06

अध्यक्ष का अभिभाषण
Chairman's Speech 24

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report 34

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां
Comments of the Comptroller & Auditor General of India 132

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report 136

निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी
Addendum to the Directors' Report 158

तुलन पत्र
Balance Sheet 166

लाभ एवं हानि का विवरण
Statement of Profit and Loss 168

नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Cash Flow 170

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
Statement of changes in equity 172

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
Notes on Financial Statements 174

खण्ड रिपोर्टिंग
Segment Reporting 270

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
(सी आई एन : U74899DL1963GOI003913)
"आई एस ओ 9001: 2015 & 14001:2015 द्वारा प्रमाणित
पंजीकृत कार्यालय : बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली -110012(भारत)
फोन संख्या : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
ई-मेल-nsc@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com/cs@indiaseeds.com
वेबसाईट : www.indiaseeds.com

संख्या: एनएससी/55 वीं -एजीएम/2018-कं.स. दिनांक: 05 सितम्बर, 2018

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 55वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 29 सितम्बर, 2018 को पूर्वाहन 11.00 बजे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य करने के लिए होगी :-

सामान्य कार्य:

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि इसे सही समझा जाता है तो निम्नलिखित को संशोधन अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना ।

1. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन :

"**संकल्प किया जाता है कि** 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तथा इन पर निदेशकों व लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है ।"

2. लाभांश की घोषणा :

"**संकल्प किया जाता है कि** वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निगम का कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर 30 % की दर से लाभांश हो और इसी प्रकार घोषणा की जाती है ।"

3. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुपालन में और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार/एनसीड्स (10)714 दिनांक 09.08.2017 के द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक व शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर इनकी सहमति तथा उक्त पत्र में निर्धारित नियम एवं शर्तो तथा इनके मानदेय को निम्न प्रकार से अनुमोदित किया जाता है :-

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India undertaking Miniratna Company)
(CIN: U74899DL1963GOI003913)
"An IS0 9001: 2015 & 14001:2015 Company
Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX,
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Phones: 25842383, 25846272, 25842692, 25843673
E-mail-nsc@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com/cs@indiaseeds.com
Website : www.indiaseeds.com

No. NSC/55th AGM/2018-CS Dated: the 5th Sept., 2018

N O T I C E

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 55th Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited will be held on Saturday, the 29th September, 2018 at 11.00 AM at Registered Office of National Seeds Corporation Limited,(NSC) at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012 to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS:

"**RESOLVED THAT** Audited Financial Statements for the Financial Year ended 31st March, 2018 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby adopted."

2. DECLARATION OF DIVIDEND:

"**RESOLVED THAT** a dividend of 30% on Profit After Tax (PAT) of the Corporation for the Financial Year 2017-18 be and the same is hereby declared."

3. APPOINTMENT OF AUDITORS:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 139 & 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, and with the consent of the Auditors concerned for the appointment as Statutory Auditors and Branch Auditors respectively made by the Comptroller and Auditor General of India in respect of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2017-18 as per their letter No. C.A.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT/ NSEEDS(10)/714 dated 09.08.2017 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i)	सांविधिक लेखा परीक्षक - निगम के पूरे लेखों का समेकन तथा क्षेत्रीय कार्यालय - चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल एवं मुख्यालय की लेखा परीक्षा के लिए	रु. 4,40,000/-
ii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रु. 28,000/-
iii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरु के लिए	रु. 28,000/-
iv)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रु. 28,000/-
v)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रु. 28,000/-
vi)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के लिए	रु. 28,000/-
vii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रु. 28,000/-
viii)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रु. 75,000/-
ix)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रु. 25,000/-
x)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रु. 25,000/-

निदेशक मंडल के आदेश से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

ह0/-
(मो0 राक़िम)
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

टिप्पणी:

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखों की एक प्रति तथा उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस सूचना के साथ संलग्न है।

i	Statutory Auditor- Consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of ROs at Jaipur, Chandigarh, Lucknow, Bhopal & Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 4,40,000/-
ii	Branch Auditor Regional Office (RO), Secunderabad	Rs. 28,000/-
iii	Branch Auditor Regional Office (RO), Bengaluru	Rs. 28,000/-
iv	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 28,000/-
v	Branch Auditor Regional Office (RO), Kolkata	Rs. 28,000/-
vi	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 28,000/-
vii	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 28,000/-
viii	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 75,000/-
ix	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 25,000/-
x	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 25,000/-

By order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

Sd/-
(MOHD. RAQUIM)
Company Secretary

Place: New Delhi

NOTES:

1. A copy of Financial Statements for the year ended 31st March, 2018 alongwith Reports of Directors and Auditors thereon accompany this Notice.

2. वित्त वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधिन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) को अग्रेषित किए गए हैं। यदि सीएजी की कोई टिप्पणी प्राप्त हुई तो उसे वार्षिक साधारण बैठक में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

3. एनएससी की पांच सहयोगी कंपनियाँ हैं, जिनके वित्तीय विवरण कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3)एवं उसके नियमों के अनुपालन में समेकित किए जाने चाहिए थे और एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ भी संलग्न किए जाने चाहिए थे, परंतु कई पत्र /अनुस्मारक पत्र भेजने के बावजूद इन सहयोगी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरण इंड एएस के तहत तैयार नहीं किए और उक्त प्रावधान के अनुपालन के लिए एनएससी को अब तक नहीं भेजे।

आवश्यक देरी से बचने के लिए एनएससी ने अपने वित्तीय विवरण अकेले ही प्रस्तुत कर दिए हैं। इस मामले को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि एनएससी का प्रशासनिक मंत्रालय है, के संज्ञान में भी लाया गया है।

4. वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के पात्र सदस्य को अपना प्रतिनधि नियुक्त करने का अधिकार है तथा प्रतिनिधि के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

सेवा में,

1. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
   - i. प्रतिनिधि श्री रोहित माथुर, निदेशक (बीज)भारत सरकार,कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति।
   - ii. श्री वी.के.गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
   - iii. श्री ए.के. झा, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. श्री दिनेश अरोड़ा, निदेशक (वित्त), भारत सरकार,कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,कृषि भवन, नई दिल्ली एवं निदेशक एनएससी।
3. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. श्रीमती प्रतिभा सुमन, निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. डॉ बी.बी. मोंहती, निदेशक , राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. मैसर्स ललित गुप्ता एंड एसोसिएट, सांवधिक लेखापरीक्षक, 412, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंबा रोड़, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001.
7. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

2. The Financial Statements for the year 2017-18 have been forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (CAG) U/s 143(6) of the Companies Act, 2013. The Comments, if any, of the CAG will be placed before the Shareholders at the Annual General Meeting.

3. There are 5 Associate Companies of NSC, whose Financial Statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statements of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite letters and reminders, these Associate Companies have not finalized in Ind-AS and sent the same till date to NSC for complying with the above legal requirements.

   In order to avoid needless delay, Financial Statement of NSC alone is placed. Matter has already been brought to the Notice of MOA&FW who are the Administrative Ministry of the NSC.

4. A member entitled to attend and Vote at this meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and Vote in his/her place.

To,

1. All the Members, NSC Limited, New Delhi:-

   i. Hon'ble President of India through Authorized Representative Shri Rohit Mathur, Director (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
   ii. Shri V. K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
   iii. Shri A. K. Jha, Under Secretary (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

2. Shri Dinesh Arora, Director (Finance), GOI, MOA&FW, New Delhi and Director, NSC.
3. Shri V. Mohan, Director (Finance), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
4. Smt. Partibha Suman, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
5. Dr. B.B. Mohanty, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
6. M/s Lalit Gupta & Associates, Statutory Auditor, 412, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110 001.
7. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

(सी आई एन : U74899DL1963GOI003913)

"आई एस ओ 9001: 2015 & 14001:2015 द्वारा प्रमाणित

पंजीकृत कार्यालय : बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली -110012(भारत)

फोन संख्या : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

ई-मेल-nsc@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com/cs@indiaseeds.com

वेबसाईट : www.indiaseeds.com

संख्या: एनएससी/55 वीं -एजीएम/2018-कं.स. दिनांक: 01 अक्टूबर, 2018

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 55वीं वार्षिक आम बैठक जो कि शनिवार, 29 सितम्बर, 2018 को पूर्वाहन 11.00 बजे के लिए निर्धारित की गई थी जिसे आगे के लिए स्थगित कर दी गई थी, अब यह बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 को पूर्वाहन 11.00 बजे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य करने के लिए होगी :-

सामान्य कार्य:

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि इसे सही समझा जाता है तो निम्नलिखित को संशोधन अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना ।

1. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन :

"**संकल्प किया जाता है कि** 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तथा इन पर निदेशकों व लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है ।"

2. लाभांश की घोषणा :

"**संकल्प किया जाता है कि** वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निगम का कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर 30 % की दर से लाभांश हो और इसी प्रकार घोषणा की जाती है ।"

3. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति:

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुपालन में और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार/एनसीड्स (10)714 दिनांक 09.08.2017 के द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक व शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर इनकी सहमति तथा उक्त पत्र में निर्धारित नियम एवं शर्तो तथा इनके मानदेय को निम्न प्रकार से अनुमोदित किया जाता है :-

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India undertaking Miniratna Company)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

"An IS0 9001: 2015 & 14001:2015 Company

Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX,

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Phones: 25842383, 25846272, 25842692, 25843673

E-mail-nsc@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com/cs@indiaseeds.com

Website : www.indiaseeds.com

No. NSC/55th AGM/2018-CS Dated: the 1st Oct., 2018

N O T I C E

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 55th Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited which was scheduled for Saturday, the 29th September, 2018 at 11.00 AM and adjourned to be held at subsequent date, will now be held on Monday, the 29th October, 2018 at 11.00AM at the Registered Office of National Seeds Corporation Limited,(NSC) at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110 012 to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS:

"**RESOLVED THAT** Audited Financial Statements for the Financial Year ended 31st March, 2018 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby adopted."

2. DECLARATION OF DIVIDEND:

"**RESOLVED THAT** a dividend of 30% on Profit After Tax (PAT) of the Corporation for the Financial Year 2017-18 be and the same is hereby declared."

3. APPOINTMENT OF AUDITORS:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 139 & 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, and with the consent of the Auditors concerned for the appointment as Statutory Auditors and Branch Auditors respectively made by the Comptroller and Auditor General of India in respect of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2017-18 as per their letter No. C.A.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT/ NSEEDS(10)/714 dated 09.08.2017 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i)	सांविधिक लेखा परीक्षक - निगम के पूरे लेखोंका समेकन तथा क्षेत्रीय कार्यालय - चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल एवं मुख्यालय की लेखा परीक्षा के लिए	रु. 4,40,000/-
ii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रु. 28,000/-
iii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरु के लिए	रु. 28,000/-
iv)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रु. 28,000/-
v)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रु. 28,000/-
vi)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के लिए	रु. 28,000/-
vii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रु. 28,000/-
viii)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रु. 75,000/-
ix)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रु. 25,000/-
x)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रु. 25,000/-

निदेशक मंडल के आदेश से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

ह0/-
(मो0 राक़िम)
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

टिप्पणी:

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखों की एक प्रति तथा उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही आपको वार्षिक आम बैठक की सूचना दिनांक 05.09.2018 के साथ भेज दी गई थी, जिसे कृपया 29 अक्टूबर, 2018 को निर्धारित स्थगित वार्षिक आम बैठक में अपने साथ लाने का कष्ट करें।

i	Statutory Auditor- Consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of ROs at Jaipur, Chandigarh, Lucknow, Bhopal & Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 4,40,000/-
ii	Branch Auditor Regional Office (RO), Secunderabad	Rs. 28,000/-
iii	Branch Auditor Regional Office (RO), Bengaluru	Rs. 28,000/-
iv	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 28,000/-
v	Branch Auditor Regional Office (RO), Kolkata	Rs. 28,000/-
vi	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 28,000/-
vii	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 28,000/-
viii	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 75,000/-
ix	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 25,000/-
x	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 25,000/-

By order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

Sd/-
(MOHD. RAQUIM)
Company Secretary

Place: New Delhi

NOTES:

1. A copy of Financial Statements for the year ended 31st March, 2018 along with Reports of Directors and Auditors thereon as sent to you vide AGM Notice 05/09/2018 may kindly be brought by you at the adjourned AGM scheduled for 29.10.2018.

2. वित्त वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) को अग्रेषित किए गए हैं। सीएजी के द्वारा कोई टिप्पणी नहीं जारी किए जाने के कारण 29 सितम्बर, 2018 को निर्धारित वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत नहीं किए जा सके। सीएजी की टिप्पणियाँ 29.10.2018 तक प्राप्त हो जाएगें और इसे 29 अक्टूबर, 2018 को निर्धारित स्थगित वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

3. एनएससी की पांच सहयोगी कंपनियाँ हैं, जिनके वित्तीय विवरण कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3)एवं उसके नियमों के अनुपालन में समेकित किए जाने चाहिए थे और एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ भी संलग्न किए जाने चाहिए थे, परंतु कई पत्र/अनुस्मारक पत्र भेजने के बावजूद इन सहयोगी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरण इंड एएस के तहत तैयार नहीं किए और उक्त प्रावधान के अनुपालन के लिए एनएससी को अब तक नहीं भेजे।

आवश्यक देरी से बचने के लिए, केवल एनएससी के वित्तीय विवरण स्थगित वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किए जाएगें जैसे कि 5 सितम्बर, 2018 के वार्षिक आम बैठक की सूचना में सूचित किया गया था कि इस मामले को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि एनएससी का प्रशासनिक मंत्रालय है, के संज्ञान में भी लाया गया है।

4. वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के पात्र सदस्य को अपना प्रतिनधि नियुक्त करने का अधिकार है तथा प्रतिनिधि के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

सेवा में,

1. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
   - i. प्रतिनिधि श्री रोहित माथुर, निदेशक (बीज),कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति।
   - ii. श्री वी.के.गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
   - iii. श्री ए.के. झा, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. श्री दिनेश अरोड़ा, निदेशक (वित्त), भारत सरकार,कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,कृषि भवन, नई दिल्ली एवं निदेशक एनएससी।
3. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. श्रीमती प्रतिभा सुमन, निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. डॉ बी.बी. मोंहती, निदेशक , राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. मैसर्स ललित गुप्ता एंड एसोसिएट, सांवधिक लेखापरीक्षक, 412, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंबा रोड़, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001.
7. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

2. The Financial Statements for the year 2017-18 have been forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (CAG) U/s 143(6) of the Companies Act, 2013. The Comments, of the CAG which could not be released earlier and therefore it were not placed before the AGM scheduled for 29.09.2018, are likely to be received from the CAG before 29.10.2018 and therefore the same will be placed before the Shareholders at the adjourned Annual General Meeting scheduled on 29.10.2018.

3. There are 5 Associate Companies of NSC, whose Financial Statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statement of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite letters and reminders, these Associate Companies have not finalized in Ind-AS and sent the same to NSC for complying with the above legal requirements.

   In order to avoid needless delay, Financial Statement of NSC alone will be placed before the adjourned AGM. As informed earlier in the AGM Notice dated 05.09.2018, matter has already been brought to the Notice of MOA&FW who are the Administrative Ministry of the NSC.

4. A member entitled to attend and Vote at this meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and Vote in his place.

To,

1. All the Members, NSC Limited, New Delhi:-

   i. Hon'ble President of India through Authorized Representative Shri Rohit Mathur, Director (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
   ii. Shri V. K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
   iii. Shri A. K. Jha, Under Secretary (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

2. Shri Dinesh Arora, Director (Finance), GOI, MOA&FW, New Delhi and Director, NSC.
3. Shri V. Mohan, Director (Finance), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
4. Smt. Partibha Suman, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
5. Dr. B.B. Mohanty, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
6. M/s Lalit Gupta & Associates, Statutory Auditor,412, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110 001.
7. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.

एनएससी
NSC

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

(सी आई एन : U74899DL1963GOI003913)

"आई एस ओ 9001: 2015 & 14001:2015 द्वारा प्रमाणित

पंजीकृत कार्यालय : बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली -110012(भारत)

फोन संख्या : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

ई-मेल-nsc@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com

वेबसाईट : www.indiaseeds.com

संख्या: एनएससी/55 वीं -एजीएम/2018-कं.स. दिनांक: 19 नवंबर, 2018

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 55 वीं वार्षिक आम बैठक जो मूल रूप से दिनांक 29 सितम्बर, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए निर्धारित की गई थी जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त न होने के कारण स्थगित कर दी गई और इस बैठक को दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए निर्धारित की गई थी परंतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त न होने के कारण इसे पुन: स्थगित कर दी गई, अब यह स्थगित बैठक गुरुवार,ध22 नवंबर, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य करने के लिए होगी :

सामान्य कार्य:

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि इसे सही समझा जाता है तो निम्नलिखित को संशोधन अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना ।

1. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन :

"**संकल्प किया जाता है कि** 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तथा इन पर निदेशकों व लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है ।"

2. लाभांश की घोषणा :

"**संकल्प किया जाता है कि** वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निगम का कर पश्चात लाभ (पीएटी)पर 30 % की दर से लाभांश हो और इसी प्रकार घोषणा की जाती है ।"

3. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 142 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुपालन में और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार/एनसीड्स (10)714 दिनांक 09.08.2017 के द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक व शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर इनकी सहमति तथा उक्त पत्र में निर्धारित नियम एवं शर्तो तथा इनके मानदेय को निम्न प्रकार से अनुमोदित किया जाता है :-

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India undertaking Miniratna Company)
(CIN: U74899DL1963GOI003913)
“An IS0 9001: 2015 & 14001:2015 Company
Regd. Office:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX,
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Phones: 25842383, 25846272, 25842692, 25843673
E-mail-nsc@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com/cs@indiaseeds.com
Website : www.indiaseeds.com

No. NSC/55th AGM/2018-CS Dated: the 19th Nov., 2018

N O T I C E

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 55th Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited which was originally scheduled for 29 th September, 2018 at 11.00 AM was adjourned due to non - receipt of CAG Comments and held on 29 th October, 2018 which was again adjourned for want of CAG Comments, will now be held on Thursday, the 22 nd November 2018 at 11.00 AM at the Registered office of National Seeds Corporation Limited,(NSC) at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012 to transact the following business

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, with or without modifications the following Resolutions as Ordinary Resolutions:-

1. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS:

“**RESOLVED THAT** Audited Financial Statements for the Financial Year ended 31st March, 2018 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby adopted.”

2. DECLARATION OF DIVIDEND:

“**RESOLVED THAT** a dividend of 30% on Profit After Tax (PAT) of the Corporation for the Financial Year 2017-18 be and the same is hereby declared.”

3. APPOINTMENT OF AUDITORS:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 139 & 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, and with the consent of the Auditors concerned for the appointment as Statutory Auditors and Branch Auditors respectively made by the Comptroller and Auditor General of India in respect of National Seeds Corporation Limited for the Financial Year 2017-18 as per their letter No. C.A.V./COY/CENTRAL GOVERNMENT/NSEEDS(10)/714 dated 09.08.2017 containing terms and conditions and their remuneration as detailed below be and the same are hereby approved:-

i)	सांविधिक लेखा परीक्षक - निगम के पूरे लेखोंका समेकन तथा क्षेत्रीय कार्यालय - चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल एवं मुख्यालय की लेखा परीक्षा के लिए	रु. 4,40,000/-
ii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकन्दराबाद के लिए	रु. 28,000/-
iii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरु के लिए	रु. 28,000/-
iv)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के लिए	रु. 28,000/-
v)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए	रु. 28,000/-
vi)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के लिए	रु. 28,000/-
vii)	शाखा लेखा परीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के लिए	रु. 28,000/-
viii)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर (राजस्थान) के लिए	रु. 75,000/-
ix)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) के लिए	रु. 25,000/-
x)	शाखा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक) के लिए	रु. 25,000/-

निदेशक मंडल के आदेश से
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

ह0/-
(मो0 राक़िम)
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

टिप्पणी:

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तथा उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही आपको वार्षिक आम बैठक की सूचना दिनांक 05.09.2018 के साथ भेज दी गई थी, जिसे कृपया 22 नवंबर, 2018 को निर्धारित द्वितीय स्थगित वार्षिक आम बैठक में अपने साथ लेकर आने का कष्ट करें।

i	Statutory Auditor- Consolidation of Accounts of the Corporation as a whole & Audit of ROs at Jaipur, Chandigarh, Lucknow, Bhopal & Head Office including Audit work relating to Internal Financial Control.	Rs. 4,40,000/-
ii	Branch Auditor Regional Office (RO), Secunderabad	Rs. 28,000/-
iii	Branch Auditor Regional Office (RO), Bengaluru	Rs. 28,000/-
iv	Branch Auditor Regional Office (RO), Patna	Rs. 28,000/-
v	Branch Auditor Regional Office (RO), Kolkata	Rs. 28,000/-
vi	Branch Auditor Regional Office (RO), Chennai	Rs. 28,000/-
vii	Branch Auditor Regional Office (RO), Pune	Rs. 28,000/-
viii	Branch Auditor CSF, Suratgarh, Sardargarh & Jetsar (Raj)	Rs. 75,000/-
ix	Branch Auditor CSF, Hisar (Haryana)	Rs. 25,000/-
x	Branch Auditor CSF, Raichur (Karnataka)	Rs. 25,000/-

By order of the Board of Directors of
National Seeds Corporation Limited

Sd/-
(MOHD. RAQUIM)
Company Secretary

Place: New Delhi

NOTES:

1. A copy of Financial Statements for the year ended 31st March, 2018 alongwith Reports of Directors and Auditors thereon as already sent to you vide AGM Notice dated 05.09.2018 may kindly be brought by you at the 2nd adjourned AGM scheduled for 22.11.2018.

2. वित्त वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) को अग्रेषित किए गए हैं। सीएजी के द्वारा कोई टिप्पणी जारी नहीं किए जाने के कारण 29 सितम्बर, 2018 एवं 29अक्टूबर,2018 को निर्धारित वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत नहीं किए जा सके, परंतु अब प्राप्त हो गए है जो इस सूचना के साथ संलग्न है।

3. एनएससी की पांच सहयोगी कंपनियों हैं, जिनके वित्तीय विवरण कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) एवं उसके नियमों के अनुपालन में समेकित किए जाने चाहिए थे और एनएससी के वित्तीय विवरणों के साथ भी संलग्न किए जाने चाहिए थे, परंतु कई पत्र/अनुस्मारक पत्र भेजने के वाबजूद इन सहयोगी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरण इंड एएस के तहत तैयार नहीं किए और उक्त प्रावधान के अनुपालन के लिए एनएससी को अब तक नहीं भेजे।
आवश्यक देरी से बचने के लिए, सिर्फ एनएससी के वित्तीय विवरण ही द्वितीय स्थगित वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे कि 5/9/2018 के आम सभा की सूचना में सूचित किया गया था कि इस मामले को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि एनएससी का प्रशासनिक मंत्रालय है, के संज्ञान में भी लाया गया है।

4. वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के पात्र सदस्य को अपना प्रतिनधि नियुक्त करने का अधिकार है ।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के अनुपालन में वर्तमान स्थगित बैठक निर्धारित करने के लिए अल्प सूचना पर शेयरधारकों/ सदस्यों की सहमति ले ली गई है।

सेवा में,

1. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
   i. प्रतिनिधि श्री रोहित माथुर, निदेशक (बीज),कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति।
   ii. श्री वी.के.गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
   iii. श्री ए.के. झा, अवर सचिव (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. श्री दिनेश अरोड़ा, निदेशक(वित्त), भारत सरकार,कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,कृषि भवन, नई दिल्ली एवं निदेशक एनएससी।
3. श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. श्रीमती प्रतिभा सुमन, निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. डॉ बी.बी. मोंहती, निदेशक , राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. मैसर्स ललित गुप्ता एंड एसोसिएट, सांवधिक लेखापरीक्षक, 412, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंबा रोड़, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001.
7. श्री कौशिक रक्षित, वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

2. The Financial Statements for the year 2017-18 have been forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (CAG) U/s 143(6) of the Companies Act, 2013. The Comments of the CAG which could not be released earlier and therefore it were not placed before the AGM scheduled for 29.09.2018 and 29.10.2018,have now been received and forming part of this Notice.

3. There are 5 Associate Companies of NSC, whose Financial Statements are required to be consolidated and also to be attached with the Financial Statement of NSC pursuant to the provisions of Section 129(3) of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, but despite letters and reminders, these Associate Companies have not finalized in Ind-AS and sent the same to NSC for complying with the above legal requirements.

   In order to avoid needless delay, Financial Statement of NSC alone will be placed before the 2nd adjourned AGM As informed earlier in the AGM Notice dated 05.09.2018, matter has already been brought to the Notice of MOA&FW who are the Administrative Ministry of the NSC.

4. A member entitled to attend and Vote at this meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and Vote in his place.

5. The consent of Shareholders/Members pursuant to Section 101(1) of the Companies Act, 2013 has been obtained for holding the present adjourned Meeting at shorter Notice.

To,

1. All the Members, NSC Limited, New Delhi:-

   i. Hon'ble President of India through Authorized Representative Shri Rohit Mathur, Director (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.
   ii. Shri V. K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
   iii. Shri A. K. Jha, Under Secretary (Seeds), GOI, MOA &FW, Krishi Bhawan, New Delhi.

2. Shri Dinesh Arora, Director (Finance), GOI, MOA&FW, New Delhi and Director, NSC.
3. Shri V. Mohan, Director (Finance), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
4. Smt. Partibha Suman, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
5. Dr. B.B. Mohanty, Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
6. M/s Lalit Gupta & Associates,Statutory Auditor, 412, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110 001.
7. Shri Kaushik Rakshit, Senior General Manager (F&A), National Seeds Corporation Limited, New Delhi.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम - मिनीरत्न कंपनी)

*निगम की स्थगित द्वितीय 55 वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण

प्रिय शेयरधारकों,

1. मैं, निगम की स्थगित द्वितीय 55 वीं वर्षिक साधारण बैठक में हमारे आदरणीय शेयरधारकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते ही है कि बैठक के आयोजन हेतु पहले भी दो बार समय नियत किया गया था किन्तु नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण बैठक आयोजित नहीं की जा सकी और अब नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के बाद, मैं आपके समक्ष निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ इंडएस के प्रावधानों सहित विधिवत समेकित 31 मार्च 2018 के वित्तीय विवरण और वित्तीय विवरणों और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करता हूँ।

आपकी अनुमति से, मैं इसे पढ़ा हुआ मान लेता हूँ। मोटे तौर पर, विस्तृत कार्य निष्पादन विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं :

2. कार्य निष्पादन विशिष्टताएं :-

सर्वप्रथम मैं, आपको बताना चाहता हूँ कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दोबारा से प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों और अहितकारी बाजार कारकों का सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में टर्नओवर और इंकम पूल में कमी आई है। आप कृपया निम्नलिखित चरणों का मूल्याकंन करेंगे जिनसे कम हुए कर पश्चात लाभ में कमी आई है:-

i) बिक्री मौसम की समाप्ति पर लगभग 03 लाख क्विंटल गेहूं अनबिका शेष रह गया था। गेहूँ की बिक्री में कमी, विशेषकर राजस्थान में गेहूँ उगने के मौसम में बरसात न होने के साथ ही उच्च तापमान, निजी बीज विक्रेताओं द्वारा बहुत कम दरों पर गेहूँ के बीजों की उपलब्धता और किसानों द्वारा स्वयं संरक्षित बीजों का उपयोग करने के कारण हुई है। उत्तर प्रदेश में किसान विभिन्न प्रकार की कागजी औपचारिकताओं के कारण सब्सिडी दरों पर भी बीज खरीदने के इच्छुक नहीं थे तथा उन्होंने स्वयं के फार्मों पर संरक्षित किए गए बीजों का उपयोग किया।

ii) चने के मामले में, बिक्री सत्र के दौरान बाजार में मंदी थी तथा किसानों ने भी अपने द्वारा संरक्षित बीजों का ही इस्तेमाल किया गया जिसके चलते बिक्री मौसम के बाद 1.32 लाख क्विं. की बड़ी मात्रा की बिक्री नहीं हो पाई।

iii) मध्यप्रदेश में निम्न बाजार दर और किसानों द्वारा स्वयं संरक्षित बीजों का इस्तेमाल करने के चलते फसली पैटर्न में बदलाव के कारण सोयाबीन की बिक्री प्रभावित हुई है। कर्नाटक में सूखा पड़ने के कारण लगभग 15,000 क्विं. सोयाबीन बीज राज्य सरकार को आपूर्त नहीं किया जा सका। बिक्री सत्र के बाद लगभग 26,667 क्विं. सोयाबीन बीज बिना बिके शेष रहा, जिसके लिए घटी हुई दरों पर गैर-बीज के रूप में बिक्री हेतु स्वीकृति दी गई।

iv) राजस्थान में बरसात न होने व सरसों बुवाई के दौरान 35-40 डिग्री सेल्सियस के बीच उच्च तापमान के कारण, बुवाई के तहत क्षेत्र कम किया गया। मिनीकिट्स की आपूर्ति के पश्चात लगभग 0.16 -0.17 लाख क्विं. सरसों का बीज नहीं बिका।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking - Miniratna Company)

*** FROM THE DESK OF CMD, NSC**
2nd ADJOURNED 55th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Shareholders,

1. I warmly welcome our esteemed Shareholders at this 2nd adjourned 55th Annual General Meeting of your Corporation. As you are aware that for want of CAG Comments , the meeting scheduled earlier twice could not be conducted and now after receipt of the CAG Comments,I am placing herewith the Financial Statements for the year ended 31st March, 2018 duly complied with the provisions of Ind-AS along with Reports of Directors and Auditors thereon and comments of Comptroller and Auditor General of India CAG on the Financial Statements and Statutory Auditors Report before you.

With your permission I take the same as read nonetheless I submit the highlights of the Financial Statements as under:-

2. PERFORMANCE HIGHLIGHTS:-

At the outset I would like to brief you that the year under review again faced adverse agro climatic conditions and unfavorable market factors which have substantially reduced the turnover and total income pool in comparison to the last year. You will kindly appreciate the following reasons which have given rise to the reduced PAT:-

i. Around 3 lakh quintals of Wheat remained unsold at the end of the sale season. The reduction in sale of Wheat especially in Rajasthan is due to high temperature accompanied by no rainfall during wheat growing season; availability of wheat seeds at a very reduced rate by private seed suppliers and use of farm saved seeds by the farmers. In U.P., the farmers were reluctant to procure seed on subsidized rate due to various paper formalities and they have used their own farm saved seeds.

ii. In case of Gram, the market trend had been downward during the sale season and farmers also used their own saved seeds due to which a sizeable quantity of 1.32 Lakh qtls. remained unsold after the sale season.

iii. Sale of Soyabean suffered due to shift in cropping pattern in M.P. on account of low market price and use of farm saved seeds by farmers. Due to drought in Karnataka about 15,000 qtls. seed of Soyabean could not be supplied to the State Government. Around 26,667 qtls. of Soyabean seeds remained unsold after the sale season which were later permitted to be sold as non-seed at reduced rate.

iv. Due to high temperature between 35-40 Degree Celsius during the mustard sowing time and no rainfall in Rajasthan, the area under sowing of this crop had reduced. After supply of minikits around 0.16-0.17 lakh qtls. Mustard seeds were left unsold.

v) राजस्थान सरकार की राज्य बीज निगम के अलावा किसी अन्य संस्थान से बीज खरीदने पर रोक लगाने वाली अधिसूचना के कारण राज्य कृषि विभाग द्वारा धान का बीज नहीं लिया गया। जबकि विगत वर्ष सरकार द्वारा धान का 0.25 लाख क्विं. बीज लिया गया था। वर्ष 2017-18 के अंत में लगभग 0.27 लाख क्विं. धान का बीज बिना बिके शेष रह गया। यद्यपि, वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में दलहन (24.78%), चारा (30.10%), रेशा (182.60%) और हरी खाद (268.64%) के बीजों की बिक्री में काफी वृद्धि हई है।

vi) इसके अतिरिक्त वर्ष की अधिकतर अवधि के दौरान निगम को कैश क्रेडिट और अल्पावधि ऋणों का उपयोग करना पड़ा। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों के संशोधित वेतन लागू किए गए जिसका कर्मचारी लाभ खर्चों पर प्रतिमाह 1.2 करोड़ का प्रभाव पड़ा। प्रावधान जनवरी, 2017 के बाद से लागू किया गया।

इस प्रकार बिक्री से निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। यद्यपि, प्रबंधन संपूर्ण राजस्व पूल को परिवर्धित करने के लिए विपणन नीतियों को बदलने के लिए कदम उठा रहा है।

असामान्य परिस्थितियों के बावजूद, वर्ष 2018-19 के दौरान निगम के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं और हम आशा करते हैं कि इस वर्ष के दौरान आपका निगम बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में होगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान फार्मों का कार्य निष्पादन, यंत्रीकरण व सिंचाईगत तथा अन्य ढांचागत विकासों की निरंतर जारी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बेहतर रहा जिसके कारण वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान पूंजीकरण मूल्य क्रमशः रू. 17.95 करोड़ तथा रू. 19.55 करोड़ रहा। फार्मों का संयुक्त कर पश्चात लाभ वर्ष 2016-17 के दौरान रू. 09.10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में रू. 18.93 करोड़ रहा।

- उल्लिखित कारणों से हुई न्यून आय के कारण वर्ष के दौरान1000/- के प्रति शेयर के प्रत्येक इक्विटी शेयर से आय वर्ष 2016-17 के दौरान 903.76 की तुलना में रू. 435.73 रही।

- इक्विटी शेयरों के संबंध में, पूरी तरह चुकता रू. 1000/- प्रत्येक के 573199 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित हैं, इसलिए आपके कंपनी का कुल इक्विटी आधार पिछले वर्ष की भांति रू. 5731.99 लाख रू. पर स्थिर रहा।

- आपके निगम की स्टेट बैंक आफ इंडिया से बीजी और एल/सी सहित रुपये 75.90 करोड़ की सीसी सीमा तथा इंडस इंड बैंक से आवधिक ऋण सीमा रू. 50.00 करोड़ रही। वर्ष के दौरान, निगम ने पिछले वर्ष में रू. 97.42 लाख की तुलना में 426.20 लाख का ब्याज और अन्य उधार लागतों का भुगतान किया है। इस वृद्धि का कारण लंबे समय तक कैश क्रेडिट तथा अल्पावधि ऋण का उपयोग करना हैं। गेहूँ और चने की बिक्री, बाजार मूल्य से कम की वसूली और किसानों द्वारा स्वयं का संरक्षित बीज उपयोग करने से कम लाभ के कारण प्रभावित हुई है।

- जैसा कि आप जानते हैं कि निगम ने एनएसपी के तहत विभिन्न राज्य बीज निगमों में निवेश किया है तथा दिनांक 31 मार्च, 2018 पर निवेश की कुल वास्तविक राशि रु. 901.88 लाख थी, यद्यपि, खातों के अनुसार पर 3506.65 लाख थी। इंड-एएस प्रावधानों के अनुसार पांच गैर एसोसिएट कंपनियों के शेयरों का मूल्य, उचित मूल्य अवधारणा के तहत "खातों में प्राप्त एवं लेखांकित किया गया" हैं। कुछ निवेशक कंपनियों से वर्ष 2017-18 के दौरान रू. 67.06 लाख का कुल लाभांश प्राप्त किया गया था। बिहार राज्य बीमा निगम के संबंध में, जो एमसीए के अनुसार एक निष्क्रय कंपनी है। वर्ष 2013-14 के दौरान 106.38 लाख रूपये के शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधान किए गए हैं।

3. संक्षेप में कंपनी के वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं:-

वर्ष के दौरान निगम ने ग्रेच्यूटी, अवकाश भत्तों , लाभ, कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन बकाया पिछले तीन वर्षों के औसत कर पश्चात लाभ का 2 प्रतिशत के हिसाब से सीएसआर के लिए प्रावधान करने के पश्चात तथा आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आस्थगित कर और आयकर के लिए प्रावधान के उपरांत रू. 2497.50 लाख का निवल लाभ अर्जित किया है जो पिछले वर्ष के लाभ रू. 5180.33 लाख से 51.79% कम है।

वर्ष के दौरान मूल्यह्रास, ब्याज और कर के साथ-साथ असाधारण मदों से पूर्व लाभ में 45.81% की कमी के साथ रू 5334.86 लाख रहा, जबकि, वर्ष 2016-17 के दौरान रुपए 9844.42 लाख था। 31.03.2018 को समाप्त वर्ष का अन्य व्यापक आय सहित कर पश्चात लाभ रू. 2497.50 लाख है जो कि पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त रू. 5180.33 लाख के लाभ से 51.79% कम है।

आपके निगम का निवल मूल्य 31.3.2017 पर रू. 59336.36 लाख की तुलना में 31.03.2018 पर रू. 60045.47 लाख था। 31.3.2017 पर रू. 55481.61 लाख की तुलना में 31.03.2018 पर चालू पूंजी रू. 55733.31 लाख थी।

v. Due to Rajasthan State Government Notification restricting the purchase of seed from other than the State Seed Corporation, the barley seed was not taken by the State Agriculture Department as was done in the previous year when 0.25 lakh qtls. of barley seeds were taken by the Government. Around 0.27 lakh quintals of barley seed remained unsold at the end of 2017-18. However, there has been quantum increase in the sale of Seeds of Pulses (24.78%), Fodder (30.10%), Fibre (182.60%) and Green Manure (268.64%) for the year 2017-18 compared to 2016-17.

vi. Due to above, the Corporation had to utilize the CC and short term loans during majority period of the year. During the year wage revision to employees was implemented which has an impact of around Rs. 1.2 Crores per month in Employee benefits expense. Provision has been made from January, 2017 onwards.

Thus the revenue from sales could not meet the target. However, management is taking steps for changing the marketing policies to enlarge overall revenue pool.

Inspite of abnormal situations, continuous efforts are taken to improve the performance of the Corporation during the year 2018-19 and we hope that during this year your Corporation may be in a position to establish better performance.

The performance of the Farms has improved during the year 2017-18 due to the continuous ongoing process of mechanization and irrigational and other infrastructural development under which capitalization worth Rs. 17.95 crores and Rs. 19.55 crores were done during 2017-18 and 2016-17 respectively. Profit before tax for the Farms combined during the year 2017-18 has increased to Rs. 18.93 Crores from Rs. 9.10 Crores during 2016-17.

- Due to low income for the reasons mentioned above, the Earning per Equity Share of Rs.1000/- each during the year was at Rs. 435.73 in comparision to Rs. 903.76 during 2016-17.
- Regarding Equity Shares, 573199 Equity Shares of Rs. 1000/- each fully paid up remained held by the President of India. Thus the total Equity Base of your Corporation continued to be at Rs. 5731.99 Lakhs as in previous year.
- The Corporation is having sanctioned Cash Credit (CC) Limit of Rs. 75.90 Crores from the State Bank of India including BG and LC limits and Short Term loan limit of Rs. 50.00 Crores from Indus Ind Bank. During the year, the Corporation has paid an interest and other borrowing costs of Rs. 426.20 Lakhs in comparison to Rs. 97.42 Lakhs in the previous year. The increase is due to utilization of cash credit and short term loan for longer duration as mentioned above. Sale of Wheat and Gram was affected this year due to less realization of market price and less margins as farmers preferred own saved seeds in sowing.
- You are aware that your corporation has made investments in various State Seeds Corporations under NSP and as on 31.03.2018, the total actual amount of investment was Rs. 901.88 Lakhs, however, as per books it was Rs. 3506.65 lakhs. As per Ind-AS provisions, the value of shares of five Non-Associate Companies was arrived at and accounted for in the Books under fair value concept. A total dividend of Rs. 67.06 lakhs was received during the year 2017-18 from few of the investee Corporations. In respect of Bihar Rajya Beej Nigam Limited (BRBN), which is a dormant Company as per MCA, provision for diminution in value of Shares of Rs. 106.38 lakhs has been made during 2013-14.

3. The Financial results of the Company in brief are as follows:-

During the year, the Corporation earned a Net Profit of Rs. 2497.50 Lakhs after making provision for Gratuity, Leave benefits, Bonus, PRP, wage revision arrears for employees, CSR at 2% of average PBT of last three years and provision for Income Tax and Deferred Tax as per the Income Tax Act, 1961. Comprehensive profit including other comprehensive Income during the year ended up at Rs. 2624.19 Lakhs.

The Profit before Depreciation Interest and Tax (PBDIT) including Exceptional Items during the year has decreased by 45.81 % to Rs. 5334.86 Lakhs from Rs. 9844.42 Lakhs during 2016-17. Profit After Tax excluding other comprehensive Income for the year ending 31.03.2018 was Rs. 2497.50 Lakhs which is 51.79 % less than the profit of previous year at Rs. 5180.33 Lakhs.

The Net worth of your Corporation as on 31.03.2018 was Rs.60045.57 Lakhs compared to Rs. 59336.36 Lakhs as on 31.03.2017. The working capital as on 31.03.2018 was Rs. 55733.31 Lakhs compared to Rs. 55481.61 Lakhs as on 31.03.2017.

प्रजनक, आधारीय, प्रमाणित और निर्यात की गई पौधों सहित बीजों की बिक्री विगत वर्ष 2016-17 के दौरान रू. 77751.64 लाख की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान रू. 70287.08 लाख रही। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने कार्यनिष्पादन में 9.60% की घटोत्तिरी दर्ज की। हांलाकि, अनाज, तिलहन और दलहन के बीजों पर नकारात्ममक प्रभाव के बावजूद निगम ने सब्जी, चारा और हरी खाद बीजों की बढ़ी हुई बिक्री से सुधार निश्चित किया है।

फसलवार विशेषताएं इस प्रकार है:

(i) वर्ष के दौरान प्रमाणित बीजों की बिक्री के मामले में टर्नओवर पिछले वर्ष के रू. 75622.65 लाख की तुलना में रू. 68046.86 लाख था। सब्सिडी बिना बेचे जाने वाले बीज वर्ष 2016-17 के दौरान 81.35% की तुलना में 83.15% थी।

(ii) सरकारी एर्जेसियों को चैनलवार बिक्री 56.55% थी जो पिछले वर्ष के दौरान 49.08% थी। इस प्रकार सरकारी एंजेसियों को बीज की बिक्री में वृद्धि हई है। सब्जियों के बीजों की बिक्री में पिछले वर्ष 4.6% की तुलना में 6.68% की वृद्धि हुई है।

(iii) वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में एनएसओओपी के तहत तिलहन तथा एनएमएसएम के तहत दलहन के मिनिकिटों की आपूर्ति उत्साहजनक रही।

(iv) यद्यपि 2017-18 के दौरान बीजों का निर्यात लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका, किन्त वर्ष 2018-19 में लक्ष्य हासिल किए जाने के प्रयास जारी हैं।

(v) निगम ने गुणवत्ता समृद्ध चारा ब्लॉक के विपणन द्वारा नई पहल की है और वर्ष के दौरान रू. 4.41 लाख की कमाई की हैं। इसके अलावा, रा.बी.नि ने मछली बीजों की बिक्री से रू. 3.26 लाख की राशि हासिल की हैं।

4. **लाभांश:-**

यथाकथित पीएटी में गिरावट के कारण, बोर्ड ने वर्ष 2017-18 के लिए कर पूर्व लाभ की 30% राशि को लाभांश के रूप में भुगतान करने की सिफारशि की है। हमने पहले ही प्रशासनिक मंत्रालय से कर पश्चात लाभ 30% या निवल मूल्य के 5% जो भी उच्च हो, के भुगतान के लिए लागू शर्तों पर डीआईपीएएम से छूट की मांग के लिए अनुरोध किया है।

5. **श्रम शक्ति ढांचा मजबूत बनाने और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने तथा उनकी तकनीकी कौशल स्थिति के उन्नयन संबंधी उपाय:**

श्रमशक्ति ढांचे में रिक्तियों को भरने के लिए, विभिन्न विषयों में प्रबंधन प्रशिक्षुओं की अनेक भर्तियाँ की गई हैं ताकि संबंधित विषयों में जिम्मेदारियां वहन करने के लिए युवा प्रतिभा को संबंधित क्षेत्रों में नियुक्त किया जा सके। सेवानिवृत्तियों, इस्तीफों के कारण बनी रिक्तियों को भरने के लिए वरिष्ठ प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षुओं की भी सभी विषयों में भर्ती की गई है।

● **प्रशिक्षण:-**

इसके अतिरिक्त, संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यवसायिक कौशल को नए क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण हेतु एक केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया गया ताकि संस्था में रचनात्मकता व उत्पादकता में बढ़ावा हो और इस वर्ष के दौरान बाहरी व आंतरिक दोनों ही स्रोतों से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विवरण निदेशकों की रिपोर्ट से देखे जा सकते हैं। अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के अलावा, अन्य कंपनियों, किसानों, उत्पा दकों, वितरकों, आपूर्तिकर्ताओं आदि के अधिकारियों सहित अन्य हितधारकों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

● **राजभाषा कार्यान्वयन:-**

आपका निगम निर्धारित समयानुसार प्रशिक्षण, कार्यक्रम, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करके राजभाषा हिन्दी को भी यथोचित बढ़ावा दे रहा है। 14.9.2017 से 28.09.2017 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को सम्मानित किया गया। वर्ष के दौरान 29.04.2017 को क्षेत्रीय कार्यालय, पूणे का संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण किया गया तथा समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया।

The sale of seeds comprising Breeder, Foundation, Certified and Saplings during 2017-18 has been Rs. 70287.08 Lakhs as compared to Rs. 77751.64 Lakhs during the previous year 2016-17. The year under review has witnessed decrease in performance by 9.60%. However, despite the negative impact on seeds of Cereals, Oilseeds and Pulses your Corporation ensured to make it good to some extent through increased sales of Fodder, Vegetable and Green Manure Seeds.

The crop-wise significance is as follows:

(i) Turnover on account of sale of Certified Seeds during the year was Rs. 68046.86 Lakhs as against Rs. 75622.65 Lakhs during the last year. Seeds sold without subsidy were 83.15% as against 81.35% during the year 2016-17.

(ii) The Channel wise Seed sale was 56.55% to the Government Agencies which was 49.08 % during the last year. Thus the increase has been made in the sale of seeds to the Government Agencies. Sale of vegetable seeds has been increased to 6.68% as against 4.6 % during the last year.

(iii) Supply of Minikits of Oil Seeds under NMOOP and Pulses under NFSM was encouraging during the year 2017-18 in comparision to 2016-17.

(iv) Although no Export of Seeds could have been achieved during 2017-18 but efforts are continuing to achieve the target during the year 2018-19.

(v) Corporation has taken new initiatives by marketing of quality enriched fodder blocks and earned an amount of Rs. 4.41 Lakhs during the year. In addition NSC achieved a sum of Rs. 3.26 Lakhs towards sale of Fish Seed.

4. DIVIDEND:-

As stated, due to unexpected down fall in the PAT, the Board recommended payment of 30% of PAT as Dividend for the year 2017-18. We have already requested administrative Ministry to seek exemption from the DIPAM on the conditions for payment of Dividend @ 30% of PAT or 5% of Networth whichever is higher.

5. STEPS FOR STRENGTHENING THE MANPOWER SET-UP AND EMPLOYEES RELATED MEASURES FOR BOOSTING THEIR MORALE AND UPGRADING THEIR TECHNICAL SKILL STATUS:-

In order to remove vacuum in the manpower set-up, a number of recruitment of Management Trainees have been made in the various disciplines so that the young talent may be placed in the respective disciplines to shoulder the responsibilities in their fields. Senior Trainees and Trainees were also recruited in all the disciplines to fulfil the gap created due to superannuation, resignation etc.

- **Training:-**

Further, a focused approach was adopted to train the Officers/ Employees of the Organization for improving their professional skills even in new areas with a view to enhance the creativity and productivity of the organization and several training programmes both in-house and from external sources were organized during the year. Details may be seen from Directors' Report. In addition to imparting training to our employees, the training was also arranged for other stake holders including officers from other companies, Farmers, Growers, Dealers, Suppliers etc.

- **Impetus to Hindi:-**

Your Corporation is continuing to give due recognitions for Rajbhasha Hindi by conducting all the prescribed periodical trainings, programmes, Workshops etc. 'Hindi Pakhwara'was organized from 14.09.2017 to 28.09.2017 in which various competitions were organized and winners awarded. During the year a Parliamentary Committee on official language also inspected Regional Office, Pune on 29.04.2017 and the Committee was satisfied with the official language implementation.

6. **अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां:-**

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए गुणवत्ता बीजों की आपूर्ति, अन्य निविष्टियों और सेवाओं के माध्यम से किसानों की समृद्धि में योगदान देना व फसल किस्मों और संकर फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला के गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन और विपणन करके और किसानों की संतुष्टि के लिए कृषि से संबंधित आदानों और सेवाओं के माध्यम से मूल्य संवर्धन करके भारत के बीज उद्योग का नेतृत्व करना।

7. **नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां:-**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन हेतु रा.बी.निगम ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को शुरू किया है, जो निदेशकों की रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

8. **समझौता ज्ञापन मूल्यांकन :-**

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए समझौता ज्ञापन मूल्याकंन अभी तक प्रतिक्षित है, यद्यपि वर्ष 2016-17 के लिए आपके निगम का प्रदर्शन लोक उद्यम विभाग द्वार "उत्कृष्ट" घोषित किया गया है।

9. **फार्म की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक गतिविधियॉं:-**

* पानी की कमी को देखते हुए विकसित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का बड़े क्षेत्र में विस्तार किया गया है।
* यदि संभव हुआ तो, एनटीपीसी/एसईसीआई आदि जैसे केन्द्रीय लोक उद्यमों की सहायता से केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर पर 250 मेगावाट की क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जांएगे।
* किसानों को टैक्ट्रर/कम्बाईन हारवेस्टर्स/अन्य उपकरण आदि किफायती दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए रा.बी.नि के फार्मों पर कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाएंगे।
* पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कृषि अपशिष्ट आधारित ब्रिकेटिंग यूनिट तथा बायोमास गैसीफायर आधारित पावर जनरेशन सिस्टम।
* रूट जोन तकनीक द्वारा अपशिष्ट जल निवर्हन का उपचार।
* बीज की गुणवत्ता में सुधार और उत्पादन बढ़ाने के लिए पोलिमर/एडिटिव्स की कोटिंग।
* रा.बी.नि को मैकेनिकल इन बेसल श्रेडर और कंपोस्टर असेबंली (एमआईएससीए) विकेन्द्रीकृत कंपोस्ट मशीन की आपूर्ति करने के लिए असाइन किया गया है और 02 नग मशीनें नगर निगम पालमपुर और पीजीआईएमईआर को बेची गई हैं।
* कुल आठ फार्मों के माध्यम से, आपका निगम प्रमाणित बीजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिकतम मात्रा में पैतृक बीजों का उत्पादन करने में सक्षम है। निगम उपर्युक्त स्थानों पर नए फार्म खोलने की योजना बना रहा है ताकि पैतृक बीजों के उत्पादन में स्वतंत्र स्रोत बढ़ें और इस प्रकार उत्पादकों पर निर्भरता कम हो सके। गुणवत्ता पैतृक सामग्री से प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

10. **क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रक्षेत्र कार्यालयों की कार्यप्रणाली:-**

वर्तमान में 08 फार्मों के साथ-साथ, एनएससी के 10 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 67 प्रक्षेत्र कार्यालय है। क्षेत्रीय और प्रक्षेत्र कार्यालयों द्वारा, उत्पादकों के माध्यम से बीज उत्पादन, बीजों की खरीद और अंततः प्रमाणित या टी/एल बीजों में इसकी पैकिंग का कार्य निष्पादन किया जा रहा है। पिछले 02 वर्षों से उत्पादन को विपणन के साथ जोड़कर और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए निर्दिष्ट बीज उत्पादन को पूरी बारीकी से योजनाबद्ध करके कार्यान्वित किया जा रहा है। बीज उत्पादन के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ विपणन योजना पर आधारित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है। विपणन पर ध्यान दिया जा रहा है यथा बीज की मात्रा अधिशेष हो गई है। गुणवत्ता के साथ समय पर प्रसंस्करण और प्रमाणन सुनिश्चित करके बीजों की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। शिकायतें कम करने हेतु गुणवत्ता संबंधी शिकायतों का निपटान आंतरिक रूप से किया जाता है और निगम पर देनदारी कम करने के लिए इस तरह के मामलों पर कोर्ट केसों का बचाव ठीक ढ़ग से किया जाता है।

11 **भावी दृष्टिकोण**

(i) राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हुई वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए, रा.बी.नि के पास अपने कारोबार के लिए राष्ट्रीय परिदृश्य में भावी विकास संभावनाएं हैं। इसलिए मैं आने वाले वर्षों में रा.बी.नि के संदर्भ में निरंतर विकास दर की उम्मीद करता हूँ।

(ii) प्रबंधन ने समझौता ज्ञापन और बजट लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं। आने वाले वर्षों में हम आपको और अधिक सुधार का आवश्वासन देते हैं।

(iii) आपका निगम उत्पाद मिश्रण में बदलाव कर रहा है और किसानों को उचित मूल्य पर वनस्पति बीज देने के लिए सब्जी बीज व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहा है।

6. **R&D ACTIVITIES:-**

To contribute to the prosperity of farmers through supply of Quality Seeds and other inputs and services to enhance agricultural productivity and to lead the India seed industry by producing and marketing quality seeds of a wide range of crop varieties and hybrids and adding value through agro-related inputs and services to the satisfaction of farmers.

7. **CSR ACTIVITIES:-**

To comply with mandatory provisions of Companies Act, 2013, your Corporation has taken up various CSR activities as may be seen from Directors' Report.

8. **MOU RATING:-**

The MOU rating for Financial Year 2017-18 is still awaited, however the MOU performance of your Corporation for 2016-17 has been adjudged as "Excellent" by DPE.

9. **SUPPORTING ACTIVITIES TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF THE FARMS.**

- Looking to the shortage of water, improved Micro Irrigation System is extended in large area.
- Solar Power plant of capacity 250 MW shall be established at CSF Jetsar in association with CPU's like NTPC/SECI etc., if feasible.
- Custom Hiring Centers will be established at NSC farms to make available Tractors/Combine Harvesters/Other equipments etc. at affordable cost to Farmers.
- Agro-residual based briquetting units and Biomass Gasifier based Power generation system to overcome the problem of straw burning.
- Treatment of waste water discharges by Root zone technology.
- Seed coating machine for coating of polymers/additives to improve the quality of seed and increase production.
- NSC has been assigned to supply the Mechanical In-vessel Shredder and Composter Assembly (MISCA) decentralized compost machine and 02 Nos. machines have been sold to Municipal Corporation Palampur and PGIMER Chandigarh.
- With the total of eight Farms, your Corporation is capable to produce the maximum quantity of parental seeds for meeting the certified seed requirement. Your Corporation plans to further establish Farms in suitable places so that the independent source of production of parental seeds may be enlarged thereby reducing the dependency on growers. With the quality parental material the quality of certified seeds will further improve.

10. **WORKING OF THE REGIONAL OFFICES & AREA OFFICES:-**

Presently in addition to eight Farms, your Corporation is having 10 Regional Offices and 65 Area Offices. Regional and Area Offices are performing the function of production of seeds through growers, procuring of seeds and finally packing it in certified or T/L seeds. For the last two years your Corporation has meticulously planned production by linking it with marketing and designated seed production for individual Regional Office. MoU based on marketing plan is being signed with RMs for production of seeds. Focus is being given on marketing as availability of seeds has become surplus. Alongwith quality, timely availability of seed is also being ensured by ensuring timely processing & certification. The quality complaints matters are dealt with internally to minimize complaints and the Court cases on such issues are defended properly to reduce the liability on the Corporation.

11. **FUTURE OUTLOOK:-**

(i) In view of the National level increased growth rate, NSC would have future growth prospects in the National context for its business. Therefore I expect a continued growth rate in the context of NSC in the years to come.

(ii) Management has taken various remedial measures to reduce the adverse impact on MoU and Budget Target. We assure you for further improvement in years to come.

(iii) Your Corporation is also changing product mix and is concentrating to increase vegetable seed business to give vegetable seed to the Farmers at reasonable price.

(iv) सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका निगम कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए तैयारी कर रहा है।

(v) आपका निगम तिलहन और दलहन के उत्पादन में वृद्धि हेतु दलहन व तिलहन के बीजोत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो।

(vi) आपका निगम कम लागत पर उच्च पैदावार प्राप्त करने हेतु मौसम पुर्वानुमान और फसल संरक्षण के क्षेत्र में उच्च तकनीकीयुक्त होने के लिए योजना बना रहा है।

(vii) आपका निगम गैर बीज और विफल बीज को प्रभावी रूप से परिवर्तित करने के लिए मूल्य संवर्धन गतिविधियों में भी संलिप्त हो रहा है। इस प्रकार के बीजों की बिक्री से मुनाफे में सुधार होगा। गोकुल मिशन चारा बीज उत्पादन और फसल अवशेषों से चारा ब्लॉक निर्माण पर भारत सरकार की पहल का समर्थन किया जा रहा है और नील क्रांति के समर्थन में सूरतगढ व रायचूर फार्म पर गुणवत्ता मछली बीज उत्पादन किया जाएगा।

12. अनुपालन पहलू:

i. बोर्ड में रिक्ती भरने के लिए भारत सरकार ने एक और सरकारी निदेशक के नियुक्त किया है। दो अन्य स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से, अब इनकी संख्या 03 हो गई है। इस प्रकार निदेशक मंडल का गठन सरकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में लोक उद्यम विभाग के कारपोरेट गवर्नेन्स दिशानिदेश, 2010 के अनुरूप है। भारत सरकार द्वारा एक महिला गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक की पहले से ही नियुक्ति की गई है और उनकी अध्यक्षता में, लेखा परीक्षा समिति के साथ ही नामांकन व पारिश्रमिक समिति कार्यात्मक हो गई है। निगमित शासन पर अन्य दिशानिर्देशों का समुचित पालन किया जा रहा है। आपके निगम को नैगमिक शासन के अनुपालन के मामलों में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा "उत्कृष्ट" श्रेणी प्रदान की गई है।

ii. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और अनुसंधान व विकास के लिए निगम, बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्णत: प्राप्त कर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चूंकि अनुसंधान एवं विकास राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का जनादेश है, इसलिए एनएससी इस प्रणाली द्वारा जारी अच्छी किस्मों की जांच कर रहा है और किसानों को उपलब्ध करवाने के लिए इनकी वृद्धि कर रहा है। हालांकि अनियंत्रित कारणों से कुछ गतिविधियों में देरी हुई हैं। सीएसआर की शेष राशि को अगले वर्ष खर्च किया जाएगा। सीएसआर बजट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जनता के लाभ हेतु विभिन्न अनुमोदित उद्देश्यों के लिए भी किया गया है। एनएससी, एमएसएमई अधिनियम और अन्य लागू कानूनों का भी अनुपालन करता है। इसके अतिरिक्त निगम में अन्य समितियॉ जैसे संचालन समिति, शिकायत समिति आदि हैं। बोर्ड द्वारा गठित जोखिम प्रबंधन समिति में उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए जोखिम के क्षेत्रों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। निष्कर्षत: निगम अपने ऊपर लागू सभी दिशानिर्देशों, लागू कानूनों आदि का पूर्ण अनुपालन कर रहा है।

13. आभार:

मैं इस अवसर पर आरदरणीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, आदरणीय राज्य मंत्री, सचिव (कृषि, एवं किसान कल्याण), संयुक्त सचिव (बीज) तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्य अधिकारियों का निगम के मामलों के निपटान में उनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन व सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक एवं शाखा परीक्षकों के समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं बैंकरों, उपभोक्ताओं, हितधारकों को भी उनके निरंतर समर्थन, विश्वास और सहयोग के लिए भी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त, करता हूँ। मैं निदेशक मंडल के माननीय सदस्यो और निगम के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों का धन्यवाद एवं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन को हर संभव मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ऐसे समर्पित और मेहनती कार्मिकों के साथ किसानों व अन्य माननीय हितधारकों के बहुमूल्य समर्थन से निगम आने वाले वर्षों में अधिक ऊचाईयों पर पहुंचेगा और मील का पत्थर साबित होगा।

ह0/-
(विनोद कुमार गौड़)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.11. 2018

*यह दूसरी स्थगित 55 वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है।

(iv) In order to fulfil the Government's objective, your Corporation is also preparing for skill development in agriculture and related areas.

(v) Your Corporation is focusing on production of seed of Pulses & Oil seeds to increase the production of oil seeds & Pulses so that dependency on import is reduced.

(vi) Your Corporation is also planning to go high-tech towards weather forecast and crop protection to have high yield at low cost.

(vii) Your Corporation is also engaged in value addition activities in order to effectively convert the non-seed and failed seed. This will improve the profitability from sales of these kind of seeds. To support Government initiative on Gokul mission, fodder seed production & fodder block manufacturing from crop residue is being enhanced and to support in blue revolution, quality fish seed production will be done in Suratgarh & Raichur Farm.

12. COMPLIANCE ASPECTS:-

(i) To fill the vacuum in the Board, Government of India have appointed one more Government Director. With the appointment of 02 more Independent Directors, now their strength is 03. Thus the composition of Board of Directors is in consonance with the Corporate Governance Guidelines, 2010 of DPE in relation to Government Directors and Independent Directors. One Woman non-official Part Time Director has already been inducted in the Board by the Government and with her as a Chairperson, the Audit Committee as well as Nomination and Remuneration Committee have become functional. Other Guidelines on Corporate Governance are being duly complied with. Your Corporation is graded as "Excellent" by the Government in the matter of compliance of Corporate Governance during Financial Year 2017-18.

(ii) Regarding Corporate Social Responsibilities (CSR), Corporation is performing well by attending the achievement of targets as fixed by the Board. Since the R&D is mandate of National Agriculture Research System, NSC is screening good varieties being released by the system & multiplying the seed to make it available to the farmers. However, due to some reasons beyond our control, few activities are getting delayed. The unspent amount of CSR will be spent in next year. CSR Budget was utilized for various permissive purposes for the cause of benefit of the public at large. NSC is also complying with MSME Act and other applicable laws. In addition there are other Committees like Steering Committee, Grievance Committee etc. in the Corporation. The Risk Management Committee constituted by the Board is reviewing the risk areas for taking remedial actions. To conclude, the Corporation is fully complying with all the applicable Laws, DPE Guidelines including Corporate Governance Guidelines which were applicable to it.

13. ACKNOWLEDGMENTS:-

I take this opportunity to place my sincere thanks and regards to Hon'ble Minister for Agriculture, the Hon'ble Minister of State for Agriculture, the Secretary (Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare), the Addl. Secretary, the Joint Secretary (Seeds) and other Officers in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for their valuable guidance and support in the discharge of Corporation affairs. I am also grateful to Comptroller and Auditor General of India, the Statutory and Branch Auditors of the Corporation for their support and guidance. On behalf of the Shareholders and Management, I also convey my sincere thanks to the Bankers, Customers and other Stake Holders, for their continued support, confidence and trust bestowed upon your Corporation. I would also like to place on record my sincere thanks and high appreciation to my esteemed colleagues on Board and to all the Officers and staff of the Corporation who have provided every possible guidance, support and assistance to the Management in achieving the targets. I have a strong belief that with such dedicated and hard working workforce coupled with valuable support of our Farmers and other esteemed stakeholders in & enlarged, Corporation will establish further high ups and milestones in the years to come.

Sd/-
(Vinod Kumar Gaur)
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Dated: 22.11.2018

*** This does not purport to be a part of the proceedings of 2nd Adjourned 55th Annual General Meeting.**

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आपके निगम के व्यवसाय तथा कार्यकलापों पर निगम के लेखा परिक्षित वित्तीय विवरणों के साथ अपनी 55 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । वित्त वर्ष 2017-18 के लेखे वैधानिक आवश्यकतानुसार इंड एएस के तहत तैयार किए गए हैं । रिपोर्टाधीन वर्ष के कार्य परिणाम पिछले वर्षो के आंकड़ों के साथ नीचे दिए गए हैं:-

वित्तीय विशेषताएं

(i) कार्य परिणाम **(रूपये लाख में)**

विवरण आय	2017-18	2016-17
परिचालन से राजस्व	81584.04	86234.16
अन्य आय	2570.94	2047.91
कुल	**84154.98**	**88282.07**
खर्चें:		
उपभोग की सामग्रियों की लागत	2661.92	2737.47
व्यापारगत माल की खरीद	72172.36	59465.50
तैयार माल एवं जैविक परिसंपतियों में परिवर्तन व्यापारगत माल एवं प्रगतिशील कार्य	(18356.55)	(4287.89)
कर्मचारी लाभ व्यय	14077.07	12192.69
वित्तीय लागत	445.50	132.83
अन्य खर्चे	9801.52	9508.17
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1852.35	1925.13
कुल	**82654.17**	**81673.90**
असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ,	**1500.81**	**6608.17**
असाधारण मदें ((आय)/व्यय)	(1536.20)	(1178.29)
कर पूर्व लाभ	**3037.01**	**7786.46**
कर संबंधी खर्चे :		
वर्ष के लिए चालू कर	400.00	2535.00
पिछले वर्षो के लिए चालू कर (निवल)	--	177.12
आस्थगित कर	139.51	(105.99)
कुल कर व्यय	**539.51**	**2606-13**
अवधि के लिए लाभ	**2497.50**	**5180.33**
अन्य व्यापक आय	126.69	348.43
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए व्यापक लाभ एवं अन्य व्यापक आय)	**2624.19**	**5528.76**

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors have the privilege in presenting the 55th Annual Report on the performance of your Corporation for the financial year ended March 31, 2018 along with audited Financial Statements of the Corporation. The Accounts of Financial Year 2017-18 has been prepared as per the provisions of Ind-AS as per statutory requirements which is mandatory from the Financial Year 2016-17 onwards. The working results of the Corporation for the year under report are given as below along with the figures for the previous year:

FINANCIAL HIGHLIGHTS

(i) Working results **(Amount in Rs. Lakhs)**

Particulars **Income**	**2017-18**	**2016-17**
Revenue from Operations	81584.04	86234.16
Other Income	2570.94	2047.91
Total	**84154.98**	**88282.07**
Expenses :		
Cost of materials consumed	2661.92	2737.47
Purchases of Stock-in-Trade	72172.36	59465.50
Changes in biological assets and inventories of finished goods, stock-in-trade and work-in-progress	(18356.55)	(4287.89)
Employee Benefits Expense	14077.07	12192.69
Finance costs	445.50	132.83
Other Expenses	9801.52	9508.17
Depreciation and amortization expenses	1852.35	1925.13
Total	**82654.17**	**81673.90**
Profit Before exceptional items and tax	**1500.81**	**6608.17**
Exceptional items {(Income)/Expense}	(1536.20)	(1178.29)
Profit Before Tax	**3037.01**	**7786.46**
Tax expense:		
Current Tax For the year	400.00	2535.00
Current Tax for earlier years (net)	---	177.12
Deferred Tax	139.51	(105.99)
Total Tax Expense	**539.51**	**2606.13**
Profit for the period	**2497.50**	**5180.33**
Other Comprehensive Income	126.69	348.43
Total Comprehensive Income for the period (Comprehensive profit and other Comprehensive Income for the period)	**2624.19**	**5528.76**

(ii) **प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन (प्रत्येक रू. 1000/- का अंकित मूल्य):**

	2017-18	2016-17
मूल (रु.)	435.73	903.70
अवमिश्रित (रु.)	435.73	903.70

(i)फार्मों के कार्य :

वर्ष 2017-18 के दौरान मशीनीकरण, सिंचाई एवं अन्य बुनियादी, सुविधाओं के निरंतर प्रयास से फार्मो के कार्य निष्पादन में उन्नति हुई, जिससे वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2016-17 के दौरान क्रमश रू. 17.95 करोड़ एवं रू. 19.55 करोड़ का पूंजीकरण किया गया । वर्ष 2017-18 के दौरान सभी फार्मो के कर पूर्व लाभ में रू. 18.93 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2016-17 में रू. 9.10 करोड़ था।

(ii) वर्ष 2017-18 के दौरान, निगम ने रू. 84154.98 लाख की कुल राजस्व अर्जित की जबकि पिछले वर्ष निगम की कुल आय रू. 88282.07 लाख थी। वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर से पूर्व सकल मार्जिन रू. 5334.86 लाख रहा जबकि 2016-17 में रू. 9844.42 लाख था। क्योंकि बाजार मूल्य की कम वसूली एवं कम मार्जिन के कारण किसानों ने बुवाई में अपने बचाए गए बीजों को ही प्राथमिकता दी।

(iii) पूंजीगत संरचना:

निगम की 31 मार्च, 2018 को प्रदत्त पूंजी रू. 5731.99 लाख थी, जिसमें प्रत्येक रू. 1000/- के 573199 इक्विटी शेयर हैं । भारत सरकार के पास 100 प्रतिशत चुकता अंश पूंजी है। आरक्षित निधि और अधिशेष, रू. 55420.72 लाख से बढ़कर रू. 56589.36 लाख हो गई है । वर्ष के दौरान, सयंत्र एवं मशीनरी खरीदने के लिए तथा बीज भंडारगृह एवं भवन निर्माण करने के लिए प्राप्त पूंजीगत अनुदान रू. 966.51 लाख पूंजीकृत किए गए तथा पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों पर रू. 832.19 लाख का मुल्याह्रास समायोजित किया गया। उल्लिखित समायोजन के पश्चात 31.03.2018 को पूंजीगत अनुदान आरक्षित निधि का शेष रू.8396.04 लाख बचा, जबकि 31.03.2017 को यह रू.9139.49 लाख था। 31.03.2018 को खर्च न किया गया पूंजीगत अनुदान, प्रक्रियाधीन कार्यों के कारण रू. 2468.56 लाख शेष रहा, जबकि 31.03.2017 को रू. 2353.89 लाख था।

(iv) ऋण :

निगम को भारतीय स्टेट बैंक से रू. 75.90 करोड़ की सीमा तक नकदी ऋण(सीसी)लेने की सुविधा प्राप्त है, जिसमें बीजी एवं एलसी लिमिट भी शामिल है । इसके अलावा निगम ने इन्डूस इंड से रू. 50.00 करोड का अल्पकालीन ऋण की सूविधा ले रखी है। वर्ष के दौरान, निगम ने रू. 426.20 लाख का ब्याज एवं अन्य उधार लागत का भुगतान किया है, जबकि पिछले वर्ष रू. 97.42 लाख का ब्याज चुकाया गया था ।यह बृद्धि लम्बी अवधि के लिए नकदी ऋण एवं अल्पकालीन ऋण के लिए उपयोग के कारण है। इस वर्ष चने एवं गेहूं की बिक्री प्रभावित हुई क्योंकि बाजार मुल्य की कम प्राप्ति एवं कम मार्जिन के कारण किसानों ने बुवाई में अपने ही बीजों को प्राथमिकता दी।

(v) निवेश :

निगम का 31 मार्च, 2018 तक विभिन्न राज्य बीज निगमों के इक्विटी एवं अधिमान्य शेयरों में रू. 3506.65 लाख का निवेश था। वर्ष 2013-14 के दौरान, बिहार राज्य बीज निगम के रू. 106.38 लाख के शेयरों की लागत में कमी का प्रावधान किया गया है । गैर एसोसिएट कंपनियों के शेयर उचित मूल्य पर निर्धारित किए गए हैं ।

(vi) लाभांश :

इंड -एएस के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश की घोषणा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आगामी वार्षिक आम बैठक में की जाएगी।

(vii) निगमित शासन:

निगम, कारपोरेट संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, जिससे इसके समग्र व्यवसायिक लेन-देन में नैतिक व्यवहार, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और पारदर्शी प्रकटीकरण के उच्च मानकों ने अपनी पकड़ मजबूत की है और इसके निदेशक मंडल, प्रबंधन एवं कार्मिकों के द्वारा साझां की गई है ।

निगम ने अपनी समग्र जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए अपने निदेशक मंडल की जानकारी हेतु आधुनिक प्रणालियों एवं पद्धतियों को स्थापित किया है और लम्बी अवधिक शेयरधारक मूल्य निर्धारण हेतु प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक दिशा प्रदान की है।

निगमित शासन पर एक रिपोर्ट अनुबंध - III पर दिया गया हैं।

यह बड़े हर्ष की बात है कि निगमित शासन के अंतर्गत निगम को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/ लोक उद्यम विभाग द्वारा "उत्कृष्ट" श्रेणी का दर्जा दिया गया है ।

(ii) Earnings per equity share (Face value of Rs. 1000/- each.)

	2017-18	2016-17
Basic (in Rs.)	435.73	903.76
Diluted (in Rs.)	435.73	903.76

(i) Working of the Farms:

The performance of the Farms has improved during the year 2017-18 due to the continuous ongoing process of mechanization and irrigational and other infrastructural development under which capitalization worth Rs. 17.95 crores and Rs. 19.55 crores were done during 2017-18 and 2016-17 respectively. Profit before tax for the Farms combined during the year 2017-18 has increased to Rs. 18.93 Crores from Rs. 9.10 Crores during 2016-17.

(ii) During the year 2017-18, the Corporation achieved total Revenue of Rs. 84154.98 lakhs as against Rs. 88282.07 lakhs during the preceding year. The gross margin before interest, depreciation and tax during 2017-18 is Rs. 5334.86 Lakhs compared to Rs. 9844.42 lakhs of 2016-17 due to less realization of market price and less margins as farmers preferred own saved seeds in sowing.

(iii) Capital Structure

As on March 31, 2018, the paid-up share capital of the Corporation was Rs. 5731.99 lakhs consisting of 573199 equity shares of Rs. 1000 each. The Government of India held 100% of the paid-up share capital. Reserves & Surplus increased to Rs. 56589.36 lakhs from Rs. 55420.72 lakhs. During the year capital grant for purchase of Plant & Machinery and construction of Seed Stores & Buildings was capitalized for Rs. 966.51 lakhs and depreciation charged on assets acquired against capital grant amounting to Rs. 832.19 lakhs was adjusted. After carrying out above adjustments, balance in utilized Capital Grant as on 31.03.2018 remained at Rs.8396.04 lakhs as against Rs. 9139.49 lakhs as on 31.03.2017. The unspent Capital grant, due to work in progress, remained at Rs. 2468.56 lakhs as on 31.03.2018 as against Rs. 2353.89 lakhs as on 31.03.2017.

(iv) Loans

The Corporation is having sanctioned Cash Credit (CC) Limit of Rs. 75.90 Crores from the State Bank of India including BG and LC limits and Short Term loan limit of Rs. 50.00 Crores from Indus Ind Bank. During the year, the Corporation has paid an interest and other borrowing costs of Rs. 426.20 Lakhs in comparison to Rs. 97.42 Lakhs in the previous year. The increase is due to utilization of cash credit and short term loan for longer duration. Sale of Wheat and Gram was affected this year due to less realization of market price and less margins as farmers preferred own saved seeds in sowing.

(v) Investment

Investment of the Corporation in various State Seeds Corporations (SSCs) in equity and preference shares as on 31st March, 2018 was Rs. 3506.65 lakhs. Provision for diminution in value of shares of Rs. 106.38 lakhs of Bihar Rajya Beej Nigam Limited has been made during the year 2013-14. Non-Associate Companies Shares are valued at Fair value.

(vi) Dividend

As per the provisions of Ind-AS, Dividend will be declared at the forthcoming Annual General Meeting to be held during the Financial Year 2018-19.

(vii) CORPORATE GOVERNANCE:

The Corporation strives to foster a corporate culture in which high standards of ethical behaviour, individual accountability and transparent disclosure are ingrained in all its business dealings and shared by its Board of Directors, Management and Employees.

The Corporation has established systems & procedures to ensure that its Board of Directors is well-informed and well equipped to fulfil its overall responsibilities and to provide the management a strategic direction to create long-term shareholders value.

A Report on Corporate Governance is given at Annexure-III

It is a matter of pleasure that for the Financial Year 2017-18, the Corporation has been graded as "Excellent" under Corporate Governance by the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare/Department of Public Enterprises.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) आर/डब्ल्यू कंपनी
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के अनुसरण में सूचना

1. वार्षिक रिटर्न की कार्यवृत-प्रपत्र संख्या एमजीटी-9

31.03.2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

(क) खंड-92 का उपखंड (3) के अंतर्गत प्रदान किए गए वार्षिक रिटर्न का कार्यवृत्त

I) पंजीकरण एवं अन्य विवरण -

(i) सिन:- **यू74899 डीएल1963जीओआई003913**
(ii) पंजीकरण की तारीख - **19.03.1963**
(iii) कंपनी का नाम - **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** (भारत सरकार का उपक्रम)
(iv) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी - **कृषि**
(v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण - **बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012**
दूरभाष संख्या- 25843673, ई-मेल: cs@indiaseeds.com@ **बेवसाईट ई- www.indiaseeds.com**
(vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है - **नहीं**
(vii) रजिस्ट्रार एवं हस्तातरंण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई - **लागू नहीं**

II) कंपनी के प्रमुख व्यवसायिक क्रियाकलाप:
कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान सभी व्यवसायिक क्रियाकलापों में निर्दिष्ट करना होगा:-

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा कर एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार प्रतिशत (%)
1	अनाज	0001	31.41
2	दलहन	0010	30 .77
3	तिलहन	3340	16.87
4	चारा	0080	4.27
5	रेशा	0031	1.37
6	हरी खाद	0080 & 0032	8.64
7	सब्जियों जिनमें आलू एवं रोपण सामग्री भी शामिल हैं।	0063 &0061	6.67
		कुल	100.00

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की बिक्री रू. 70790.75 लाख थी ।

INFORMATION PURSUANT TO SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2013 r/w COMPANIES (MANAGEMENT & ADMINISTRATION) RULES,2014.

1. EXTRACT OF ANNUAL RETURN- FORM NO. MGT-9

For the financial year ended on 31.03.2018

(a) The extract of the Annual Return as provided under sub-section (3) of Section 92;

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

(i) CIN:**- U74899DL1963GOI003913**

(ii) Registration Date**- 19.03.1963**

(iii) Name of the Company**- National Seeds Corporation Limited(A Government of India Undertaking)**

(iv) Category/Sub-Category of the Company**- Agriculture**

(v) Address of the Registered Office and contact details**- Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012.**
Phone No. 25843673, e-mail:cs@indiaseeds.com/ Website-www.indiaseeds.com

(vi) Whether listed Company **- No**

(vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any**- N.A.**

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY-

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

S.No.	Name & Description of main products /services	NIC Code of the Product/service	%age of the total turnover of the Company
1	Cereals	0001	31.41
2	Pulses	0010	30.77
3	Oilseeds	3340	16.87
4	Fodders	0080	4.27
5	Fibers	0031	1.37
6	Green Manure	0080 & 0032	8.64
7	Vegetable including potato & Planting material	0063 &0061	6.67
		Total	100

The turnover on account of sale of certified / quality seed during the year 2017-18 was Rs.70790.75 lakhs.

III- होल्डिंग, सहायक एवं सहयोगी कंपनियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सिन / जीएलएन	धारित/सहयोगी/ एसोसिएट	शेयर का (%)	लागू नियम
1.	हरियाणा राज्य बीज विकास निगम, बायस सं-3-6, सैक्टर-2, पंचकुला-134112	यू01122एचआर1974एसजीसी 007442	एसोसिएट	23.31%	कंपनी अधिनियम,2013 का 2(6)
2.	उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम लि.,पंत नगर, डाक-हल्दी-263146, जिला-उद्यमसिंह नगर (उत्तराखंड)	यू01122 यूआर 1969 एसजीसी 003228	एसोसिएट	23.44%	कंपनी अधिनियम,2013 का 2(6)
3.	महराष्ट्र राज्य बीज निगम लि., महाबीज भवन, एनएच सं-6, अमरावती रोड, अकोला 444004	यू01200 एमएच 1976 एसजीसी 018990	एसोसिएट	35.45%	कंपनी अधिनियम,2013 के 2(6)
4.	आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लि.,5-10-13 द्वितीय तल, एचएसीए भवन, हैदराबाद-500044	यू01112टीजी1976 एसजीसी002015	एसोसिएट	32.64%	कंपनी अधिनियम,2013 के 2(6)
5.	बिहार राज्य बीज निगम लि., बैंक रोड, पटना	यू01111बीआर1977 एसजीसी 001294	एसोसिएट	20.91%	कंपनी अधिनियम,2013 के 2(6)

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES-

S. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
1.	Haryana State Seeds Development Corpn. Bays No.3 -6 Sector-2, Panchkula- 134112	U01122HR1974SGC 007442	Associate	23.31%	2(6) of the Companies Act, 2013
2.	Uttrakhand Seeds & Tarai Development Corpn. Ltd., Pant Nagar, Post Haldi 263146, Distt. Udhamsingh Nagar (Uttrakhand)	U01122 UR 1969 SGC 003228	Associate	23.44%	2(6) of the Companies Act, 2013
3.	Maharashtra State Seeds Corpn. Ltd., MAHABEEJ BHAWAN, NH No. 6, Amravati Road, Akola 444004	U01200 MH 1976 SGC 018990	Associate	35.45%	2(6) of the Companies Act, 2013
4.	Andhra Pradesh State Seeds Development Corporation Ltd., 5-10 -13, 2nd Floor, HACA Bhawan, Hyderabad-500044.	U01112TG1976 SGC002015	Associate	32.64%	2(6) of the Companies Act, 2013
5.	Bihar Rajya Beej Nigam Limited, Bank Raod,Patna.	U01111BR1977 SGC 001294	Associate	20.91%	2(6) of the Companies Act, 2013

टिप्पणी : एनएससी की कोई सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है । हालांकि, उपर्युक्त कंपनियों में भारत सरकार की एनएसपी निधि का एनएससी के माध्यम से निवेश किया गया था। इन एसोसिएट कंपनियों को अपने लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को भेजने के लिए कई बार कहा गया परन्तु लेखापरीक्षित विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ये कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुपालन में समय पर अपने लेखे तैयार नहीं कर रहे हैं । इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 129 (3) के अनुसार एसोसिएट कंपनियों के वित्तीय विवरण इसके साथ समेकित नहीं किए जा सके । प्रशासनिक मंत्रालय ने इन कम्पनीयॉ द्वारा खरीद वापसी के माध्यम से, एनएससी के हिस्सेदारी 20 %से कम करने की सिद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। हलांकि कोई प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि ये कंपनीयॉ अपेक्षा के अनुरुप शीघ्रता से कार्य नहीे कर रही हैं।

IV शेयर धारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप) :

(i) श्रेणी अनुसार शेयर धारण

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रोमोटर्स (i) भारतीय (क) व्यक्तिगत / एचयूएफ (ख) केन्द्रीय सरकार (ग) राज्य सरकार (घ) स्वायत निकाय (ड) बैंक/वित्तीय संस्थान (च) अन्य कोई	शून्य	573199	541709	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य
उप जोड़ (क) (1) : (क) गैर प्रवासी व्यक्ति (ख) अन्य व्यक्ति (ग) बैंक/वित्तीय संस्थान (ड) अन्य कोई	शून्य	573199	541709	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य
उप जोड़ (क) (2) :प्रमोटर्स का कुल शेयर धारण (क)= (क) (1)+ (क) (2)	शून्य	573199	541709	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य
ख. सार्वजनिक शेयरधारक 1. संस्थान (क) म्यूचल निधि (ख) बैंक/वित्तीय संस्थान (ग) केन्द्रीय सरकार (घ) राज्य सरकार (ड) उद्यम पूंजी निधि (च) बीमा कंपनियां (छ) वित्तीय संस्थान (ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि (झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) उप कोड (ख)(1) :- 2. गैर संस्थान (क) निकाय (i) भारतीय (ii) विदेशी	शून्य								

NOTE: There is no subsidiary or Joint Venture Company of NSC. However, in the above Associate Companies the NSP funds of GOI have been invested through NSC. These Companies have been advised continuously to send the copy of their Audited Financial Statement. These Associate Companies are not finalizing their accounts in time to comply with the provisions of the Companies Act, 2013. Therefore, the consolidated Financial Statement along with the Associate Companies Financial Statement could not be prepared and laid as per Section 129(3) of the Companies Act, 2013. Administrative Ministry has conveyed its in principle approval for reduction of NSC's stake in such Associates to bring it below 20%, through buy-back route by the Associate Companies. However, no progress could be achieved, as the Companies are not acting fast as expected.

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of total Shares	
A. Promoters									
(I) Indian									
(a) Individual/HUF									
(b) Central Govt.	Nil	573199	573199	100%	Nil	573199	573199	100%	Nil
(c) State Govt(s)									
(d) Bodies Corp.									
(e) Banks/FI									
(f) Any other....									
Sub-total(A)-(I):	Nil	573199	573199	100%	Nil	573199	573199	100%	Nil
(a) NRIs Individuals									
(b) Other Individuals									
(c) Bodies Corp.									
(d) Banks/FI									
(e) Any Other.....									
Sub-total (A)-(2) :									
Total shareholding of promoter (A)=(A)(I)+(A)(2)	Nil	573199	573199	100%	Nil	573199	573199	100%	Nil
B. Public Shareholding									
1. Institutions									
(a) Mutual funds									
(b) Banks/FI									
(c) Central Govt									
(d) State Govt(s)									
(e) Venture Capital Funds									
(f) Insurance Companies									
(g) FIIs									
(h) Foreign Venture Capital Funds									
(i) Other (specify)			N	I	L				
Sub -Total (B) (1):-									
2. Non-Institutions									
(a) Bodies Corp.									
(i) Indian									
(ii) Overseas									

(ख) व्यक्तिगत (i) रु. 1.00 लाख तक शेयर पूंजी धारित व्यक्तिगत शेयरधारक (ii)01 लाख से अधिक शेयर पूंजी धारित व्यक्तिगत शेयरधारक (ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) उप जोड़ - (ख)(2) :- कुल सार्वजनिक शेयरधारण (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)									
ग. जीडीआरएस और एडीआरएस के पास धारित शेयर				शून्य					
कुल जोड़ (क + ख + ग)	शून्य	573199	573199	100%	शून्य	573199	573199	100%	शून्य

(ii) प्रोमोटर्स का शेयरधारण

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारण			वर्ष के अंत में शेयरधारण			वर्ष के दौरान धारित शेयरों के x में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के लिए बंधक/ भारग्रस्त शेयरों का x	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के लिए बंधक/ भारग्रस्त शेयरों का x	
1.	भारत के राष्ट्रपति	573199	100%	शून्य	573199	100%	शून्य	शून्य
2.								
3.								
	कुल	**573199**	**100%**	शून्य	**573199**	**100%**	शून्य	शून्य

(iii) प्रोमोटर्स का शेयरधारण में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचयी शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	573199	100%	573199	100%
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स शेयरधारण में तिथिवार वृद्धि/कमी को कारण सहित इंगित करें(जैसे कि आबंटन /स्थानातंरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) 30.03.2016 बोनस शेयर		कोई बदलाव नहीं		
3.	वर्ष के अंत में शेयरधारण	573199	100%	573199	100%

(b) Individual (i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh (ii) Individual Shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh (c) Others (specify) Sub-Total (B)(2):- Total Public Shareholding (B)=(B) (1))+ (B) (2)									
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs			N	I	L				
Grand Total (A+B+C)	Nil	573199	573199	100%	Nil	573199	573199	100%	Nil

(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumber-red to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumber red to total shares	
1.	President of India	573199	100%	Nil	573199	100%	Nil	Nil
2.								
3.								
	Total	**573199**	**100%**	**Nil**	**573199**	**100%**	**Nil**	**Nil**

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the year	573199	100%	573199	100%
2.	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/ sweat equity etc): 30.03.2016 Bonus Shares		No Change		
3.	At the end of the year	573199	100%	573199	100%

एनएससी NSC

(iv) मुख्य 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रोमोटर्स एवं जीडीआर एवं एडीआर धारक के अलावा)

क्र.सं.	प्रत्येक 10 प्रमुख शेयर धारकों के लिए	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचयी शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	लागू नही			
2.	तारीख के अनुसार वर्ष के दौरान शेयरों में वृद्धि/कमी को कारण सहित इंगित करें(जैसे कि आबंटन/ स्थानातंरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)	लागू नही			
3.	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तारीख, यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	लागू नही			

(v)निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयरधारण

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचयी शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य		शून्य	
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स शेयरधारण में तिथिवार वृद्धि/कमी को कारण सहित इंगित करें(जैसे कि आबंटन/स्थानातंरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	शून्य		शून्य	
3.	वर्ष के अंत में	शून्य		शून्य	

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.	**For Each of the Top 10 Shareholders**	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
1.	At the beginning of the year	N.A.			
2.	Date wise Increase/Decrease in share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease(e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc):	N.A.			
3.	At the End of the year (or on the date of seperation, if separated during the year)	N.A.			

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	For Each of the Director and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
1.	At the beginning of the year	Nil		Nil	
2.	Date wise Increase/Decrease in share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease(e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc):	Nil		Nil	
3.	At the End of the year	Nil		Nil	

V. ऋणग्रस्तता:

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया / उपार्जित ब्याज भी शामिल है परंतु भुगतान के लिए देय नही हैं।

	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता	267.38	64.60	---	331.98
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन * **वृद्धि** * **कमी**	4827.03	6.68	शून्य	4833.71
निवल परिवर्तन	4827.03	6.68	शून्य	4833.71
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	5094.41	71.28	शून्य	5165.69

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मानदेय :

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा प्रबंधकों को मानदेय :

क्र.सं.	**मानदेय का विवरण**	**प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशकों /प्रबंधक का नाम (राशि लाख रु. में)**			**कुल राशि लाख रु. में**
		अ. एवं प्र. नि.	**नि. (वित्त)**	**नि. (वाणि.)**	
1.	**सकल वेतन** (क)आयकर अधिनियम 1961 को नियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वेतन	54.09	24.07	34.39	112.55
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 को नियम 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों की लागत (ग) आयकर अधिनियम 1961 को नियम 17(3) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य परिलब्धियां ।	0.21	0.20	0.32	0.73
2.	स्टाक का विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन – लाभ का प्रतिशत – अन्य, ब्यौरा दें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया ब्यौरा दें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (क)	54.30	24.27	34.71	113.28
	अधिनियम के अनुसार सीमा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year	267.38	64.60	---	331.98
Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction	4827.03	6.68	Nil	4833.71
Net Change	4827.03	6.68	Nil	4833.71
Indebtedness at the end of the financial year	5094.41	71.28	Nil	5165.69

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL.

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager (Amount Rs. in lakh)			Total Amount Rs. in lakhs
		CMD	Director(F)	Director (Comm)	
1.	Gross Salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961. (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-Tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-Tax Act, 1961	54.09 0.21	24.07 0.20	34.39 0.32	112.55 0.73
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission - as % of profit - others, specify…….	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total (A)	54.30	24.27	34.71	113.28
	Ceiling as per the Act	NIL	NIL	NIL	NIL

ख. अन्य निदेशकों को मानदेय :

क्र.सं.	मानदेय का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि रु. लाख में
	1. स्वतंत्र निदेशक ● निदेशक मंडल, समिति की बैठक में शामिल होने का शुल्क ● कमीशन ● अन्य, कृपया ब्यौरा दें।(टी.ए./डी.ए.)	1. श्रीमती प्रतिभा सुमन 2. डॉ बी.बी. मौहंती शुन्य 1. श्रीमती प्रतिभा सुमन 2. डॉ बी.बी. मौहंती				0.38 0.06 शुन्य 0.20 0.15
	कुल (1)					0.79
	2. अन्य गैर कार्यपालक निदेशक ● निदेशक मंडल, समिति की बैठक में शामिल होने का शुल्क ● कमीशन ● अन्य, कृपया ब्यौरा दें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल (2)					
	कुल (ख) = (1+2)					0.79
	कुल प्रबंधकीय मानदेय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा					

ग. प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशकों / प्रबंधकों के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मानदेय :

क्र. सं.	मानदेय का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (राशि लाख में)			
		मु.का.अ.*	**मु.वि.अ.**	**कंपनी सचिव**	**कुल**
1.	सकल वेतन (क)आयकर अधिनियम 1961 का नियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख)आयकर अधिनियम 1961 का नियम 17(2)के अंतर्गत परिलब्धियों की लागत (ग) आयकर अधिनियम 1961 का नियम 17(3) के अंतर्गत अनुलाभ की मूल्य परिलब्धियां ।	लागू नहीं लागू नहीं	18.77 0.15	23.49 0.43	42.26 0.58
2.	स्टाक का विकल्प	शून्य	शून्य		शून्य
3.	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य		शून्य
4.	कमीशन - लाभ का प्रतिशत - अन्य, ब्यौरा दें	शून्य	शून्य		शून्य
5.	अन्य, कृपया ब्यौरा दें	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं
	कुल	शून्य	18.92	23.92	42.84

*अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं तथा उनका मानदेय को पहले ही VI-A में प्रकटीकरण कर दिया गया है ।

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount in lakh
	1. Independent Directors • Fee for attending Board Committee meetings • Commission • Others, please specify (TA/DA)	1) Smt. Partibha Suman 2) Dr. B.B. Mohanty Nil 1) Smt. Partibha Suman 2) Dr. B.B. Mohanty				0.38 0.06 Nil 0.20 0.15
	Total (1)					0.79
	2. Other Non-Executive Directors • Fee for attending Board Committee Meetings • Commission • Others, please specify	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Total (2)					
	Total (B) = (1+2)					0.79
	Total Managerial Remuneration	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Overall Ceiling as per the Act					

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel (Amount in lacs)			
		CEO*	CFO/ SGM(F &A)	C.S.	Total
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income–Tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s17(2) Income-Tax Act,1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income -Tax Act,1961	N.A. N.A.	18.77 0.15	23.49 0.43	42.26 0.58
2.	Stock Option	NIL	NIL		NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL		NIL
4.	Commission - as % of profit - others, specify.....	NIL	NIL		NIL
5.	Others, please specify	N.A.	N.A.		N.A.
	Total	NIL	18.92	23.92	42.84

* CMD is CEO and his remuneration already disclosed in VI-A.

VII. दंड/जुर्माना/अपराध का समझौता :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड /जुर्माना/ अपराध पर लगाए शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एन.सी एलटी कोर्ट)	अपील की गई यदि कोई हो, (विवरण दें)
(क) कंपनी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) निदेशक					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) चूक में अन्य अधिकारी					
दंड	(i) एनएससी आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम, 2013 के अंतर्गत मामूली दंडात्मक कार्रवाई के तहत एक मामले में दंड/जुर्माना लगाया गया । (ii) एनएससी आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम, 2013 के अंतर्गत प्रमुख दंडात्मक कार्रवाई के तहत दो मामलों में दंड/जुर्माना लगाया गया ।	छोटी / प्रक्रियात्मक अनियमिततओं के लिए एनएससी (सीडीए) नियमों के तहत प्रमुख चूक/ अनियमितताओं के लिए	कुछ मामलों में वित्तीय नुकसान की वसूली सहित लघु दंड। प्रमुख दंड	एनएससी (सीडीए) नियम,के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी। एनएससी (सीडीए) नियम, 2013 के अनुसार	शून्य
जुर्माना					
समझौता					

2. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की हुई छह बैठकों का ब्यौरा :

क्र.सं.	निदेशक मंडल की बैठक संख्या	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख
1.	272वीं	30.06.2017
2.	273वीं	10.08.2017
3.	274वीं	29.09.2017
4.	275वीं	29.12.2017
5.	276वीं	23.03.2018

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment Compounding fees imposed	Authority (RD/NCLT/ COURT)	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
B. DIRECTORS					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	(i) One Penalty/punishment awarded under Minor Penalty proceedings under NSC,CDA Rules,2013. (ii) Two penalties/ punishment awarded under Major penalty proceedings under NSC,CDA Rules,2013.	For Minor/ procedural irregularities For major lapses/ irregularities under NSC Employees (CDA) Rules	Minor Penalties, including recovery of financial loss in some of the cases. Major penalties	Disciplinary authority as per NSC (CDA) Rules As per NSC, CDA Rules 2013	NIL
Punishment					
Compounding					

2. Number of Meetings of the Board

Five Board Meetings held during 2017-18 as below:-

S.No.	Number of Board Meeting	Date of Board Meeting
1.	272nd	30.06.2017
2.	273rd	10.08.2017
3.	274th	29.09.2017
4.	275th	29.12.2017
5.	276th	23.03.2018

3. **निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण :**

(क) वार्षिक लेखों को तैयार करने में महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है ।

(ख) निदेशक मंडल ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है एवं उनका सतत रुप से प्रयोग किया है तथा 31.03.2018 तक इस प्रकार के न्यायसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय किए एवं अनुमान लगाए, जो वित्त वर्ष के अंत में निगम की अवस्थिति और निगम के लाभ हानि खाते की सच्ची एवं स्वच्छ रुप रेखा प्रस्तुत करते हैं।

(ग) निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, लेखा बहियों के रखरखाव के लिए तथा निगम की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा को धोखे एवं अनियमितताओं से बचाव के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की है।

(घ) निदेशक मंडल ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए ।

(ड.) निदेशकों ने,सूचीबद्ध कंपनी के मामले में कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पालन किया है तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा प्रभावी रुप से कार्य कर रहे थे। –लागू नहीं

कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है । हालांकि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पालन किया गया है जोकि पर्याप्त है तथा 31.03.2018 को प्रभावी रूप से कार्यरत थे जैसे कि कम्पनी अधिनियम,2013 के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में जांचा एवं प्रमाणित किया है।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन हेतु शब्द “आंतरिक वित्तीय नियंत्रण” का अर्थ है कम्पनी के कारोबार को सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गई नीतियों एवं प्रक्रियाओं से है। जिसमें कम्पनी की नीतियों का पालन,अपनी परिसम्पत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं इनका पता लगाना,लेखा-अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करना भी शामिल है, और

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनो के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की और इस तरह की व्यवस्थाऐं पर्याप्त थे एवं प्रभावी ढ़ग से कार्य कर रहे थे।

4. **नियम 149 का उपनियम 6 के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर विवरण :**

जी हां, श्रीमती प्रतिभा सुमन, स्वतंत्र निदेशक ने दिनांक 30.06.2017 को हुई निदेशक मंडल की 272 वीं बैठक में प्रस्तुत किया ।

5. **नियम 178 उपनियम 1 के अंतर्गत शामिल कंपनी के मामलों में, निदेशकों की नियुक्ति एवं मानदेय पर कंपनी की नीति, जिसमें योग्यता का निर्धारण करने के मानदण्ड, सकारात्मक गुण, निदेशक की स्वतंत्रता तथा इसमें नियम 178 के उपनियम 3 के अंतर्गत प्रदान किए गए अन्य मामलें भी शामिल हैं।**

सरकारी कंपनी होने के कारण लागू नहीं है । निदेशकों की नियुक्ति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जोकि प्रशासनिक मंत्रालय है, के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति करते हैं ।

6. **निदेशक मंडल द्वारा प्रत्येक अहर्ता, आरक्षण अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा किए गए दावे पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी**

i. लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में, और (वार्षिक रिपोर्ट का भाग)

ii. अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा अपनी सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में :- **लागू नहीं**

3. **DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT.**

(a) In the preparation of the Annual Accounts, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) The Directors had selected such Accounting Policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the State of Affairs of the Company as at 31.03.2018 and of the profit and loss of the company for that period;

(c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate Accounting Records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities;

(d) The Directors had prepared the Annual Accounts on a going concern basis; and

(e) The Directors, in the case of a listed company, had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. N.A.

The Company is not a listed Company. However, the internal financial controls to be followed which are adequate and are operating effectively as at 31.03.2018 were checked and certified by the Statutory Auditors in their report, as per the provisions of the Companies Act, 2013.

Explanation:- For the purposes of this clause, the term "Internal Financial Controls" means the policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the Accounting Records, and the timely preparation of reliable financial information; and

(f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

4. **A STATEMENT ON DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTOR UNDER SUB-SECTION (6) OF SECTION 149.**

Yes. It was placed by Smt. Partibha Suman, Sole Independent Director before Board at its 272nd Meeting held on 30.06.2017.

5. **IN CASE OF A COMPANY COVERED UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 178, COMPANY'S POLICY ON DIRECTORS' APPOINTMENT AND REMUNERATION INCLUDING CRITERIA FOR DETERMINING QUALIFICATIONS, POSITIVE ATTRIBUTES, INDEPENDENCE OF A DIRECTOR AND OTHER MATTERS PROVIDED UNDER SUB-SECTION (3) OF SECTION 178;**

Not applicable as being a Government Company, the Directors are appointed by the President of India through MOA&FW, which is Administrative Ministry.

6. **EXPLANATION OR COMMENTS BY THE BOARD ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE**

(i) BY THE AUDITOR IN HIS REPORT Forms Part of Annual Report.
(ii) BY THE COMPANY SECRETARY IN PRACTICE IN HIS SECRETARIAL AUDIT REPORT:- N.A.

iii. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरणों पर वार्षिक रिपोर्ट का भाग।

7. नियम 186 के तहत ऋण , गांरटी अथवा निवेश का विवरण :
ऋण एवं गांरटी को ' शून्य' माना जाए, जबकि राज्य बीज निगमों एवं अन्य में निवेश रू. 3511.66 लाख है ।

8. निर्धारित प्रपत्र में नियम 188 का उप नियम (1)में संबंद्ध पार्टियों के साथ अनुबंध अथवा व्यवस्था का विवरण :
किसी भी निदेशक ने इस तरह का विवरण नहीं दिया है।
टिप्पणी : एनएससी एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों के बीच लेनदेन, चूंकि ये सभी सरकारी कम्पनियॉ हैं, इसलिए दिनांक 05.06.2015 की सरकारी अधिसूचना के संदर्भ में कंपनी अधिनियम की धारा 188(1) के प्रावधान iii के तहत छूट प्राप्त है।

9. **शासकीय कार्य :**

(i) **लेखा परीक्षा समिति तथा नामित एवं मानदेय समिति**
श्रीमती प्रतिभा सुमन एवं डॉ बी.बी. मोहंती की स्वंतत्र निदेशक नियुक्त हो जाने से लेखा परीक्षा समिति कार्यरत है जिसमें कुल 03 निदेशक है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की नामाकंन एवं पारिश्रमिक समिति कार्यरत है। तद्नुसार निदेशक मंडल ने इस समिति में श्रीमती प्रतिभा सुमन स्वतंत्र निदेशक को अध्यक्ष के रूप में तथा श्री दिनेश अरोड़ा एवं श्री आर के मिश्रा, सरकारी निदेशकों को सदस्य्य के रूप में नामित किया है। हालाकि श्री आर.के. मिश्रा का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सेवाओं से स्थानांत्रण हो जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने निगम के निदेशक मंडल एवं उक्त समिति की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया ।

यद्यपि डॉ बी.बी. मोहंती की स्वंतत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति हो जाने के बाद निदेशक मंडल एवं उक्त समिति में श्री आर.के मिश्रा के त्यागपत्र से रिक्त हुए स्थान को भर दिया गया है।

(ii) **लेखा परीक्षकः**
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मैसर्स ललित गुप्ता एवं एसोसिएटस,सनदी लेखाकार को सांविधिक लेखा परीक्षक के रुप में तथा अन्य सनदी लेखाकारों की फर्मों को शाखा लेखा परिक्षक के रुप में पुन: नियुक्त किया है।

(iii) **सूचना अधिकार अधिनियम 2005 :**

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निगम ने सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 160 आवेदन और 29 प्रथम अपील प्राप्त की जिनका विधिवत निपटान किया गया। तिमाही एवं वा्षक रिपोर्ट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा मुख्य सूचना आयुक्त के पास प्रस्तुत की गई। मुख्य सूचना आयुक्त के पास 05 मामले सूचीबद्ध हुए, जिनके आदेशों का विधिवत अनुपालन किया गया।

(iv) **शेयरों की वापसी :**
वर्ष के दौरान, निगम द्वारा शेयरों की वापसी नहीं की गई। इसलिए, कम्पनी अधिनियम,2013 के नियम 68 के अनुसार सूचना शून्य मानी जाए।

(v) **कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण के अन्तर्गत प्रकटीकरण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 :**
कम्पनी ने "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013" के अनुसार अपने यहाँ यौन शोषण के विरुद्ध एक नीति अपना रखी है। यौन शोषण से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। सभी कर्मचारियों (स्थाई, अस्थाई, संविदा आधार पर कार्यरत, प्रशिक्षु) को इस नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

वर्ष 2017-18 के दौरान यौन शोषण पर किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(vi) **सम्प्रेषण का माध्यम :**
साधारण महा बैठक की सूचना, निगम के परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन, निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर अपलोड किए जाते हैं। स्टेकहोल्डर्स अपने सम्प्रेषण को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /निदेशक (वित्त) / कम्पनी सचिव को निगम के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012 पर भेज सकते हैं ।
ई-मेल- cs@indiaseeds.com/ फोन नं. 25846295 एवं 25843673

(iii) BY THE CAG ON THE FINANCIAL STATEMENT 2017-18 -Forming Part of Annual Report.

7. **PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186;**
Loans and Guarantees may be treated as 'NIL' whereas investment in SSCs & others is Rs. 3511.66 lakhs.

8. **PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES REFERRED TO IN SUB-SECTION (1) OF SECTION 188 IN THE PRESCRIBED FORM;**

None of the Directors has reported any such details.

NOTE: The dealings between NSC and its Associates Companies, all of which are Government Companies, are exempt pursuant to Proviso III of Section 188 (1) of the Act r/w Govt. Notification dated 05.06.2015.

9. **STATE OF AFFAIRS.**

(i) AUDIT COMMITTEE AND NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:
With the appointment of Smt. Partibha Suman and Dr. B.B. Mohanty as Independent Directors, Audit Committee has been regularly functioning, with three Directors in the Committee.

During the Financial Year 2017-18, the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Directors became functional in the Corporation due to appointment of an Independent Director i.e. Smt. Partibha Suman. Accordingly Board constituted a Nomination and Remuneration Committee comprising Smt. Partibha Suman, Independent Director as Chairperson, Shri Dinesh Arora, Director (Finance), MOA&FW & Government Director, NSC and Shri R.K. Mishra, Government Director, MOA&FW. However, due to transfer from the services of MOA&FW, Shri Mishra consequently ceased also from the Directorship of the Corporation and membership from the above Committee.

However, after appointment of Dr. B. B. Mohanty, as Independent Director, he filled the vacancy caused on account of cessation of Shri R.K. Mishra from the Directorship of NSC as Government Director and membership of above Committee as stated above.

(ii) AUDITORS:
The Comptroller and Auditor General of India appointed M/s Lalit Gupta & Associates, Chartered Accountants, New Delhi as the Statutory Auditors and other C.A. Firms were reappointed/appointed as Branch Auditors for the financial year 2017-18.

(iii) RTI Act, 2005:
During the Financial Year 2017-18, Corporation received 160 Nos. applications & 29 First Appeals under the RTI Act and these were duly disposed off. Quarterly and Annual Returns were also submitted with Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and C.I.C. 05 Cases were listed before C.I.C., whose Orders were duly complied with, where required.

(iv) BUY BACK OF SHARES:
There was no buy back of shares by the Corporation during the year. Therefore, the information pursuant to Section 68 of the Companies Act, 2013 be treated as Nil.

(v) DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013:

The Company has in place an Anti Sexual Harassment Policy in line with the requirements of "The Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013". Internal Complaint Committee (ICC) has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. All employees (Permanent, contractual, temporary, trainees) are covered under this policy.

No Sexual Harassment Complaint was received during the Financial Year 2017-18.

(vi) MEANS OF COMMUNICATIONS:
Notice for AGM, operational and financial performance of the Corporation have been uploaded on Corporation's website www.indiaseeds.com. Stakeholders can address their Communications to CMD/D(F)/C.S. of the Corporation at the Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi 110012.

e-mail-cs@indiaseeds.com /Phone No. 25846295 & 25843673

(vii) **लेखा परीक्षा अर्हता :**
निगम का हमेशा यह प्रयास रहता है कि शर्त रहित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाएं । 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबन्ध का जवाब निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी में दिया गया है ।

(viii) **कम्पनी के अंशधारियों का पैटर्न :**
निगम के शत प्रतिशत अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम हैं ।

(ix) **व्हिसल ब्लोअर नीति :**
i. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीआईडीपीआई के अंतर्गत शिकायत दाखिल करने के तरीके को एनएससी की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है ।
ii. लोकायुक्त अधिनियम 2013 के विवरण एवं प्रारूप को एनएससी की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है ।
iii. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निगम के सभी रिकार्ड नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा आम नागरिक के लिए रिकार्ड खुले हैं ।

(x) **निगम में सामाजिक उत्तरदायित्वि एवं सतत विकास :**
कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसार, कम्पनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों से संबधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विभिन्न कार्यकलापों के खर्च हेतु पिछली बचत सहित रु. 127.41 लाख का प्रावधान किया गया। विभिन्न कार्यकलापों पर इस प्रकार की योजना बनाई गई है कि क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों का असर समाज के चुने हुए हिस्से् पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पूर्ण विवरण निदेशक मंडल की संयोजनी में दिया गया है।

(xi) **सतर्कता रिपोर्ट :**
(क) प्रशिक्षण/कार्यशाला
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ में 22.08.2017 को आईओ/पीओ की "अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं भूमिका" विषय पर एक सतर्कता कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें उन कर्मिकों ने भाग लिया जो अनुशासन मामलों में आईओ/पीओ के रूप में कार्य कर रहे है। इस कार्यशाला में तीनों फार्मो से 24 अधिकारियों तथा मुख्यालय से 02 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान सभी भागीदारों को इस विषय पर एक व्यापक अध्ययन सामाग्री उपलब्ध करवाई गई।

मुख्यालय, नई दिल्ली में 21.3.2018 को "शिकायतों की जांच एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई" विषय पर भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें निगम अधिकारियों के साथ-साथ अन्य केन्द्रीय लोक उद्यमों तथा स्वायत्त निकायों के कार्मिकों को भी नामित किया गया।
(ख) सतर्कता जागरूकता सप्ताह:
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार एनएससी, मुख्यालय, नई दिल्ली तथा देश भर में स्थित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/फार्मों में 31.10.2017 से 04.11.2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2017 मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान कार्यालय भवन के प्रमुख स्थानो पर बैनर एवं पोस्टर लगवाए गए। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 31.10.2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निगम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिज्ञा दिलवाई गई। सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों/फार्म प्रमुखों द्वारा भी अपने अधीन कार्यरत सभी कार्मिकों को प्रतिज्ञा दिलाई गई। पूसा परिसर नई दिल्ली के सरकारी माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए एक कार्यशाला एवं विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। निदेशक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर एक व्याख्यान भी दिया गया। इस अवसर पर सतर्कता विभाग द्वारा तैयार किया गया "करो एवं मत करो" पुस्तिका जारी की गई।

(ग) निवारक सतर्कता:
सतर्कता पहल पर, उधार बिक्री के खिलाफ उन अधिकारियों से वसूली की गई है जो उधार बिक्री के लिए उत्तरदायी पाए गए। अभी तक रू. 40 लाख की वसूली की गई। उपर्युक्त के अलावा, निवारण उपाय के रूप में जैसे निरीक्षण/आकस्मिक जांच/ठेकों की जांच भी आयोजित किए गए। लंबित अनुशासनात्मक मामलों एवं शिकायतों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। समय-समय पर प्रबंधन के साथ मुख्य सतर्कता आयुक्त / डीओपीटी / डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुशासनात्मक एवं सतर्कता मामलों पर उपर्युक्त सलाह प्रदान करने के लिए निरंतर बातचीत की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई दंड/जुर्माना नहीं लगाया गया। हालांकि, कुछ कार्मिकों पर निगम के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई तथा जुर्माना लगाया गया, जिसका विवरण पहले ही 1 (vii) के तहत खुलासा किया गया है।

(vii) AUDIT QUALIFICATIONS:

It is always the Corporation's endeavour to present an unqualified financial statement. Management's reply to the Statutory Auditors' observations on the Accounts of the Corporation for the year ended 31st March, 2018, if any, is forming part of Annual Report.

(viii) SHAREHOLDING PATTERN OF THE CORPORATION:

100% shares of the Corporation are held by President of India.

(ix) WHISTLE BLOWER POLICY:

i.Procedure for filing complaint under PIDPI as per CVC guidelines has been uploaded on NSC website.
ii.The details and format of Lokayukt Act 2013 has been uploaded on NSC website.
iii.Records open to CAG and the Public under RTI Act, 2005.

(x) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT:

As per Companies Act, 2013 and Companies (CSR Policy) Rules, 2014 as amended, the Corporation has been complying with the provisions concerning Corporate Social Responsibility. A Budget of Rs. 127.41 lakhs was approved for funding along with previous savings in the various activities under CSR which were planned in a manner that the impact of implementation become visible on the selected segment of society. Details are shown in the Annexure forming part of Directors' Report.

(xi) VIGILANCE REPORT:

a)Training /Workshop:

One day Vigilance Workshop on “Disciplinary Proceedings and Role of IO/PO” was conducted at CSF, Suratgarh on 22.08.2017, in which those Officers who were dealing with Disciplinary matters or were working as Inquiry Officer/Presenting Officer participated. Total 24 Officials from all three Farms in Rajasthan including two officials from Head Office participated in the Workshop. During Workshop a comprehensive study material on the subject was provided to all participants for their future reference.

Further a Vigilance Workshop on “Investigation of Complaints and Disciplinary Proceedings” was also conducted on 21.03.2018 at HQ, New Delhi, in which Candidates from other PSUs and Autonomous Bodies were also nominated along with NSC Officials.

b) Vigilance Awareness Week:

In accordance with the directives of Central Vigilance Commission, Vigilance Awareness Week-2017 was observed at the Corporate Office and RO/Farms from 31.10.2017 to 04.11.2017. During the Week, Banners and posters were prominently displayed at prime locations of the office building. Pledge was administered on 31.10.2017 at 11.00 AM by Chairman-cum-Managing Director, NSC, to all the Officers and Staff of the Corporation. Pledge was also administered by all the Regional Managers and Farms Head at their respective Offices to all their Officers and Staff. A workshop and Essay competition was also organized for students of a Govt. Boys Senior Secondary School at Pusa, New Delhi. A lecture was also delivered by the Director Central Vigilance Commission on Corruption free India. A Booklet on Dos & Don't's, prepared by Vigilance Division, NSC was released for the benefit of all employees.

c) Preventive Vigilance:

On Vigilance initiative, recoveries against credit sale were made from those officials who were found responsible for credit sale. About Rs. 40.00 Lakhs has been recovered so far.

Apart from above, preventive measures like inspections/surprise checks/scrutiny of contracts were also conducted. Regular monitoring of pending disciplinary cases and complaints is being done. Regular interaction with Management is maintained for rendering suitable advice on Disciplinary/Vigilance matter as per guidelines issued by CVC/DOPT/DPE from time to time.

No punishment/penalty have been given under Companies Act, 2013. However, disciplinary actions have been taken under CDA Rules of the Corporation on some officials where penalties have been imposed, details of which already disclosed under 1(VII) in the Report.

(xii) प्रशिक्षण रिपोर्ट : वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:-

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	भाग लेने वालों का नाम एवं पदनाम	तारीख	भाग लेने वालों की संख्या	स्थान/आयोजक
1	बीज उत्पादन, कीट नियंत्रण, नर्सरी में वृद्धि, जैविक खेती	क्षे.का, लखनऊ	21.05.2017	500	आरओ, लखनऊ
2	पीएसयू आईटी फोरम-2017	श्री उमेश कुमार शर्मा, अधिकारी (आईटी)	24.05.2017	01	सबटीवी
3	क्लाउड डेटा गवर्नमेंट	श्री राजेश चौहान, प्रोग्रामर	26.05.2017	01	सीईआरटी
4	आरंभिक प्रशिक्षण	प्रबंधन प्रशिक्षु / प्रशिक्षु	28.06.2017 to 01.07.2017	22	एनएससी, मुख्यालय
5	आरंभिक प्रशिक्षण	प्रबंधन प्रशिक्षु / प्रशिक्षु	18.07.2017 to 20.07.2017	51	एनएससी, मुख्यालय
6	जीएसटी की मूल बातें	श्री केजी सारदा, अपर महा प्रबंधक (वित्त) और श्रीमती जेसी जैकब, उप महा प्रबंधक (वित्त)	28.07.2017	02	आईसीडब्ल्यूए
7	सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण -2016-17 की ऑनलाइन डेटा इनपुट शीट भरना।	श्री उमेश कुमार शर्मा, अधिकारी (आईटी) और श्री आनंद कुमार	04.08.2017	02	आईसीएआई
8	आरंभिक प्रशिक्षण	प्रबंधन प्रशिक्षु / प्रशिक्षु	10.08.2017 to 12.08.2017	33	एनएससी, मुख्यालय
9	गुणवत्ता बीज उत्पादन तकनीक (एमएमएईटी)	सीएसएफ, सूरतगढ़	21.08.2017 to 25.08.2017	25	सीएसएफ, सूरतगढ़
10	अनुशासनात्मक कार्रवाई और आईओ/पीओ की भूमिका	सर्व / श्री गजानंद सिंह, प्रबंधक (उ.), डॉ वी एस मिथारवाल, सप्र.(उ.), आर.एन. तिवारी, मानव संसाधन अधिकारी, आरके गर्ग, ले.अ६ (वित्त), मुरलीधर, प्रबं. (उत्पा), एमएल तंगा, मानव संसाधन अधिकारी, एस प्रियदर्शि, सहा.प्रबं (अभि.), ठाकुर सिंह, लेखा अधि. (वित्त), मुकेश मीना, सहायक (कृषि), जीके सिरोई, सहायक (मा.सं), पुनीत दुआ, सहायक (मा.सं), जगजीत सिंह मंगत, लेखा अधि. अजीत पाल चौहान, ले.अ., गोवर्धन सिंह, सहायक(मा.सं.), रामदेव, पीओ (एस), प्रताप सिंह, सहायक (एचआर), सोमवीर सिंह, सहायक, सुधीर कुमार,ले.अ(एस) शशांक वर्मा,एमटी (एचआर), एसके सिन्हा, प्रबंधक (एल), श्रीमती बिमला चौआन, एपीएस, वीरेंद्र सिंह, सहा.अधि. (सर्तकता) विकास चौधरी, पीओ, और जगदीश सिंह, सहायक(सर्तकता)	22.08.2017	24	सीवीओ, निगमित कार्यालय

(xii)TRAINING REPORT:- During the year, following Training Programmes were organized/arranged as per details given below:-

Sl. No	Name of Programme	Name & Designation of the Participant	Date	No.of Parti-cipants	Place / Organizer
1	Seed Production, Pest Control, Nursery raising, Bio farming etc. (NMAET)	RO, Lucknow	21.05.2017	500	RO, Lucknow
2	PSU IT FORUM-2017	Sh. Umesh Kumar Sharma, Officer(IT)	24.05.2017	01	SABTV
3	Cloud data Govern	Sh. Rajesh Chauhan, Programmer	26.05.2017	01	CERT
4	Induction Training	MT/Trainees	28.06.2017 to 01.07.2017	22	NSC, HO
5	Induction Training	MT/Trainees	18.07.2017 to 20.07.2017	51	NSC, HO
6	Basics of GST	Sh.KG Sarda, ADGM(F) &Smt. Jessy Jacob,DGM(F)	28.07.2017	02	ICWA
7	Filling up online data input sheet of public Enterprises Survey - 2016-17	Sh. Umesh Kumar Sharma, Officer(IT) & Sh. Anand Kumar	04.08.2017	02	ICAI
8	Induction Training	MT/Trainees	10.08.2017 to 12.08.2017	33	NSC, HO
9	Quality Seed Production Technique(NMAET)	CSF, Suratgarh	21.08.2017 to 25.08.2017	25	CSF, Suratgarh
10	Disciplinary Proceedings and Role of IO/PO	S/Shri Gajanand Singh, M(P), Dr.V S Mitharwal, AM(P), R.N. Tiwari, HR Officer, RK Gara, AO(F), Murlidhar, M(P), ML Tanga, HR Officer, S. Priyadarshi, AM(Eng), Thakur Singh, AO(F), Mukesh Meena, Asstt(Agri), JK Siroha, Asstt.(HR), PunitDua, Asstt(HR), Jagjit Singh Mangat,AO, Ajeet Pal Chauhan, AO, Govardhan Singh, Asstt.(HR), Ramdev, PO(S), Pratap Singh, Asstt.(HR), Sombir Singh, Asstt. Sudhir Kumar, AO(S), Shashank Verma,MT(HR), SK Sinha, M(L),	22.08.2017	24	CVO, Corporate Office

11	पीएफएमएस पोर्टल का ईएटी मॉड्यूल/व्यय, अंग्रिम और स्थानातंरण के लिए मूल वित्तीय डेटा प्रविशिष्ट	श्री उमेश कुमार शर्मा, अधिकारी (आईटी) एवं श्रीमती हेमा राठौर, सहा.प्रबंधक (वित्त)	28.08.2017	02	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
12	चारा बीज उत्पाादन और विपणन (एनएमएईटी)	आरओ, चंडीगढ़	28.08.2017 to 01.09.2017	22	क्षे.का, चंडीगढ़
13	सब्जी बीज उत्पादन और विपणन	आरओ, सिकंदराबाद	09.09.2017 to 13.09.2017	17	क्षे.का, सिकंदराबाद
14	भंडारण और बीज प्रसंस्करण प्रबंधन (एनएमएईटी)	सीएसएफ, जैतसर	12.09.2017 to 16.09.2017	27	सीएसएफ, जैतसर
15	मध्यस्थता प्रशिक्षण	डॉ एस.के यादव, अपर महा प्रबंधक (मा.सं.)	13.09.2017 To 15.09.2017	01	आईसीएडीआर
16	खेती और सब्जी बीज उत्पादन (खरीफ) (एनएमएईटी)	सर्व/ श्री सागर मल सुतालिया, एओ (एस), सुमित चौधरी, एमटी (पी), अभिनव सिंह राठौर, एओ (क्यूसी), शरीफ आलम, एओ (क्यूसी) श्रीमती अर्चना सान्याल, एमटी (पी), श्रीमती प्रीतम ओ भूटदा, एमटी (पी), अभिषेक ल्सह, एमटी (पी), कु.निधि मोहन, एमटी (पी) विकास चौधरी, पीओ, मोहन स्वरुप गंगवार, एओ (एस), प्रशांत, एमटी (पी), जीवन एस, एमटी (पी), अक्षत यादव, एमटी (पी), अजीत कुमार पांडे, एमटी (पी), देवीदास नवांगे, पीओ (एस), कृष्ण पाल, एओ (एस), डॉ देवेंद्र सिंह, एओ (एस), तेजमल सैनी, एओ (एस), सुश्री आर मसानम, एमटी (पी), कौसर अहमद, एओ (एस), वीर सिंह, एमटी (पी), किशन कुमार बी चौहान, एमटी (पी), अमित कुमार, पीओ (एस), अनिल नाथ, एमटी (पी)। राजेश कु. मीना, एओ (एस)	03.10.2017 to 07.10.2017	25	एनएससी, मुख्यालय

		Smt. Bimla Chauan, APS, Virendar Singh, AO(Vig), Vikas Choudhary, PO, & Jagdish Singh, Asstt(Vig)			
11	EAT module of PFMS portal. Basic Financial data Entry for Expenditure, Advance & Transfer	Sh.Umesh Kumar Sharma, Officer(IT) & Smt. Hema Rathore, AM(F)	28.08.2017	02	MOA&FW
12	Fodder Seed Production & Marketing(NMAET)	RO, Chandigarh	28.08.2017 to 01.09.2017	22	RO, Chandigarh
13	Vegetable Seed Production & Marketing	RO, Secunderabad	09.09.2017 to 13.09.2017	17	RO, Secunderabad
14	Management of Storage & Seed Processing Complex(NMAET)	CSF, Jetsar	12.09.2017 to 16.09.2017	27	CSF, Jetsar
15	Training of Arbitration	Dr.S.K.Yadav, Adll.GM(HR)	13.09.2017 To 15.09.2017	01	ICADR
16	Seed Production in Field and Vegetable crops(Kharif) (NMAET)	S/Sh. Sagar Mal Sutaliya, AO(S), Sumit Chaudhary, MT(P), Abhinav Singh Rathore, AO(QC), Shariph Alam, AO(QC) Smt.Archana Sanyal, MT(P), Smt. Pritam O Bhutada, MT(P), Abhishek Singh, MT(P), Ms.Nidhi Mohan, MT(P), Vikas Choudhary, PO, Mohan Swaroop Gangwar, AO(S), Prashant, MT(P), Jeevan S, MT(P), Akshat Yadav, MT(P), Ajeet Kumar Pandey, MT(P), Devidas Nawange, PO(S), Krishan Pal, AO(S), Dr.Devender Singh, AO(S), Tejmal Saini, AO(S), Ms.R Masanam, MT(P), Kausar Ahmad, AO(S), Veer Singh, MT(P), Ksishn Kumar B Chauhan, MT(P), Amit Kumar, PO(S), Anil Nath, MT(P). Rajesh K. Meena, AO(S)	03.10.2017 to 07.10.2017	25	NSC, HO

17	रिकार्ड प्रबंधन पर औरिएटेशन कोर्स	श्री बी सुरेश कुमार, प्रबंधक (एचआर)	01.11.2017 to 03.11.2017	01	एनएआई
18	बीज कानून प्रवर्तन	सभी राज्य बीज प्रमाणन अधिकारी और एनएससी अधिकारी श्रीमती बाबिता शर्मा, एएम (पी), दीप्ति अग्निहोत्री, पीओ (एस), डॉ मौशमी सरकार कुंडू, सहा.प्रबंधक (उत्पादन), श्रीमती मनु मलिक, सहा.प्रबंधक (उत्पादन),	08.11.2017 to 10.11.2017	27	एनएससी, मुख्यालय
19	बीज स्वास्थ्य परीक्षण	श्री शरिफ आलम, एओ (क्यूसी)	13.11.2017 to 17.11.2017	01	एनएसआर एंड टीसी
20	वेतन निर्धारण पर कार्यशाला	श्री दर्शन कुमार, एएओ (एफ)	15.11.2017 to 17.11.2017	01	आईएसटीएम, नई दिल्ली
21	केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर कार्यशाला	श्री वी एस भानु, एजीएम (ई) और श्री चंद्रशेखर, प्रबंधक (अभि.)	04.01.2018	02	एनआईसी, एमआई और आईटी
22	वित्तीय वक्तव्य के विश्लेषण पर कार्यशाला	श्री सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सहायक प्रबंधक (वित्त)	08.01.2018 to 09.01.2018	01	आईएसटी एंड एम
23	बीज गुणवत्ता और बुवाई इनपुट (एनएमएईटी)	सीएसएफ, सूरतगढ़	20.01.2018	22	सीएसएफ, सूरतगढ़
24	कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (एलओडआर) विनियम, 2015	श्री मो. राकिम, कपंनी सचिव,	29.01.2018 to 30.01.2018	01	स्कोप
25	टीम निर्माण एवं नेतृत्वि पर कार्यशाला	श्री शेलेंद्र कुमार, डीजीएम (एचआर) और एस के सिन्हा, प्रबंधक (एल)	29.01.2018 to 31.01.2018	02	आईएसटीएम, नई दिल्ली
26	बीज उत्पादन तकनीक और गुणवत्ता बीज उत्पादन (एनएमएईटी)	सीएसएफ, जैतसर	15.03.2018	30	सीएसएफ, जैतसर

(xiii) गुण नियंत्रण

एनएससी की प्राथमिकता कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए फसल किस्मों एवं संकर किस्मों की व्यापक श्रेणी के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन एवं वितरण करना है। भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक , 2013 के अनुसार खेत स्तर के साथ-साथ बीज स्तर पर कठोर गुण नियंत्रण के उपायों का पालन किया जा रहा है तथा किसानों के लिए गुणवत्ता वाले बीज सुनिश्चित करने हेतु भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक, 2013 के अनुरूप ही बीज लॉट का प्रापण किया जा रहा है।

रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान गुण नियंत्रण विभाग द्वारा कई नई पहल किए गए। नई दिल्ली , भोपाल, सूरतगढ एवं सिकन्दराबाद में स्थित गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं को नई परीक्षण सुविधाओं के साथ-साथ वैज्ञानिक उपकरणों से उन्नयन किया गया है। विभिन्न बीज गुणवत्ता मानकों जैसे अकुंरण, भौतिक शुद्धता, नमी, अन्य किस्मों, कीट क्षति, बीज स्वास्थ्य इत्यादि के पालन के साथ बीज परीक्षण पद्धति के अनुसार भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक के अंतर्गत लगभग 11526 बीज नमूनों का परीक्षण किया गया ।

केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर एवं सूरतगढ फार्म पर आधारीय एवं संकर बीजों की अनुवांशिक शुद्धता का पता लगाने के लिए खेतों पर ही दो बीज परीक्षण सुविधा (ग्रो आउट टैस्ट) स्थापित किए गए हैं दोनो ही केन्द्र कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, एनएससी ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से वर्ष 2017-18 के दौरान एनएससी के 03 अन्य फार्मो पर जैसे केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जैतसर एवं सुर्कोदा में जीओटी फार्मस विकसित करने के लिए रू. 1.50 करोड़ प्राप्त किए हैं जिसके लिए कार्य प्रक्रियाधीन है।

17	Orientation Course on Record Management	Sh.B.Suresh Kumar, Mngr.(HR)	01.11.2017 to 03.11.2017	01	NAI
18	Seed Law Enforcement (NMAET)	All State Seed Certification Officers and NSC Officers Smt. Babita Sharma, AM(P), Deepti Agnihotri, PO(S), Dr.Maushumi Sarkar Kundu, AM(P), Smt. Manu Malik, AM(P)	08.11.2017 to 10.11.2017	27	NSC, HO
19	Seed Health Testing	Sh.Shariph Alam, AO(QC)	13.11.2017 to 17.11.2017	01	NSR&TC
20	Workshop on Pay Fixation	Sh. Darshan Kumar, AAO(F)	15.11.2017 to 17.11.2017	01	ISTM, NEW DELHI
21	Workshop on Central Public Procurement Portal	Sh.V S Bhanu, AGM(E) & Sh. Chandra Sekhar, Mgr.(E)	04.01.2018	02	NIC, MoE&IT
22	Workshop on Analysis of Financial Statement	Sh. Surender Kumar Arora, AM(F)	08.01.2018 to 09.01.2018	01	IST&M
23	Seed Quality & Sowing Input (NMAET)	CSF, Suratgarh	20.01.2018	22	CSF, Suratgarh
24	Companies Act 2013 and SEBI(LODR) Regulations 2015	Sh.Md. Raquim, CS	29.01.2018 to 30.01.2018	01	SCOPE
25	Workshop on Team Building & Leadership	Sh.Sheelendra Kumar, DGM(HR) & S.K. Sinha, Manager (L)	29.01.2018 to 31.01.2018	02	ISTM, New Delhi
26	Seed Production Technique & Quality Seed Prodn. (NMAET)	CSF, Jetsar	15.03.2018	30	CSF, Jetsar

(xiii) **QUALITY CONTROL:**

NSC's priority is to produce and market high quality seeds of a wide range of crop varieties and hybrids so as to increase the agricultural productivity. Strict quality control measures are being followed as per Indian Minimum Seed Certification Standards (IMSCS), 2013 at field level as well as seed stage and the seed lots confirming to standard of IMSCS, 2013 are only procured to ensure quality seeds to the farmers.

Many new initiatives had been taken by QC Division during the reporting period. The Quality Control Laboratory at New Delhi, Bhopal, Suratgarh and Secunderabad are maintained where the laboratory facilities are upgraded with new and scientific equipments. Around 11526 seed samples on various seed quality parameters viz. germination, physical purity, moisture, other distinguishable varieties, insect damage, seed health etc. as prescribed under the Indian Minimum Seed Certification Standards (IMSCS) in accordance with the Seed Testing Procedures were tested in the Quality Control Laboratories.

Two Grow Out Test (GOT) Farms have been developed at CSF Raichur and CSF Suratgarh for conducting GOT of foundation and hybrid seeds for ascertaining its genetic purity and GOT for foundation and hybrid seed is conducted in both the GOT centre. In addition to this NSC has received Rs. 1.50 Crores from MoA to develop another 3 GOT at Farms one each at CSF, Suratgarh, CSF, Jetsar and CSF, Sukinda during 2017-18 and the same are under process.

अंतराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (आईएसटीए) सचिवालय, स्विटजरलैंड से ब्रास्सिका नापस, फैस्तुएका अरुनदियानिसा, तिरिफोलियम रेपेंस एवं लोलियम परेनी प्रत्येक के 04 नमूने प्राप्त हुए और इन्हें आईएसटीए मान्याता के प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम के तहत परीक्षण किया गया है।

एनएससी के पास खेत स्तर पर बीजों की गुणवत्ता शिकायतों को निपटाने हेतु उचित तंत्र है। जब भी गुणवत्ता शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका शीघ्र निपटान किया जाता है। यहां पर बीज स्टॉक की पहचान के लिए एक नियमित प्रणाली भी है, जो स्टॉक प्राकृतिक प्रक्रिया में गैर मानक बन जाते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों में से एक रूप में, उस स्टॉक का गैर बीज के रूप में निपटान किया जाता है।

(xiv) प्रस्वीकरण

आईएओ 9001 : 2015 एवं ईएमएस 14001 : 2015

एनएससी को गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम और पर्यावरण प्रबंधन सिस्टम के लिए क्रमश: 19.03.2007 और 21.03.2009 से प्रमाणित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैनुअलों में निहित प्रावधानों और विशिष्ट प्रकियाओं का एनएससी पालन कर रही है, आंतरिक तथा बाहरी लेखा परीक्षकों से वार्षिक लेखा परीक्षा करवाई जाती है। इस लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप एनएससी को क्यूएमएस, आईएसओ 9001:2015 एवं क्यूएमएस, आईएसओ 14001:2015 के लिए पुन: प्रमाणित किया गया है।

(xv) आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण :

(क) बीज भंडार गृहों एवं संयंत्र भवनों का निर्माण :

निगम ने वर्ष 2017-18 के दौरान,90,000 क्विंटल क्षमता के बीज भंडारण का निर्माण किया। एनएससी के पास 31 मार्च, 2018 तक 13.53 लाख क्विंटल बीज भंडारण की क्षमता एवं 13,500 क्विंटल के लिए वातानुकूलित बीज भंडार की क्षमता उपलब्ध है।

(ख) बीज संसाधन क्षमता का निर्माण एवं सदृढ़ीकरण :

एनएससी के पास 31.03.2018 तक वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 21.99 लाख क्विंटल की हो गई है।

(ग) सिंचाई सुविधाओं का निर्माण :

निगम ने वर्ष 2017-18 के दौरान, 275 हैक्टेयर क्षेत्र केन्द्रीय धूरी सिंचाई प्रणाली उपलब्ध कराई। इस प्रकार एनएससी के पास 31.03.2018 तक कुल 1962 हैक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली उपलब्ध है । नहर के पानी की कमी से निपटने के लिए वर्ष 2017-18 में 17 नलकूपों का निर्माण किया गया । इस प्रकार एनएससी के पास 31.03.2018 तक 154 नलकूप उपलब्ध हैं ।

(घ) बंजर भूमि पर अपशिष्ट भूमि का संरक्षण :

निगम ने वर्ष 2017-18 के दौरान खेती योग्य भूमि बनाने के लिए 205 हैक्टेयर बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया।

(ड) निजी क्षेत्रों में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता :

एक नोडल ऐजेंसी के रूप में, निगम ने "निजी क्षेत्रों मे बीज उत्पादन बढ़ाने क लिए सहायता" के घटक में कृषि विस्तार एवं प्रोद्योगिकी (एनएमईटी)पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत बीज एवं रोपण सामाग्री (एसएमएसपी)पर उप मिशन को लागू किया है। पंजाब, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तामिलनाडू, तेलंगाना, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में 64 इकाईयों को बैंक से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(च) परामर्श सेवा :

एनएससी तकनीकी सेवा तथा बीज संसाधन संयंत्रों की स्थापना कार्य कर रहा है। निगम ने पंजाब राज्य बीज निगम एवं बिहार राज्य बीज निगम की एक परियोजना पर कार्य शुरु कर दिया है।

(छ) सूचना तकनीक :

1. प्रक्षेत्र/क्षेत्रीय कार्यालयों और फार्मों पर बीज प्रबंधन एप्लीकेशन में ऑनलाईन मोड पर कार्यक्रम किया जा रहा है। बीज प्रबंधन एप्लीकेशन के माध्यम से सभी प्रक्षेत्र/क्षेत्रीय कार्यालयों और फार्मों का लेखा परीक्षा की गई है।
2. सभी इकाईयों को उचित सूचना तकनीक ढ़ाचा प्रदान किया गया है।
3. वेबसाइट का समय-समय पर अद्यतन किया जाता है तथा ट्युटर एवं फेसबुक जैसी सोशल मिडिया के माध्यम से निगम की गतिविधियों की जानकारी का अद्यतन किया जाता है।
4. प्रक्षेत्र/क्षेत्रीय कार्यालयों और फार्मों पर ई-खरीद का कार्यान्वयन।
5. कार्मिकों की वार्षिक निष्पादन मूल्याकंन रिपोर्ट को ऑनलाईन जमा करने के लिए ई-एपीएआर प्रणाली का कार्यान्वनयन ।
6. फसल निगरानी के लिए मोबाईल एप के साथ संपूर्ण ईआरपी पद्धति (क्यूआर कोड के साथ) लागू करके पूरी प्रणाली अद्यतन की प्रकिया में है।

Four samples each of Brassica Napus, Festuca Arundianacea, Trifolium Repens and Lolium Perenne were received from ISTA Secretariat, Switerzerland and tested under Proficiency Test Programme of ISTA Accreditation.

NSC has proper mechanism to redress the quality complaint of seed at field level. The complaints are immediately redressed as and when received. There is also a regular system of identifying the seed stocks which have become sub-standard in the natural process and action is being taken for its disposal as non-seed as one of the quality control measures.

(xiv) RECOGNITIONS :

ISO 9001:2015 and EMS 14001:2015:

NSC is certified for Quality Management System and Environment Management System since 19.03.2007 and 21.03.2009 respectively. In order to ensure that NSC is following the provisions contained in the manuals and following the specified process, internal and external audit is conducted annually. As a result of this audit, NSC has been recertified for QMS, ISO 9001:2015 EMS, ISO 14001:2015.

(xv) STRENGTHENING OF INFRASTRUCTURE:

(a) Construction of Ware House & Plant Building :

NSC added Ware Housing capacity of 90,000 Qtls. during the year 2017-18. NSC, now has a seed storage capacity of 13.53 lakh Qtls. and Air Conditioned seed storage capacity of 13,500 Qtls. as on 31.03.2018.

(b) Creation of Processing capacity and strengthening :

NSC having annual processing capacity of 21.99 lakh Qtls. as on 31.03.2018.

(c) Creation of Irrigation facilities:

Corporation has added 275 hectares area of Centre Pivot Irrigation system during the year 2017-18. Now has a total area of 1962 hectares area of Micro Irrigation Systems installed as on 31.03.2018. Along with this to overcome the shortage of Canal Water, NSC has installed 17 Nos. Tube-wells during the year 2017-18 and now has a total of 154 Nos. tube-wells as on 31.03.2018.

(d) Conversion of Waste Land into Cultivable Land:

Corporation has cleared Jungle in an area of 205 hectares during the year 2017-18 to increase cultivable land area.

(e) Assistance for Boosting Seed Production in Private Sector:

As a nodal Agency, the Corporation has implemented the Sub-mission on Seeds & Planting Material (SMSP) under National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET) for the component of "Assistance for Boosting Seed Production in Private Sector". 64 Nos Of Units were provided the back ended subsidy linked to Bank Finance in the state of Punjab, Gujarat, Haryana, Karnataka, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttrakhand, West Bengal, Bihar, Maharashtra, Tamilnadu, Telangana, Madhya Pradesh & Chhattisgarh during the year 2017-18.

(f) Consultancy Services:

NSC is providing consultancy services, technical support and establishment of Seed processing plants. A project of Punjab State Seed Corporation Limited and Bihar Rajya Beej Nigam Limited has been undertaken.

(g) Information Technology :

1. Area offices, Regional Offices & Farms are working in online mode in Beej Prabandhan Application. Accounts of all RO/AO/Farms have been audited through Beej Prabandhan Application.
2. All the Units have been provided proper IT Infrastructure.
3. Website is updated on day to day basis and keeping the updated information about the activities of the Corporation including social media presence at Twitter & Facebook .
4. Implementation of E-procurement at all ROs/AOs and Farms.
5. Implementation of e-APAR system for online submission of Annual Performance appraisal report of the employee.
6. Also in the process to update the entire system i.e Total Computerization by Implementing the complete ERP system (With QR Code) along with Mobile app for crop monitoring.

लेखा खातों को इलैक्ट्रोनिक मोड में रखे जाने की पद्धति :

एनएससी के पास वेब आधारित 'बीज प्रबंधन' एप्लीकेशन है जिसमें उत्पादन, विपणन स्टॉक एवं वित्त के मॉडयूल सम्मिलित है। लेखा खातों को एक समर्पित सर्वर सी-डैंक, नोएडा (आईएसओ 27001:2013 मानक) पर इलैक्ट्रोनिक मोड पर रखा जाता है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/फार्मो की पुष्टि के पश्चात मुख्यालय में डाटा को बंद किया जाता है। सर्वर का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ
क	सेवा प्रदाता का नाम	सी-डैक, नोयडा (आईएसओ27001:2013 स्टैनडर्ड)
ख	सेवा प्रदाता का आईपी प्रोटोकॉल पता	http://220.156.188.25:7778
ग	सेवा प्रदाता का स्थान	सी-56/1, अनुसंधान भवन, इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र, सैक्टर-62,नोएडा-201307 उ.प्र.(भारत)
घ	लेखा खातों, अन्य खातों एवं कागजातों को क्लाउड पर रखा जाता है, सर्वर का पता ।	एप्लीकेशन को समर्पित सर्वर पर रखा जाता है। एप्लीकेशन का डोमेन है www.nscl.in (http://220.156.188.25:7778) अन्य वित्तीय सूचनाओं को indiaseeds.com (सी-डैक) पर रखा गया है।

(xvi) राजभाषा का कार्यान्वयन :

सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने की दृष्टि से 14 सितम्बर, 2017 से 28 सितम्बर, 2017 तक "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों/फार्मो में भी दिनांक 28 सितम्बर, 2017 को हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन किया गया।

एनएससी की वेबसाईट को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया किया जाता है और इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

वर्ष के दौरान 04 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई, इन कार्यशालाओं में निगम के कार्मिकों ने भाग लिया। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर चर्चा करने के लिए मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से 04 बैठकें आयोजित की गई और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/गृह मंत्रालय को समीक्षा के लिए भेजी गई।

वर्ष 2017-18 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 29.04.2017 को क्षेत्रीय कार्यालय, एनएससी, पूणे तथा 04.09.2017 को क्षेत्रीय कार्यालय, एनएससी, बैंगलुरू का राजभाषा निरीक्षण किया गया। संसदीय समिति ने दोनों कार्यालयों में राजभाषा अनुपालन को संतोषजनक पाया।

राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी वर्षिक कार्यक्रम 2017-18 में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन करने तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयत्न किए गए।

(xvii) मानव संससाधन विभाग :

31.03.2018 को सभी वर्गो में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 1466 थी, जबकि 31.03.2017 को यह 1514 थी।

31.03.2018 को समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के कार्मिकों की संख्या निम्न प्रकार से है :

समूह	कार्मिकों की कुल संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या
क	166	239
ख	152	306
ग	498	1019
घ	650	641
कुल	**1466**	**2205**

MANNER OF BOOKS OF ACCOUNTS TO BE KEPT IN ELECTRONIC MODE:-

NSC having web based application "Beej Prabandhan" consisting of Seed Production, Marketing, Inventory and Finance Module. The books of account are kept in electronic mode at a dedicated server residing at CDAC, Noida Data Centre (ISO 27001:2013 standards).The data is locked at Head Office after confirming from the concerned RO/Farm. The details of the servers are as under:

S.No	Particulars	Response
a	Name of Service Provider	C-DAC,Noida (ISO 27001:2013 standards)
b	IP Protocol address of the Service provider	http://220.156.188.25:7778
c	Location of service provider	C-56/1,Anusandhan Bhawan,Institutional Area,Sector - 62,Noida-201 307 U.P (India)
d	Where the books of account and other books and papers are maintained on cloud,address of the server	The application is hosted on a dedicated Server. Domain of the application is www.nscl.in(http://220.156.188.25:7778) Other Financial informations are kept at web site www.indiaseeds.com (Residing at CDAC,Noida)

(xvi) OFFCIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

With a view to promote the use of Hindi in Official work, "Hindi Pakhwara" was organized from 14 September, 2017 to 28 September, 2017. During this period various competitions were organized and successful participants were given cash prizes. Hindi Pakhwara closing ceremony was celebrated on 28th September, 2017 at HQ as well as in RO/Farms.

The website of NSC is available in bilingual form i.e. in English and Hindi both the languages and it is being updated from time to time.

During the year, Four Hindi Workshops were organized and various Officers/employees participated in these workshops. Four Meetings of Official language implementation Committee at Head Office was conducted regularly in each quarter to discuss the progressive use of Official Language in Official Work and the quarterly reports on progressive use of Hindi were regularly sent to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare/Home Ministry.

During the Year 2017-18, Parliamentary Committee on Official Language inspected our Regional Office, NSC, Pune on dated 29.04.2017 and R.O. NSC Banglore on 04.09.2017. The Committee is satisfied with the compliance of official language.

Constant efforts were made to comply with the provisions and target of the "Annual Programme" of 2017-18.

(xvii) HUMAN RESOURCE DEPARTMENT:

The total number of employees of all categories as on 31.03.2018 was 1466 against 1514 as on 31.03.2017. The staff strength in Group A,B,C & D as on 31.03.2018 was as under:-

Group	Total No. of Employees	Sanctioned Strength
A	166	239
B	152	306
C	498	1019
D	650	641
Total	**1466**	**2205**

वर्ष 2017-18 के दौरान पदोन्नति / सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद एवं अ.जा./ अ.ज.जा.से संबंधित उम्मीदवारो की पदोन्नति/नियुक्ति का विवरण निम्न प्रकार है:

(क) पदोन्नति :

समूह	भरे गए पदों की संख्या	अ.ज./ अ.ज.जा. से संबंद्ध उम्मीदवारों की संख्या	
		अ.जा.	अ.ज.जा.
क	24	2	--
ख	23	3	2
ग	53	7	1
घ	118	51	8
कुल	218	63	11

(ख) सीधी भर्ती :

समूह	भरे गए पदों की संख्या	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.क्षे./शा.अ. से सबंद्ध उम्मीदवारों की संख्या			
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.क्षे.	शा.अ.
क	14(प्रबंधन प्रशिक्षु)	01	---	02	---
ख	---	---	---	---	---
ग	83(प्रशिक्षु/डीटी)	09	01	24	---
घ	52*	20	01	12	---
कुल	**149**	**30**	**02**	**38**	**---**

*श्रेणी घ में सीधी भर्ती नहीं की गई, यद्यपि निगम की नीति के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कामगारों को नियमित किया गया।

(ग) 31.03.2018 को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का एनएससी में विभिन्न समूह के कर्मचारियों में प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार थी :- :

समूह	क्रर्मचारियों की संख्या	अ.जा./अ.ज.जा. से सबंद्ध क्रर्मचारी की संख्या	
		अ.जा.	अ.ज.जा.
क	166	23	04
ख	152	23	09
ग	498	86	17
घ	650	162	21
कुल	**1466**	**294**	**51**

(घ) दिव्यांगों का नियोजन:-

निम्नलिखित प्रत्येक दिव्यांगता के लिए चिह्नित पदों पर 31.03.2018 को दिव्यांगों की संख्या निम्न प्रकार है :-

i)	अन्धत्व के कारण दिव्यांग	3
ii)	बहरेपन के कारण दिव्यांग	1
iii)	मस्तिष्क संबंधी पक्षाघात के कारण दोनो पैरों से दिव्यांग	9

The information with regard to the posts filled-up by promotion/direct recruitment and number of candidates belonging to SC/ST promoted/appointed during the year 2017-18 is as under:-

A. PROMOTION:

Group	No. of Posts filled	No. of candidates belonging to SC/ST	
		SC	ST
A	24	2	--
B	23	3	2
C	53	7	1
D	118	51	8
TOTAL	**218**	**63**	**11**

B. DIRECT RECRUITMENT:

Group	No. of posts filled	No. of candidates belonging to SC/ST/OBC/PH			
		SC	ST	OBC	PH
A	14 (MT)	01	---	02	---
B	---	---	---	---	---
C	83 (Trainee/DT)	09	01	24	---
D	52*	20	01	12	---
Total	**149**	**30**	**2**	**38**	**---**

*No direct recruitment made in Group-D post. However, DPWs/DWWs have been regularized as per Policy of the Corporation.

C. Representation of SC/ST in various groups of employees as on 31.03.2018 was as under:

Group	Total No. of Employees	No. of Employees belonging to SC/ST	
		SC	ST
A	166	23	04
B	152	23	09
C	498	86	17
D	650	162	21
Total	**1466**	**294**	**51**

D. Employment of disabled Persons:

The strength of Disabled Persons as on 31.03.2018 was as under:-

i)	Blindness of low vision	3
ii)	Hearing impairment	1
iii)	Locomoter disability or cerebral palsy (including Orthopedically handicapped) in post identified for each disability	9

एनएससी NSC

(ड) भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन :-

निम्नलिखित प्रत्येक भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिन्हित पदों पर 31.03.2018 को भूतपूर्व सैनिकों की संख्या निम्न प्रकार है:-

श्रेणी	संख्या
समूह-क	--
समूह-ख	--
समूह-ग	--
समूह-घ	1
कुल	**1**

निगम 'पदों पर आधारित' आरक्षण रोस्टर रखने के संबंध में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर प्राप्त मार्गदशी सिद्धांतों का पालन करता है।

निदेशक मंडल ने दिनांक 21 जून, 2016 को हुई अपनी 267 वीं स्थगित बैठक में विपणन विभाग की कार्मिक संरचना का अनुमोदन किया था जिसमें एनएससी में विपणन गतिविधियों, विशेषकर निजी डीलरों के माध्यम से बीज की बिक्री करने के लिए विपणन विभाग में 96 विपणन कार्मिकों की मजूंरी दी थी। तद्नुसार एनएससी ने वर्ष 2017 में प्रबंधन प्रशिक्षु (विपणन) के 09 पद तथा वरिष्ठ प्रशिक्षु (विपणन) के 44 पदों के लिए विज्ञापन दिया था। परंतु वरिष्ठ प्रशिक्षु (विपणन) के 13 पद ही भरे जा सके। प्रबंधन प्रशिक्षु (विपणन) एवं तथा वरिष्ठ प्रशिक्षु (विपणन) के शेष एवं अतिरिक्त पदों के लिए अप्रैल, 2018 में पुन: विज्ञापन दिया गया तथा उक्त विज्ञापन से विपणन विभाग में अब तक 03 प्रबंधन प्रशिक्षु (विप.) तथा वरिष्ठ प्रशिक्षु (विपणन) के 46 पद भर दिए गए हैं।

(xviii) बीज उत्पादन क्रियाकलाप :

भारतीय कृषि अनुंसधान परिषद (आईसीएआर) के आंवटन के अनुसार, एनएससी अपने फार्मों पर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नई किस्मों का परीक्षण स्टॉक एवं प्रजनक बीज का उत्पादन कर रहा है ताकि समय पर प्रजनक बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और विभिन्न प्रकार के खेत के तहत किस्मों के निष्पादन की जांच हो सके।

इसी प्रकार इन फार्मों पर अनुवांशिकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आधारीय बीजों का सतत उत्पादन का कार्य किया जा रहा है तथा 600 से अधिक किस्मों/संकर जिसमें लगभग 60 फसलों के पैतृक किस्में भी शामिल है जिनमें अनाज,मोटे अनाज, तिलहन, दलहन, चारा, रेशा, हरी खाद तथा पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से सब्जी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है, का गुणवत्ता प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का अवसर भी प्रदान किया जाता है। प्रमाणित बीज का उत्पादन कार्यक्रम एनएससी के फार्म पर भी लागू किया गया है।

अधिक पैदावार सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन उत्पादन विभाग का ध्यान नए किस्मों के बीज उत्पादन पर तथा रोग एवं कीट प्रतिरोधक फसलों पर रहता है ताकि किसान कम इनपुट लागत से अपने आय में वृद्धि कर सके। तद्नुसार वर्ष 2017-18 में विभिन्न फसलों के 20 नई किस्मों को जोड़ा गया है। इस प्रकार वैराइटल प्रतिस्थापन दर में मदद मिल रही हैं, जोकि विभिन्न शासकीय योजनाओं में बीज घटक का महत्वपूर्ण मिशन है। वर्तमान में किसानों को आपूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं/मांग के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत नई किस्मों का बीज उत्पादन किया जा रहा है।

हाल ही में एनएससी ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अन्य सामान्य फसलों के अलावा राइजोम फसल के बीज का उत्पादन शुरू किया है।

निगम विशेष रूप से निम्नलिखित बीज घटक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू योजनाओं तथा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों की वार्षिक कार्य योजना को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है।

1. एनएमओओपी के अंतर्गत तिलहन की नई किस्मों का बीज उत्पादन।
2. एनएफएसएम के अंतर्गत दलहन की नई किस्मों का बीज उत्पादन।
3. एनएफएसएम वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत पटसन बीज की नई किस्मों का उत्पादन।
4. एमआईडीएच के अंतर्गत सब्जीक बीज एवं कदंमूल फसलों का उत्पादन, किसानों को प्रशिक्षण एवं सब्जी बीज प्रसंस्करण आधारिक सरंचना का निर्माण।

निगम ने वर्ष के दौरान एनएमओओपी के अंतर्गत लगभग रू. 12.40 करोड़, एनएफएसएम-दलहन के तहत रू. 53.30 करोड़, एनएफएसएम-पटसन के तहत रू.05.60 करोड़ एवं एमआईडीएच के तहत रू. 6.44 करोड़ के लिए **एएपी** का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया हैं।

एनएससी ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की पुष्टि के अनुसार राष्ट्रीय बीज रिजर्व नीति के तहत विशेषकर आधारीय बीज रोपण सामग्री को बनाए रखा है।

पौध:-फार्मों में अभिजात वर्ग वंशज बगीचों पर फलों के पौधे (विशेषकर चकोतरा), फूलों एवं सामाजिक वानिकी पेडों का उत्पादन किया जा रहा है।

E. Employment of Ex. Servicemen as on 31.03.2018 was as under:

Category	Strength
Group-A	--
Group-B	--
Group-C	--
Group-D	1
Total	**1**

The Corporation is following guidelines received from Department of Public Enterprises, Govt. of India, New Delhi from time to time in regard to maintaining "Post Based" reservation roster.

The Board of Directors in their adjourned 267th Meeting held on 21st June, 2016 approved the staff structure of Marketing Department having 96 manpowers to strengthen the marketing activities in NSC particularly for sales of seeds through private dealers. Accordingly, NSC has advertised 09 Nos. of post of Management Trainee (Mktg.) and 44 Nos. posts of Senior Trainee (Marketing) vide advertisement in the year 2017 but only 13 Nos. post of Sr. Trainee (Marketing) could be filled up. The balance and additional posts of Management Trainee (Mktg.) and Sr. Trainee (Mktg.) were again re-advertised in April, 2018 and in the aforesaid recruitment 03 Management Trainee (Mktg.) and 46 Nos. posts of Sr. Trainee (Mktg.) were inducted till the date in marketing Division.

(xviii) SEED PRODUCTION ACTVITIES:

The Corporation is producing test stock and Breeder seed of new varieties developed by Scientists & Researchers under the National Agricultural Research System at the Farms of NSC as per mandate given by ICAR, to ensure timely availability of breeder seed and also to check the performance of variety under field conditions.

Similarly sustainable production of Foundation is undertaken at the Farms to ensure genetic purity of Seed and Quality Certified seed production of more than 600 varieties/hybrids including parental lines of about 60 crops comprising of Cereals, Millets, Oil Seeds, Pulses, Fodder, Fibre, Green Manure and a wide range of Vegetable crops through registered seed growers thus creating public private partnership opportunities in the Agriculture Sector. Certified Seed production is implemented on NSC Farms too.

The focus of the Production Department is to produce seed of new varieties for ensuring higher productivity and other desirable crop attributes such as resistance to diseases and pests so that farmer incomes can increase with lower input costs. Accordingly 20 new varieties are added in 2017-18 for different crops thus aiding the Varietal Replacement Rate (VRR) which is important mission of the seed component in various Government Schemes. Presently seed production of around 60% of newer varieties being carried out in accordance to requirement/indent of various states for supply to farmers.

Recently NSC started seed production of Rhizome crops in hilly track areas of Uttrakhand in addition to other common crops.

The Corporation has been actively implementing the Annual Action Plan of important Government programmes for schemes implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare more particularly for the seed component as follows:-

1. Seed Production of new varieties of Oilseeds under NMOOP.
2. Seed Production of new varieties of Pulse under NFSM.
3. Production of new varieties of Jute Seed under NFSM Commercial crops.
4. Seed Production of Vegetable and Tuber crops, Training of Farmers and Creation of vegetable seed processing infrastructure under MIDH.

The Corporation ensured implementation of AAP for about 12.40 Crores under NMOOP, Rs. 53.30 Crores under NFSM-Pulse, Rs. 5.60 Crores under NFSM-Jute and for about Rs. 6.44 Crores under MIDH during the year.

NSC maintains planting material exclusively foundation seeds under National Seed Reserve Policy in accordance to confirmation from MOA&FW, Govt. of India.

Saplings- Saplings of Fruits (particularly Citrus), Flowers and Social Forestry trees are being produced at Elite Progeny Orchards at the Farms.

(xix) विपणन क्रियाकलाप:

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों का कुल कारोबार रू. 68046.86 लाख था

(मूल्य रु लाख में)

2017 -18	2016 -17
68046.86	75622.65

मुख्य बातें :

क. बिना आर्थिक सहायता के बीज बिक्री (कारोबार का %)

2017-18	2016-17
83.15%	81.35%

ख. चैनलवार बीज बिक्री (कारोबार का %)

2017-18		2016-17	
सरकारी एजेंसी	**गैर-सरकारी एजेंसी**	**सरकारी एजेंसी**	**गैर-सरकारी एजेंसी**
56.55%	43.45%	49.8%	50.2%

ग. सब्जियों के बीजों की बिक्री (कारोबार का %)

2017-18	2016-17
6.68%	4.6%

घ. नई किस्मों / योजनाओं के अंतर्गत बिक्री **:**

निगम ने एनएमओओपी के अंतर्गत तिलहन बीज मिनिकिट एवं एनएफएसएम के अंतर्गत धान मिनिकिट की आपूर्ति की।

(मूल्य रू.लाख में)

योजना	2017-18	2016-17
एनएमओओपी	2762.00	3157.72
एनएफएसएम	4290.00	2065.02

(xix) MARKETING ACTIVITIES:-

The turnover on account of sale of certified / quality seed during the year 2017-18 was Rs. 68046.86 lakhs.

(Value in Rs. lakhs)

2017-18	2016-17
68046.86	75622.65

HIGHLIGHTS

a. Seed Sold without subsidy (%age of turnover)

2017-18	2016-17
83.15%	81.35%

b. Channel wise Seed Sale (%age of turnover)

2017-18		2016-17	
Govt. Agencies	Non. Govt Agencies	Govt. Agencies	Non. Govt. Agencies
56.55%	43.45%	49.8%	50.2%

c. Sale of Vegetable seeds (%age of turnover)

2017-18	2016-17
6.68%	4.6%

d. Sales under New Varieties / Schemes:-

The Corporation has supplied minikits of Oilseeds under NMOOP and Pulses under NFSM.

(Value in Rs. Lakhs)

Scheme	2017-18	2016-17
NMOOP	2762.00	3157.72
NFSM	4290.00	2065.02

इस प्रकार किसानों को वैराइटल प्रतिस्थापन दर (वीआरआर) में सुधार हेतु एक मिशन के रूप में नई किस्मों को अपनाने की सुविधा मिल रही है ।

ड़. निगम ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को बीज की आपूर्ति की है जिनमें शामिल हैं :-

1. एनएमओओपी - तिलहन बीज
2. एनएफएसएम - चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज एवं वाणिज्यिक फसलें (जूट)
3. एमआईडीएच - सब्जी बीज कंदमूल फसल सहित
4. एएफडीपी - चारा
5. बीजीआरइआई
6. टीआरएफए

च. निगम ने कृषि विस्तार एवं प्रोद्योगिकी के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत निम्न लिखित घटकों के लिए बीज एवं रोपण सामग्री के उप- मिशन में भाग लिया :-

i. राष्ट्रीय बीज आरक्षित (कृषि जलवायु के विपरीत परिस्थितियों में बीज की आपूर्ति के उपायों के सुदृढ़ीकरण हेतु)

(मूल्य रू. लाख में)

2017-18	2016-17
542.64	451.27

ii परिवहन सब्सिडी (दूरदराज के पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु।

(मूल्य रू. लाख में)

2017-18	2016-17
231.39	210.33

छ. निगम ने लो वॉल्यूम, हाई मार्जिन, उचित मूल्यों के सब्जी बीज खंड पर ध्यान केन्द्रित करके विपणन में जोखिम प्रबंधन रणनीति को अपनाया है।

ज. एनएससी ने वर्ष के दौरान 70 निजी बीज कंपनियां/डीलरों को आयात लाईसेंस जारी किए गए जिसमें 23 नये तथा 47 नवीनकरण के लिए थे।

झ. **बीजों का निर्यात :**

(मूल्य रू. लाख में)

2017-18	2016-17
शून्य	263.91

ञ. **डीलर नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण :**

(नये डीलर की नियुक्ति की संख्या)

2017-18	2016-17
198	204

Thus facilitating adoption of newer varieties by farmers as a mission for improving Varietal Replacement Rate (VRR).

e. The Corporation has supplied seeds to various State Govts. under important Schemes implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India. These includes:-
   i) NMOOP- Oilseeds
   ii) NFSM- Rice, Wheat, Pulses, Coarse cereals and Commercial Crops (Jute).
   iii) MIDH – Vegetable including Tuber crops.
   iv) AFDP- Fodder
   v) BGREI
   vi) TRFA

f. The Corporation has participated in the Sub-Mission on Seeds and Planting Material (SMSP) under National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET) for the components of:-

i. National Seed Reserve (for strengthening contingency measures to supply seeds in situation of Agro climatic aberrations).

(Value in Rs. lakhs)

2017-18	2016-17
542.64	451.27

ii. Transport subsidy (for ensuring seed supplies to difficult hilly areas and North East India).

(Value in Rs. lakhs)

2017-18	2016-17
231.39	210.33

g) The Corporation has strategized Risk Management in Marketing by focusing on low volume, high value vegetable seed segment.

h) NSC has issued 70 Nos. of import licence to the Private Seed Companies/Dealers, out of which 23 Nos. are new and 47 Nos. are for renewal.

(i) Export of Seeds:-

(Value in Rs. Lakhs)

2017-18	2016-17
NIL	263.91

(j) Strengthening of Dealers network:-

To ensure the easy availability of quality seed to the Farmers at the remotest place, dealer appointment is being ensured.

(No. of new dealers appointed)

2017-18	2016-17
198	204

ट. निगम ने वर्ष के दौरान छोटे दानों के बीज तथा बिक्री में शेष बचे बीजों से उत्पादित "फार्म सोना" नाम से बीज भवन के बीज बिक्री केंद्र, कृषि भवन एवं फार्मों के माध्यम से लगभग रू. 263.45 क्विंटल मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे गेहूं का आटा, बासमती चावल एवं काबुली चना इत्यादि की बिक्री की है

ठ. **नई पहले**

निगम ने गुणवत्ता् समृद्ध चारा ब्लॉक का विपणन शुरू कर दिया है। वर्ष के दौरान इस मद पर 440.80 क्विंटल को रू. 4.41 लाख में बिक्री की।

ड. वर्ष के दौरान अप्रत्यशित कम कीमत के कारण निगम को बीज की बिक्री में समस्याएं हुई, विशेष रूप से गेहूं ओर चने के बीजों का समाना करना पड़ा चूंकि किसानों ने खरीद के बजाय अपने स्वयं के सहेजे गए बीजों का इस्तेमाल किया। इसके परिणामस्वरूप बीजों की बिंक्री में कमी एवं स्टॉक में बढ़ोत्तरी हई। पूरे देश में बीज उद्योग को इस समस्या का सामना करना पड़ा।

ढ़. **एनएससी फार्मों में मत्स्य बीज उत्पादन एवं निपटान**

वर्ष के दौरान 26,79,900 की संख्या में मत्स्य (फिंगर लिंग) का उत्पादन किया तथा रू. 3.26 लाख राशि में निपटान किया गया।

(xx) <u>अभियांत्रिकी क्रियाकलाप :</u>

निगम का अभियांत्रिकी विभाग फार्मो पर विभिन्न तकनीकी, भूमि एवं जल तथा सिविल गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यो को मौटे तौर पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :-

- फसल उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप
- बीज प्रसंस्करण
- भूमि विकास
- सिंचाई एवं जल निकासी कार्य
- फार्म संरचनाएं
- विविधीकरण एवं नवीन परियोजना

1. **<u>फसल उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप :</u>**

अभियांत्रिक विभाग फसल उत्पादन के लिए जमीन तैयार/परिचालन करने से लेकर कटाई तथा उपज की ढुलाई तक की सभी गतिविधियां करता है । इन क्रियाकलापों के तहत अभियांत्रिक विभाग फार्मो पर निम्नलिखित परिचालन का कार्य कर रहा है ।

क) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक जुताई परिचालन ।
ख) वैज्ञानिक तरीके से बिजाई के लिए भूमि तैयार करना।
ग) बुआई परिचालन।
घ) निराई-गुड़ाई एवं होईगं परिचालन ।
ड) कीटनाशक/फसल पोषक तत्वों के छिड़काव का परिचालन।
च) कटाई/गहाई करना ।
छ) खेतों से सफाई केन्द्रों तक उपज की ढुलाई करना।

उपर्युक्त समयबद्ध कार्यकलापों को पूरा करने के लिए निगम विभिन्न फार्मो पर मशीनरी का एक बड़ा बेडा जैसे पहिये वाले ट्रैक्टर, फसल कटाई मशीन, कृषि औजार एवं वाहन इत्यादि का रखरखाव कर रहा है । सभी मशीनों की मरम्मत एवं रखरखाव फार्मो में ही उपलब्ध मशीनरी कार्यशाला में किया जाता है ।

कृषि कार्यो की सुविधा के लिए निगम ने वर्ष के दौरान अपने स्वयं के संसाधनों से विद्युत पिटलेस टाइप लोरी,धर्मकांटा उपलब्ध कराए हैं और पुरानी मशीनरी को बदला गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

विवरण	**स्थान**	राशि (रू. लाख में)
विभिन्न फार्म उपकरणों की खरीद	के.रा.फा-सरदारगढ, जैतसर एवं सुकिन्दा	25.28
विद्युत पिटलेस टाइप लोरी, धर्मकांटा	एनएससी, चित्तौडगढ, जलगांव, अमरावती एवं मिदनापुर	41.67
कुल		66.95

(k) During the year, the Corporation has sold approx. 263.45 qtls. of value added products namely Wheat Flour, Basmati Rice and Kabuli Chana etc. in the name of 'Farm Sona' produced from undersized, unsold seeds etc. through our outlets at Beej Bhawan, Krishi Bhawan and Farms.

(l) New Initiative:-

The Corporation has started marketing of quality enriched fodder block. During the year there was sale of 440.80 qtls. amounting to Rs. 4.41 Lakhs

(m) During the year, the Corporation faced problems in sale, especially Wheat and Gram Seeds, due to unexpected reduced price and farmers used their own saved Seeds instead of procurement. This resulted in lesser sale and accumulation of seeds stock. Entire Seed Industry in the Country faced this problem.

(n) Production and Disposal of Fish Seeds at NSC Farms:-

During the year 26,79,900 nos. fingerlings were produced and disposed off worth Rs.3.26 Lakhs.

(xx) ENGINEERING ACTIVITIES:

Engg. Division of the Corporation plays vital role in various mechanical, Land & Water and Civil activities at the farms. The activities broadly undertaken by this Division can be classified as under:-

- Crop production related activities.
- Seed Processing.
- Land Development.
- Irrigation and drainage works.
- Farm structures.
- Diversification & Innovative Project.

1. **Crop production related activities** - Engg. Division undertakes all the activities of crop production right from land preparation/operation to harvesting and transportation of produce. Under these activities, following operations are being undertaken by Engg. Division at the farms:-

a) Preliminary and secondary tillage operations.
b) Scientific seed bed preparation.
c) Sowing operation.
d) Inter-culture & hoeing operation.
e) Spraying of pesticides/crop nutrients operation.
f) Harvesting/threshing operation.
g) Transportation of produce from fields to winnowing centers.

To complete above time bound activities, Corporation is maintaining large fleet of machineries like Wheel Type Tractors, Combine Harvesters, Agricultural Implements and vehicles etc. at various farms. Repair & maintenance of all the machines are carried out at the farms itself in machinery workshops.

In order to facilitate agriculture operations more effectively, the Corporation has provided Electronic Pitless Type Lorry Weighbridge & replace old machinery during the year out of its own resources as per the details given below:-

Description	Location	Amount (Rs. in lacs)
Purchase of various Farm implements	CSF Sardargarh, Jetsar and Sukinda	25.28
Electronic Pitless Type Lorry Weighbridge	NSC Chittorgarh, Jalgaon, Amravati and Midnapur	41.67
TOTAL		66.95

2. **बीज प्रसंस्करण संयंत्र :** फसल की कटाई के पश्चात कच्चे बीज को गहाई केन्द्रों तक लाया जाता है । प्रत्येक फार्म पर मोबाइल / पूर्व क्लीनर की सहायता से उत्पाद को सुखाया जाता है व प्रारंभिक सफाई की जाती है । प्रारंभिक सफाई के पश्चात, बीजों को बीज विधायन संयंत्रों में स्थानांतरित करके बीज एवं गैर-बीज को अलग किया जाता है ।

3. **भूमि विकास :**

निगम को विभिन्न कृषि फार्मों पर भूमि सुधार, ठोस भूमि का समतली करण, भूमि को आकार देने के लिए सिंचाई चैनल से गाद निकालने, बाढ़ सुरक्षा बांधों को सुदृढ़ करने हेतु बुलडोजर्स, बेकहो लोडर्स, मोटर ग्रेडर्स, एवं लेजर लेवलर्स इत्यादि उपलब्ध कराए हैं। केन्द्रीय राज्य फार्म, एनएससी, सरदारगढ, जैतसर एवं रायचूर पर फसली क्षेत्र के अंतर्गत अतिरिक्त 205 है0 भूमि को विकसित किया गया ।

4. **सिंचाई एवं जल निकासी :**

सभी फार्मों पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है । राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित सूरतगढ़ और सरदारगढ़ फार्म तथा हरियाणा के हिसार फार्म की सिंचाई भाखड़ा नहर के पानी से की जाती है व राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में स्थित जैतसर फार्म को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से पानी प्राप्त करता है । रायचूर फार्म तुंगभद्रा के पश्चिमी किनारे की नहर से पानी प्राप्त करता है । सभी फार्म नहर के अंतिम छोर पर स्थित हैं तथा अधिकृत जल प्राप्त नहीं कर पा रहें हैं। रायचूर फार्म में जमीन का पानी खारा है और सिंचाई के लिए अनुपयुक्त है । सूरतगढ़/सरदारगढ़ और जैतसर फार्मों पर संरक्षित सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए नहरों के किनारे मीठे पानी को प्राप्त करने हेतु 17 उथले /गहरे नलकूप स्थापित किए गए हैं ।

सिंचाई के पानी की सीमित मात्रा को देखते हुए जल संग्रहण टैंक, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है तथा 275 है0 क्षेत्र में केन्द्रीय धूरी सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है। सिंचाईं क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए हैं ।

क्र.सं.	विवरण	उपलब्धि	राशि (रु.लाख में)	टिप्पणी
1.	जल संग्रहण टैंक (4.05 करोड़ लीटर क्षमता)	03 नं.	90.80	सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के माध्यम से सिंचाई के लिए वर्षा जल/अधिशेष नहरी जल के संग्रहण हेतु।
2.	केन्द्रीय धुरी सिंचाई प्रणाली की स्थापना	275 है0	339.45	सिंचाई के लिए विवेकपूर्ण तरीके से जल का प्रयोग।
3	नालियों का पलस्तर	5.00 कि.मी.	116.99	रिसाव से होने वाले नुकसान में कमी लाने के लिए ।
4	गहरे नलकूपों की स्थापना (3.40 क्यूसेक क्षमता)	17 नं.	41.61	नहरों एवं टैंकों के माध्यम से संरक्षित सिचाई उपलब्ध करवाने हेतु ।

5. **फार्म संरचना एवं क्षेत्रीय कार्यालय :** कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के खर्चे से निम्नलिखित कार्य किए गए, विवरण नीचे तालिकाबद्ध है :-

विवरण	संख्या/क्षमता	राशि (रु.लाख में)	टिप्पणी
बीज भंडारण गोदाम	6/9000 एमटी	541.30	बीजों के सुरक्षित भंडारण सुविधा में वृद्धि हेतु ।
बीज प्रसंस्करण संयेत्र	04/8000 एमटी	193.54	ग्रेडेड बीजों के प्रसंस्करण हेतु।
गैर खेती योग्य भूमि को खेती योग्य/ समतलीकरण में परिवर्तन	205 है0	128.90	कृषि योग्य क्षेत्र में वृद्धि ।

2. Seed Processing Plant - After harvesting of the crop, raw seed is brought to the threshing floors. Drying & preliminary cleaning of produce is being done with the help of Mobile /Pre-cleaners at each farm. After pre-cleaning, the produce is shifted to Seed Processing Plants to segregate Seed and Non-seed.

3. Land Development - Corporation is having bulldozers, motor graders, Backhoe Loader and laser levellers etc. to carry out the land reclamation, rough & fine land leveling, land shaping, desilting of irrigation channel, strengthening of flood protection bunds etc. at various farms of the Corporation. To bring the additional area under crop about 205 ha. at CSF Sardargarh, Jetsar and Raichur farm was developed.

4. Irrigation and Drainage - All the farms are irrigated through canal. Suratgarh and Sardargarh farms located in Sri Ganganagar Distt. of Rajasthan and Hisar in Haryana receive water through Bhakra canal system and Jetsar farm located in Sriganganagar Distt. of Rajasthan receive water through Indira Gandhi Nahar Pariyojna. Raichur Farm receives water through Tungabhadra Left Bank Canal. Farms are located at the tail end of the canal system and not getting authorized discharge. The ground water is brackish and unfit for irrigation at Raichur farm. To extract the seepage water, 17 Nos Deep tube wells have been installed at the bank of canals to provide protective irrigation at Suratgarh, Sardargarh and Jetsar farms.

Considering the limitation of irrigation water, Water Storage Tanks were constructed and Center Pivot Irrigation Systems has been installed in 275 ha. area. To increase the irrigation potential following works were taken up during the year. .

Sl. No.	Description	Achievement	Amount (Rs. in lacs)	Remarks
1.	Water Storage tank (Capacity-4.05 Crores Litres)	03 Nos	90.80	To store rain water/surplus canal water for irrigation through micro irrigation system.
2.	Installation of Center Pivot Irrigation System	275 ha	339.45	To utilize the water judiciously for Irrigation.
3	Lining of water courses	5.00 Kms	116.99	To reduce seepage loses
4	Installation of Deep tube wells (Capacity -3040 Cusec)	17 Nos	41.61	To provide protective irrigation through canals and tanks

5. **Farm Structures & RO** - The following works were carried out with the grant received from DAC & with own expenditure. The details are tabulated below:-

Description	No./Capacity	Amount (Rs. in lacs)	Remarks
Seed Storage Godowns	06 Nos/9000 MT	541.30	For enhancement of safe storage facility of seeds.
Seed Processing Plants	04 Nos/8000 MT	193.54	To process raw seeds.
Conversion of uncultivable land into cultivable land/land levelling	205 ha.	128.90	Increase cultivable area

नई पहलें :-

* पानी की कमी को देखते हुए, विकसित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का विस्तार अधिक क्षेत्र में किया जाएगा ।
* केराफा, जैतसर में एनटीपीसी / एसईसीआई इत्यादि सीपीयू के साथ मिल कर 250 मेगावॉट के सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी ।
* किसानों को सस्ती दरों पर फार्म ट्रैक्टर / कम्बाईन हारवेस्टॉर / उपकरण इत्यांदि उपलब्ध कराने के लिए एनएससी के खेतों में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
* कृषि अपशिष्ट आधारित ब्रेकेलट इकायों और बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन प्रणाली से पराली जलाने की समस्या को दूर किया जाएगा।
* रूट जोन तकनीक से अपशिष्ट जल निर्वहन का उपचार।
* बीज की गुणवत्ता में सुधार एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु पॉलीमर की कोटिंग के लिए बीज कोटिंग मशीन पर कार्य।
* एनएससी को मैकेनिकल इन पोत श्रेरडर एवं कम्पोस्ट एसेंबल (एमआईएससीए) विकेन्द्रितकृत कम्पोस्ट मशीन की आपूर्ति करने के लिए कार्य सौंपा गया है और दो मशीनों को नगर निगम पालमपुर एवं पीजीआईएमआर चंडीगढ को बिक्री की गई है।

(xxi) एमएसईएस आदेश 2012 का अनुपालन :-

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	प्रस्तावित लक्ष्य वर्ष 2018-19
1.	कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में)	3101.00	1083.00	2000.00
2.	एमएसईएस से खरीदे गए माल एवं सेवा की कुल मुल्य (अनु.जा/अनु.ज.जा. उद्यम भी शामिल है)	1777.00	506.00	1160.00
3.	अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम द्वारा सिर्फ एमएसईएस से खरीदे गए माल एवं सेवा की कुल लागत	शून्य	शून्य	शून्य
4.	एमएसईएस से खरीद का % (कुल खरीद में अनु.जा./ अनु.ज.जा. उद्यम द्वारा स्वयं एमएसईएस भी शामिल है)	57.30%	46.72%	58.00%
5.	अनु.जा./अनु.ज.जा. उद्यम द्वारा कुल खरीद के अलावा सिर्फ अनु.जा./अनु.ज.जा. एमएसईएस से खरीद का %	शून्य	शून्य	शून्य
6.	एमएसईएस के लिए विक्रेता विकास कायर्क्रम की कुल संख्या	1	--	1
7.	क्या एमएसईएस से खरीद के लिए वार्षिक प्रापण योजना को वेबसाईट पर अपलेड कर दिया गया है ?	हॉ	हॉ	हॉ
8.	क्या लक्ष्यों को वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है ?	हॉ	हॉ	हॉ

10. **राशि, यदि कोई, जिसे कम्पनी किसी आरक्षित खाते में प्रस्तावित करना चाहती है।**

खर्च न की गई सीएसआर राशि रू. 15.55 लाख, भूमि विकास आरक्षित रू. 32.92 लाख तथा एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश आरक्षित में रु. 459.43 लाख।

11. **राशि, यदि कोई, जिसे कम्पनी लाभांश के माध्यम से भुगतान करने की सिफारिश करती है ।**

इंड एएस के तहत, आगामी वार्षिक आम सभा में लाभांश की घोषणा की जाएगी ।

New Initiatives-

- Looking to the shortage of water, improved Micro Irrigation System will be extended in large area.
- Solar Power plant of capacity 250 MW shall be established at CSF Jetsar in association with CPU's like NTPC/SECI etc.
- Custom Hiring Centers will be established at NSC farms to make available Tractors/Combine Harvesters/Other equipments etc. at affordable cost to Farmers.
- Agro-residual based briquetting units and Biomass Gasifier based Power generation system to overcome the problem of straw burning.
- Treatment of waste water discharges by Root zone technology.
- Seed coating machine for coating of polymers/additives to improve the quality of seed and increase production.
- NSC has been assigned to supply the Mechanical In-vessel Shredder and Composter Assembly (MISCA) decentralized compost machine and 02 Nos machines have been sold to Municipal Corporation Palampur and PGIMER Chandigarh.

(xxi) COMPLIANCE OF MSEs ORDER 2012.

(Figures in lakhs)

S. No.	Particulars	Year 2016-17	Year 2017-18	Proposed target for the Year 2018-19
1.	Total Annual Procurement (In Values)	3101.00	1083.00	2000.00
2.	Total value of goods & services procured from MSEs (including MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs)	1777.00	506.00	1160.00
3.	Total value of goods & services procured from only MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs .	NIL	NIL	NIL
4.	%age of procurement from MSEs (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs out of total procurement .	57.30%	46.72%	58.00%
5.	%age of procurement from only MSEs owned by SC/ST entrepreneur out of total procurement .	NIL	NIL	NIL
6.	Total number of vender development programs for MSEs.	1	---	2
7.	Whether Annual procurement plan for purchases from Micro & small Enterprises are uploaded on the official website.	Yes	Yes	Yes
8.	Whether targets reported in Annual Report.	Yes	Yes	Yes

10. THE AMOUNTS, IF ANY, WHICH COMPANY PROPOSES TO CARRY TO ANY RESERVES.

Rs. 15.55 Lakhs towards unspent CSR amount, Rs. 32.92 Lakhs towards land Development Reserve and Rs. 459.43 Lakhs toward FVTOCI Equity Investment Reserve.

11. THE AMOUNT, IF ANY, WHICH COMPANY RECOMMENDS SHOULD BE PAID BY WAY OF DIVIDEND;

As per Ind-AS provisions, Dividend will be declared in the forthcoming Annual General Meeting

12. **महत्वपूर्ण बदलाव एवं वचनबद्धता, यदि कोई, जिससे कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जिससे कम्पनी के वित्तीय वर्ष के अन्त में वित्तीय विवरणों से संबंधित तथा रिपोर्ट की तिथि पर प्रभाव पड़ता हो ।**

शून्य

13. **ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय :**

(i) **ऊर्जा संरक्षण :** निगम अपने फार्मो एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ ही मुख्यालय में ईंधन एवं विद्युतीय ऊर्जा का संरक्षण कर रही है । इस संबंध में समय-समय पर परिपत्र जारी किए जा रहें हैं कि जब भी अधिकारी/कर्मचारी अपनी सीटों से बाहर जाता है तो वह लाईट, पंखा, एसी, बन्द करके जाएं।फार्म के अधिकारीगण खेत निरिक्षण के समय सामूहिक वाहन का प्रयोग करते हैं ताकि ईंधन की बचत हो सके। ट्रेक्टरों एवं अन्य मशीनरी को स्वचालित बनाकर उनके व्यर्थ परिचालन को बचाकर ईंधन और विद्‌युतीय उर्जा के संरक्षन का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ईंधन की खपत को कम करने के लिए पुरानी मशीनरी को समय समय पर बदला जा रहा है ताकि परिचालन क्षमता बढ़ाई जा सके। निदेशों का अनुपालन एवं निगरानी के लिए औचक निरिक्षण किए जाते हैं।

(ii) **प्रौद्योगिकी आमेलन :** बीज उत्पादन में वृद्धि के लिए निगम, नवीन प्रौद्योगिकी और तकनीकें अपनाता रहा है । सिंचाई क्षेत्र में उपलब्ध पानी से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है । फसलों की बुआई एवं कटाई के लिए नई विकसित मशीनों का उपयोग किया जा रहा है ।

(iii) **विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय-** शून्य

विदेशी मुद्रा व्यय	
विदेश भ्रमण	रू. 1.75 लाख
सदस्यता शुल्क	रू. 3.43 लाख
विदेशी मुद्रा में कुल व्यय	**रू. 5.18 लाख**

14. **कम्पनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति का विकास एवं कार्यान्व्यन का विवरण जिसमें जोखिम के तत्व, यदि जिस पर कंपनी के गठन के पश्चात निदेशक मंडल के विचार:**
निगम ने जोखिम प्रबंधन नीति अपना रखी है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जोखिमों से बचने के लिए जोखिम प्रबंधन के कार्य किए जाते हैं । सभी माल, मशीनरी, मदें, भवन एवं अन्य सामग्रियों का बीमा पालिसी के तहत बीमा करवाया हुआ है । प्रबंधन द्वारा प्रति वर्ष जोखिम से बचने के लिए बीमा पालिसी का मूल्यांकन किया जाता है । विभागाध्यक्षों की एक जोखिम प्रबंधन नीति समिति गठित की गई है, जिसके कार्यवृत्त लेखा परीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किए जाते हैं ।

15. **कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का विकास एवं कार्यान्यवन :**

निदेशक मंडल ने अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में व्यापक सीएसआर नीति का अनुमोदन किया है । सीएसआर नीति को वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है ।

टिप्पणी : सीएसआर के संबंध में पहल एवं सीएसआर नीति का कार्यान्वयन क्रमश: अनुबंध- I एवं अनुबंध- I I पर दिया गया है ।

12. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR OF THE COMPANY TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT;

NIL

13. THE CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO.

(i) **Conservation of Energy:** The Corporation is taking every step to conserve the fuel and electrical energy at the Farms, R.Os and H.O. Time to time circulars are being issued to switch off the light, fans and ACs, whenever the Officer/staff is not available on their seat. Farm Officers are sharing the vehicle for visiting the fields to minimize the fuel consumption. The tractors and other machinery are fitted with self starter to reduce the idle running. Old and outdated machineries are being replaced periodically to reduce the consumption of fuel and to increase the operational efficiency. Effective monitoring and surprise checks are being done for ensuring the compliance of instructions.

(ii) **Technology absorption:** For increasing the seed Production, the Corporation is adopting latest techniques and technology. The Micro Irrigation Systems are being used for increasing more area under irrigation with the available water. Newly developed machines are being used for sowing and harvesting of crops.

(iii) **Foreign exchange earning – Nil**

Foreign exchange outgo

Foreign Travel	Rs. 1.75 Lakhs
Membership Fees	Rs. 3.43 Lakhs
TOTAL EXPENDITURE IN FOREIGN EXCHANGE IS	**Rs. 5.18 Lakhs**

14. STATEMENT INDICATING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A RISK MANAGEMENT POLICY FOR THE COMPANY INCLUDING IDENTIFICATION THEREIN OF ELEMENTS OF RISK, IF ANY, WHICH IN THE OPINION OF THE BOARD MAY THREATEN THE EXISTENCE OF THE COMPANY;

The Corporation is having a Risk Management Policy under which Risk Management is properly done to avoid consequences of risks of all types. Adequate insurance coverages have been made in respect of the Stock, Machinery items, Buildings and other material which are used in the business. The assessment on the Risk is done by Management for the adequate coverage every year to avoid risks. A Risk Management Committee of HODs is in existence whose Minutes of meetings are placed before Audit Committee of the Board and in the Board.

15. DETAILS ABOUT THE POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES TAKEN DURING THE YEAR.

Comprehensive CSR Policy approved by the Board exists in Compliance of the Provisions of the Act. The Policy is also uploaded on the website.

NOTE: Implementation of CSR initiatives and CSR Policy are provided in Annexure-I & II respectively.

आभार :

मैं इस अवसर पर आदरनीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, आदरनीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण), संयुक्त सचिव (बीज) एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परिक्षकों को भी उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं निदेशक मंडल में अपने माननीय सहयोगियों और निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना एवं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन को हरसम्भव मार्गदर्शन, सहयोग व सहायता दी है । मैं शेयर धारकों एवं प्रबंधन की तरफ से केन्द्रीय मंत्रीमंडल, बैंकरों, ग्राहकों एवं अन्य हितधारकों का भी उनके द्वारा निगम को दिए गए सतत सहयोग, विश्वास एवं भरोसे के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अपने आदरणीय हितधारकों के अनमोल समर्थन के साथ जुड़े समर्पित एवं मेहनती कार्यबल के साथ निगम आने वाले वर्षों में उच्च शिखर पर पहुँचेगा और मील का पत्थर साबित होगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह0/-
(विनोद कुमार गौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.09.2018

ACKNOWLEDGEMENTS:

I take this opportunity on behalf of the Board to place sincere thanks and regards to Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers Welfare, the Hon'ble Ministers of State for Agriculture, the Secretary, Agril., Coop. & Farmers Welfare, the Joint Secretary (Seeds) and other Officers in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. I am also grateful to Comptroller and Auditor General of India, the Statutory and Branch Auditors of the Corporation for their support and guidance. I would also like to place on record my sincere thanks and high appreciation to my esteemed colleagues on Board and to all the Officers and staff of the Corporation who have provided every possible guidance, support and assistance to the Management in achieving the targets. On behalf of the Shareholders and Management, I also convey my sincere thanks to the Union Cabinet, Bankers, Customers and other Stake Holders, for their continued support, confidence and trust bestowed upon your Corporation. I am confident that with such dedicated and hard working workforce coupled with valuable support of our esteemed stakeholders and enlarged treasure of resources, Corporation will touch further heights and milestones in the forthcoming years.

By Order of the Board of Directors

Sd/-
(Vinod Kumar Gaur)
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Dated: 04.09. 2018

फैक्स (Fax) : 91-11-25846462, 25842904
वेबसाईट/ Wbsite : www.indiaseeds.com
ई–मेल/ E-mail : nsc@indiaseeds.com

दूरभाष (Phone No.) : 91-11- 25846292, 25846295, 25842383

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड | NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली – 110 012
सीआईएन : U74899DL1963GOI003913
(आईएसओ 9001:2008 एवं14001:2004 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking - Mini Ratna Company)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI - 110012
CIN : U74899DL1963GOI003913
(An ISO 9001:2008 and 14001 : 2004 Certified Company)

सं. एनएससी/55 वीं एजीएम/2018–

दिनांक : 24 नवम्बर, 2018

वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट में मामूली त्रुटि के संबंध में शुद्धि पत्र

सीएसआर गतिविधियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट और वार्षिक लेखों सहित दिनांक 05.09.2018 के एजीएम सूचना के परिसंचरण के बाद, वित्त विभाग द्वारा लिए गए संज्ञान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 की सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में निम्नानुसार आंकड़ों में सुधार किया गया है:–

क्र.सं.	पृष्ठ सं.	पैरा सं.	पुराने आकड़े/रु.	नए आकड़े/रु.
1	31	5(बी) प्रविष्टी क्रम सं. 7	कृपया हटाया गया समझा जाए	-
2	32	5(B) I.	Rs 1,14,07,575/-	Rs 1,12,75,425/-

भवदीय
ह0/–
(मो. राकिम)
कंपनी सचिव

वितरण
1. रोहित माथुर, निदेशक(बीज)कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. अवर सचिव(बीज)कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. एनएससी निदेशक मंडल के सभी सदस्यगण ।
4. बरिष्ठ महा प्रबंधक(वित्त एवं लेखा) नई दिल्ली।

फैक्स (Fax) : 91-11-25846462, 25842904
वेबसाईट/ Wbsite : www.indiaseeds.com
ई–मेल/ E-mail : nsc@indiaseeds.com

दूरभाष (Phone No.) : 91-11- 25846292, 25846295, 25842383

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड | NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली – 110 012
सीआईएन : U74899DL1963GOI003913
(आईएसओ 9001:2008 एवं14001:2004 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking - Mini Ratna Company)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI - 110012
CIN : U74899DL1963GOI003913
(An ISO 9001:2008 and 14001 : 2004 Certified Company)

No. NSC/ 55th AGM / 2018-　　　　Dated: the 24th Nov., 2018

CORRIGENDUM FOR MINOR CORRECTIONS IN ANNUAL C.S.R. REPORT FINANCIAL YEAR 2017-18

Subsequent to the Circulation of AGM Notice dated 05.09.2018 along with Directors' Report including CSR Report, Statutory Auditors Report and Annual Accounts, it has been pointed out by the Finance Division for corrections in the following figures in the Annual Report on CSR activities FY 2017-18 as under:-

S.No.	Page No.	Para No.	Old figures/ Rupees	New figures/ Rupees
1	31	5(B) entry serial No.7	May be treated as deleted	-
2	32	5(B) I.	Rs 1,14,07,575/-	Rs 1,12,75,425/-

Yours faithfully
Sd/-
(Md. Raquim)
Company Secretary

DISTRIBUTION:

1. Shri Rohit Mathur, Director (Seeds), MOA&FW, New Delhi.
2. Under Secretary (Seeds), MOA&FW, New Delhi.
3. All the Board Members, NSC, New Delhi.
4. SGM(F&A), NSC, New Delhi.

फैक्स (Fax) : 91-11-25846462, 25842904
वेबसाईट/ Wbsite : www.indiaseeds.com
ई–मेल/ E-mail : nsc@indiaseeds.com

दूरभाष (Phone No.) : 91-11- 25846292, 25846295, 25842383

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड | NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली – 110 012
सीआईएन : U74899DL1963GOI003913
(आईएसओ 9001:2008 एवं14001:2004 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking - Mini Ratna Company)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI - 110012
CIN : U74899DL1963GOI003913
(An ISO 9001:2008 and 14001 : 2004 Certified Company)

सं. एनएससी/55 वीं एजीएम/2018–

दिनांक : 03 दिसम्बर, 2018

विततीय वर्ष 2017–18 की वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट में मामूली त्रुटि के संबंध में द्वितीय शुद्धि पत्र

सीएसआर गतिविधियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट और वार्षिक लेखों सहित दिनांक 05.09.2018 के एजीएम सूचना के परिसंचरण के बाद, वित्त विभाग द्वारा लिए गए संज्ञान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 की सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में निम्नानुसार आंकड़ों में सुधार किया गया है, जो कि निदेशक मंडल रिपोर्ट के भाग है:–

क्र.सं.	पृष्ठ सं.	पैरा सं.	पुराने आकड़े/रु.	नए आकड़े/रु.
1	30	5(क)कुल	Rs 1,28,30,436/-	Rs 1,34,43,439/-

भवदीय
ह0/–
(मो. राकिम)
कंपनी सचिव

वितरण

1. रोहित माथुर, निदेशक(बीज)कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. अवर सचिव(बीज)कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. एनएससी निदेशक मंडल के सभी सदस्यगण ।
4. बरिष्ठ महा प्रबंधक(वित्त एवं लेखा) नई दिल्ली।

फैक्स (Fax) : 91-11-25846462, 25842904
वेबसाईट/ Wbsite : www.indiaseeds.com
ई–मेल/ E-mail : nsc@indiaseeds.com

दूरभाष (Phone No.) : 91-11- 25846292, 25846295, 25842383

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड | NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली – 110 012
सीआईएन : U74899DL1963GOI003913
(आईएसओ 9001:2008 एवं14001:2004 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking - Mini Ratna Company)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI - 110012
CIN : U74899DL1963GOI003913
(An ISO 9001:2008 and 14001 : 2004 Certified Company)

No. NSC/ 55th AGM / 2018-

Dated: the 03th Dec., 2018

2nd CORRIGENDUM FOR MINOR CORRECTIONS IN ANNUAL C.S.R. REPORT FINANCIAL YEAR 2017-18

Subsequent to the Circulation of AGM Notice dated 05.09.2018 along with Directors' Report including CSR Report, Statutory Auditors Report and Annual Accounts, it has been pointed out by the Finance Division for corrections in the following figures in the Annual Report on CSR activities FY 2017-18 as under forming part of Directors Report :-

S.No.	Page No.	Para No.	Old figures/ Rupees	New figures/ Rupees
1	30	5(A) Total	Rs 1,28,30,436/-	Rs 1,34,43,439/-

Yours faithfully
Sd/-
(Md. Raquim)
Company Secretary

DISTRIBUTION:

1. Shri Rohit Mathur, Director (Seeds), MOA&FW, New Delhi.
2. Under Secretary (Seeds), MOA&FW, New Delhi.
3. All the Board Members, NSC, New Delhi.
4. SGM(F&A), NSC, New Delhi.

अनुबंध - ।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र
(सीओएस. (सीएसआर नीति नियम, 2014 का नियम 08))

1. **कम्पनी के सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का वेबसाईट संदर्भ भी शामिल है ।**

कम्पनी की सीएसआर नीति कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं नियमों के प्रावधानों के आधार पर है । सीएसआर नीति कम्पनी की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर अपलोड की गई है। इसकी एक प्रति निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुबंध-।। पर भी संलग्न है ।

2. **सीएसआर समिति के सदस्य ।**

i श्री वी. के. गौड़, अप्रनि / अध्यक्ष
ii श्री दिनेश अरोड़ा, निदेशक एवं सदस्य
iii श्री वी. मोहन, निदेशक (वित्त) एवं सदस्य
iv श्रीमती प्रतिभा सुमन, सदस्य

3. **कम्पनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसतन निवल लाभ (रू. लाख में)**

i	2014-15	रू. 3705.61
ii	2015-16	रू. 7619.34
iii	2016-17	रू. 7786.46
		रू.19111.41

औसतन कर-पूर्व लाभ रू. 6370.47 लाख

4. **निर्धारित सीएसआर व्यय (जैसा कि उक्त मद सं. 3 पर इंगित राशि का दो प्रतिशत)।**

उक्त 03 में इंगित राशि का 2%	-	रू. 1,27,41,000/-
+पिछले वर्ष खर्च न की गई राशि	-	रू. 84,13,000/-
कुल	-	**रू. 2,11,54,000/-**

5. **वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर पर किए गए खर्च का विवरण :**

(क) प्रथम स्तवरीय सीएसआर समिति की विभिन्नर तारीखों पर हुई बैठकों की सिफारिशों के अनुसार, जिन्हें निदेशक मंडल ने अपने निम्निलिखित बैठकों में अनुमोदित किया। क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय राज्य फार्मों एवं मुख्यालय के प्रस्ताव को निम्न अनुसार अनुमोदित किया गया।

Annexure-I.

FORMAT FOR THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT
(Pursuant to Rule 8 of the Companies (C.S.R. Policy) Rules, 2014)

1. A brief outline of the Company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.

   CSR Policy of the Company is based on the provisions of Companies Act, 2013 and Rules thereunder. CSR Policy is uploaded on the Company's website www.indiaseeds.com. A copy also forms part of Directors' Report at Annexure-II.

2. The Composition of the CSR Committee.
   i. Shri V.K. Gaur, CMD/Chairman
   ii. Shri Dinesh Arora, Director & Member
   iii. Shri V. Mohan, Director (Finance) & Member
   iv. Smt. Partibha Suman, Member

3. Average net profit of the company for last three financial years. (Rs. in Lakhs)

i.	2014-15	Rs. 3705.61
ii.	2015-16	Rs. 7619.34
iii.	2016-17	Rs. 7786.46
		Rs. 19111.41

   Average PBT Rs. 6370.47Lakhs

4. Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above).

2% of the amount in 3 above	= Rs. 127,41,000/-
+ Unspent amount of previous year	= Rs. 84,13,000/-
GRAND TOTAL	**= Rs. 211,54,000/-**

5. Details of CSR spent during the financial year:
   (A) As per recommendations of 1st Tier CSR Committee at their meetings held on various dates which were approved by the Board at its below mentioned Meetings, the following proposal of Regional Offices(RO), Central State Farms (CSF) and Head Office (HQ) were approved:-

क्र. सं.	निदेशक मंडल की बैठक की संख्या एवं तारीख	इकाई/कार्यालय	शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	272 वीं बैठक 30.06.2017	क्षे.का–पटना	गरीब किसानों को सब्जी किट का वितरण	1500000.00
2	272 वीं बैठक 30.06.2017	क्षे.का–लखनऊ	वीएल सिहाई हल का वितरण	37500.00
3	272 वीं बैठक 30.06.2017	क्षे.का–पटना	धान बीज किट का वितरण	225000.00
4	273 वीं बैठक 10.08.2017	के.रा.फा. हिसार/ सूरतगढ़/सरदारगढ़	दिल्ली में फल के पौधों (28000)का वितरण	613003.00
5	273 वीं बैठक 10.08.2017	क्षे.का–पटना	सीमा दीवार का निर्माण	999800.00
6	275 वीं बैठक 29.12.2017	मुख्यालय	स्वच्छ भारत कोष में अंशदान	1000000.006
7	275 वीं बैठक 29.12.2017	मुख्यालय	एचएमसीपीएफ–सीएसआर बैंक में अंशदान	1000000.00
8	275 वीं बैठक 29.12.2017	मुख्यालय	एनएसडीएफ में अंशदान	500000.00
9	275 वीं बैठक 29.12.2017	क्षे.का–लखनऊ	गरीब किसानों को सब्जी किटों का वितरण ।	600000.00
10	275 वीं बैठक 29.12.2017	मुख्यालय	सशस्त्र बल दिवस कोष में अंशदान	1000000.00
11	275 वीं बैठक 29.12.2017	केराफा–रायचूर	आश्रय निर्माण, सरकारी स्कूल में चार दीवारी और स्कूल में वॉटर कूलर की स्थापना।	500000.00
12	275 वीं बैठक 29.12.2017	केराफा–सूरतगढ	आरओ की स्थापना	500000.00
13	275 वीं बैठक 29.12.2017	केराफा–हिसार	शौचालय निर्माण, सरकारी स्कूल में वॉटर कूलर की स्थापना एवं अंध विद्यालय में संगीत वाद्ययंत्र प्रदान किया।	188000.00
14	275 वीं बैठक 29.12.2017	क्षे.का–पूणे	गरीब किसानों को कृषि उपकरण प्रदान करना	500000.00
15	276 वीं बैठक 23.03.2018	केराफा–सरदारगढ,	सरकारी स्कूल में कंप्यूटर कक्ष का निर्माण।	500000.00
16	276 वीं बैठक 23.03.2018	केराफा–जैतसर	सरकारी स्कूल में कमरों का निर्माण	547836.00
17	276 वीं बैठक 23.03.2018	क्षे.का–चंडीगढ	पीने के पानी के लिए आरओ की स्थापना।	500000.00
18	276 वीं बैठक 23.03.2018	केराफ–हिसार	पौधों का वितरण	147800.00
19	276 वीं बैठक 23.03.2018	क्षे.का–पटना	गरीब किसानों को सब्जी किटों का वितरण	1550000.00
20	276 वीं बैठक 23.03.2018	क्षे.का–लखनऊ	गरीब किसानों को सब्जी किटों का वितरण।	600000.00
21	276 वीं बैठक 23.03.2018	क्षे.का–पटना	खरंजा रोड का निर्माण	434500.00
			कुल	12830436.00

ख) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा क्रियाकलाप**	**परियोजना में शामिल क्षेत्र**	**परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) विर्निदिष्ठ करें राज्य एवं जिला जहां पर परियोजना अथवा कार्यक्रम किया जाना है**	**राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार**	**परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की जाने वाली राशि उप-शीर्ष: (1) परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय**	**समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय**	**प्रत्यक्ष अथवा लागु करने वाली एजेन्सी के माध्यम से खर्च की गई**
1	क्षे.का चंडीगढ़ द्वारा आरओ की	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	क्षे.का. चंडीगढ के स्थानीय क्षेत्रों में गतिविधियां की गई।	500000.00	294419.00	294419.00	निविदा के माध्यम से खरीद तथा

S.No.	No. & date of Board Meeting	Unit	Head	Sanctioned Amount
1	272nd held on 30.06.2017	RO, Patna	Distribution of Vegetable kits to poor farmers	1500000.00
2	272nd held on 30.06.2017	RO, Lucknow	Distribution of VL Syhai Hal	37500.00
3	272nd held on 30.06.2017	RO, Patna	Distribution of Paddy seed kits	225000.00
4	273rd held on 10.08.2017	CSF Hissar/SOG/STG	Distribution of Fruit Plants(28000)	613003.00
5	273rd held on 10.08.2017	RO, Patna	Construction of Boundary Wall	999800.00
6	275th held on 29.12.2017	HQ	Contribution to Swachh Bharat Kosh	1000000.00
7	275th held on 29.12.2017	HQ	Contribution to HMCPF-CSR Bank	1000000.00
8	275th held on 29.12.2017	HQ	Contribution to NSDF	500000.00
9	275th held on 29.12.2017	RO, Lucknow	Approval for distribution of vegetable kits to poor farmers.	600000.00
10	275th held on 29.12.2017	HQ	Contribution to Armed Forces Day Fund	1000000.00
11	275th held on 29.12.2017	CSF, Raichr	Construction of Shelters, fencing of Govt. School Boundary and installation of Water cooler in the School.	500000.00
12	275th held on 29.12.2017	CSF, Suratgarh	Installation of ROs	500000.00
13	275th held on 29.12.2017	CSF, Hissar	Constructions of Toilets, installation of Water Cooler in Govt. School and Musical instruments in Blind School.	188000.00
14	275th held on 29.12.2017	RO, Pune	Providing Agril. Equipments to poor farmers	500000.00
15	276th held on 23.03.2018	CSF, Sardargarh	Construction of Computer Room in Government School.	500000.00
16	276th held on 23.03.2018	CSF, Jetsar	Construction of Rooms in Govt. School	547836.00
17	276th held on 23.03.2018	RO, Chandigarh	Installation of ROs for drinking water.	500000.00
18	276th held on 23.03.2018	CSF, Hissar	Distribution of Plants	147800.00
19	276th held on 23.03.2018	RO, Patna	Distribution of Vegetable kits to poor farmers	1550000.00
20	276th held on 23.03.2018	RO, Lucknow	Distribution of vegetable kits to poor farmers.	600000.00
21	276th held on 23.03.2018	RO, Patna	Construction of Kharanja Road	434500.00
			TOTAL	**12830436.00**

(B) The manner and the amount spent during the financial year is detailed below:

1	2	3	4	5	6	7	8
Sr. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the Project is covered	Projects or Programmes (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs **Sub-heads:** (1) Direct expenditure on projects or programs + (2) Overheads:	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
1.	Installation of RO by Chandigarh	Providing safe drinking water	Activity carried in the local areas of Regional Office, Chandigarh	500000.00	294419.00	294419.00	Procurement through tender and installation done internally

2	सीएसएफ, सूरतगढ द्वारा आरओ की स्थापना	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	केराफा–सूरतगढ के स्थानीय क्षेत्रों में गतिविधियां की गई।	500000.00	492400.00	492400.00	निविदा के माध्यम से खरीद तथा आंतरिक स्थापना
3	सीएसएफ, रायचूर द्वारा आरओ और वॉटर कूलर की स्थापना	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	केराफा–रायचूर के स्थानीय क्षेत्रों में गतिविधियां की गई।	500000.00	101410.00	101410.00	बाजार से खरीद तथा आंतरिक स्थापना
4	आरओ, कोलकाता द्वारा सरकारी स्कूल में आरओ सिस्टम की स्थापना	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	केराफा–रायचूर के स्थानीय क्षेत्रों में गतिविधियां की गई।	500000.00	190000.00	190000.00	खुले बाजार से खरीद तथा आंतरिक स्थापना
5	सीएसएफ, हिसार द्वारा स्कूल में वॉटर कूलर की स्थापना	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	केराफा–हिसार के स्थानीय क्षेत्रों में गतिविधियां की गई।	500000.00	47800.00	47800.00	स्थानीय बाजार से खरीद तथा आंतरिक स्थापना
6	आरओ,सिकंदराबाद द्वारा सरकारी स्कूल में जल फ़िल्टर की स्थापना	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	क्षे.का– सिकन्दिराबाद के स्थानीय क्षेत्रों में गतिविधियां की गई।	500000.00	145601.00	145601.00	स्थानीय बाजार से खरीद तथा आंतरिक स्थापना
7	आरओ, चेन्नई द्वारा स्कूल में वॉटर कूलर की स्थापना	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	चेन्नइ के स्थानीय क्षेत्रों में गतिविधियां की गई।	500000.00	47800.00	132150.00	स्थानीय बाजार से खरीद तथा आंतरिक स्थापना
8	आरओ, लखनऊ द्वारा सब्जी किट और हल का वितरण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	क्षे.का– लखनऊ के स्थानीय क्षेत्रों में सब्जी किट एवं हल का वितरण।	2524400.00	2524400.00	2524400.00	निविदा के माध्याम से हल की खरीद तथा आंतरिक रुप से सब्जी बीज कीट वितरण
9	आरओ, पटना द्वारा सब्जी किटों का वितरण और सड़क का निर्माण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	क्षे.का– पटना के स्थानीय क्षेत्रों में सब्जी किट एवं हल का वितरण।	2190660.00	2190660.00	2190660.00	आंतरिक निगरानी में वितरण तथा निविदा के माध्यम से सड़क निर्माण
10	सीएसएफ,सरदारगढ़ द्वारा स्कूल में कंप्यूटर रूम का निर्माण	शिक्षा को प्रोत्साहन	केराफा–सरदारगढ के स्थानीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार।	500000.00	490465.00	490465.00	निविदा के माध्यम से कार्य।
11	सीएसएफ, जैतसर द्वारा स्कूल में कमरे का निर्माण।	शिक्षा को बढ़ावा देना	केराफा–जैतसर के स्थानीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार।	500000.00	496813.00	496813.00	निविदा के माध्यम से कार्य।
12	सीएसएफ, रायचूर द्वारा स्कूल की बाड़	शिक्षा को बढ़ावा देना	केराफा–रायचूर के स्थाफनीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार।	क्र.सं.3 पर इंगित राशि के	159700.00	159700.00	निविदा के माध्यम से कार्य।
13	हिसार के ब्लाइंड स्कूल में हार्मोनियम व तबला का एक	शिक्षा को बढ़ावा देना	केराफा–हिसार के स्थानीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार।	क्र.सं.5 पर इंगित राशि के अलावा	8000.00	8000.00	खुले बाजार से खरीद तथा आंतरिक

2.	Installation of RO by CSF, Suratgarh	Providing safe drinking water	Activity carried in the local areas of CSF, Suratgarh	500000.00	492400.00	492400.00	Procurement through tender and installation done internally
3.	Installation of RO and Water Cooler by CSF, Raichur	Providing safe drinking water	Activity carried in the local areas of CSF, Raichur	500000.00	101410.00	101410.00	Purchased from Local Market and installation monitored internally
4.	Installation of RO System in Govt. School by RO, Kolkata	Providing safe drinking water	Activity carried in the local areas of CSF, Raichur	500000.00	190000.00	190000.00	Purchased from open market and installation monitored internally.
5	Installation of Water Cooler in School by CSF, Hissar	Providing safe drinking water	Activity carried in the local areas of CSF, Hissar	500000.00	47800.00	47800.00	Purchases made locally & installation arranged internally.
6	Installation of Water Filter in Govt. School by RO, Secunderabad	Providing safe drinking water	Activity carried in the local areas of RO, Secunderabad.	500000.00	145601.00	145601.00	Purc hases made locally and installation done internally.
7	Installation of Water Cooler in School by CSF, Chennai	Providing safe drinking water	Activity carried in the local areas of CSF, Hissar	500000.00	47800.00	132150.00	Purchases made locally & installation arranged internally.
8.	Distribution of Vegetable kits & Hal by RO, Lucknow	Eradication of hunger, poverty and malnutrition	Distribution of vegetable kits & Hal in the local areas of RO, Lucknow.	2524400.00	2524400.00	2524400.00	Procurement of Hal through tender and distribution of kits done internally
9.	Distribution of Vegetable kits and construction of Road by RO, Patna	Eradication of hunger, poverty and malnutrition & Rural development	Distribution of vegetable kits and construction of Roads in the local areas of RO, Patna.	2190660.00	2190660.00	2190660.00	Distribution done by monitoring internally and road constructed after bids through tender
10.	Construction of Computer Room in School by CSF, Sardargarh	Promotion of Education	Promotion of education in local areas of CSF, Sardargarh	500000.00	490465.00	490465.00	Work done after inviting tenders.
11.	Construction of Rooms in the School by CSF, Jetsar.	Promotion of Education	Promotion of education in local areas of CSF, Jetsar	500000.00	496813.00	496813.00	Work done after inviting tenders.
12.	Fencing of School by CSF, Raichur	Promotion of Education	Promotion of education in local areas of CSF, Raichur	Out of amount at serial No. 3	159700.00	159700.00	Work was got done after inviting tenders
13.	Providing 1 Harmonium & one set of Tabla in Blind School at Hisar	Promotion of Education.	Promotion of education in local areas of CSF, Hisar.	Out of amount at serial No. 5	8000.00	8000.00	Purchases made from open market and activities done internally.

14	सीएसएफ, रायचूर द्वारा बस स्टॉप शेड का निर्माण।	निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना	केराफा-रायचूर के स्थानीय क्षेत्रों में सुविधाओं का निर्माण ।	क्र.सं.3 पर इंगित राशि के अलावा	199800.00	199800.00	आंतरिक खरीद एवं निगरानी
15	सीएसएफ, हिसार द्वारा 14047 पौधों का वितरण	पारिस्थितिक संतुलन और भूख उन्मूलन सुनिश्चित करना।	सीएसएफ, हिसार द्वारा स्थानीय और विस्तारित क्षेत्रों में वितरण।	क्र.सं.5 पर इंगित राशि के अलावा	306573.00	306573.00	आंतरिक प्रबंधन द्वारा वितरण
16	हिसार द्वारा स्कूल में शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता का प्रसार	स्थानीय सरकारी स्कूल में निर्माण	क्र.सं.5 पर इंगित राशि के अलावा	127384.00	127384.00	निविदा के माध्यम से निर्माण
17	स्वच्छ भारत कोष में अंशदान	स्वच्छता से संबंधित गतिविधियां	एनएससी, मुख्यालय द्वारा सीधे अंशदान ।	1000000.00	1000000.00	1000000.00	निगरानी की आवश्याकता नहीं
18	राष्ट्रीय खेल विकास कोष में अशंदान।	सरकारी निधि में खेल विकास के लिए ।	एनएससी, मुख्यालय द्वारा सीधे अंशदान ।	500000.00	500000.00	500000.00	निगरानी की आवश्याकता नहीं
19	एचएमसीपीएफ-सीएसआर बैंक में अंशदान	स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	एनएससी, मुख्यालय द्वारा सीधे अंशदान ।	1000000.00	1000000.00	1000000.00	निगरानी की आवश्याकता नहीं
20	सशस्त्र सेना दिवस निधि में अंशदान	सशस्त्र बलों इत्यादि के लाभ हेतु उपाय	एनएससी, मुख्यालय द्वारा सीधे अंशदान ।	1000000.00	1000000.00	1000000.00	निगरानी की आवश्याकता नहीं

कंपनी अधिनियम, 2013 आर/डब्ल्यू सीएसआर नीति एवं नियमों की अनुसूची 7 के अंतर्गत शामिल विभिन्न कार्यों पर उपर्युक्त विवरणानुसार रू. 1,14,07,575/- खर्च किए गए।

6 पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसतन निवल लाभ का 02 प्रतिशत खर्च न करने के कारण : -

i- वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए निगम के प्रत्येक इकाई को रू. 05.00 लाख आबंटित किए गए। यह देखा गया है कि कुछ इकाईयों जैसे बैंगलुरू, भोपाल, जयपुर, चैन्नई, सिकंदराबाद एवं कोलकाता ने वर्ष 2017-18 के दौरान आंबटित की गई रु.5.00 लाख की राशि खर्च नहीं किया। उक्त तालिका 5(ख) के तहत इंगित कुछ सीएसआर गतिविधियां पिछले वर्ष के दौरान शुरू हुई थी और इन गतिविधियों को वर्ष 2017-18 के दौरान पूरा किया गया, इसलिए इन्हें 2017-18 के लेखा खातों में दिखाया गया है।

ii- कुछ मामलों में यह देखा गया है कि संबंधित इकाई द्वारा एक से अधिक बार निविदाएं आमंत्रित की परंतु उचित उत्तर न मिलने से सीएसआर गतिविधियां नहीं की जा सकी। कुछ मामलों में सफल बोलीदाताओं ने कार्य नहीं किया। बहुत से मामलों में इकाईयों के प्रस्तावों को दस्तावेजी साक्ष्य की कमी के कारण मुख्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

iii- कुछ राशि जो खर्च के लिए शेष है, वह राशि संबंधित इकाई के द्वारा परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में कर्मचारियों की कमी अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के असहयोग के कारण प्रस्ताव नहीं भेजे गए।

iv- यद्यपि वित्त वर्ष 2017-18 समाप्त होने के पश्चात प्रक्रियाधीन कार्य पर किया गया व्यइय, खर्च न की गई राशि का पता लगाया जाएगा तथा उस राशि को अन्य परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

7. सीएसआर नीति का क्रियान्वयन एवं निगरानी, कम्पनी की सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है ।

ह0/-

(विनोद कुमार गौड़)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

14.	Construction of Bus Stop Shed by CSF, Raichur.	Promoting preventive health care and sanitation	Creating facilities in local areas of CSF, Raichur.	Out of amount at serial No. 3	199800.00	199800.00	Procurement and monitoring of activities done internally
15.	Distribution of 14047 plants by CSF, Hissar	Insuring ecological balance & eradication of hunger.	Distribution in local and extended areas by CSF, Hissar.	Out of amount at serial No. 5	306573.00	306573.00	Distribution managed internally.
16.	Construction of Toilets in School by Hissar	Promotion of Sanitation	Construction got done in local Govt. School.	Out of amount at serial No. 5	127384.00	127384.00	Construction got done through tender
17.	Contribution to Swachh Bharat Kosh	Activities relating to sanitation	Contribution made by NSC, Hqrs. New Delhi directly.	1000000.00	1000000.00	1000000.00	Monitoring not required.
18.	Contribution to National Sports Development Fund.	For Sports Development to the Govt. nominated Fund.	Contribution made by NSC, Hqrs. New Delhi directly.	500000.00	500000.00	500000.00	Monitoring not required.
19.	Contribution to HMCPF-CSR Bank	Promoting Health Care	Contribution made by NSC, Hqrs. New Delhi directly.	1000000.00	1000000.00	1000000.00	Monitoring not required.
20.	Contribution to Armed Forces Day Fund	Measures for the benefit of Armed Forces etc.	Contribution made by NSC, Hqrs. New Delhi directly.	1000000.00	1000000.00	1000000.00	Monitoring not required.

Rs. 1,14,07,575/- have been spent as detailed above on various works covered under Schedule VII of Companies Act, 2013 r/w CSR Policy and Rules.

6. Reasons for not spending in full the two per cent of the average net profit of the last three financial years.

   i. During the year 2017-18, a sum of Rs. 5.00 Lakhs was allocated to each Unit of the Corporation for spending on CSR activities. The Units like Bengaluru, Bhopal, Jaipur, Pune, Chennai, Secunderabad & Kolkata could not utilize the said allocated sum of Rs. 5.00 Lakhs each during the year 2017-18. Some of the CSR activities as shown in the table under point 5(B) are the result of work in progress started during the last year, in respect of the Units concerned and these activities were completed during the year 2017-18 and booked in to the books of accounts of year 2017-18.

   ii. In some of the cases, it has been seen that the Tenders invited by the Units concerned were not responded in more than one round and consequently the activities could not be carried on. In some of the cases, even the successful bidders backed out for the reasons well known to them. In many cases the proposals of the Units were not approved by the Head Office for want of documentary evidence justifying the proposals in the first instance.

   iii. Some of the amount which is remaining unspent is due to non-submissions of the proposals by the Units concerned due to paucity of staff or non-cooperation of the local authorities, to finalize the projects.

   iv. However, after the close of the Financial Year 2017-18, the amount incurred on the work in progress, unspent amount will be ascertained and utilized on other projects which are in hand.

7. The implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

Sd/-

(V.K. Gaur)

Chairman-cum-Managing Director

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-"मिनी रत्न" कंपनी)

(सिन: यू 74899डीएल1963जीओआई003913)

"आईएसओ 9001: 2015 एवं आईएसओ 14001 : 2015 कंपनी"

बेवसाइट - www.indiaseeds.com

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर नीति

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली-110012

दूरभाष : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

NATIONAL SEEDS COPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-**Miniratna** Company)
(CIN: U74899DL1963GOI003913)

"An ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Company"
Website- www.indiaseeds.com

POLICY DOCUMENT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Regd. & Corporate Office

Beej Bhavan, Pusa Complex,
NEW DELHI-110012.

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

प्रस्तावना

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता, कंपनी की हितधारकों के प्रति, आर्थिक, सामाजिक और परिवेश की दृष्टि से स्थायी तौर पर व्यापार का संचालन करने के लिए, एक पारदर्शी और नैतिक प्रतिबद्धता है । हितधारकों में बड़ें पैमाने पर कर्मचारी, निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, व्यापार भागीदार, पक्षधार, नागरिक, सरकारी और गैर- सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, परिवेश और समाज शामिल हैं। यथा कंपनियों से हर समय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए सामाजिक, आर्थिक और परिवेश की दृष्टि से जिम्मेदार तरीके से स्वंय को संचालित करने हेतु उम्मीद की जा रही है ।

कंपनियों की सीएसआर एवं स्थिरता दायित्वों को विनियमित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियम विनिर्दिष्ट कंपनियों हेतु निगमित सामाजिक उत्तरदायत्वि से संबंधित अनिवार्य दायित्वों अनुपालन हेतु प्रदत्त करता है । अधिनियम के अंतर्गत एक नीति तय करने की आवश्यकता है जो कंपनी की सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए । तद्नुसार बोर्ड की सीएसआर समिति द्वारा विचार करने के पश्चात सुनिश्चित और अनुशंसित वर्तमान में तैयार नीति दस्तावेजों पर निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 31.07.2014 को आयोजित 255 वीं बैठक में सीएसआर नीति दस्तावेजों के क्रियान्वयन हेतु अनुमति दे दी है । अधिनियम की अनुसूची - vii में कुछ अनिवार्य परिवर्तनों के कारण वर्तमान सीएसआर नीति को संशोधित किया गया है ।

ह0/-
(वी.के.गौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

PREFACE

Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability is a Company's Commitment to its Stakeholders to conduct business in an economically, socially and environmentally sustainable manner that is transparent and ethical. Stakeholders include employees, investors, shareholders, customers, business partners, clients, Civilians, Government and Non-Government organizations, local communities, environment and Society at large. Thus the Companies are expected to conduct themselves in a socially, economically and environmentally responsible manner at all times for the cause of the National and International Interest.

In order to regulate the CSR and Sustainability obligations of Companies, the Companies Act, 2013 and Rules thereunder provide for Mandatory obligations concerning CSR to be complied with by specified Companies. The Act requires framing of a Policy by the Company which should be recommended by its CSR Committee and approved by Board of Directors. Accordingly, after considering the present Policy document prepared, finalized and recommended by the CSR Committee of the Board, the Board of Directors of the Corporation have approved the CSR Policy Document at its 255th meeting held on 31.07.2014 for implementation . In view of certain mandatory change brought out in Sechdule VII of the Act, the present CSR Policy is being revised.

Sd/-
(V.K.GAUR)
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

निगम की सीएसआर नीति

1.0 उद्देश्य

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत तैयार नियमों तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों (बाद में अधिनियम के रुप में संदर्भित) के अंतर्गत सीएसआर और स्थिरता के प्रावधानों का अनुपालन करना ।

(ii) निगम पर भारत सरकार द्वारा लागू समझौता ज्ञापन के सीएसआर और स्थिरता से संबंधित उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए ।

नोट: वह गतिविधियां जो कंपनी के कर्मचारियों या उनके परिवारों के हित से सीधे या पूरी तरह से संबंधित नहीं हैं, उन्हें सीएसआर गतिविधियों के रुप में स्वीकार किया जाएगा ।

2.0 कार्यक्षेत्र/अवसर

निगम की सीएसआर नीति के दायरे में सभी हितधारकों को कवर किया जाएगा जिनको निगम की इकाईयों के नजदीकी या आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदाय के लिए सामाजिक आर्थिक, पर्यावरण संबंधी और सांस्कृतिक उत्थान की गतिविधियां शामिल होगी और समुदाय के लिए राहत/लाभ/कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा । कंपनी अधिनियम, 2013 साथ संलग्न अनुसूची vii में प्रदत्त एवं कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संशोधित सीएसआर गतिविधियाँ निम्नानुसार है:.

(i) भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करने, निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए योगदान एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्ध करवाना भी शामिल है ।

(ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना और विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गो और शारिरिक रुप से विकंलागों के बीच व्यवसाय कौशल को बढ़ाना और जीविका वृद्धिधारियों को बढ़ाना ।

(iii) महिलाओं को सशक्त बनाने, लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम,दिन देखभाल केन्द्र और इस तरह की अन्य सुविधाओं की स्थापना और सामाजिक व आर्थिक रुप से पिछड़ें, समूहों द्वारा सामाना की जाने वाली असमानताओं को दूर करने के उपाय।

(iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरण सतुंलन, वनस्पति और जीव संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा व पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करना एवं गंगा नदी का पुनरुद्धार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित नमामि गंगे कोष में योगदान देना भी शामिल है ।

(v) राष्ट्रीय धरोहर, इमारतों और ऐतिहासिक प्रभुत्ता व कलाकृति स्थलों की मरम्मत सहित कला एवं संस्कृति का सरंक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारस्परिक कला और हस्तशिल्प का विकास और संवर्धन।

(vi) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के हितलाभ के लिए उपाय।

(vii) ग्रामीण खेल कूद, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल पैरालम्पिक खेल और ओलम्पिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या सामाजिक आर्थिक विकास एवं राहत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किसी अन्य फंड के लिए अंशदान ।

CSR POLICY OF CORPORATION

1.0 Objectives

(i) To comply with the provisions of Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder on CSR and Sustainability, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act).

(ii) To fulfil the MoU obligations as may be imposed upon by Government of India on the Corporation concerning CSR and Sustainability.

NOTE:- Only activities which are not directly or wholly related for the benefit of employees of the Company or their family members shall be considered as CSR activity.

2.0 Scope

The scope of CSR Policy of the Corporation will cover all Stakeholders which will also include socio-economic, environmental and cultural up-liftment activities for the Society at large dwelling in the areas surrounding to or nearby the Units of the Corporation. The focus will be on Community relief/benefits/welfare. The CSR activities as are provided in the Schedule VII appended to the Companies Act, 2013 and amended by MCA from time to time as under:-

i) Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting health care including preventive health care and sanitation including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water;

ii) Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects;

iii) Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;

iv) Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air andm water including contribution to the Clean Ganga Fund setup by the Central Government for rejuvenation of the river Ganga;

v) Protection of national heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art; setting up public libraries; promotion and development of traditional arts and handicrafts;

vi) Measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents;

vii) Training to promote rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports and Olympic sports;

viii) Contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government for socio-economic development and relief and welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes,other backward classes, minorities and women;

(ix) शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबटेरों के लिए अंशदान या धनराशि उपलब्ध करवाना ।

(x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं ।

(xi) स्लम क्षेत्रों का विकास ।

टिप्पणी : – इस मद के उद्देश्य हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित वह क्षेत्र, जिसे 'स्लम क्षेत्र' घोषित किया गया हो ।

3.0 पहल :

3.01 सीएसआर के तहत निम्न चहुंमुखी पहल की जाएंगी :.

i) **निगम प्रवर्तक के रुप में कार्य कर सकता है :** प्रथम चरण पर, निगम समझौता ज्ञापन के दायित्वों की पूर्ति हेतु सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों को क्रियान्वित करेगा । इसके साथ ही निगम अन्य अधिनियम के प्रावधानानुसार अन्य सीएसआर एवं सतत विकास गतिविधियों को अपने स्तर पर किन्तु निर्धारित बजट सीमा के भीतर क्रियान्वित करेगा ।

(ii) **निगम भागीदार के रुप में कार्य करेगा :** निगम एक स्थायी आधार पर कार्पोरेट रणनीति के दायित्व परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए स्वैच्छिक निकायों, स्वायत्त निकायों, सांविधिक ऐजेंसियों, राज्य और केन्द्र सरकार की ऐजेंसियों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से साझेदारी बढ़ाएगा ।

(iii) **निगम सूत्रधार के रुप में कार्य करेगा :** निगम इकाईयों में और उनके आसपास और साथ ही भारत के किसी भी हिस्से में विभिन्न सामाजिक हितलाभ परियोजनाओं के लिए योगदान करेगा ।

(iv) **निगम एक सलाहकार के रुप में कार्य करेगा :** निगम तकनीकी विशेषज्ञता, प्रबंधकीय विशेषज्ञता आदि के मामलें में निम्नलिखित कल्याण और विकास परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करेगा ।

4.0 कंपनी नियम (सीएसआर नीति) , 2014 का विश्लेषण :

27.02.2014 को अधिसूचित कंपनी अधिनियम, (सीएसआर नीति) , 2014 के नियम 2(ग)के अनुसार "निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व" सीएसआर का आशय और सम्मिलित केन्द्र अंतिम नहीं है : (i) अधिनियम की अनुसूची vii में निर्धारित गतिविधियों हेतु संबंधित कार्यक्रम या परियोजनाए अथवा (ii) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में कंपनी की घोषित सीएसआर नीति के अनुसार शुरू की गई परियोजना या कार्यक्रम, बशर्ते ऐसी नीति अधिनियम के अनुसूची साथ में शामिल विषय को कवर करती है, तक ही सीमित नहीं है ।

सीएसआर नीति :

कंपनी अधिनियम (सीएसआर नीति) , 2014 के नियम 2(ड़) के अनुसार "सीएसआर नीति" द्वारा शुरु की गई गतिविधियों जैसे कि अधिनियम की अनुसूची vii में निर्धारित है, और इन पर हुए व्यय, कंपनी के व्यवसायिक सामान्य कोर्स के अनुसार शुरू की गई गतिविधियों को छोड़कर से संबंधित है । धारा 135 (1) के तहत गठित सीएसआर सीमित कंपनी की सीएसआर नीति तैयार करेंगे जो कि निम्नलिखित को सम्मिलित करेंगे (क) अधिनियम के अनुसूची vii के संबंध में आने वाली परियोजना कार्यक्रम जो कंपनी के निष्पादन की एकरुपता / रुप रेखा और उनके कार्यान्वयन को निर्धारित कर रहे है और (ख) ऐसी परियोजना व कार्यक्रम की निगरानी ।

ix) Contribution or funds provided to technology incubators located within academic institutions which are approved by the Central Government;

x) Rural development projects;

xi) Slum area development.

Explanation-For the purpose of this item,the term 'slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force

3.0 Initiatives

3.01CSR strategy will have fourfold initiative as under:

(i) **Corporation may act as Promoter**: In the first instance, the Corporation will take up CSR and Sustainability activities to fulfil MoU obligations. Simultaneously, the Corporation will take up other CSR and Sustainability activities on its own but within over all budgeted limit as per provisions of the Act.

(ii) **Corporation may act as a Partner:** Corporation will be building up partnership with Voluntary Bodies, Autonomous Bodies, Statutory Agencies, State and Central Government Agencies/PSUs, to take up Corporate Strategic Responsibility Projects on a sustainable basis.

(iii) **Corporation may act as Facilitator**: Corporation may make contributions to various Socially Beneficial Projects in and around its Units as well as in any part of India.

(iv) **Corporation may act as a Consultant**: Corporation may extend assistance in terms of technical expertise, managerial expertise, etc. to the following Welfare and Developmental Projects.

4.0 Analysis of Companies (CSR Policy) Rules, 2014:

As per Rule 2(c) of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rule, 2014 notified on 27.2.2014, "Corporate Social Responsibility (CSR)"means and includes but is not limited to: (i) Projects or programs relating to activities specified in S chedule VII to the Act; or (ii) Projects or programs relating to activities undertaken by the board of directors of a company (Board) in pursuance of recommendations of the CSR Committee of the Board as per declared CSR Policy of the company subject to the condition that such policy will cover subjects enumerated in Schedule VII of the Act.

CSR Policy:

Rule 2(e) of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, states that "CSR Policy" relates to the activities to be undertaken by the company as specified in Schedule VII to the Act and the expenditure thereon, excluding activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company. The CSR Committee constituted under section 135(1), shall prepare the CSR Policy of the company which shall include the following; (a) a list of CSR projects or programs which a company plans to undertake falling within the purview of Schedule VII of the Act, specifying modalities of execution of such project or programs and implementation schedules of the same; and (b) monitoring process of such projects or programs.

यद्यपि सीएसआर गतिविधियों में कंपनी के व्यवसायिक सामान्य कोर्स के अनुसरण में, शुरु की गई गतिविधियां शामिल नहीं है आगे निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करें कि कपनी द्वारा सीएसआर नीति में शामिल गतिविधियां अधिनियम की अनुसूची vii में शामिल गतिविधियों से संबंधित है ।

5.0 कंपनियां जिन्हें सीएसआर नीति नियमों का अनुपालन करना है :

नियम 3 : कंपनी नियम (सीएसआर नीति) के नियम 3(1) के अनुसार प्रत्येक कंपनी अपने होल्डिंग व सहायकों को शामिल कर और अधिनियम की धारा 2(42) के तहत परिभाषित उसे विदेशी कंपनी जिसके शाखा कार्यालय या परियोजना कार्यालय भारत में हो, जो अधिनियम की धारा 135 (1) में निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों और इन नियमों का अनुपालन करेंगी । तथापि अधिनियम की विदेशी कंपनी के निवल मूल्य, कारोबार व निवल लाभ की गणना अधिनियम की धारा 198 और धारा 381 (1) (क) के प्रावधानों के अनुसार ऐसी कंपनी के तैयार किए गए तुलनपत्र और लाभ-हानि खातों के अनुसार होगा ।

नियम 3(2) : आगे, नियम 3(2) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जो लगातार 3 वर्षो तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के तहत कवर की गई कंपनी नहीं है तो उसे (क)सीएसआर समिति का गठन, और (ख) उक्त धारा की उपधारा (2) से (5) तक में न्यूनतम प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि यह अधिनियम की धारा 135 (1) में निर्धारित मानदंडों को हासिल नहीं करता है ।

नियम 4(1) : कंपनी को अपने सीएसआर नीति के अनुसार , जैसा कि परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों (या तो नया अथवा चालू) को व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसरण में लिए गए क्रियाकलापों को छोड़कर सीएसआर क्रियाकलाप में लेना होगा ।

नियम 4 (2) : कंपनी का निदेशक मंडल, सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर क्रियाकलापों को किसी पंजीकृत न्यास अथवा पंजीकृत सोसायटी अथवा कंपनी के द्वारा स्थापित सहयोगी कंपनी अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत हिस्सेदारी अथवा सहयोगी कंपनी के माध्यम से अपने सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय कर सकती है । यद्यपि, (i) यदि ऐसे न्यास, सोसायटी अथवा कंपनी के द्वारा स्थापित नहीं है अथवा इसके धारित अथवा हिस्सेदारी सहयोगी कंपनी नहीं है, तो इस तरह के कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं को शुरू करने में 03 वर्षो का एक स्थापित ट्रैक रिकार्ड होगा ।
(ii) कंपनी को इन संस्थाओं के माध्यम से किए जाने वाले इन स्तर के परियोजना अथवा कार्यक्रमों की निगरानी एवं रिपोटिंग तंत्र पर धन के प्रयोग के तौर तरीकों को निर्दिष्ट करना होगा ।

6.0 सीएसआर क्रियाकलापों के लिए संसाधनों की पूलिंग :

नियम 4(3) : कंपनी इस तरीकों से अन्य कंपनियों के साथ भी इन परियोजना अथवा कार्यक्रम अथवा गतिविधियों को संचालित कर सकती है, जिसे कि संबंधित कंपनी की सीएसआर समिति, नियमानुसार इस तरह के परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की अलग से रिपोर्ट देने की स्थिति में हो सके ।

नियम 4(4) : अधिनियम की धारा 135 (5) उपबंधों के अधीन रहते हुए सीएसआर परियोजना अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों को सिर्फ भारत में खर्च करने के लिए ही सीएसआर राशि होगी, भारतीय समाज को सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित किया जाना चाहिए ।

नियम 4(5) : कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, कंपनी के कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों को सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से होने वाले लाभ को सीएसआर गतिविधियों के रुप में नहीं माना जाएगा ।

नियम 4(6) : कंपनियां कम से कम 3 वित्तीय वर्ष स्थापित ट्रैक रिकार्ड के साथ संस्थानों के माध्यम से अपने कार्मिकों के साथ साथ कार्यान्वयन करने वाली ऐजेंसियों के साथ सीएसआर क्षमता का निर्माण कर सकती हैं, परंतु इस तरह का व्यय एक वित्त वर्ष में कंपनी के कुल सीएसआर व्यय का 05x से अधिक नहीं होगा।

However, the CSR activities do not include the activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company. Further, that the Board of Directors shall ensure that activities included by a company in its Corporate Social Responsibility Policy are related to the activities included in Schedule VII of the Act.

5.0 Companies that are required to comply with CSR policy Rules:

Rule 3: Rule 3(1) of Companies (CSR Policy) Rules provides that every company including its holding or subsidiary, and a foreign company defined under section 2(42) of the Act having its branch office or project office in India, which fulfils the criteria specified in section 135(1) of the Act shall comply with the provisions of section 135 of the Act and these rules. However, net worth, turnover or net profit of a foreign company of the Act shall be computed in accordance with balance sheet and profit and loss account of such company prepared in accordance with the provisions of section 381(1) (a) and section 198 of the Act.

Rule 3(2): further, Rule 3(2) states that every company which ceases to be a company covered under section 135(1) of the Companies Act, 2013 for three consecutive financial years shall not be required to (a) constitute a CSR Committee and (b) comply with the provisions contained in sub-section (2) to (5) of the said section, till such time it meets the criteria specified in section 135(1) of the Act.

Rule 4(1): The CSR activities shall be undertaken by the company, as per its stated CSR Policy, as projects or programs or activities (either new or ongoing), excluding activities undertaken in pursuance of its normal course of business.

Rule 4(2): The Board of a Company may decide to undertake its CSR activities approved by the CSR Committee, through a registered trust or a registered society or a company established by the company or its holding or subsidiary or associate company under section 8 of the Act or otherwise: However (i) if such trust, society or company is not established by the company or its holding or subsidiary or associate company, it shall have an established track record of three years in undertaking similar programs or projects; (ii) the company has specified the project or programs to be undertaken through these entities, the modalities of utilization of funds on such projects and programs and the monitoring and reporting mechanism.

6.0 Pooling of resources for CSR activities:

Rule 4(3): A company may also collaborate with other companies for undertaking projects or programs or CSR activities in such a manner that the CSR Committees of respective companies are in a position to report separately on such projects or programs in accordance with these rules.

Rule 4(4): Subject to provisions of section 135(5) of the Act, the CSR projects or programs or activities undertaken in India only shall amount to CSR Expenditure. It implies that the Indian Society must be benefited out of the CSR projects.

Rule 4(5): The CSR projects or programs or activities that benefit only the employees of the company and their families shall not be considered as CSR activities in accordance with section 135 of the Act.

Rule 4(6): Companies may build CSR capacities of their own personnel as well as those of their implementing agencies through Institutions with established track records of at least three financial years but such expenditure shall not exceed five percent of total CSR expenditure of the company in one financial year.

एनएससी NSC

नियम 4(7) :अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी के लए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से किसी भी राशि का अनुदान सीएसआर गतिविधियों के रुप में नहीं किया जायेगा ।

नियम 6 : कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली के नियम 6 में सीएसआर नीति के साथ समझौता नियम 6 (1) के अनुसार कंपनी के सीएसआर नीति में निम्निलिखित शामिल है:-

(क) सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की एक सूची, जिस पर कम्पनी ने अधिनियम की अनुसूची vii के दायरे में इस तरह की परियोजना या कार्यक्रम के निष्पादन के तौर-तरीके एवं उसके क्रियान्वयन के तरीके शामिल किए हों ।

(ख) ऐसी परियोजनायें या कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया। यद्यपि, सीएसआर गतिविधियों में कम्पनी के सामान्य व्यापार की गतिविधियॉ शामिल नहीं हैं । इसके अलावा निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी द्वारा अपनी सीएसआर नीति में शामिल की गई गतिविधियॉ अधिनियम की अनुसूची vii में शामिल गतिविधियों से संबंधित है ।

(ग) सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष :

नियम 6(2) के अनुसार, कम्पनी की सीएसआर नीति में विनिर्दिष्ट होगा कि सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष कम्पनी के लाभ के रूप में नहीं होगा ।

7.00 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची vii के अंतर्गत निर्धारित सीएसआर कार्यकलापों के क्रियान्वयन की कार्य प्रणाली :

7.01 उन्मूलन, भूखमरी, गरीबी इत्यादि :

बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूखमरी, आग, गृहयुद्ध, दंगा, मलेरिया एवं अन्य प्राकृतिक और अप्राकृतिक वातावरण की स्थिति में, जहां पर लोग अपनी आजीविका के लिए पैसा कमाने की स्थिति में नहीं है और आसपास के बाजारों में खाद्यान्न वस्तुएँ उपलब्ध नहीं होती है, जिसके कारण व्यापक भूख, गरीबी, कुपोषण इत्यादि हो जाता है तो इस प्रकार सीएसआर की राशि को ऐसी जगहों पर खर्च किया जाता है, बशर्ते कि ऐसी स्थिति के लिए, स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई हो ऐसी जगहों पर सीएसआर की राशि खर्च की जाती है । इसके अलावा निगम स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बीज उत्पादन एवं अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तथा खाद्यान्न की कमी को कम करने के लिए निगम प्रयासरत रहता है । बजट में सीएसआर राशि उपलब्ध रहने पर, एनएससी केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष में साफ सफाई एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने में योगदान दे सकता है ।

7.02 शिक्षा आदि का संवर्धन :
निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :-

(क) स्थानीय लोगों के बीच साक्षरता लाने में सरकार के मिशन में योगदान करना, जोकि कृषि विषय पर केन्द्रित होगा ।

(ख) सीएसआर बजट की राशि उपलब्ध होने पर, निगम के आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना करना ।

(ग) निगम की ईकाईयों के नजदीकी गॉवों / कालोनियों के निवासियों में साक्षरता को बढ़ावा देना और विशेषकर कृषि संबंधी कार्यो पर प्रशिक्षण प्रदान करना ।

(घ) निगम की ईकाईयों के नजदीकी क्षेत्रों के आदिवासीय क्षेत्रों में विशेष सहायता प्रदान करना जिसमें स्कूल के बस्ते, किताबें और अन्य पठन सामग्री का वितरण तथा छात्रवृत्ति इत्यादि के लिए अनुदान देना शामिल है।

Ruled 4(7): Contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the Act, shall not be considered as CSR activity.

Rule 6: Rule 6 of Companies (CSR Policy) Rules deal with CSR Policy. According to Rule 6(1), the CSR Policy of the company shall, interalia, include the following, namely:-

(a) A list of CSR projects or programs which a company plans to undertaken falling within the purview of Schedule VII of the Act, specifying modalities of execution of such project or programs and implementation schedules for the same; and

(b) Monitoring process of such projects or programs.

However, the CSR activities do not include the activities undertaken in pursuance of normal course of business of a company. Further, the Board of Directors shall ensure that activities included by a company in its CSR policy are related to the activities included in Schedule VII of the Act.

(c) Surplus arising out of CSR activities:

According to Rule 6(2), the CSR Policy of the company shall specify that the surplus arising out of the CSR projects or programs or activities shall not form part of the business profit of a company.

7.00 <u>Modus Operandi on the Implementation of CSR Activities prescribed under Schedule VII of Companies Act, 2013:</u>

7.01 Eradicate hunger, poverty etc.:

In case of flood, drought, cyclones, earthquakes, fires, civil wars, riots, Malaria and other natural and un-natural calamities where the people are not in a position to earn money for their livelihood or edible items are not available in the local & nearby markets due to which pervasive hunger, poverty, malnutrition etc. are prevailing, the CSR funds towards such objects may be deployed provided that such a situation is announced by the local authorities, State Government or Central Government. Besides, Corporation will also make contribution to boost seed production and other agricultural activities for providing means of livelihood to the local employment of people and to curtail the shortage of food grains.Subject to availability of CSR funds in the Budget, NSC may contribute to Swachh Bharat Kosh set-up Central Government for sanitation and making available safe drinking water.

7.02 Promotion of Education etc. :

Following targets are set:-

(a) To contribute Government's Mission in bringing total literacy amongst local people, which will be centralized on agricultural subjects.

(b) Subject to availability of CSR budgeted amount, to establish Schools preferably in the areas nearby the Units of the Corporation.

(c) Promotion of literacy amongst residents of Colonies and villages nearby the Units of the Corporation, with specific attention to provide training and exposure on agricultural related works.

(d) Specific support for tribal students in areas nearby the Units of the Corporation by distribution of school bags, book and other reading materials, grant of scholarships etc.

7.03 लैंगिक समानता, महिलाओं को सशक्त बनाना इत्यादि :

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि के साथ बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, आश्रय प्रदान करने के लिए उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में निगम कंधे से कंधा मिला कर कार्य करेगा । उपरोक्त मामलों में निगम लैंगिकता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा ।

(ख) महिलाओं के लिए समान सुविधा प्रदान करना । यदि किसी भी कारण भेदभाव उत्पन्न होता है तो निगम उसका हल निकालने का प्रयास करेगा, यदि इस प्रकार की शिकायत पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जाती है ।

(ग) निगम सीएसआर की राशि को नियमानुसार, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की योजनाओं के अनुसार इन उद्देश्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य साधनों में भी सीएसआर की राशि का खर्च उठायेगा बशर्ते जहॉ पर निगम की ईकाईयां स्थापित हों ।

7.04 पर्यावरण स्थिरता इत्यादि सुनिश्चित करना :

निगम प्रत्यक्ष तौर पर अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ भागीदारी के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करेगा ।

क) पर्यावरण प्रबंधन इत्यादि पर संवेदनशील कार्यक्रमों का आयोजन ।

ख) पर्यावरण प्रबंधन में हितधारकों की चिन्ता को दूर करने के उपाय ।

ग) सामाजिक उपयोगिता के लिए वृक्षारोपण / ग्रीनबेल्ट विकास / पौध सामग्री अथवा फलों के बीजों /वानिकी / उपयोगिता /सब्जियों आदि के कार्य करना।

घ) समग्र प्रदूषण नियंत्रण के उपाय ।

ड़) महत्वपूर्ण मानदंडों की सतत निगरानी ।

च) बजट में सीएसआर राशि उपलब्ध रहने पर, एनएससी केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित नमामि गंगे कोष में गंगा पुनर्उद्धार के लिए योगदान दे सकता है ।

छ) सीएसआर समिति के निर्णय के अनुसार इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम ।

7.05 राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण जिसमें इमारतों एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्य भी शामिल हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारम्परिक कला और हस्तशिल्प का संवर्द्धन एवं विकास ।

(क) राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण के संबंध में, भारत सरकार का पुरातत्व विभाग सभी ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों का संरक्षक है ।

(ख) निगम बीज के क्रियाकलापों को करता है, इसलिए उपरोक्त कार्यो को करना सम्भव नहीं है जैसा कि उल्लिखित कार्यो में अपने स्वयं का शाखा के या विभाग में उपलब्ध कार्यो को करना सम्भव नहीं है । अत: राशि की उपलब्धता एवं सीएसआर समिति की सिफारिशों की शर्तो पर निदेशक मंडल कुछ सरकारी विभागों / संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार कर सकता है, जो पहले से ही ऐसे कार्यो से जुड़े हुए हों ।

7.03 Promoting gender equality, empowering women etc. :

(a) Corporation will join hands with Central Government, State Government, Local Authorities, Social Organizations, NGOs etc. in attaining the above objectives for the provisions of basic general facilities, education, shelters, dwelling Units etc. No discrimination will be made merely on the basis of gender in any of the above matters.

(b) Equal facilities will be provided to the women class. In case of any causes concerning discrimination, the same will be resolved by corporation if these are reported by the aggrieved concerned.

(c) NSC will also incur expenses of CSR towards other means for facilitating these objectives as per laws, Rules, Schemes of Government of India or the Government of State where Units of the Corporation are located.

7.04 Ensuring environmental sustain ability etc.:
The Corporation will take up following programmes either directly or through partnerships with other PSUs.

a) Organising sensitizing programmes on environment management, etc.

b) Environment Management Measures to address the concerns of stake holders

c) Green Belt Development /distribution/plantation of social utility trees/planting material or seeds of fruits/forest/utility/vegetable etc.

d) Total Pollution Control Measures

e) Continuous monitoring of Vital Parameters

f) Subject to availability of CSR funds, NSC may contribute to the Clean Ganga fund set up by Central Government for rejuvenation of river Ganga

g) Such other programmes as may be decided by CSR Committee.

7.05 Protection of National Heritage, Art & Culture including restoration of Buildings and Sites of Historical Importance and Works of Art, Setting up public Libraries, Promotion and Development of Traditional Art and Handicrafts.

(a) As regards protection of National Heritage etc. the Archaeological Department of Government of India is the custodian of all the Historical Buildings and Sites.

(b) Moreover, the Corporation is engaged in Seed Activities, therefore, it is not possible for it to carry out the above works by making a set up at its own or a wing or a department to work on the targets as mentioned above. Therefore, subject to availability of funds and recommendations of CSR Committee, the Board of Directors may consider the proposal for contributing to some Government Department/ Organizations who are already engaged in taking up these activities.

(ग) सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के संबंध में निगम ऐसे गाँवों एवं क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना कर सकता है, जहाँ पर इसकी ईकाईयाँ हों ।

(घ) पारम्परिक कला एवं हस्तशिल्प में संवर्धन एवं विकास के संबंध में, निगम स्थानीय निवासियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने पर विचार कर सकता है बशर्ते लोक उद्यम विभाग द्वारा, संबंधित वित्त वर्ष के समझौता ज्ञापन में प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया हो ।

7.06 सशस्त्र बलों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के हित के लिए उपाय ।

निगम विशेष रूप से, युद्ध के दौरान ऐसे व्यक्तियों के लिए अधिकतम समर्थन / योगदान देने के प्रयास करेगा । निगम उनको आजीविका का अवसर प्रदान करने का भी प्रयास करेगा ।

7.07 ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल पैरालम्पिक खेल और ओलम्पिक खेलों के लिए प्रशिक्षण ।

बजट की उपलब्धता के अनुसार, निगम की ईकाईयों के आसपास रहने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों को वित्तीय मदद करा सकता है ताकि वे पैरालिम्पिक / ओलम्पिक खेलों में भाग ले सकें ।

7.08 **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक, आर्थिक विकास और राहत के लिए अन्य कोष में अंशदान, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के कल्याण के लिए योगदान के कार्यों को करना ।**

निगम उपरोक्त उद्देश्यों के लिए भी अपनी सीएसआर बजट में से राशि प्रदान करने पर विचार कर सकती है ।

7.9 **केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थाओं के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर को प्रदत्त राशि या अंशदान । इन उद्देश्यों के लिए भारत सरकार द्वारा रख-रखाव की गई संस्थाओं को निगम धनराशि प्रदान कर सकता है ।**

7.10 ग्रामीण विकास परियोजना :

साधारणतय: निगम के फार्म ग्रामीण विकास में स्थापित है जोकि अत्याधिक विकसित नहीं है ओर फार्म न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार देता है बल्कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, पीने का पानी इत्यादि भी उपलब्ध करा रहे हैं । यद्यपि, निगम विशेषकर अपनी इकाईयो व आसपास के क्षेत्रों में परियोजनाओं के माध्यम से अन्य विविधकरण और नवीन गतिविधियों की योजना को लक्षित कर रहा है जिससे ग्रामीण विकास में संतोषजनक वृद्धि हो सकें और समग्र रुप से लाभन्वित हो सके विशेषकर जहां पर निगम की इकाई स्थापित हो अथवा उसके आसपास ।

7.11 स्लम क्षेत्र का विकास :

सीएसआर राशि उपलब्ध रहने पर, एनएससी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित स्लम क्षेत्र विकास में राशि खर्च कर सकता है ।

8.0 बजट का आंबटन :

जब तक निगम की निवल संपत्ति रु. 500 करोड़ अथवा अधिक बनी रहती है अथवा कुल कारोबार रु. 1000/- करोड़ से कम नहीं है अथवा शुद्ध लाभ रु. 5 करोड़ से कम नहीं है । कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निगम ने सीएसआर गतिविधियों पर आगामी 3 वित्तीय वर्षो के दौरान निवल लाभ का कम से कम 2x निर्धारित किया है । औसत शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधान के अनुसार की जाएगी ।

(c) Regarding establishment of a Public Library, Corporation may consider for establishing such Library in the Towns/area where its Units are located.

(d) As regards Promotion and Development of Traditional Arts and Handicrafts, the Corporation may consider to provide Training to the local inhabitants if the stipulation for providing the Training is imposed by DPE in the MoU of the Financial Year concerned.

7.06 Measures for the benefits of Armed Forces veterans, war widows and their dependents.

The Corporation shall endeavour its best to make maximum support/contribution to such persons particularly during war period, if any, and thereafter. The Corporation will also make efforts to provide the opportunities of their livelihood.

7.07 Training to promote Rural Sports, nationally recognized sports, paralympic sports and Olympic sports.

Subject to availability of budget cushion, the Corporation may promote opportunities preferably to the people who are residing in the areas where the Units of the Corporation are located and in case of talented persons, may financially support them to participate in paralympic /Olympic sports.

7.08 Contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government or the State Governments for socio-economic development and relief and funds for the welfare of the Scheduled Casts, Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women.

Corporation may also consider to contribute funds for the above purpose out of the CSR budget.

7.09 Contribution or funds provided to technology incubator located within Academic Institutions which are approved by the Central Government.

The Corporation may contribute to the funds maintained by Government of India for this purpose.

7.10 Rural Development Projects.

Generally the Farms of the Corporation are located in Rural areas which are not very much developed and the Farms are not only providing the employment to the local people but also directly or indirectly providing education, medical facilities, availability of drinking water etc. However, the Corporation may target to plan other diversification and innovative activities through projects which may enhance the degree of Rural Development to a satisfactory level and local population may be benefited from the overall advantages which may accrue by establishing the Rural Projects particularly in the areas where Units of the Corporation are located or in their vicinities.

7.11 Slum Area Developmeny

Subject to availability of CSR funds, NSC will incur amounts on Slom Area Development as declared by Central of State Government or any authority under any law.

8.0 Budget Allocation

So far the net worth of the Corporation remains Rs. 500.00 Crores or more or Turnover remains not less than Rs.1000.00 Crores or a Net Profit remains not less than Rs. 5.00 Crores, the Corporation shall earmark at least 2% of the Average Net Profit of the Corporation made during the three immediately preceding Financial years towards CSR activities in compliance of the Provisions of the Companies Act, 2013. The average net profit shall be calculated as per the provisions of the Section 198 of the Companies Act, 2013.

९.० सीएसआर राशि के लिए आंबटित किए गए राशि को उस वर्ष में खर्च नहीं किए जाने की परिस्थितियॉं :

(क) निगम सीएसआर बजट की राशि उस वर्ष खर्च करना सुनिश्चित करेगा । यद्यपि, किसी भी कारण से राशि खर्च न करने के कारणों को अपने निदेशक मंडलों की रिपोर्ट में बताना होगा। इस मद में बची हुई राशि को अगले वर्ष में खर्च किया जाएगा ।

(ख) निगम के निर्धारित सीएसआर नीति, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित होगी। इसके अलावा,सीएसआर गतिविधियों के तहत व्यय किए गए राशि को भी निदेशक मंडल की रिपोर्ट में बताना होगा और इस संबंध में निगम द्वारा प्रस्तावित गतिविधियां भी परिलक्षित करनी होगी।

10.0 शक्तियों का प्रत्यायोजन :

निगम की सीएसआर नीति के शर्तो के अनुसार, सीएसआर समिति कंपनी की नीतियों को तैयार करेगी जिसमें निम्न शामिल होंगे :-

(i) भावी परियोजनाओं व कार्यक्रमों का उल्लेख,

(ii) सीएसआर परियोजना/कार्यक्रमों की सूची तैयार करना जिसमें लागू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा शुरू करने की योजना हो और चुने हुए क्षेत्रों में क्रियान्वयन एवं निष्पादन के तौर तरीकों को निर्दिष्ट करना ।

(iii) कंपनी की सीएसआर परियोजना/कार्यक्रम, सामाजिक व पर्यावरण संबंधी प्राथमिकताओं के साथ व्यापार मंडल को एकीकृत करने पर ध्यान केन्द्रित करना ।

(iv) कंपनी की सीएसआर नीति में, यह होना चाहिए कि सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष राशि कंपनी के लाभ का हिस्सा नहीं होगी ।

11.0 सीएसआर व्यय :

नियम 7 के अंतर्गत, सीएसआर के खर्चो में, सीएसआर गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं / कार्यक्रमों के लिए कॉर्पस का अंशदान भी शामिल होगा जिन्हें सीएसआर समिति की सिफारिशों पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो । परंतु मद के अनुरुप अथवा गतिविधियों से संबंधित खर्च शामिल नहीं है, जोकि अधिनियम की अनुसूची 7 के दायरे में आते है ।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सीएसआर की रिपोटिंग : नियम 8(1) के तहत 01.04.2014 को अथवा इसके पश्चात प्रांरभिक वित्त वर्ष से संबंधित इन नियमों के तहत शामिल कंपनी की निदेशक मंडल की रिपोर्ट में - सीएसआर नीति,नियम, 2014 को अनुबंध के रुप में शामिल करना होगा। इसके अलावा, विदेशी कंपनियों के मामलें में, नियम 381 के उप नियम (1) (ख) के अंतर्गत दाखिल किए गए तुलनपत्र में सीएसआर से संबंधित रिपोर्ट नियम 8(2) के तहत अनुबंध के रुप में शामिल होगा ।

नियम 9 : सीएसआर गतिविधियों को अपने वेबसाइट पर डालना :
कंपनी का निदेशक मंडल, सीएसआर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लिए सीएसआर नीति का अनुमोदन तथा ऐसी नीतियों की विषयवस्तु का अपनी रिपोर्ट में प्रकटीकरण करेगा और सीएसआर नीति नियम, 2014 के अनुबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार उसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करेगा ।

9.0 Circumstances where the budgeted CSR amount of the Current year is not utilized in the same year.

a. The Corporation will ensure to spend the CSR budgeted amount within the same year. However, if for what so ever reasons, the amount is not spent, the Corporation shall disclose the reasons in its Directors' Report for not spending the amount. The unspent amount will be carried forward for utilization in the next year.

b. The statement that the Corporation has framed a CSR Policy will have to be inserted in the Directors' Report. Moreover, the amount incurred under CSR activities will have to be described in the Directors' Report and all further initiatives proposed by the Corporation in this regard will also be reflected.

10.0 Delegation of Powers:

In terms of the Corporation's CSR Policy, the CSR Committee shall prepare the Policy of the Company which shall include the following:-

i) Specify the projects and programmes that are to be undertaken.

ii) Prepare a list of CSR projects/programmes which a company plans to undertake during the implementation year, specifying modalities of execution in the areas/sectors chosen and implementation schedules for the same.

iii) CSR projects/programmes of a company may also focus on integrating business models with social and environmental priorities and processes in order to create shared value.

iv) CSR policy of the Company should provide that surplus arising out of the CSR activity will not be part of business profits of a Company.

11.0 CSR Expenditure:

Under Rule 7, CSR expenditure shall include all expenditure including contribution to corpus for projects or programs relating to CSR activities approved by the board on the recommendation of its CSR Committee, but does not include any expenditure on an item not in conformity or not in line with activities which fall within the purview of schedule VII of the Act.

CSR Reporting in Board's Report: Rule 8(1) requires that the Board's Report of a company covered under these rules pertaining to a financial year commencing on or after the 1st day of April, 2014 shall include an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure to the CSR Policy Rules, 2014. Further, in case of a foreign company, the balance sheet filed under sub-clause (b) of sub-section (1) of section 381 shall contain an Annexure regarding report on CSR (Rule 8(2).

Rule 9 : **Display of CSR activities on its website:**

The Board of Directors of the Company shall, after taking into account the recommendations of CSR Committee, approve the CSR Policy for the company and disclose contents of such policy in its report and the same shall be displayed on the company's website, if any, as per the particulars specified in the Annexure of CSR Policy Rules, 2014.

12.0 समाज हित में कारपोरेट हेतु महान अवसर :

आर्थिक पर्यावरण के बदलें माहौल में, कारपोरेट समाज के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है । गतिविधियों के संबंध में, अधिसूचना संख्या 1/15/2013–सीएल.बी दिनांक 27.2.2014 की अधिसूचना के द्वारा अनुसूची 7 संशोधित की गई थी जिससे कंपनियों को अपने सीएसआर नीति में शामिल किया था। यह अधिसूचना 01.04.2014 से अस्तित्व में आया ।

13.0 अर्हता प्राप्त कंपनियों द्वारा अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए सीएसआर पहल का प्रारुप :

कंपनियों के लिए अनुबंध (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 निम्नलिखित निर्धारित रिपोटिंग प्रारुप :

(i) कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त रुपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजना अथवा कार्यक्रम का अवलोकन सीएसआर नीति एवं परियोजना अथवा कार्यक्रम हेतु वेबलिंक का संदर्भ भी शामिल है ।

(ii) सीएसआर समिति की संरचना ।

(iii) कंपनी के पिछले 03 वित्तीय वर्षो का औसतन निवल लाभ ।

(iv) निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद संख्या 3) के अनुसार राशि का 2%

(v) वित्त वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण :

(क) वित्त वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि ।
(ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो ।
(ग) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधियॉ	परियोजना क्षेत्र, जिसमें शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (i)स्थानीय क्षेत्र अन्य (ii) विनिर्दिष्ट करें : राज्य / जिला, जहां यह कार्यक्रम / परियोजना शुरु की जानी है ।	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि की रूपरेखा (बजट)	परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष: (i)प्रत्यक्ष व्यय अथवा कार्यक्रम (ii) उपरी शीर्ष	रिपोटिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष अथवा लागू करने वाली ऐजेंसी के माध्यम से *
1	2	3	4	5	6	7	8

* लागू करने वाली एजेन्सी का ब्योरा दें।

12.0 Greater opportunities for corporate to benefit society:

In the changed economic environment, corporate have a greater responsibility to society as a whole. Schedule VII was amended by Notification F.No. `1/15/2013-CL. V, dated 27.2.2014 in respect of activities which may be included by companies in their CSR policies. This notification came into force with effect from 1.4.2014.

13.0 Format for the Annual Report on CSR initiatives to be included in the Board Report by the Qualifying Companies:

The Annexure to the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, prescribe the following reporting format:

1. A brief outline of the Company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.

2. The Composition of the CSR Committee

3. Average net profit of the company for last three financial years.

4. Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above)

5. Details of CSR spent during the financial year;
   (a) Total amount to be spent for the financial year;
   (b) Amount unspent, if any;
   (c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:-

Sr. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or programmes (1) Local area or other (2)Specify the State and di strict where projects or programms was undertaken	Amount outlay (budget) project or programms wise	Amount spent on the projects or programms Sub-heads: (1) Direct expenditure or programms (2) Overheads:	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through impleme nting agency*
1	2	3	4	5	6	7	8

* Give details of implementing agency:

अनुबंध - III

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. निगमित शासन नीति :

आपका निगम लोक उद्यम विभाग के निगमित शासन के दिशा-निर्देश, 2010 का अनुपालन कर रहा है और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहल करते हुए कई प्रमुख कार्य किए हैं जिनका सामान्य जनजीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है ।

यह निगम ईमानदारी पर विश्वास करता है और टिकाऊ सफलता के लिए इसे आवश्यक शर्त मानता है। पारदर्शिता, निष्पक्षता, जबावदेयता और उत्तरदायित्व कम्पनी के व्यापारिक कार्यकलापों के स्तम्भ हैं। निगम की इस पहलात्मक कार्रवाई से सर्वोतम निगमित शासन आचरण अपनाने की निगम की वचनबद्धता को प्रबलता मिलती है।

2. निदेशक मण्डलः

क) निदेशक मण्डल का विस्तारः

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी है, जिसकी कुल चुकता अंश पूंजी का शत प्रतिशत अंश भारत के राष्ट्रपति के पास है। कम्पनी के संस्था अंतर्नियम के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

निगम के संस्था अन्तर्नियम की शर्तो के अनुसार इसके निदेशक मण्डल में दो से कम और पच्चीस से ज्यादा निदेशक नहीं होने चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक अथवा अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

ख) गठनः

लोक उद्यम विभाग के निगमित शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निदेशक मण्डल में कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों का एक इष्टतम सम्मिश्रण होना चाहिए। 31 मार्च, 2018 को निदेशक मण्डल में पॉच निदेशक थे, जिनमें से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, दो स्वतंत्र निदेशक, भारत सरकार की ओर से नामित एक निदेशक तथा एक प्रक्रियात्मक निदेशक शामिल हैं।

ग) निदेशक मण्डल की बैठकें :

निदेशक मण्डल / समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करके समुचित अग्रिम सूचना देने के बाद निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित की जाती हैं। विशेष आवश्यक मामलों पर विचार करने के लिए लघु अवधि की सूचना पर भी बैठकें आयोजित की जाती हैं जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(प्रथम व द्वितीय प्रावधान) के तहत अनुमति दी गई है। संकटकाल अथवा अत्यावश्यकता की स्थिति में, निदेशक मण्डल से परिचालन के माध्यम से भी संकल्प पारित कराये जाते हैं।

निदेशक मण्डल के सदस्यों को समय रहते विस्तृत कार्यसूची, प्रबन्ध रिपोर्ट एवं अन्य व्याख्यात्मक विवरण परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठकों में अर्थपूर्ण, सूचनापरक तथा सकेन्द्रित निर्णय लेने में सुविधा हो। जिन मामलों में किसी दस्तावेज को परिचालित करना व्यवहारिक न हो अथवा कार्यसूची गोपनीय प्रवृति की हो तो ऐसे दस्तावेजों को निदेशक मंडल की अनुमति से बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जाता है।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. CORPORATE GOVERNANCE POLICY:

Your Corporation has been complying with the Corporate Governance Guidelines, 2010 of the DPE and has undertaken major initiatives in several critical areas which impact the lives of the common man in a positive way.

Corporation believes in integrity as a necessary condition for enduring success. Transparency, fairness, accountability and responsibility are the pillars of the Corporation's business activities. The initiative further reinforces the commitment of the Corporation to adopt best corporate governance practices.

2. BOARD OF DIRECTORS:

a) Size of Board

National Seeds Corporation Limited is a Government Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013 as the President of India holds 100% of the total paid-up share capital. As per Articles of Association, the power to appoint Directors vests in the President of India.

In terms of the Articles of Association of the Corporation, the strength of NSC Board shall not be less than two Directors and not more than twenty five Directors. These Directors may be whole-time functional Directors, part-time Directors and Govt. Directors.

b) Composition

As per Corporate Governance Guidelines of DPE, the Board of Directors should have an optimum combination of executive and non-executive Directors. As on 31st March, 2018 the Board comprised five Directors out of which one is full time Chairman cum Managing Director, Two Independent Directors, one director is nominee of Government of India and one whole time Director.

c) Board Meetings

The meetings are convened by giving appropriate advance notice after obtaining approval of the Chairman of the Board. To address specific urgent need, meetings are also being called at a shorter notice as permitted under Section 173(1st & 2nd Proviso) of Companies Act, 2013. In case of exigencies or urgency, resolutions are also got passed by the Board through circulation.

Detailed agenda, management reports and other explanatory statements are circulated in advance in the defined agenda format amongst the members for enabling them to a meaningful, informed and focussed decisions at the meetings. Where it is not practicable to circulate any document or the agenda as being of confidential or emergent nature, the same is tabled at the meeting with the approval of Board.

घ) निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या :

क्र.सं.	निदेशक मंडल की बैठक की संख्या	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख
1.	272वीं	30.06.2017
2.	273वीं	10.08.2017
3.	274वीं	29.09.2017
4.	275वीं	29.12.2017
5.	276वीं	23.03.2018

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतया कंपनी के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती है । वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की 05 बैठकें आयोजित की गई। प्रत्येक निदेशक द्वारा बैठक में शामिल होने की उपस्थिति के साथ-साथ उनका अन्य कंपनीयों में निदेशक पद का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

क्र. सं.	निदेशक	निदेशक मण्डल की बैठकें		अन्य कितनी संस्थाओं में निदेशक है
		आयोजित की गई	शामिल हुए	
1.	श्री वी.के. गौड़ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	5	6
2.	श्री दिनेश अरोड़ा, निदेशक (वित्त)कृ.एवं कि.क.मं.	5	5	**शून्य**
3.	श्री वि. मोहन, निदेशक (वित्त)	5	5	**4**
4.	श्री संजय खताळ, निदेशक (वाणिज्यिक)*	5	3	1
5.	श्रीमति प्रतिभा सुमन	5	5	**शून्य**
6.	डॉ बी.बी. मोहंती, निदेशक **	5	1	**शून्य**

★ 13.10.2017 को कार्यमुक्त हो गए
★★ कलेण्डर वर्ष 2018 में कार्यभार ग्रहण किया

ड.) निदेशकों का पारिश्रमिक :

i) प्रकार्यात्मक निदेशक (रु. लाखों में)

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	सकल परिलब्धियां
1.	श्री वी.के. गौड़ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**रु.** 54.30
2.	श्री वि. मोहन निदेशक (वित्त)	**रु.** 24.27
3.	श्री संजय खताळ, निदेशक (वाणिज्यिक)	**रु.** 34.71

d) **Number of Meetings of the Board**

S.No.	Number of Board Meeting	Date of Board Meeting
1.	272nd	30.06.2017
2.	273rd	10.08.2017
3.	274th	29.09.2017
4.	275th	29.12.2017
5.	276th	23.03.2018

The meetings of the Board of Directors are normally held at the Corporation's Registered Office at New Delhi. 05 Board Meetings were held during the financial year 2017-18. Details of Board meetings attended by each of the Directors along with further details of their directorships in other companies are given below:-

S.No	Directors	Board meetings		No. of other Director-ships
		Held during the period	Attended	
1.	Shri V.K. Gaur Chairman-cum-Managing Director	5	5	6
2.	Shri Dinesh Arora,Director(F), MOA&FW	5	5	Nil
3.	Shri V. Mohan Director (F)	5	5	4
4.	Shri Sanjay Khatal, Director (C)*	5	3	1
5.	Smt. Partibha Suman	5	5	Nil
6.	Dr. B.B. Mohanty **	5	1	NIL

*** Left thereafter (Relieved w.e.f. 13.10.2017).**
**** Joined during the calendar year 2018.**

e) **Remuneration of the Directors**

i) Functional Directors (Rs. in Lakhs)

S.No.	Name & Designation	Gross Emoluments
1.	Shri V.K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director	Rs. 54.30
2.	Shri V.Mohan , Director (F)	Rs. 24.27
3.	Shri Sanjay Khatal, Director (C)	Rs. 34.71

ii) अंशकालिक सरकारी निदेशक :

निगम द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रामिक नहीं दिया गया।

iii) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक :

अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को बैठक शुल्क एवं यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता को छोड़कर अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है।

3. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति कार्यात्मक थी चूंकि निगम में श्रीमती प्रतिभा सुमन स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त थी। तद्नुसार निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें श्रीमती प्रतिभा सुमन अध्यक्ष थी, श्री दिनेश अरोड़ा एवं श्री संजय खताल सदस्य थें। बाद में श्री संजय खताल ने त्यागपत्र दे दिया था।

यद्यपि कुछ माह पश्चात भारत के राष्ट्रपति द्वारा एनएससी के निदेशक मंडल में डॉ. बी.बी. मोंहती को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। जिन्हें लेखा परीक्षा समिति में श्री संजय खताल के स्थान पर रखा गया। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 30.6.2017, 10.08.2017, 29.12.2017 एवं 23.3.2018 को बैठकें हुई।

4. नामाकंन एवं मानदेय समिति का गठन एवं कार्यात्मक:-

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की नामाकंन एवं मानदेय समिति कार्यात्मक थी चूंकि निगम में श्रीमती प्रतिभा सुमन स्ब्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त्त थी। तद्नुसार निदेशक मंडल ने द्वारा नामाकंन एवं मानदेय समिति गठित की जिसमें श्रीमती प्रतिभा सुमन अध्यक्ष तथा श्री दिनेश अरोड़ा एवं श्री आर.के मिश्रा (सरकारी निदेशक) सदस्य के रूप में नामित थें। यद्यपि श्री आर.के. मिश्रा द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सेवाओं से त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप इन्होनें निगम के निदेशक मंडल से भी त्यागपत्र दे दिया।

हालांकि डॉ. बी.बी. मोंहती का स्वंतत्र निदेशक के रूप में नियुक्तह्यो जाने के पश्चात इन्हें श्री आर.के. मिश्रा के स्थान पर सदस्य नामित किया गया है। वर्ष के दौरान नामाकंन एवं मानदेय समिति की 29.12.2017 को बैठक हुई।

5. जोखिम प्रबन्धन :

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुच्छेद 7.3 एवं कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 177 (4) के अनुसरण में, निदेशक मंडल ने निगम की जोखिम प्रबंधन नीति का अनुमोदन कर दिया है । जोखिम प्रबंधन समिति की समय-समय पर हई बैठकों के कार्यवृत्त, लेखा परीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल को प्रस्तुति किए जाते है। इस प्रकार एनएससी ने अपनी परिसम्पत्तियों को किसी प्रकार के चोट, नुकसान या क्षति से रक्षा के लिए अपनी रणनीति के तहत जोखिम प्रबन्धन के लिए वचनबद्ध है, जिससे कि किसानों, कार्मिकों एवं जन साधारण के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने की क्षमता पर असर पड़ेगा । जोखिम प्रबन्धन की प्रक्रिया में, जोखिम का मूल्यांकन, जोखिम के शमन हेतु वर्गीकरण करना और जोखिम के लिए जोखिम उपचार योजना शामिल हैं । निगम की सारी स्थायी परिसम्पत्तियों का बीमा पॉलिसी के तहत बीमा करवाया हुआ है और धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने के लिए निगम में एक समुचित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली है । त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए एवं वर्ष के अंत में संपत्तियों के सत्यापन हेतु मुख्यालय के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वंतत्र सनदी लेखाकारों की नियुक्ति हेतु यहॉ पर स्पष्ट कार्य प्रणाली है । यदि किसी धोखाधड़ी का पता चलता है तो अन्वेषण एवं जांच करने के बाद अनुमोदित कार्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है ।

6 निदेशक की जवाबदेयता-

निगम और भारत सरकार के बीच प्रत्येक वर्ष प्रारम्भ में एक वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें वित्तीय तथा गैर वित्त कार्यक्षेत्रों के लक्ष्य तथा इनकी गुरुता भारत सरकार के परामर्श से नियत किए जाते हैं। वर्ष के अन्त में इन लक्ष्यों की मुलना में निगम के कार्य निष्पादन का जायजाय लिया जाता है। समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य निष्पादन की समीक्षा निगम द्वारा तिमाही आधार पर नियमित रुप से की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कमी कीपहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही की समझौता ज्ञापन की उपलब्धियों की रिपोर्ट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भेजी जाती हैजो कि निगम के निष्पादन का मूल्यांकन करती है और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर लोक उद्यम विभाग (आईएमसी)के कार्य दल द्वारा वार्षिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है तथा ग्रेडिंग प्रदान की जाती है।

*ii) **Part-time Official Director***

No remuneration is paid to the Part-time Official Directors by the Corporation.

*iii) **Part time Non-official Director***

No remuneration other than sitting fee and T.A./D.A. is paid to Part-time Non-official/Independent Directors.

3. AUDIT COMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS:

During the Financial Year 2017-18, the Audit Committee became functional when Smt. Partibha Suman was appointed as Independent Director on the Board of the Corporation. Accordingly Board constituted an Audit Committee comprising Smt. Partibha Suman, Independent Director as Chairperson, Shri Dinesh Arora, Director (Finance) of the Administrative Ministry as well as Director NSC and Shri Sanjay Khatal. Director (Comm.). Subsequently Shri Sanjay Khatal resigned.

However, after few months Dr. B.B. Mohanty was appointed by the President of India as another Independent Director on the Board of NSC who replaced in the constitution of Audit Committee Shri Sanjay Khatal, Director (Comm.), NSC. During the year the Audit Committee held its various meetings on 30.06.2017, 10.08.2017, 29.12.2017 and 23.03.2018.

4. CONSTITUTION AND FUNCTIONING OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS:

During the Financial Year 2017-18, the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Directors became functional in the Corporation due to appointment of an Independent Director i.e. Smt. Partibha Suman. Accordingly Board constituted a Nomination and Remuneration Committee comprising Smt. Partibha Suman, Independent Director as Chairperson, Shri Dinesh Arora, Director (Finance), MOA&FW & Director, NSC and Shri R.K. Mishra, Government Director, MOA&FW. However, due to resignation from the services of MOA&FW, Shri Mishra consequently ceased also from the Directorship of the Corporation and membership from the above Committee.

However, after appointment of Dr. B. B. Mohanty, as Independent Director, he filled the vacancy caused on account of cessation of Shri R.K. Mishra from the Directorship of NSC as Government Director and membership of above Committee as stated above. During the year Nomination and Remuneration Committee held its meeting on 29.12.2017.

5. RISK MANAGEMENT:

In pursuance of Clause 7.3 of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, there is in existence a Risk Management Policy of the Corporation which also fulfils the requirement of Section 177(4) (vii) of the Companies Act, 2013. Risk Management Committee holds its Meetings from time to time whose minutes are placed before Audit Committee and Board. As such, NSC is committed for risk management as an element of its strategy to safeguard the Corporation's assets from any injury, loss or damage that could materially affect its ability to discharge its responsibility towards farmers, employees and other members of the public. Risk management process includes risk identification, risk assessment, risk valuation, categorization and risk treatment plan for mitigation of the risks. All the assets of the Corporation are insured through insurance policies and there is a proper internal control system to check the frauds. There is a clear laid-down practice for appointing the independent Chartered Accountants for all the Regional Offices as well as Head Office for undertaking quarterly internal audit and verification of the assets at the end of the year. Once a fraud is detected, disciplinary action is taken by following the set of approved procedures after conducting investigation and enquiry.

6. ACCOUNTABILITY OF DIRECTORS:

Memorandum of Understanding (MoU) is entered into annually by the Corporation with Government of India (GOI) in the beginning of each year setting the targets in financial and non financial parameters with weightages decided in consultation with GOI. The performance of the Corporation is measured at the end of the year vis-à-vis these targets. The performance with regard to MoU is reported and reviewed regularly within the Corporation on quarterly basis. Slipages, if any, are identified and necessary remedial actions are taken.

At the end of each quarter of the financial year, the MoU achievements Report is furnished to Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and performance of the Corporation is evaluated by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and annually by Department of Public Enterprises Inter Ministerial Committee(IMC) on the basis of actual achievements as per signed MoU and grading is awarded.

7 साधारण सभा बैठक:

वार्षिक सधारण बैठक

पिछली तीन वार्षिक बैठक की तिथि, समय तथा स्थान के बारे में विवरण इस प्रकार है:

तिथि	30.09.2015/ 07.10.2015 (स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक)	30.09.2016/ 21.10.2016 (स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक)	29.09.2017
समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे एवं अपराहन 5.00 बजे	पूर्वाह्न 11.00 बजे / पूर्वाह्न 11.00 बज	पूर्वाहन 10.30 बजे
स्थान	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय	बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	शून्य
उपस्थिति	1. श्री वी.के. गौड़	1. श्री वी.के. गौड़	1. श्री वी.के. गौड़
	2. श्री ए.के. झा, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि	2. श्री ए.के. झा भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि	2. श्री ए.के. झा भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि
	3. श्री ए.के. झा, अवर सचिव (बीज)	3. श्री ए.के. झा अवर सचिव (बीज)	3. श्री ए.के. झा अवर सचिव (बीज)
	4. श्री दिनेश अरोड़ा	4. श्री दिनेश अरोड़ा	4. श्री दिनेश अरोड़ा
	5. श्री वी. मोहन	5. श्री वी. मोहन	5. श्री वी. मोहन
	6. श्री संजय खताळ	6. श्री संजय खताळ	6. श्री संजय खताळ
	7. श्री आर. के. मिश्रा	7. श्री आर. के. मिश्रा	7. श्रीमती प्रतिभा सुमन

8. प्रकटन :

क) सम्बद्ध पार्टी सौदे:

निगम के निदेशकों द्वारा सम्बद्ध पार्टी सौदे के प्रकटीकरण के लिए कोई सूचना नहीे दी है ।

टिप्पणी :

एन.एस.सी. और इसकी सहयोगी कम्पनियों के बीच लेनदेन, क्योंकि ये सभी सरकारी कम्पनियां हैं, जोकि अधिनियम की धारा 188(1) का प्रावधान - iii R/W सरकारी अधिसूचना दिनांक 05.06.2016 के तहत छूट प्राप्त है ।

ख) लेखा व्यवस्था :

वत्तीय विवरण नए कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अधीन लागू नियमों के अंतर्गत आवश्यक रुप से लागू लेखा मानकों और सम्बद्ध प्रदर्शन संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।

9. सम्प्रेषण का माध्यम :

साधारण महा बैठक की सूचना, निगम के परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन, निगम की वैबसाइट:-www.indiaseeds.com पर अपलोड किया जाता हैं । स्टेकहोल्डर्स अपने सम्प्रेषण को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (वित्त) / कम्पनी सचिव को निगम के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली- 110012 पर भेज सकते हैं ।

ई.मेल: cs@indiaseeds.com / फोन नं. 25846295 एवं 25843673

7. **GENERAL BODY MEETINGS:**

Annual General Meetings

Date, time and location where the last three Annual General meetings were held are as under:-

Date	30.09.2015/ 07.10.2015 (Adjourned AGM)	30.09.2016/ 21.10.2016 (Adjourned AGM)	29.09.2017
Time	11.00 AM & 5.00 PM Respectively.	11.00 AM & 11.00 AM respectively	10.30 AM
Venue	Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi	Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi	Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi
Special Resolution	NIL	NIL	NIL
Attendance	1. Shri V.K. Gaur	1. Shri V.K. Gaur	1. Sh. V.K. Guar
	2. Shri A.K. Jha, Representative of President of India	2. Shri A.K. Jha, Representative of President of India	2. Sh. A.K. Jha, Representative of President of India.
	3. Shri A.K. Jha, US (Seeds)	3. Shri A.K. Jha, US (Seeds)	3. Sh. A.K. Jha US(Seeds)
	4. Sh. Dinesh Arora	4. Sh. Dinesh Arora	4. Sh. Dinesh Arora
	5. Sh. V.Mohan	5. Sh. V.Mohan	5. Sh. V. Mohan
	6. Sh. Sanjay Khatal	6. Sh. Sanjay Khatal	6. Sh. Sanjay Khatal
	7. Shri R.K. Mishra	7. Shri R.K. Mishra	7. Smt. Partibha Suman

8. **DISCLOSURES:**

a) **Related Party Transactions**

No notice for disclosure of Related Party Transactions have been given by the Board Members.

NOTE: The dealings between NSC and its Associates Companies, all of which are Government Companies, are exempt pursuant to Proviso III of Section 188 (1) of the Act r/w Govt. Notification dated 05.06.2016.

b) **Accounting Treatment:**

The financial statements are prepared with applicable mandatory Indian Accounting Standards and relevant presentational requirements as per the Companies Act, 2013 and applicable Rules thereunder.

9. **MEANS OF COMMUNICATIONS:**

Notice for AGM, operational and financial performance of the Corporation is uploaded on Corporation's website www.indiaseeds.com. Stakeholders can address their Communications to CMD/D(F)/C.S. of the Corporation at the Registered Office at Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi 110012.

e-mail-cs@indiaseeds.com /Phone No. 25846295 & 25843673

10. **लेखा परीक्षा अहर्ता :**

निगम का हमेशा यह प्रयास रहता है कि शर्त रहित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाऐं । 31मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबन्धन का जवाब निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी में दिया गया है।

11. **कंपनी के अंशधारियों का पेटर्न :**

निगम के शत प्रतिशत अंश भारत के राष्ट्रपति के पास हैं ।

12. **व्हिसल ब्लोअर नीति :**

i . केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार पीआईडीपीआई के तहत शिकायत दर्ज करने के तरीकों को एनएससी की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है ।

ii. लोक आयुक्त, अधिनियम, 2013 के प्रपत्र एवं विवरण को एनएससी की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है ।

iii. सीएजी के लिए रिकार्ड खुला है ।

iv. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 लागू है ।

13. **निगम में सामाजिक उत्तररदायित्व एवं सतत विकास :**

नए कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसार, कम्पनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित प्रावधानों का अनुपालन किया है । निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों पर व्यय हेतु निदेशक मंडल ने सीएसआर बजट का अनुमोदन किया है। निदेशक रिपोर्ट में कारणों का खुलासा करने के पश्चात खर्च न की गई राशि को अगले वर्ष की जाने वाली सीएसआर गतिविधियो पर व्यय किया जाता है। सीएसआर के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों पर इस प्रकार की योजना बनाई गई है कि क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों का असर समाज के चुने हुए हिस्से पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे ।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत है

10. AUDIT QUALIFICATIONS:

It is always the Corporation's endeavour to present an unqualified financial statement. Management's reply to the Statutory Auditors' and CAG's observations on the Accounts of the Corporation for the year ended 31st March, 2018 are forming part of Annual Report.

11. SHAREHOLDING PATTERN OF THE CORPORATION:

100% shares of the Corporation are held by President of India.

12. WHISTLE BLOWER POLICY:

i. Procedure for filing complaint under PIDPI as per CVC guidelines has been uploaded on NSC website.
ii. The details and format of Lokayukt Act 2013 has been uploaded on NSC website.
iii. Records open to CAG.
iv. RTI Act, 2005 is applicable

13. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT:

As per Companies Act, 2013 and Companies (CSR Policy) Rules, 2014, the Corporation complied with the provisions concerning Corporate Social Responsibility. A CSR Budget is approved by the Board every year for expending on CSR activities. Unspent amount is carried over for utilization in next year after disclosure of reasons in Directors' Report. CSR activities are planned in a manner that the impact of implementation programmes becomes visible on the selected segments of society.

The details of different works done under CSR during the year are placed in the Annual Report.

रवि एस. शर्मा एवं एसोसिएटस
कंपनी सचिवगण

<u>निगमित शासन का प्रमाण पत्र</u>

सेवा में,

सदस्यगण,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ,
बीज भवन, पूसा परिसर,
<u>नई दिल्ली –110012</u>

हमने **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** (निगम) द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की, जैसा कि भारी उद्योग एवं लोक उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग,भारत सरकार द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 18(8)/2005–जी एम दिनांक 14 मई, 2010 में परिकल्पित है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है । हमारी जाँच निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा स्वीकार की गई प्रक्रियाओं तथा इनके कार्यान्वयन तक सीमित है । यह न ही वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा है और न ही उन पर विचारों की अभिव्यक्ति है ।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम द्वारा रखे गए रिकार्ड व दस्तावेजों के अनुसार हम सत्यापित करते हैं कि निगम ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) के लिए **लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निर्धारित** निगमित शासन की शर्तो का अनुपालन किया है सिवाय ***(i) निगम के निदेशक मंडल की दिनांक 30.06.2017 को हुई बैठक तीन माह से अधिक अन्तराल के बाद आयोजित की गई। (ii) एक लेखा परीक्षा समिति की बैठक का समय अन्तराल चार माह से अधिक का था।*** यद्यपि हमें यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि निदेशकों, विशेषकर सरकारी निदेशकों के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण निदेशक मंडल की बैठक एवं लेखा परीक्षा समिति की बैठक निमित शासन के दिशानिर्देश में निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी, फिर भी ये बैठकें कंपनी अधिनियम, 2013 नियम 173 के प्रावधान के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित की गई।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य में जीवन क्षमता को आश्वस्त करता है और न ही निगम के कार्यकलापों से संचालन में प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता का द्योतक है ।

कृते रवि एस. शर्मा एवं एसोसिएटस
कंपनी सचिव

ह0/–
रवि एस. शर्मा
(प्रोपराईटर)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2018

कार्यालय : 2749, चतुर्थ तल, मैन पटेल रोड, रंजीत नगर, नई दिल्ली–110008
Tel /Fax :+91-11-25701748 Mob : +91-9310675151, 8447444929, Email: csravisharma@gmail.com

Ravi S. Sharma & Associates
Company Secretaries

CERTIFICATE OF CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of
National Seeds Corporation Ltd.
Beej Bhawan, Pusa Complex,New Delhi-110012

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by **National Seeds Corporation Limited**, ["the Corporation "] for the year ended on 31st March 2018, as envisaged in the Office Memorandum No. 18(8)/2005-GM dated 14th May , 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India.

The compliance of the condition of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof , adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and according to the records and documents maintained by the Corporation, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance, as stipulated in the guideline on corporate governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) except ***(i) First Board meeting dated 30.06.2017 of the corporation was held after the gap of more than three months; & (ii) The time gap between one Audit Committee meeting exceeded more than four months.***"However, it was explained to us that due to pre-occupations of the Directors particularly Goverment Directors, the Board meeting & the Audit Committee Meeting could not be scheduled within the time limit prescribed under the Corporate Governance Guidelines nonetheless the meeting was within the time limit as per provision of Section 173 of the Companies Act,2013".

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For, Ravi S Sharma & Associates
Company Secretaries

Sd/-
Ravi S Sharma
(Propritor)

Place : New Delhi
Date : 11.08.2018

Office : 2749, 4th Floor, Lane No.13, Main Patel Road, Ranjeet Nagar, New Delhi-110008,
Tel /Fax :+91-11-25701748 Mob : +91-9310675151, 8447444929, Email: csravisharma@gmail.com

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली.
Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member Audit Board -IV, New Delhi

<u>गोपनीय</u>

सं0 : 709-पीडीसीए/एमएबी- iv/एचएस/लेखा/एनएससी/2018-19/5506
दिनांक : 15.11.2018

सेवा में,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली - 110012

विषय : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां ।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां / प्रमाण पत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,
ह0/-
(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड. IV

संलग्न: उपरोक्त

आठवीं व नवीं तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002.
8th &9th Floor, Annexe Building,10, Bhadur Shah Zafer Marg,New Delhi-110002
Tel./ दूरभाष : 23239413,23239415,23239419,23239420, फैक्स / Fax :23239416
ईमेल / email: mabNewdelhi4@cag.gov.in

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली.
Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi.

गोपनीय

स. 709-पी.डी.सी.ए/.ऍम.ए.बी.-IV/एच्.एस/A/cs/NSC/2018-19/ 5506
दिनांक :- **15.11.2018**

सेवा में,

The Chairman-cum-Managing Director,
National Seeds Corporation Limited,
Beej Bhawan, PUSA Complex,
New Delhi - 110012

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013के अनुच्छेद 143(6)(b) **के अंतर्गत National Seeds Corporation Limited के** 31 **मार्च** 2018 **को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां**

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत **National Seeds Corporation Limited** के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर **Comment** प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्न :यथोपरि

(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड – IV

-133-

आठवाँ व नवाँ तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8th & 9th Floor, Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel. / दूरभाष : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फैक्स / Fax : 23239416,
ईमेल / Email : mabNewdelhi4@cag.gov.in

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां:-

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विनिहित वित्तीय सूचना की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम का वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार स्वतंत्र रूप से किए गए लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 16.08.2018 के अनुसार यह बताया गया है कि उन्होंने ऐसा कर लिया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को 2018 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा कर ली है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कागजातों को बिना देखें, स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कम्पनी के कर्मचारियों से की गई पूछताछ और कम्पनी के कुछ लेखा रिकार्डो की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित रही है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्न लिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागार करना चाहूँगा जो मेरे संज्ञान में आ गए हैं और मेरे विचार से वित्तीय विवरणों एवं संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एक बेहतर ढ़ग से समझने के लिए आवश्यक है।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी
चालू संपत्तियां
व्यापार प्राप्य रू. 24,587.85 लाख (टिप्पणी 13)
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए अलाउन्स रू. 794.31 लाख

उपर्युक्त में छह साल से अधिक के लिए सरकारी पार्टियों से बकाया व्यापार प्राप्तियाँ और तीन साल से अधिक के लिए निजी पार्टियों से बकाया रू. 205.26 लाख की राशि शामिल नहीं है, जिसके लिए लेखा नीति 2.2xxi (च) के अनुपालन में कंपनी द्वारा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के प्रावधान किए जाने चाहिए थे । इसके गैर प्रावधान के कारण वर्ष के लिए व्यापार प्राप्तियां एवं लाभ में रू. 205.26 लाख अधिक बताया गया है।

ख. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी
कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के अनुपालन में स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट के पैरा 1(सी) में टिप्पणी की गई है कि अचल परिसंपत्तियों के पट्टा विलेख (टाइटल डीड) कंपनी के नाम पर हैं, जोकि गलत है। स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई उक्त टिप्पणी उनके रिपोर्ट के "उचित राय का आधार" के पैरा (1) में दी गई टिप्पणी के साथ असंगत है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक ओर महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों का उत्तर के पैरा (ए) में, जहां पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा पट्टा विलेखों के गैर निष्पादन/गैर-अनुपलब्धता और विभिन्न संपत्तियों की लीज राशि को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है।

ग. अन्य टिप्पणी
कंपनी के पास विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से प्राप्त रू. 2286.84 लाख (टिप्पणी 21) की पूंजीगत अनुदान की खर्च न की गई राशि है जबकि यह शर्त थी कि अनुदान केवल इसे जारी किए जाने वाले उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाएगा जिसके लिए यह राशि जारी की गई है। कंपनी ने नकद क्रेडिट खाते में खर्च न की गई अनुदान राशि रखी हुई है और इसे कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किया है, जोकि सरकारी अनुदान के इच्छित उद्देश्य के विरूद्ध है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से
ह0/-
(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड- IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15.11.2018

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

The preparation of financial statements of National Seeds Corporation limited for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statuary auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 16th August, 2018.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Seeds Corporation Limited for the year ended 31 March, 2018 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working paper of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comment on financial Position

Current Assets
Trade receivable ₹ 24,587.85 lakh(Note 13)
Allowances for bad and doubtful debts ₹ 794.31 lakh

The above does not include an amount of ₹ 205.26 lakh being the trade receivables from Government Parties outstanding for than six years and from private parties outstanding for more than three years for which provision for bad and doubtful debts should have been made by the company in pursuance of its accounting policy 2.2xxi(f). Non provision of the same has resulted in over statement of the trade receivables and profit for the year by ₹ 205.26 lakh.

B. Comment on Independent Auditors' Report

The comment made by the Independent Auditor in para 1 (c) of its report on compliance to Companies (Auditor's Report) Order,2016 that title deeds of immovable properties are held in the name of the company, is incorrect. The said comment made by the Independent Auditor is also inconsistent with comments made in para (1) of 'Basis for Qualified Opinion' of his report and in para (a) of reply to directions issued by Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 where Independent Auditor mentioned about non-execution/non-availability of title deeds /lease deeds and non finalization of lease amount in respect of certain properties.

C. Other Comment

The Company has an unspent amount of capital grant of ₹ 2286.84 lakh (Note 21) received from Government of India for implementation of various schemes with condition that grant shall be utilised only for the purpose it has been released. The Company has kept unspent grants in cash credit account and used it to meet its working capital requirements which is against the intended objective of the government grants.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place : New Delhi
Date : 15.11.2018

Sd/-
(Rajdeep Singh)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex- Officio Member, Audit Board-IV

ललित गुप्ता एडं एसोसियेटस के निमित्त
(सनदी लेखाकार)
412, अरूणांचल भवन, 19-बाराखंभा रोड़
नई दिल्ली-110001
दूरभाष सं0 : 011-23717400, 23719600

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ("कंपनी")के अद्वितीय इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण तथा उक्त तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है । इन वित्तीय विवरणों में मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय-चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ एवं भोपाल भी सम्मिलित हैं, के लेखों की लेखा परीक्षा हमने की है तथा 6 अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों चैन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता एवं पटना तथा 05 फार्मों सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर, हिसार एवं रायचूर के लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के महा लेखा परीक्षक एवं नियंत्रक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है जिनको हमने अपने रिपोर्ट के आधार पर विचार कर लिया है ।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम)की धारा 134 (5)में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के तहत इन अद्वितीय वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही रुप से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है,जिसमें निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, नकदी प्रवाह विवरण में विनिर्दिष्ट लेखा मानक और भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखाकंन सिद्धांतों के अनुसार विशिष्ट तया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम)की धारा 133 के साथ कंपनी (लेखा)नियम 2014 का नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, शामिल है। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा अभिलेख तैयार करना, कंपनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखना और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाना एवं पता लगाना, उचित लेखाकंन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करना, अनुमान लगाना और निर्णय करना जोकि उचित एवं विवेकपूर्ण हों और डिजाईन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, लेखा अभिलेखों का उचित रख रखाव, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयार की जाने की प्रांसगिकता शामिल है, जो लेखा अभिलेखों की पूर्णतया: और शुद्धता सुनिश्चित करें एवं शुद्ध एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके और जो सामग्री के गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, से मुक्त हों ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है ।

लेखा परीक्षा के दौरान, हमने अधिनियम के प्रावधान एवं इसके नियमों के तहत लेखाकंन एवं अंकेक्षण मानकों और अन्य को शामिल किया है, जोकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट बनाने में आवश्यक थे ।

हमारी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10)के अंतर्गत अंकेक्षण के मानकों के अनुरूप है । उन मानकों में नैतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप अंकेक्षण किया जाना एवं इन लेखा मानकों की आवश्यतानुसार योजना बनाना और अंकेक्षण हेतु उचित आश्वासन प्राप्त करना ताकि वित्तीय विवरण गलत सामग्री से मुक्त हो ।

LALIT GUPTA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS
412,ARUNACHAL BUILDING,
19,BARAKHAMBA ROAD,
CONNAUGHT PLACE
NEW DELHI-110001
Tel: 011-23717400,23718900
E-mail:lga_lkg@rediffmail.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Report on the Ind AS Financial Statements

We have audited the accompanying standalone Ind AS Financial Statements of **NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED ("the company"),** which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2018 and the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these Ind AS Financial Statements are the accounts of the Head Office and Regional Offices at Chandigarh, Jaipur, Lucknow and Bhopal audited by us and six other Regional offices at Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Kolkata and Patna and five other Farms at Suratgarh, Sardardgarh, Jetsar, Hisar and Raichur audited by branch auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India whose reports have been considered by us in framing our report.

Management's responsibility for the Ind AS Financial Statements

The Management is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone Ind AS Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, cash flows and the changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Ind AS Financial Statements based on our audit.

While conducting the audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters, which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and rules made there under.

We conducted our audit in accordance with standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS Financial Statements are free from material misstatement.

एक लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और खुलासों के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियायें शामिल हैं। इंड एस वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत विवरणों, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण जोखिमों के मूल्याकंन सहित, चयनित प्रक्रियायें लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। इन जोखिमों का आंकलन करने में लेखा परीक्षक परिस्थितिनुसार सुव्यवस्थित ढ़ंग से लेखा परीक्षा प्रक्रिया नियत करने के क्रम में कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुती के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते है । एक लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकंन नीतियों के औचित्य और कंपनी के निदेशकों द्वारा अनुमानित लेखाकंन की तर्कसंगतता का मूल्याकंन के साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतियों का मूल्याकंन भी शामिल है ।

हमारा यह मानना है कि वित्तीय विवरण के संदर्भ में, हमें एवं शाखा लेखा परीक्षकों को जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त हुए है एवं उपलब्ध कराए गए है वह हमारे अद्वितीय इंड एस वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षण राय के लिए उचित एवं पर्याप्त है ।

उचित राय का आधार

1. टिप्पणी संख्या 44 – कुछ कार्यालयों की जमीन के भुगतान विवरण तथा पट्टा विलेख उपलब्ध न होने तथा हक विलेखों/पट्टा विलेखों का निष्पादन न होना/अनुपलब्धता तथा कुछ संपत्तियों की पट्टा राशि को अंतिम रूप दिए जाने तक, उनका लेखाओं पर वित्तीय प्रभाव, यदि कोई, का पता नहीं चल सका है ।

2. टिप्पणी संख्या 53.1– व्यापार प्राप्य,ऋण एवं अंग्रिम, अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण / पुनर्गणना के अध्याधीन है। लेखों पर इस तरह की पुष्टिकरण / पुनर्मिलान पर उसका परिणामी समायोजन का सटीक प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं चल सका है ।

3. निगम के इंड एएस वित्तीय विवरणों (शाखाओं सहित)में प्राप्त अनुदानों से संबंधित जमा शेष राशि रू0 32,45,194/–शामिल है, जिसका समाधान नहीं किया गया है।और आगे, निगम के पास इसे प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि, जिस प्रकार निगम प्रबन्धन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह क्रेडिट शेष निगम द्वारा विगत वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों से संबंधित है, जिसका उपयोग पिछले वर्षो के दौरान अपेक्षित प्रयोजन के लिए किया गया, परन्तु निगम के पास इसे सत्यापित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं ।

4– राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार ने निगम को खेती के लिए फार्मो के प्रयोग का अधिकार दिया है। परंतु निगम के पास इन फार्मो के मालिकाना हक के रुप में कोई क़ागजात/पट्टा विलेश /पट्टानामा/करार उपलब्ध नहीं है ।

5– पूर्ववर्ती एसएफसीआई के पाँच फार्मो की निवल ऋण शेष रु.5,14,55,512/– की राशि वित्तीय विवरणों में टिप्पणी संख्या 16 बी के तहत “अन्य प्राप्य” के रुप में दिखाई जा रही है। ये फार्म जैसे कि लाडोवाल, रायबरेली, बईराईच, मिजोरम ,वेगम क्रमशः वर्ष 1999, 2005, 2012ऋ 1970 एवं 2001 में बंद हो चुके थे।हमारी राय में, इन फार्मो की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को अलग से दिखाई जानी चाहिए।

6– निगम ने परिसंपत्तों की हानि के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक इंड एस 36 के तहत संपत्तियों की हानि का निपटने के लिए आवश्यक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिसंपत्तियाँ उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं है। लाभ पर इसका प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है ।

7. निगम के पास लगभग 20 सालों से भूमि राजस्व व्यय परिशोधन(mortising) पालिसी है । हमारी राय में, लीज़ के लिए लेखों पर इंड ए एस 17 के अनुसार भूमि विकास व्यय, लीज अवधि में परिशोधित किया जाना चाहिए । हालांकि, लीज़ विलेखों के अभाव में, निगम के लाभ पर प्रभाव का पता नहीं चल सका ।

8. सूरतगढ़ फार्म स्थित भूमि एवं भवन (शूटिंग) लॉज का मोटेशन होना लम्बित है ।

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Ind AS Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors considers internal financial control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the Ind AS Financial Statements that give a true and fair view, in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the Ind AS Financial Statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and Branch and others auditors, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the accompanying Ind AS Financial Statements.

Basis for Qualified Opinion:

1. Note No. 44 regarding non-availability of details of payment for land and lease deeds in respect of certain offices and non-execution/non-availability of title deeds/lease deeds and finalization of lease amount in respect of certain properties, the financial impact of which , if any, is not ascertainable.

2. Note no. 53.1 regarding balances of trade receivables, loans and advances, other current assets, trade payables and other current liabilities being subject to confirmations/reconciliation. This precise effect of consequential adjustments upon such confirmations/reconciliation, if any, on the accounts is not ascertainable.

3. The Ind AS Financial Statements of the corporation (including branches) contains Credit Balances related to various grants received amounting to Rs. 32,45,194.00, which are not reconciled. Further, there is no document available with the corporation to verify the same. However, as explained by the management of corporation these credit balances relate to Grants received by the corporation during previous years, which have been utilized for intended purposes during earlier years but no documents are available with the Corporation to verify the same.

4. The State Governments/Central Government has given right to use of farm land for cultivation to the Corporation, however no documents/lease deed/ agreements for such right to use are available with the Corporation.

5. The Net Debit Balance of Rs. 5,14,55,512.00 of five farms of erstwhile SFCI is shown under the Note- 16(b) as "Other Receivables" in the Financial Statements.These Farms located at Ladhowal, Raibareli, Bahraich, Mizoram and Chengam were closed during the years 1999, 2005, 2012, 1970 and 2001 respectively. In our opinion, all assets and liabilites of these farms must be shown separately.

6. The Corporation has not made any assessment for impairment of assets as required under the Ind AS 36 dealing with Impairment of Assets to ensure that the assets are carried at not more than their recoverable amount. The impact on the profit is unascertainable.

7. The Corporation has a policy of amortizing the Land Revenue Expenditure over 20 years. In our opinion, the Land Development Expenses should be amortized over the period of lease in accordance with Ind AS 17 on Accounting for Leases. However, in absence of Lease deeds, the amount of impact on profit of the Corporation is unascertainable.

8. Mutation of land and building (Shooting lodge) at Suratgarh farm is pending.

उचित राय :

हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उचित राय के लिऐ आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर संभावित प्रभावों, उक्त संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना को सही एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं तथा भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं:-

(क) कंपनी का 31 मार्च, 2018 तक के कार्यो का तुलनपत्र ।

(ख) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि का विवरण ।

(ग) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण ।

(घ) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के इक्विटी में परिवर्तन का विवरण ।

विषय का महत्व

किसानों के साथ किए गए मानक संदर्भ में जिसे अनुमानित उपज की वापसी खरीद समझौते के साथ बीज बेच जाता है इस प्रकार के मामलों में कंपनी के पास प्रत्येक एकत्रीकरण के उल्लघंन में राशि की गणना हेतु कोई प्रणाली नहीं है और न ही रिकार्ड में लिया जाता है, वसूली/ छूट की कार्रवाई की जाए । प्रबंधन ने कोई व्यवस्था का निर्धारण नहीं किया, इसके बावजूद प्रबंधन का यह तर्क है कि क्षेत्रीय प्रबंधकों ने बीज के न मिलने के कारणों पर विश्लेषण किया और यहां पर रिकार्ड में लिए जाने के लिए कोई वसूली शेष नहीं है और इस इंएडएस वित्तीय विवरण में कोई माफ योग्य / वसूली योग्य प्रभाव नहीं है। हमने इस तरह के अभ्यावेदन पर भरोसा रखा है और तद्नुसार इस मामले पर हमारी रिपोर्ट अर्हता प्राप्त नहीं है ।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) (इसके बाद "आदेश" के रूप में संदर्भित)की शर्तो में भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट)आदेश, 2016 द्वारा अपेक्षित और कंपनी के लेखों एवं रिकार्ड की जांच के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीषकरण के अनुसार, हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण संलग्न अनुबंध - क पर देते हैं ।

2. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (3)में अपेक्षित, हम रिपोर्ट देते हैं कि :-

   (क) हमने अपनी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए थे जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ।

   (ख) हमारी राय में, कंपनी ने विधि द्वारा यथोपेक्षित लेखा बहियां रखी हुई हैं, ऐसे बही खातों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है और हमने इस लेखापरीक्षा के लिए उन शाखाओं से जहां पर हम जा नहीं सके पर्याप्त कागजात प्राप्त कर लिए थे ।

   (ग) कम्पनी के किसी भी शाखा के लेखा खाते उपखंड (8)के अंतर्गत कम्पनी के लेखा परीक्षकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षित रिपोर्ट हमारे पास भेजी गई है, उसी प्रावधान के तहत हमने रिपोर्ट तैयार की है ।

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the aforesaid standalone Ind AS Financial Statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:-

a. In the case of the accompanying **BALANCE SHEET,** of the state of affairs of the Company as at March 31, 2018 and

b In the case of the accompanying **STATEMENT OF PROFIT AND LOSS,** of the Profit of the Company for the year ended on that date.

c In the case of the accompanying **STATEMENT OF CASH FLOW,** of the cash flows for the year ended on that date.

d In the case of the accompanying **STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY,** of the changes in equity for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

In terms of standard agreements entered into with the farmers to whom seeds are sold with a buy back agreement for the anticipated yields, the company neither has a system for computation of the amounts in breach of each agreement in this regard nor has it taken, on record, action for recovery/waiver. The management, notwithstanding that there was no laid down system, has contended/represented that the regional managers have analyzed the causes of non-receipt of the seed and there is no recovery to be recorded and that there is no waiver/recoverable effect in the Ind AS Financial Statements. We have placed reliance on such representation and accordingly do not qualify our report on this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 issued by the Central Government of India in terms of Sub-section (11) of Section 143 of the Companies Act 2013 (hereinafter referred to as the “order”), and on the basis of such checks of the books & records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we give in Annexure-A hereto a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the said order.

2. As required by section 143(3) of the Act, we report that:

   a. We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

   b. In our opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the company, so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.

   c The report on the accounts of any branch office of the company audited under sub-section (8) by a person other than the company's auditor has been sent to us under the proviso to that sub-section and the manner in which we have dealt with it in preparing our report.

(घ) इस रिपोर्ट से सम्बद्ध तुलनपत्र, लाभ-हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाता है ।

(ङ) उचित राय के लिए आधार पैराग्राफ में उल्लिखित किए गए संभावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में उक्त अद्वितीय इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट, कंपनी (लेखा)नियम, 2014 का नियम 7 के साथ पढ़ें, के तहत लेखा मानकों का अनुपालन करते है ।

(च) सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.829 (ई)दिनांक 21अक्टूबर, 2003 के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (3)(जी)के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा इस तरह के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में हमारी अलग रिपोर्ट अनुबंध-ख का संदर्भ लें और

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक)नियम 2014 का नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्न प्रकार से है :

(i) कंपनी ने इंड एएस वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों की वित्तीय स्थिति के प्रभाव को प्रकटीकरण किया है-संदर्भ इंड एस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी-57 ।

(ii) हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास यौगिक अनुबंध सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं था जोकि महत्वपूर्ण निकट नुकसान के लिए लागू कानूनों अथवा लेखा मानकों के तहत आवश्यक है ।

(iii) यहां पर कोई भी राशि नहीं थी, जिसे कंपनी के द्वारा "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष" में स्थाानातंरित किए जाने हेतु आवश्यक था ।

ललित गुप्ता एडं एसोसियेटस के निमित्त

(सनदी लेखाकार)

फर्म पंजीकरण संख्या 004540एन

ह0/-

(एल.के.गुप्ता)

साझेदार

सदस्यता सं: 082727

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक : 16 अगस्त, 2018

d The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, Statement of Cash Flow and Statement of Changes in Equity dealt with by this report are in agreement with the books of account;

e. Except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion , the aforesaid standalone Ind AS Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Company (Accounts) Rules, 2014.

f. Being a Government Company, Pursuant to the Notification no. GSR 829(E) dated 21.10.2003 issued by Government of India, Provisions of clause (g) of sub-section (3) of section 143 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

g. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operation effectiveness of such control, refer to our separate Report in Annexure-B and

h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i. The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS Financial Statements-Refer Note 57 to the Ind AS Financial Statements.

   ii. In our opinion and as per the information and explanations provided to us, the company did not have any long-term contracts including derivative contracts, requiring provisions under applicable laws or accounting standards, for material foreseeable losses.

   iii. There were no amount which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For LALIT GUPTA & ASSOCIATES,
(Chartered Accountants)
Firm Registration No.004540N

Sd/-
(L.K.GUPTA)
Partner
M.No. 082727

PLACE : NEW DELHI
DATE : AUGUST 16,2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए सीएआरओ, 2016 के द्वारा अपेक्षित समदिनांकित अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर हमारी स्वंतत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा -1 में संदर्भित अनुबंध-क ।

(1) (क) कंपनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों के उचित अभिलेख रखे हुए हैं जिसमें इसके मात्रात्मक विवरण तथा स्थाई परिसम्पत्तियों की स्थिति के संपूर्ण विवरण दर्शाए गए हैं ।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी द्वारा सत्यापन हेतु अपनाए गए चरणबद्ध कार्यक्रमानुसार प्रबंधन द्वारा अधिकांश परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है । हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए सत्यापन की आवृति तर्कसंगत है हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतिया नहीं पाई गई ।

(ग) इंड एएस वित्तीय आंकडों की सही एवं स्पष्ट जानकारी के लिए लेखा परीक्षा के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों के पट्टा विलेख कम्पनी के नाम पर दर्ज है ।

(2) जैसा कि हमें बताया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा माल का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित अंतराल पर किया गया है । हमारी राय में, ऐसे सत्यापन की आवृति कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रगति को देखते हुए उचित है । लेखा बहियों की तुलना में स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन पर पाई गई विसंगतियाँ महत्वपूर्ण नहीं थी, उन्हें लेखा बहियों में समुचित रूप से दर्शाया गया है ।

(3) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में, किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, प्रत्याभूत अथवा अप्रत्याभूत ऋण नहीं दिया है ।

(4) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के तहत किसी प्रकार ऋण अथवा गारंटी अथवा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की इसलिए उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है ।

(5) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनीज (जमा की स्वीकृति)नियम, 2014 का नियम 2 (ख)"जमा" के तहत किसी प्रकार का ऋण अथवा जमा स्वीकार नहीं किया है ।

(6) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1)के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार, हमने मौटे तौर पर कम्पनी के द्वारा रखे गए लेखा बहियों की समीक्षा की । हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया कम्पनी ने लेखा बहियां एवं रिकार्ड रखे हैं । हालांकि हमने रिकार्डो की विस्तृत जांच रिपोर्ट नहीं बनाई है।

(7) (क) हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निर्विवादित सांविधिक देय राशि जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर , संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर तथा लागू अन्य सांविधिक देय राशियों को नियमित रूप से समुचित प्राधिकारियों के पास जमा करा रही है ।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, लागू आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर के सांविधिक देय राशियों के संबंध में कोई निर्विवादित राशियाँ देय नहीं हैं जो 31 मार्च, 2018 तक, इनको भुगतान किए जाने की तारीख से छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया हो ।

M/S NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED.

ANNEXURE-A REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 OF OUR INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS TO THE MEMBERS REQUIRED BY CARO, 2016. NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, ON THE ACCOMPANYING IND AS FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018.

1 a. The company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.

b. According to the information and explanations given to us, a major portion of the fixed assets physically verified by the management in accordance with a phased programme of verification adopted by the company.In our opinion, frequency of verification is reasonable having regard to the size of the company and nature of the assets.To the best of our knowledge, no material discrepancies have been noticed on such verification.

c. Based on our audit procedures performed for the purpose of reporting the true and fare view of the Ind AS Financial Statements and according to information and explanations given by the management, the titled deeds of immovable properties are held in the name of the Company.

2. As explained to us, the inventory has been physically verified during the year by the management at reasonable intervals. In our opinion, the frequency of such verification is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its business. The discrepancies noticed on physical verification of stocks as compared to books records,were not material and have been properly dealt with in the books of accounts.

3. The company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties covered in the Registers maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013.

4. In our opinion, and according to the information and explanation given to us, the company has not granted any loans, made investments or provided guarantees or securities in respect to which provisions of Section 185 and 186 of the Act are applicable and hence not commented upon.

5. In our opinion, and according to the information and explanation provided by the management, the company has not accepted any loans or deposits, which are 'deposits' within the meaning of Rule 2(b) of the Companies (Acceptance of Deposits (Rules), 2014.

6. We have broadly reviewed the books of accounts maintained by the company pursuant to the rule made by the Central Government for maintenance of cost records under Section 148 (1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that *prima facie* the prescribed accounts and records have been made and maintained. However, we have not made a detailed examination of the records.

7 a. According to the information and explanation given to us, the company is generally regular in depositing undisputed statutory dues with appropriate authorities including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-tax, Sales-tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess and other statutory dues applicable to it.

b. According to the information and explanations given, there are no undisputed statutory dues payable in respect of Income-tax, Sales-tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, and Value Added Tax applicable to it which are outstanding as at 31st March, 2018 for a period of more than six months from the date they became payable.

(ग) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर के बकाये देय, विवाद के कारण जमा नहीं की गई हैं ।

क्र. सं.	संविधि का नाम	देय की प्रकृति	राशि (रू.)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम, जहां विवाद लम्बित पड़ा है
1	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	18,110.00	1987-88	संयुक्त आयुक्त (अपील) -लखनऊ
2	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	39,202.00	1988-89	संयुक्त आयुक्त (अपील) -लखनऊ
3	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	35,700.00	1989-90	संयुक्त आयुक्त (अपील) लखनऊ
4	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	78,846.00	1989-90	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, -लखनऊ
5	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	36,140.98	1993-94	उच्च न्यायालय,लखनऊ बैंच
6	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,28,498.61	1998-99	संयुक्त आयुक्त (अपील) -लखनऊ
7	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,30,150.00	1999-2000	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
8	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	16,16,006.00	2000-01	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ
9	उत्तरांचल	अतिरिक्त बिक्री कर	3,47,678.00	2000-01	उपायुक्त, हल्दवानी
10	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	अतिरिक्त बिक्री कर	55,663.00	2000-01	संयुक्त आयुक्त (अपील)-लखनऊ
11	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,39,649.65	2001-02	संयुक्त आयुक्त (अपील) -लखनऊ
12	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,40,545.00	2002-03	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, -लखनऊ
13	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,01,664.55	2003-04	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, -लखनऊ
14	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	75,662.00	2004-05	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, -लखनऊ
15	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,76,192.00	2005-06	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, -लखनऊ
16	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,85,787.00	2006-07	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, -लखनऊ

c. According to the information and explanations given, dues outstanding of Income-tax, Sales-tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess, which have not been deposited on account of any dispute.

Sr. No.	Nature of the Statute	Nature of the dues	Amount	Period to which Amount relate	Forum where dispute is pending
1	Central Sales Tax Act, 1956	Additional sales tax	18,110.00	1987-88	Joint Commissioner Appeal-Lucknow
2	Central Sales Tax Act, 1956	-do-	39,202.00	1988-89	Joint Commissioner Appeal-Lucknow
3	Central Sales Tax Act, 1956	-do-	35,700.00	1989-90	Joint Commissioner Appeal-Lucknow
4	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	78,846.00	1989-90	Trade Tax Tribunal -Lucknow
5	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	36,140.98	1993-94	High Court-Lucknow Bench
6	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	128,498.61	1998-99	Joint Commissioner Appeal-Lucknow
7	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	130,150.00	1999-2000	Trade Tax Tribunal -Lucknow
8	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	1,616,006.00	2000-01	Trade Tax Tribunal -Lucknow
9	Uttaranchal	-do-	347,678.00	2000-01	Deputy Commissioner- Haldwani
10	Central Sales Tax Act, 1956	-do-	55,663.00	2000-01	Joint Commissioner Appeal-Lucknow
11	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	139,649.65	2001-02	Joint Commissioner Appeal-Lucknow
12	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	140,545.00	2002-03	Trade Tax Tribunal -Lucknow
13	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	101,664.55	2003-04	Trade Tax Tribunal -Lucknow
14	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	75,662.00	2004-05	Trade Tax Tribunal -Lucknow
15	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	176,192.00	2005-06	Trade Tax Tribunal -Lucknow
16	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	185,787.00	2006-07	Trade Tax Tribunal -Lucknow

17	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	अतिरिक्त बिक्री कर	1,62,212.00	1.04.2007-31.12.07	आकंलन अधिकारी, लखनऊ
18	सामान्य कर	नगर निगम कर	5,36,975.00	1.4.1987-31.03.02	नगर निगम
19	अमरावती महानगर पालिका, पुणे	नगर पालिका कर	2,81,697.00	2004.05 to 2011.12	अमरावती महानगर पालिका, पुणे
20	बिक्री कर, बिहार	बी.एस.टी निर्धारण	1,35,204.82	2004.05	वाणिज्यिक कर के संयुक्त आयुक्त(अपील),पटना प्रभाग, पटना(बिहार)
21	बिक्री कर, बिहार	सी.एस.टी.निर्धारण	3,12,232.00	2004-05	वाणिज्यिक कर के संयुक्त आयुक्त(अपील),पटना प्रभाग, पटना (बिहार)
22	आसाम सामान्य बिक्री कर एवं सीएसटी	बिक्री कर	19,25,730.00	2003-04 to 2005-06	असम बिक्री कर ट्रिब्यूनल, गुवाहाटी
23	पश्चिम बंगाल, बिक्री कर	बिक्री कर	13,03,000.00	2009-10	बिक्री कर प्राधिकारी पश्चिम बंगाल
24	आयकर विभाग	आयकर	86,00,000.00	-	आय कर ट्रिब्यूनल, असम
25	आयकर विभाग	आयकर	1,17,76,541.00	2006-07	आयकर आयुक्त की आईटीएटी द्वारा अपील खारिज
26	आयकर विभाग	आयकर	3,71,17,183.00	2007-08	निगम के पक्ष में सीआईटी अपील
27	आयकर विभाग	आयकर	2,94,29,200.00	2008-09	आयकर आयुक्त की आईटीएटी द्वारा खारिज
28	आयकर विभाग	आयकर	8,81,89,390.00	2009-10	निगम के पक्ष में आईटीएटी द्वारा अपील की अनुमति
29	आयकर विभाग	आयकर	4,33,79,711.00	2010-11	निगम के पक्ष में सीआईटी अपील
30	आयकर विभाग	आयकर	5,82,39,270.00	2011-12	सीआईटी द्वारा आंकलन अधिकारी के वापस
31	आयकर विभाग	आयकर	4,38,72,770.00	2012-13	सीआईटी द्वारा आंकलन अधिकारी के वापस
32	आयकर विभाग	आयकर	2,528,565.00	2010-11	सीआईटी द्वारा आंकलन अधिकारी के वापस

17	UP Trade Tax Act, 1948	-do-	162,212.00	1.4.07 to 31.12.07	Assessing Officer Trade Tax - Lucknow
18	General Tax	Municipal Tax	536,975.00	1.4.1987 to 31.03.02	Municipal Corporation
19	Amravati Mahanagar Palika, Pune	Municipal Tax	281,697.00	2004-05 to 2011-12	Municipal Corporation, Amravati
20	Sales Tax Bihar	BST Assessment	135,204.82	2004-05	Appellate tribunal (Joint Commissioner of Commission Taxes, Appeals) Patna (Bihar)
21	Sales Tax Bihar	CST Assessment	312,232.00	2004-05	Appellate tribunal (Joint Commissioner of Commission Taxes, Appeals) Patna (Bihar)
22	Assam General Sales Tax & CST	Sales Tax	1,925,730.00	2003-04 to 2005-06	Sales Tax Tribunal Assam
23	West Bengal Sales Tax	Sates Tax	1,303,000.00	2009-10	Sales Tax Authority -West Bengal
24	Income Tax	Income tax	8,600,000.00	-	Income Tax Tribunal -Assam
25	Income Tax	Income tax	11,776,541.00	2006-07	Commissioner Appeal of I.T. dismissed by ITAT
26	Income Tax	Income tax	37,117,183.00	2007-08	CIT Appeal in favour of Corporation
27	Income Tax	Income tax	29,429,200.00	2008-09	Commissioner Appeal of I.T. dismissed by ITAT
28	Income Tax	Income tax	88,189,390.00	2009-10	Appeal allowed by ITAT in favour of Corporation
29	Income Tax	Income tax	43,379,711.00	2010-11	CIT (Appeal) in favour of Corporation
30	Income Tax	Income tax	58,239,270.00	2011-12	Reverted to Assessing Officer by CIT
31	Income Tax	Income tax	43,872,770.00	2012-13	Reverted to Assessing Officer by CIT
32	Income Tax	Income tax	2,528,565.00	2010-11	Reverted to Assessing Officer by CIT

(8) हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों अथवा सरकार अथवा ऋण पत्र धारकों के बकाये राशि की अदायगी में चूक नहीं की है ।

(9) कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों से उधार अथवा कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है। इसलिए हमारी राय में, वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों अथवा ऋणपत्र धारकों को देय राशि की वापसी की अदायगी में चूक पर रिपोटिंग का सवाल ही नहीं उठता है।

(10) निष्पादित लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर इसके अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा अथवा कंपनी द्वारा किसी प्रकार का छल-कपट नहीं देखा गया है ।

(11) निष्पादित लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 "अनुसूची-V"पढ़े, के प्रावधान के द्वारा अनिवार्य अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है।

(12) हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी, एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश का पैरा- 3 (xii) लागू नहीं होता है ।

(13) निष्पादित लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 जहां भी लागू, के अनुपालन में है और इंड एएस वित्तीय आंकडों की टिप्पणियों में ब्यौरा दिया गया है जैसा कि लागू लेखा मानक में अपेक्षित है ।

(14) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शेयरों का अधिमान्य आंवटन अथवा निजी प्लेसमेंट अथवा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है । तद्नुसार आदेश का पैरा- 3 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है ।

(15) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों अथवा उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर नकदी लेनदेन नहीं किया, जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 में निर्धारित है ।

(16) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है ।

ललित गुप्ता एडं एसोसियेटस के निमित्त
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या 004540एन

ह0/-
(एल.के.गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं: 082727

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त, 2018

8 Based on our audit procedures and the information and explanations given by the management, we are of the opinion that the company has not defaulted in the repayment of dues to a financial institution or bank or government or debenture holders.

9 According to the records of the company, the company has not borrowed from financial institutions or banks or issued debentures during the financial year. Hence, in our opinion. The question of reporting on defaults in repayment of dues to financial institution or bank or debenture holder does not arise.

10 Based on our audit procedures performed and the information and explanations given by the management, we report that no fraud on the company by its officers or employees and any fraud by the company has been noticed or reported during the course of our audit.

11 Based on our audit procedures performed and the information and explanations given by the management, we report that managerial remuneration has been paid/provided in accordance with the requite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V to the Companies Act, 2013.

12 In our opinion, and according to the information and explanation provided by the management, we are of the opinion that the company is not a nidhi company, hence, in our opinion, paragraph 3(xii) of the order do not apply to the company.

13 Based upon the audit procedures performed and information and explanations given by the management, transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the notes to the Ind AS Financial Statements, as required by the applicable accounting standard.

14 According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, paragraph 3(xiv) of the order is not applicable to the company.

15 According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him, as prescribed under Section 192 of the Companies Act, 2013.

16 The company is not required to be registered under Section 45-1A of the Reserve Bank of India, 1934.

For LALIT GUPTA & ASSOCIATES,
(Chartered Accountants)
Firm Registration No.004540N

PLACE : NEW DELHI
DATE : AUGUST 16, 2018

Sd/-
(L.K. GUPTA)
Partner
M.No. 082727

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए सीएआरओ, 2016 के द्वारा अपेक्षित समदिनांकित अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर हमारी स्वंतत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 2 (छ) में संदर्भित अनुबंध ख ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 का खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट ।

हमने **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** ("कंपनी") के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के इंड एस वित्तीय आंकडों तथा उक्त तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए हमारी लेखा परीक्षा के साथ संयोजन के रूप में शामिल आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि भारत की सनदी लेखाकारों का संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देश में इंगित है । इन जिम्मेदारियों में डिजाईन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना शामिल हैं, जोकि अपने व्यवसाय के कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सम्पूर्णता एवं शुद्धता तथा वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना भी शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशा-निर्देश") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के अनुसार तथा सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किया समझा । जैसा कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं, दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं । उन मानकों एवं दिशा-निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार हमने नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना के अनुरूप पालन किया है और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा था और इस तरह के नियंत्रण सभी समग्री मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित थे, के अनुसार हमने लेखा परीक्षा का निष्पादन किया ।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए और उनके प्रभावी परिचालन शामिल हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में एक समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन कि सामग्री की वर्तमान कमजोरी का आंकलन, परीक्षण और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाईन एवं प्रचालन प्रभावशीलता भी शामिल है । जोखिमों के मूल्याकंन सहित, चयनित प्रक्रियायें लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें इंड एएस वित्तीय विवरणों की वस्तुगत गलत विवरण के जोखिम का आकलन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो ।

M/s NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

ANNEXURE-B REFERRED TO IN PARAGRAPH 2(G) OF OUR INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS TO THE MEMBERS OF NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED ON THE IND AS FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018.

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED** ("the Company") as of 31 March 2018 in conjunction with our audit of the Ind AS Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS Financial Statements, whether due to fraud or error.

हम मानते हैं कि हमारे अंकेक्षण राय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य उचित एवं पर्याप्त हैं ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं साधारणत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएँ (1)अभिलेखों का रखरखाव से संबंधित उचित विवरण, सटीकता एवं शुद्धता तथा कंपनी के सम्पत्तियों का लेनदेन एवं स्वभाव को काफी हद तक दर्शाना शामिल है (2)उचित आश्वासन उपलब्ध करवाना कि साधारणत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए लेनदेन को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय, कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के अनुसार किया जा रहा है और (3)उचित आश्वासन उपलब्ध करवाना कि अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम अथवा उपयोग अथवा अनधिकृत अधिग्रहण का समय पर पता लगाना, कंपनी की परिसम्पत्तियों की पकृति जिसमें इंड एएस वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमायें

क्योकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमायें जिसमें मिलीभगत की संभावना अथवा नियंत्रण का अनुचित प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण हो जाना और जिनका पता नहीं लग सकना भी शामिल है । इसके अलावा भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थितियों में बदलाव की अपर्याप्तता हो सकती है अथवा नीतियों या प्रतिक्रियाओं के अनुपालन की उपाधि खराब हो सकती है ।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों के लिए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धतियां हैं और ऐसी पद्धतियां 31 मार्च, 2018 को प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे और कंपनी के द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मापदंड के आधार पर तथा भारत के सनदी लेखाकारों का संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के दिशा-निर्देश में इंगित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है ।

ललित गुप्ता एडं एसोसियेटस के निमित्त
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या 004540एन

ह0/-
(एल.के.गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं : 082727

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त, 2018

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Ind AS Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Ind AS Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For LALIT GUPTA & ASSOCIATES,
(Chartered Accountants)
Firm Registration No.004540N

PLACE : NEW DELHI
DATE : AUGUST 16,2018

Sd/-
(L.K. GUPTA)
Partner
M.No. 082727

मेसर्स राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

कम्पंनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5)के तहत समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 एवं निर्देश के संदर्भ में ।

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान जांच के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा और हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट देते है कि :

क. विभिन्न कार्यालयों / भूमि भवनों से संबंधित पट्टा विलेख/ लीज डीड तथा अन्य संबंधित कागजातों का गैर-निष्पादन / गैर उपलब्धता तथा कुछ परिसंपत्तियों के हक विलेख/पट्टा विलेख को अन्तिम रूप नहीं देने के कारण हम इस बिन्दु पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि एवं पट्टे वाली जमीन के लए स्पष्ट हक विलेख/पट्टा विलेख है ।

ख. कंपनी पर वर्ष के दौरान ऋण, उधार/ब्याज इत्यादि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं थे ।

ग. कंपनी ने तीसरी पार्टियों के पास पड़े हुए माल के पर्याप्त अभिलेख रखे हुए हैं । वर्ष के दौरान, कंपनी ने सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रुप में कोई भी संपत्ति प्राप्त नहीं की ।

ललित गुप्ता एडं एसोसियेटस के निमित्त
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या 004540एन

ह0/-
(एल.के.गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं : 082727

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त, 2018

M/s NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
ANNEXURE OF INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Referred to in paragraph 1 of our report of even date and Direction under section 143(5) of the Companies Act, 2013

On the basis of checking we considered appropriate and according to the information and explanations given to us during the course of our audit, we report that:

a. Due to non-execution/non-availability of title deeds/lease deeds and other relevant documents for land in respect of certain offices and finalization of lease in respect of certain properties, we are unable to comment on the issue whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold land.

b. There were no cases of waiver/ write off the debts, loan / interest etc. during the year.

c. The company has maintained adequate record in respect of inventories lying with the third parties. The company has not received any assets as gift from Government or Other authorities during the year.

For LALIT GUPTA & ASSOCIATES,
(Chartered Accountants)
Firm Registration No.004540N

PLACE : NEW DELHI
DATE : AUGUST 16,2018

Sd/-
(L.K. GUPTA)
Partner
M.No. 082727

निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी-।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1	टिप्पणी संख्या 44. कुछ कार्यालयों की जमीन के भुगतान विवरण तथा पट्टा विलेख उपलब्ध न होने तथा हक विलेखों/पट्टा विलेखों का निष्पादन न होना/अनुपलब्धता तथा कुछ संपत्तियों की पट्टा राशि को अंतिम रूप दिए जाने तक, उनका लेखाओं पर वित्तीय प्रभाव, यदि कोई, का पता नहीं चल सका है ।	वर्तमान स्थिति के बारे में टिप्पणी संख्या 44 में पहले ही बता दिया गया है। हांलाकि, प्रबंधन संबंधित प्राधिकारियों से हक/पट्टा विलेख निष्पादित कराए जाने के लिए निरंतर पता लगा रहा है।
2	टिप्पणी संख्या 53.1 व्यापार प्राप्य का शेष, ऋण एवं अंग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण / पुनर्गणना के अध्याधीन है। लेखों पर इस तरह की पुष्टिकरण / पुनर्मिलान पर उसका परिणामी समायोजन का सटीक प्रभाव, यदि कोई, का पता नहीं चल सका।	जैसे कि टिप्पणी संख्या 53.1 पर प्रकटीकरण किया गया है, व्यापार प्राप्य , व्यापार प्रदेय पुष्टिकरण के अध्यधीन हैं। संदिग्ध ऋणों के लिए अपेक्षित प्रावधानों को लेखा बहियों में सृजित किया गया है। शेष राशि की पुष्टि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्राप्त कर ली गई है तथा पुष्टि पत्रों में स्पष्ट इंगित किया गया है कि यदि शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि पार्टियों को भेजी गई शेष राशि बाकी है।
3	निगम के वित्तीय विवरण में प्राप्त अनुदानों से संबंधित जमा शेष राशि रू० 32,45,194.00 शामिल है, जिसका समाधान नहीं किया गया है। और आगे, निगम के पास इसे प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि, जैसे कि निगम प्रबन्धन द्वारा उल्लेख किया गया है, ये जमा शेष विगत वर्ष के दौरान निगम द्वारा प्राप्त अनुदानों से संबंधित है, जिनका उपयोग विगत वर्षो के दौरान अपेक्षित प्रयोजन के लिए किया गया है किन्तु निगम के पास इनको सत्यापित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं है ।	जैसा कि पिछले वर्ष बताया गया था़कि रू. 1,35,11,484.00 बीज बैंक योजना के खाते में हैं। इस राशि में से रू. 1,02,66,290.00 वर्ष दौरान समायोजित किया गया। शेष रू. 32,45,194.00 का आवश्यक समायोजन हेतु वर्ष 2018-19 के दौरान पता लगाने के प्रयास जारी है।
4	निगम को राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार ने फार्म स्तर पर खेती के उद्देश्य से जमीन का अधिकार दिया है, परन्तु निगम ऐसे अधिकार के लिए किसी दस्तावेज/पट्टानामा/करार उपलब्ध नहीं है ।	सूरतगढ़, सरदारगढ़,जैतसर एवं रायचूर फार्म की जमीन के मालिकाना हक से संबंधित सभी कागजात, भारत सरकार के पास हैं, क्योंकि उक्त सभी फार्मो की भूमि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं, इन फार्मो की डीड की प्रतियां निगम के पास है। हिसार फार्म के मामलें में,निगम ने हरियाणा सरकार के साथ एक लीज डीड पर हस्ताक्षर किए हैं ।

ADDENDUM TO THE DIRECTORS' REPORT-I

Management's Reply to the observations made by the Statutory Auditors on the financial statement of National Seeds Corporation Limited for the year ending 31/03/2018 .

S.No.	Statutory Auditor's Comments	Management Reply
1.	*Note No. 44 regarding non-availability of details of payment for land and lease deeds in respect of certain offices and non-execution/non-availability of title deeds/lease deeds and finalization of lease amount in respect of certain properties, the financial impact of which , if any, is not ascertainable.*	*The present status has already been indicated in note no. 44. However, the management is pursuing constantly to get the title/lease deeds executed from the concerned authorities.*
2.	*Note no. 53.1 regarding balances of trade receivables, loans and advances, other current assets, trade payables and other current liabilities being subject to confirmations/ reconciliation. This precise effect of consequential adjustments upon such confirmations/reconciliation, if any, on the accounts is Un- ascertainable.*	*As disclosed in note no 53.1 regarding balances of trade receivables and trade payables subject to confirmation, the required provision for doubtful debts has been created in books of accounts. Confirmations of the balance are being obtained at Regional office level and it is clearly mentioned in the confirmation letter that in case, no confirmation is received, it will be presumed that balance communicated to the party is confirmed.*
3.	*The Ind AS Financial Statements of the corporation (including branches) contains Credit Balances related to various grants received amounting to Rs.32,45,194.00, which are not reconciled. Further, there is no document available with the corporation to verify the same. However, as explained by the management of corporation these credit balances relate to Grants received by corporation during previous years, which have been utilized for intended purposes during earlier years but no documents are available with the Corporation to verify the same*	*Out of the balance of Rs. 1,35,11,484.00 as was reported previous year, lying credit in 'Seed Bank Scheme Fund'; an amount of Rs.1,02,66,290 was adjusted during the year. Efforts are on to trace the details for necessary adjustments of remaining Rs. 32,45,194 during 2018-19.*
4.	*The State Governments/Central Government has given right to use of farm land for cultivation to the Corporation, however, no documents/lease deed/ agreements for such right to use are available with the Corporation.*	*Original paper regarding the ownership of Land at CSF Suratgarh, Sardargarh, Jetsar and Raichur are with the Government of India as the land at these Farms are in the name of the President of India; copies of the deed are with the Corporation. In case of Hisar, the Corporation has signed a Lease deed with the Govt. of Haryana.*

मुख्य रिपोर्ट	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
5	पूर्ववर्ती एसएफसीआई के पाँच फार्मों की निवल ऋण शेष रु0 5,14,55,512 की राशि को बही खातों में नोट संख्या 16(ख) के तहत "अन्य प्राप्त योग्य" के रुप में दिखाया जा रहा है। ये फार्म जैसे कि लाडोवाल, रायबरेली, बईराईच, मिजोरम एवं बेगम क्रमशः वर्ष 1999, 2005, 2012, 1970 एवं 2001 में बंद हो चुके थे। हमारी राय में, उक्त फार्मों की सभी परिसंपत्तियों एवं दयताओं को अलग से दिखाया जाना चाहिए।	इसमें उत्तर प्रदेश सरकार से बेहराइच फार्म बंद होने के कारण रु. 5,02,26,784/-प्राप्त योग्य शेष शामिल है, शेष बकाया काफी समय पहले बंद हो चुके 05 फार्मो से संबंधित निवल नामे की शेष राशि है, राशि को परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में अलग-अलग दिखने हेतु अभिलेखों का पता नहीं चल सका। पता लगाने का प्रयास जारी है।
6	निगम ने सम्पूर्ण परिसंपत्तियों पर हानि के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया है जैसा कि परिसंपत्तियों की हानि का निपटान करने वाले इंड एस 36, जो सुनिश्चित करता है कि परिसंपत्तियाँ वसूली योग्य राशि से अधिक पर परिसंचलित किए गए हैं, के तहत आवश्यक हैं । लाभ पर इसका प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है ।	प्रबंधन मानता है कि पुरानी परिसंपत्तियों की प्रभार राशि जैसा कि निगम के खातों में प्रतीत हो रहा है वसूली योग्य राशि से कम हैं। अतः वर्ष के दौरान पुरानी परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई और तद्नुसार इंड एस 36 के तहत अर्थात परिसंपत्तियों के नुकसान, के लिए कोई खुलासे नहीं किए गए ।
7	निगम के पास लगभग 20 सालों से भूमि राजस्व व्यय परिशोधन (Amortising) पालिसी है । हमारी राय में, लीज़ के लिए लेखों पर इंड एस 17 के अनुसार भूमि विकास व्यय, लीज अवधि में परिशोधित किया जाना चाहिए । हालांकि, लीज, पट्टा विलेखों के अभाव में, निगम के लाभ पर प्रभाव की राशि अपरिमेय है ।	इंड एएस 17, इस विशेष मुद्दे पर विशिष्ट नहीं है । कम्पनी अपने पिछले अभ्यास के अनुसार 20 साल से अधिक के लिए भूमि राजस्व व्यय को परिशोधित कर रही है ।
8	सूरतगढ़ फार्म स्थित भूमि एवं भवन (शूटिंग लॉज) का मोटेशन होना लम्बित है ।	मुख्यालय द्वारा सभी इकाईयों के सम्पत्तियों को स्थानांतरण के लिए परिपत्र जारी कर दिए गए हैं । फार्मों के द्वारा शासकीय प्राधिकरणों के साथ कार्य प्रक्रियाधीन है ।
9	कम्पंनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत निदेश, स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं । कुछ कार्यालयों की जमीन के पट्टा विलेख/लीज डीड तथा अन्य विवरण उपलब्ध न होना और हक विलेखों/पट्टा विलेखों का निष्पादन न होना तथा कुछ संपत्तियों के पट्टा विलेखों को अंतिम रूप नहीं देने के कारण, हम इस बिन्दु पर राय देने में असमर्थ हैं, क्योंकि कंपनी के पास फ्री होल्ड/लीज होल्ड के लिए स्पष्ट पट्टा विलेख/लीज डीड नहीं है ।	कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों के जमीन के पट्टा विलेख/लीज डीड को या तो अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के पास उक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं । इस संबंध में तथ्यों को संदर्भ टिप्पणी संख्या 44 के तहत पहले ही प्रकटीकरण किया गया है ।

सीएआरओ, 2016 के द्वारा अपेक्षित समदिनांकित अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर स्वंतत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के पैरा-2 में संद्रूभत अनुबंध ।

पैरा तथ्यों की अभिव्यक्ति है, इसलिए उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

5.	*The Net Debit Balance of Rs.5,14,55,512.00 of five farms of erstwhile SFCI is shown under the Note-16(b) as "other Receivables" in the Financial Statements. These Farms located at Ladhowal, Raibareli, Bahraich, Mizoram and Chengam were closed during the years 1999, 2005, 2012, 1970 and 2001 respectively. In our opinion, all assets and liabilities of these farms must be shown separately.*	*This includes Rs. 5,02,26,784.00 receivable from Govt. of UP towards closure of Bahraich Farm. Remaining debit balance pertains to five old farms closed long back, whose records are not traceable to bifurcate the amount separately into Assets and Liabilities. Process is on to trace them.*
6.	*The Corporation has not made any assessment for impairment of assets as required under the Ind AS 36 dealing with Impairment of Assets to ensure that the assets are carried at not more than their recoverable amount. The impact of the same on the profit is not ascertainable.*	*The management perceived that the carrying amount of assets as appearing in the books of the Corporation is less than its recoverable amount. Hence, the need for revaluing old assets during the year was not felt and accordingly no disclosures were made under Ind AS 36, i.e. Impairment of Assets.*
7.	*The Corporation has a policy of amortizing the Land Revenue Expenditure over 20 year. In our opinion, the Land Development Expenses should be amortized over the period of lease in accordance with Ind AS 17 on Accounting for Leases. However, in absence of Lease deeds, the amount of impact on profit of the Corporation is unascertainable.*	*Ind AS 17 is not specific on this particular issue. The Company continues to amortize land revenue expenditure over 20 years as per its past practice.*
8.	*Mutation of land and building (Shooting lodge) at Suratgarh farm is pending.*	*Circular for transfer of assets were issued by the Head Office to all the units. The matter is being taken up by the farm with the concerned Government Authorities. Being pursued.*
9	***Direction under section 143(5) of the Companies Act, 2013 as an Annexure to the Independent Auditor's Report*** *Due to non-execution/ non-availability of title deeds/ lease deeds and other relevant documents for land in respect of certain offices and finalization of lease in respect of certain properties, we are unable to comment on the issue whether the company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold land.*	*Title deeds/ lease deeds in some regional offices are either not yet finalized or are not available with the respective units. The fact has already been disclosed under Note No. 44.*

ANNEXURE A REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 OF INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS REQUIRED BY CARO, 2016.

Paras being statement of facts, needs no reply.

<u>संशोधित निदेशक रिपोर्ट - ।।</u>

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर:-

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकी की टिप्पणियां</th><th>प्रबंधन का उत्तर</th></tr>
<tr><td>क.</td><td>वित्तीय स्थिति पर टिप्पिणी
चालू संपत्तियां
व्यापार प्राप्य रू. 24,587.85 लाख (टिप्पणी 13)
अशोध्यऔर संदिग्ध ऋणों के लिए अलाउन्सेस
रू. 794.31 लाख

उपर्युक्त में सरकारी पार्टियों से छह साल से अधिक के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियॉ और निजी पार्टियों से तीन साल से अधिक के लिए बकाया रू. 205.26 लाख की राशि शामिल नहीं है, जिसके लिए लेखा नीति 2.2 xxi(च) के अनुपालन में कंपनी द्वारा अशोध्य एवं संदिग्धि ऋण के प्रावधान किए जाने चाहिए थे । इसके गैर प्रावधान के कारण वर्ष के लिए व्यापार प्राप्तियां एवं लाभ में रू. 205.26 लाख अधिक बताया गया है।</td><td>व्यापार प्राप्ति के लिए गैर प्रावधान के कारण निम्न प्रकार से हैं
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पार्टी</th><th>राशि (रु. लाख में)</th><th>सरकारी पार्टी</th><th>निजी पार्टी</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>बहराइच फार्म डिबेटर</td><td>167.20</td><td>158.72</td><td>8.48</td><td>फार्म जनवरी, 2012 में बंद हुआ था। यह सरकारी आपूर्ति के लिए प्रावधानों हेतु 06 वर्ष की कंपनी पॉलिसी के खिलाफ सिर्फ 06 वर्ष 02 महीने पुराना मामला है। देरी प्रतीत होने पर 2018-19 में प्रावधान बनाए जांएगे।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मैसर्स अनुपम सीड्स</td><td>0.36</td><td>-</td><td>0.36</td><td>डीलर ने 2017-18 में 2018-19 में भुगतान का आश्वासन दिया था इसलिए प्रावधान नहीं किया गया।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>मैसर्स किशन सीड्स कारपोरेशन</td><td>1.10</td><td>-</td><td>1.10</td><td>रा.बी.नि के संबंधित अधिकारी का वेतन पार्टी से वसूली होने तक रोक कर रखा गया है इसलिए प्रावधान नहीं किया गया था।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>मैसर्स एम पी एग्रो</td><td>4.40</td><td>-</td><td>4.40</td><td>वर्ष 2017-18 के दौरान पार्टी से हई चर्चानुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया राशि की वसूली की संभावना है इसलिए 2017-18 के दौरान प्रावधान नहीं किया गया था।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>चंडीगढ़ रिजन डिबेटर्स</td><td>23.66</td><td>23.66</td><td>-</td><td>आंशिक रूप से प्राप्त होने के बाद क्षे.का. चंडीगड द्वारा प्रावधान नहीं किया गया था। यदि प्राप्ती नहीं हुआ तो 2018-19 में उपलब्ध करवाया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>अवतार सिंह</td><td>6.00</td><td>-</td><td>6.00</td><td rowspan="2">कोट केश- यदि वसूली न हुई तो, प्रावधान 2018-19 में किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>विनोद कुमार</td><td>1.00</td><td>-</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>पिटी पार्टी</td><td>1.54</td><td>1.54</td><td>-</td><td>यदि वसूली न हुई तो, प्रावधान 2018-19 में किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>205.26</td><td>183.92</td><td>21.34</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ADDENDUM TO THE DIRECTORS REPORT- II

Management's Reply to the Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143 (6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statement of National Seeds Corporation Limited for the year ended 31st March, 2018

S.No.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	Management Reply
A.	**<u>Comment on Financial Position</u>** Current Assets Trade Receivable ₹ 24,587.85 lakh (Note 13) Allowances for bad and doubtful debts ₹ 794.31 lakh The above does not include an amount of ₹ 205.26 lakh being the trade receivables from Government Parties outstanding for more than six years and from private parties outstanding for more than three years for which provision for bad and doubtful debts should have been made by the Company in pursuance of its accounting policy 2.2 xxi(f). Non provision of the same has resulted in over statement of the trade receivables and profit for the year by ₹ 205.26 lakh.	Reasons for provision not made for trade receivables are as under : (see table below)

Sl. No.	Party	Amount (₹ /lakh)	Govt. Party	Pvt. Party	Reasons
1.	Bahraich Farm Debtors	167.20	158.72	8.48	Farm closed in Jan, 2012, ageing is just 6 years & 2 months against the Company Policy of six years for provisioning for Government Debtors. Provision will be made in 2018-19, if realisation delays.
2.	M/s. Anupam Seeds	0.36	-	0.36	Dealer assured during 2017-18 for payment in F.Y. 2018-19. Hence, provision was not made.
3.	M/s. Kishan Seeds Corpn.	1.10	-	1.10	Salary of the concerned NSC official has been retained till the recovery of the amount from the party. Hence, provision was not made.
4.	M/s. MP Agro	4.40	-	4.40	As per discussion with the party during 2017-18 , outstanding amount is likely to be recovered during the current financial year. Hence, provision was not made during 2017-18.
5.	Chandigarh Region Debtors	23.66	23.66	-	Provision was not made by R.O., Chandigarh since partially received. If not received, will be provided in 2018-19.
6.	Avtar Singh	6.00	-	6.00	Court Case Provision will be made during 2018-19, if not realised.
7.	Vinod Kumar	1.00	-	1.00	
8.	Petty Party	1.54	1.54	-	Provision will be made during 2018-19, if not realised.
	Total	**205.26**	**183.92**	**21.34**	

क्र. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकी की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
ख.	**स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी** कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के अनुपालन में स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट के पैरा 1(सी) में टिप्पणी की गई है कि अचल परिसंपत्तियों के पट्टा विलेख (टाइटल डीड) कंपनी के नाम पर हैं, जोकि गलत है। स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई उक्त टिप्पणी उनके रिपोर्ट के "उचित राय का आधार" के पैरा (1) में दी गई टिप्पणी के साथ असंगत है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक ओर महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों का उत्तर के पैरा (ए) में, जहां पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा पट्टा विलेखों के गैर निष्पादन/गैर-अनुपलब्धता और विभिन्न संपत्तियों की लीज राशि को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है।	सांविधिक लेखा परीक्षक का जवाब निम्नौनुसार है:- *"यद्यपि रा.बी.नि ने टिप्पणी संख्या 44 के द्वारा उन परिसंपित्तियों जिनका स्वामित्व रा.बी.नि के पास नही है, कि स्थिति स्पष्ट कर दी थी, सीएआरओ के तहत रिपोर्ट अधिकतर शामिल परिसंपत्तियों को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। लेकिन रिपोर्ट यू/एस 143(5) में हमने, सीएजी उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक मुद्दो को निर्दिष्ट किया है।"*
ग.	**अन्य टिप्पणी** कंपनी के पास विभिन्न योजनाओं के कार्यान्व्यिन के लिए भारत सरकार से प्राप्त रू. 2286.84 लाख (टिप्पणी 21) पूंजीगत अनुदान की खर्च न की गई राशि है जबकि यह शर्त थी कि अनुदान केवल इसे जारी किए जाने वाले उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाएगा जिसके लिए यह राशि जारी की गई है। कंपनी ने नकद क्रेडिट खाते में खर्च न की गई अनुदान राशि रखी हुई है और इसे कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किया है, जोकि सरकारी अनुदान के इच्छित उद्देश्य के विरूद्ध है।	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को उसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसके लिए जारी किया गया है, इसलिए यह सरकारी अनुदान के असंचित प्रयोजन के प्रतिकूल नहीं है। लेखा परीक्षा के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि प्रयुक्त अंश को एक अलग से निर्धारित खाते में रखा जाना चाहिए था। इसके बजाए कंपनी ने साल दर साल से चल रहे अभ्यास के अनुसार, अव्ययित अनुदान को लगातार कैश क्रेडिट खातें में रखा है, जो सभी प्रकार की आवक-जावक निधियों के लिए एक सामान्य पूल है। चूंकि सामान्य पूल का एक हिस्सा, एक अल्पावधि के लिए प्रयुक्त अंश पर अर्जित ब्याज का उपयोग सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी जिसे प्राप्त होने में आमतौर पर 8-9 महीने लगता है जो दिनांक 31.03.2018 को 160 करोड़ रू. है पर ब्याज हानिक्का सामना करने के लिए किया जाता है। चूंकि अनुदान के कुछ अंश को पहले से जारी किया जाता है, इसलिए चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे इच्छित उद्देश्यों के निष्पादन के लिए निधि का प्रभावी रूप से प्रबंध करने की जिम्मेदारी कंपनी की भी है।

S.No.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	Management Reply
B.	**Comment on Independent Auditors' Report** The comment made by the Independent Auditor in para 1 (c) of its report on compliance to Companies (Auditor's Report) Order, 2016 that title deeds of immovable properties are held in the name of the company, is incorrect. The said comment made by the Independent Auditor is also inconsistent with comments made in para (1) of 'Basis for Qualified Opinion' of his report and in para (a) of reply to directions issued by Comptroller and Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 where Independent Auditor mentioned about non-execution/non-availability of title deeds/lease deeds and non finalization of lease amount in respect of certain properties.	The reply of the Statutory Auditor is as follows: *"Although NSC has covered vide Note No.44,the status of property whose Title is not with NSC , the Report under CARO was given while considering majority of the assets involved.* *But in Report u/s 143(5),we have specified the relevant issues for CAG purposes."*
C.	**Other comment** The company has an unspent amount of capital grant of ₹ 2286.84 lakh (Note21) received from Government of India for implementation of various schemes with condition that grant shall be utilised only for the purpose it has been released. The Company has kept unspent grants in cash credit account and used it to meet its working capital requirements which is against the intended objective of the government grants.	Grant received from GOI is strictly utilized for the purpose for which it is released. Hence, it is not against the intended objective of Government Grants. As per audit, it is conveyed that the unutilized portion, should have been kept in a separate earmarked Account. Instead the Company as per its year on year practice has consistently kept the unspent grant in its Cash Credit Account which is a common pool for all incoming and outgoing funds. Since a part of the common pool, the indirect interest earned on the unutilized portion for a short period is used to counter the interest loss on unrealized subsidy from Government which was ₹ 160 crores as on 31.3.2018, which usually takes 8-9 months for realization. Since parts of the grants are released in advance, it is also the responsibility of the Company to effectively manage the funds as the execution of the intended purposes are being carried out in phased manner.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2018 तक का तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 को		31.03.2017 को	
I. परिसम्पत्तियां					
1 गैर चालू परिसम्पत्तियां					
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	15,107.55		14,599.67	
(ख) अन्य अगोचर संपत्तियां	4	6.69		10.06	
(ग) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	5	123.97		505.26	
(घ) वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक संपत्तिया	12	4,262.76		4,040.57	
(ड) निवेश संपत्ति	6	1.57		1.60	
(च) वित्तीय संपत्तियां					
(i) निवेश	7.1	3,511.66		2,937.41	
(ii) अन्य वित्तीय संपत्तियां	8	233.48		243.66	
(छ) अन्य गैर चालू संपत्तियां	9	97.75		97.75	
(ज) अस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	10	2,839.88	26,185.31	2,915.53	25,351.51
2 चालू परिसम्पत्तियां					
(क) माल	11	33,026.74		17,224.85	
(ख) वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक संपत्तियां	12	5,530.16		4,076.00	
(ग) वित्तीय संपत्तियां					
(i) निवेश	7.2	-		3,499.64	
(ii) व्यापार प्राप्तियां	13	24,587.85		24,006.33	
(iii) नकदी एवं नकदी समकक्ष	14	990.10		12,727.00	
(iv) उक्त (iii) के अलावा बैंक शेष	15	413.32		450.33	
(v) अन्य वित्तीय संपत्तियां	16	23,867.99		16,132.60	
(घ) गैर चालू परिसम्पत्तियां (निवल)	17	2,066.07		1,947.84	
(ड) अन्य चालू परिसंपत्तियां	18	4,913.26	95,395.49	8,055.72	88,120.31
कुल परिसम्पत्तियां			**121,580.80**		**113,471.82**
II. इक्विटी एवं देयताएं					
1 इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19	5,731.99		5,731.99	
(ख) अन्य इक्विटी	20	56,589.36	62,321.35	55,420.72	61,152.71
2 देयताएं					
(i) गैर चालू देयताएं					
(क) पूंजीगत अनुदान	21	10,864.60		11,493.38	
(ख) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	22	71.28		64.60	
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	4,036.94		2,574.20	
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	24	1,107.08		1,214.98	
(घ) प्रावधान	25	3,517.37	19,597.27	4,333.25	19,680.41
(ii) चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	26	5,094.41		267.38	
(ii) व्यापार प्रदेय	27	20,985.39		17,228.96	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	28	10,451.00		7,667.57	
(ख) अन्य चालू देयताएं	29	938.31		3,685.25	
(ग) प्रावधान	30	1,793.07		2,392.48	
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31	400.00	39,662.18	1,397.06	32,638.70
कुल इक्विटी एवं देयताएं			**121,580.80**		**113,471.82**
III देखें, संलग्न वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्यां 1-75					

ह0/-
(मो.राकिम)
कंपनी सचिव

ह0/-
(कौशिक रक्षित)
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)

ह0/-
(वि. मोहन)
निदेशक(वित्त)
डिन सख्या - 07296539

ह0/-
(वी.के.गौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन सख्या - 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
ललित गुप्ता एंड एसोसिएटेस के निमित्त
सनदी लेखाकार
एफआरएन-0045401एन
ह0/-
एल.के.गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं : 082727

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त, 2018

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
BALANCE SHEET as at 31st March 2018

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	As at 31st March 2018		As at 31st March 2017	
I.	**ASSETS**					
1	**Non-current assets**					
	(a) Property, Plant and equipment	3	15,107.55		14,599.67	
	(b) Other Intangible assets	4	6.69		10.06	
	(c) Capital Work- in- Progress	5	123.97		505.26	
	(d) Biological Assets other than bearer plants	12	4,262.76		4,040.57	
	(e) Investment Property	6	1.57		1.60	
	(f) Financial Assets					
	(i) Investment	7.1	3,511.66		2,937.41	
	(ii) Others Financial Assets	8	233.48		243.66	
	(g) Other non-current assets	9	97.75		97.75	
	(h) Deferred Tax Assets(Net)	10	2,839.88	26,185.31	2,915.53	25,351.51
2	**Current assets**					
	(a) Inventories	11	33,026.74		17,224.85	
	(b) Biological Assets other than bearer plants	12	5,530.16		4,076.00	
	(c) Financial Assets					
	(i) Investment	7.2	-		3,499.64	
	(ii) Trade Receivables	13	24,587.85		24,006.33	
	(iii) Cash and cash equivalents	14	990.10		12,727.00	
	(iv) Bank Balances other than (iii) above	15	413.32		450.33	
	(v) Other financial assets	16	23,867.99		16,132.60	
	(d) Current Tax Assets (Net)	17	2,066.07		1,947.84	
	(e) Other current assets	18	4,913.26	95,395.49	8,055.72	88,120.31
	Total Assets			**121,580.80**		**113,471.82**
II.	**EQUITY AND LIABILITIES**					
1	**Equity**					
	(a) Equity Share Capital	19	5,731.99		5,731.99	
	(b) Other Equity	20	56,589.36	62,321.35	55,420.72	61,152.71
2	**Liabilities**					
(i)	**Non-current liabilities**					
	a) Capital Grant	21	10,864.60		11,493.38	
	b) Financial Liabilities					
	(i) Borrowing	22	71.28		64.60	
	(iii) Other Financial Liabilities	23	4,036.94		2,574.20	
	c) Other Non-Current Liabilities	24	1,107.08		1,214.98	
	d) Provisions	25	3,517.37	19,597.27	4,333.25	19,680.41
(ii)	**Current liabilities**					
	(a) Financial Liabilities					
	(i) Borrowings	26	5,094.41		267.38	
	(ii) Trade payables	27	20,985.39		17,228.96	
	(iii) Other financial liabilities	28	10,451.00		7,667.57	
	(b) Other Current liabilities	29	938.31		3,685.25	
	(c) Provisions	30	1,793.07		2,392.48	
	(d) Current liabilities tax (Net)	31	400.00	39,662.18	1,397.06	32,638.70
	TOTAL Equity and Liabilities			**121,580.80**		**113,471.82**
III.	See accompanying notes to the financial statements 1 to 75					

Sd/-
Mohd. Raquim
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
SGM(F&A)

Sd/-
V. Mohan
Director (Finance)
DIN - 07296539

Sd/-
V.K.Gaur
Chairman-cum-Managing Director
DIN- 03289716

As per our report of even date

For Lalit Gupta & Associates
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 004540N
Sd/-
L.K. Gupta
Partner
Membership No. 082727

Place : New Delhi
Dated : 16th August, 2018

एनएससी NSC

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि का विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
	राजस्वः			
I.	परिचालन से राजस्व	32	81,584.04	86,234.16
II.	अन्य आय	33	2,570.94	2,047.91
	कुल राजस्व (I + II)		**84,154.98**	**88,282.07**
III.	**व्ययः**			
	उपभोग की गई समग्रियों की लागत	34	2,661.92	2,737.47
	व्यापारगत माल की खरीद	35	72,172.36	59,465.50
	जैविक सम्पत्तियों एवं तैयार माल, व्यापारगत स्टॉक एवं कार्य प्रगति में परिवर्तन	36	(18,356.55)	(4,287.89)
	कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय	37	14,077.07	12,192.69
	वित्त लागत	38	445.50	132.83
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	39	1,852.35	1,925.13
	अन्य व्यय	40	9,801.52	9,508.17
	कुल व्यय		**82,654.17**	**81,673.90**
IV.	**असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/हानि (I+II - III)**		**1,500.81**	**6,608.17**
V.	**असाधारण मदें(आय/व्यय)**	41	(1,536.20)	(1,178.29)
VI.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (IV - V)**		**3,037.01**	**7,786.46**
VII.	**कर व्ययः**			
	(1) वर्तमान कर			
	- वर्ष के दौरान		400.00	2,535.00
	- पिछले वर्षों के लिए (निवल)		-	177.12
	(2) अस्थगित कर (निवल)		139.51	(105.99)
	कुल कर व्यय (VII)		539.51	2,606.13
VIII	**निरंतर परिचालन अवधि हेतु लाभ/(हानि) (VI - VII)**		**2,497.50**	**5,180.33**
IX	बंद परिचालन से लाभ/(हानि)		-	-
X	बंद परिचालन से कर व्यय		-	-
XI	बंद परिचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (IX-X)		-	-
XII	**अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VIII-XI)**		**2,497.50**	**5,180.33**
XIII	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) मदें जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे	42		
	- परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः आकलन हानियां		(511.45)	(4.59)
	आयकर प्रभाव		178.72	1.59
	-इक्विटी साधन में पुनः आकलन निवेश आयकर प्रभाव का निवल		574.28	413.45
	ख.(i) मदें जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत होंगे		(114.86)	(62.02)
	(ii)आयकर उन मदों से संबंधित जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत होंगे		-	-
			126.69	**348.43**
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XII +XIII)		**2,624.19**	**5,528.76**
	(अवधि के लिए व्यापक लाभ एवं अन्य व्यापक आय)			
XIV.	प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन (जारी परिचालन से)	43		
	(1) बेसिक (रु.)		435.73	903.76
	(2) डिल्यूटिड (रु.)		435.73	903.76
XV.	प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन (बंद परिचालन से)			
	(1) बेसिक (रु.)		-	-
	(2) डिल्यूटिड (रु.)		-	-
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन (जारी एवं बंद परिचालन से)	43		
	(1) बेसिक (रु.)		435.73	903.76
	(2) डिल्यूटिड (रु.)		435.73	903.76
	देखें, संलग्न वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सख्या 1-75			

ह0/-
(मो.राकिम)
कंपनी सचिव

ह0/-
(कौशिक रक्षित)
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)

ह0/-
(वि. मोहन)
निदेशक(वित्त)
डिन सख्या - 07296539

ह0/-
(वी.के.गौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन सख्या - 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

ललित गुप्ता एंड एसोसिएटस के निमित्त

सनदी लेखाकार
एफआरएन-0045401एन
ह0/-
एल.के.गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं : 082727

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त, 2018

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Statement of Profit and Loss for Year ended 31st March 2018

(₹ In Lakhs)

	Particulars	Note No.	For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
	Revenue :			
I.	Revenue from operations	32	81,584.04	86,234.16
II.	Other income	33	2,570.94	2,047.91
	Total Income (I + II)		**84,154.98**	**88,282.07**
III.	**Expenses:**			
	Cost of materials consumed	34	2,661.92	2,737.47
	Purchases of Stock -In-Trade	35	72,172.36	59,465.50
	Changes in biological assets and inventories of finished goods, Stock-in - Trade and work-in-progress	36	(18,356.55)	(4,287.89)
	Employee benefits expense	37	14,077.07	12,192.69
	Finance Costs	38	445.50	132.83
	Depreciation and amortization expenses	39	1,852.35	1,925.13
	Other Expenses	40	9,801.52	9,508.17
	Total Expenses(III)		**82,654.17**	**81,673.90**
IV.	**Profit/loss Before exceptional items and Tax (I+II - III)**		**1,500.81**	**6,608.17**
V.	Exceptional items {(Income)/Expense}	41	(1,536.20)	(1,178.29)
VI.	**Profit/(Loss) before tax (IV - V)**		**3,037.01**	**7,786.46**
VII.	Tax expense:			
	(1) Current tax			
	- For the year		400.00	2,535.00
	- For earlier years (net)		-	177.12
	(2) Deferred tax (net)		139.51	(105.99)
	Total Tax Expense (VII)		539.51	2,606.13
VIII	**Profit/(loss) for the period from continuing operation (VI - VII)**		**2,497.50**	**5,180.33**
IX	Profit/(loss) from discontinued operations		-	-
X	Tax Expense of discontinued operations		-	-
XI	Profit/(loss) from discontinued operations (after tax) (IX-X)		-	-
XII	**Profit/(loss) for the period (VIII-XI)**		**2,497.50**	**5,180.33**
XIII	**Other Comprehensive Income**			
	A. (i) Items that will not be reclassified to profit and loss	42		
	- Re-measurement losses on defined benefit plans		(511.45)	(4.59)
	Income Tax effect		178.72	1.59
	- Re-measurement investment in equity instruments net of Income Tax effect		574.28	413.45
	B. (i) Items that will be reclassified to profit and loss		(114.86)	(62.02)
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to profit and loss		-	-
			126.69	**348.43**
	Total Comprehensive Income for the period (XII +XIII)		**2,624.19**	**5,528.76**
	(Comprehensive profit and other comprehensive income for the period)			
XIV.	Earnings Per Equity Share: (For continuing Operation)			
	(1) Basic (in Rs.)	43	435.73	903.76
	(2) Diluted (in Rs.)		435.73	903.76
XV.	Earnings Per Equity Share: (For discontinuing Operation)			
	(1) Basic (in Rs.)		-	-
	(2) Diluted (in Rs.)		-	-
XVI.	Earnings Per Equity Share:(For discontinued and continuing Operation)			
	(1) Basic (in Rs.)	43	435.73	903.76
	(2) Diluted (in Rs.)		435.73	903.76
	See accompanying notes to the financial statements 1 to 75			

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mohd. Raquim	**Kaushik Rakshit**	**V. Mohan**	**V.K.Gaur**
Company Secretary	SGM(F&A)	Director (Finance)	Chairman-cum-Managing Director
		DIN - 07296539	DIN- 03289716

As per our report of even date

For Lalit Gupta & Associates
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 004540N

Sd/-
L.K. Gupta
Partner
Membership No. 082727

Place : New Delhi
Dated : 16th August, 2018

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
क- परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
वर्ष के लिए लाभ	2,497.50	5,180.33
के लिए समायोजन –		
मूल्यह्रास	1,852.35	1,925.07
ब्याज़ आय	(77.45)	(200.71)
लाभांश आय	(67.06)	(45.95)
आयकर व्यय	539.51	2,606.13
पूंजीगत अनुदान के लिए समायोजन	(628.77)	1,351.71
भूमि विकास व्यय एवं रोपण फसल बट्टा खाता	9.83	15.06
सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान	5.40	2.22
स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	(13.15)	(8.29)
वित्त लागत	445.50	132.83
निवेश म्यूचल निधि में शुद्ध लाभ	(33.59)	(88.53)
परिचालन परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ (1)	**4,530.07**	**10,958.40**
के लिए समायोजन –		
जैविक सम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(1676.35)	984.26
माल में कमी/(वृद्धि))	(15801.89)	(5,596.50)
व्यापार एवं अन्य प्राप्य में कमी/(वृद्धि)	(8306.74)	4,367.62
अन्य सम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	3,179.47	2,266.33
व्यापार प्रदेय एवं अन्य प्रदेय में (कमी)/वृद्धि	7,999.70	(307.03)
प्रावधान में (कमी)/वृद्धि	(1415.29)	323.97
परिभाषित लाभ योजना के पुन: मूल्यांकन का प्रभाव–ओसीआई	(511.45)	(4.59)
अन्य देयताओं में (कमी)/वृद्धि	(2851.89)	913.78
(2)	(19384.44)	2,947.84
परिचालन से अर्जित नकदी (1+2)	**(14854.37)**	**13,906.24**
सेवानिवृत्ति चिकित्सा प्रीमियम प्रदत्त	(22.77)	(19.22)
आयकर का भुगतान	(1515.30)	(2,942.72)
परिचालन गतिविधियों से कुल नकदी	**(16392.44)**	**10,944.30**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
सम्पत्ति, सयंत्र एवं उपकरण एवं अन्य अगोचर सपंत्तियों की बिक्री/निपटान	15.37	16.84
मूल्यह्रास	-	-
सम्पत्ति, सयंत्र एवं उपकरण एवं अन्य अगोचर संपत्तियों की खरीद	(2,359.05)	(2,583.20)
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	381.28	(18.97)
ब्याज प्राप्य	77.45	200.71
लाभांश आय	67.06	45.95
परिभाषित लाभ योजना के पुन: मूल्यांकन का प्रभाव–ओसीआई	33.59	88.53
	3,499.66	(768.54)
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई निवल नकदी	**1,715.36**	**(3,018.68)**
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान (लाभांश कर सहित)	-	-
वित्त लागत	(1448.02)	(1,379.78)
उधार/(वापसी)	(445.50)	(132.83)
	5,006.67	4.66
वित्त पोषण गतिविधियों से उपार्जित निवल नकदी	**3,113.15**	**(1,507.95)**
नकदी एवं नकदीतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	(11,563.93)	6,329.14
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदीतुल्य	12,459.62	6,130.46
वर्ष के अन्त में नकदी एवं नकदीतुल्य	**895.69**	**12,459.60**
नकदी एवं नकदीतुल्य का मिलान		
हाथ में नकदी एवं नकदीतुल्य	0.41	0.80
बैंकों में शेष:		
–चालू खाते में	989.69	4,752.62
–हाथ में चैक, डिमांड ड्राफ्ट एवं स्टैम्प	-	-
–3 माह से कम के मूल परिपक्वता जमा	-	7,973.56
–प्रत्याभूत नकद क्रेडिट	(94.41) -	(267.38)
तुलन पत्र के अनुसार नकद एवं शेष नकदी	**895.69**	**12,459.60**

टिप्पणी :

1. आईसीएआई द्वारा नकदी प्रवाह विवरण पर जारी इन्ड एस 7 में निर्धारत अप्रत्यक्ष विधि के तहत नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है ।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुष्टि के लिए पुन: वर्गीकृत/पुनर्मूल्यांगन किया गया है और उन्हें वर्तमान वर्ष के साथ तुलनीय बनाया गया है ।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(मो.राकिम)	**(कौशिक रक्षित)**	**(वि. मोहन)**	**(वी.के.गौड़)**
कंपनी सचिव	वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		डिन सख्या – 07296539	डिन सख्या – 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
ललित गुप्ता एंड एसोसिएटस के निमित्त
सनदी लेखाकार
एफआरएन–0045401एन
ह0/–
एल.के.गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं : 082727

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त, 2018

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March 2018

(₹In Lakhs)

Particulars		For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
A. Cash Flow from Operating Activities			
Profit for the year		2,497.50	5,180.33
Adjustments for :			
Depreciation		1,852.35	1,925.07
Interest income		(77.45)	(200.71)
Dividend income		(67.06)	(45.95)
Income Tax expense		539.51	2,606.13
Adjustments to Capital Grant		(628.77)	1,351.71
Land Development Expenses and Plantation crop written off		9.83	15.06
Subcription received from retired employees		5.40	2.22
Profit on Sale of Fixed Assets		(13.15)	(8.29)
Finance Cost		445.50	132.83
Net gain in Investment Mutual Fund		(33.59)	(88.53)
Operating Profit before changes in operating assets & liabilities (1)		**4,530.07**	**10,869.87**
Adjustments for :-			
Decrease / (Increase) in Biological Assets		(1676.35)	984.26
Decrease / (Increase) in Inventories		(15801.89)	(5596.50)
Decrease/ (Increase) in Trade & Other Receivables		(8306.74)	4,367.62
Decrease/ (Increase) in Other assets		3,179.47	2,266.33
(Decrease) / Increase in trade payables & Other payables		7,999.70	(307.03)
(Decrease) / Increase in provisions		(1415.29)	323.97
Effect of Remeasurement of Defined benefits Plan - OCI		(511.45)	(4.59)
(Decrease) / Increase in Other liablities		(2851.89)	913.78
	(2)	(19384.44)	2,947.84
Cash generated from operation	**(1+2)**	**(14854.37)**	**13817.71**
Retired medical premium paid		(22.77)	(19.22)
Income Tax Paid		(1515.30)	(2942.72)
Total Cash generated from Operating Activities		**(16392.44)**	**10855.77**
B. Cash Flow From Investing Activities			
Sale/Disposal of Property, plant and equipment's & Other intangible assets		15.37	16.84
Depreciation		-	-
Purchase of Property, plant and equipment's & Other intangible assets		(2,359.05)	(2583.20)
Capital Work-in-progress		381.28	(18.97)
Interest Receivable		77.45	200.71
Dividend income		67.06	45.95
Net gain in Investment Mutual Fund		33.59	88.53
Changes in Value of Investments		3,499.66	(768.54)
Net Cash used in Investing Activities		**1,715.36**	**(3,018.68)**
		-	-
C. Cash Flow From Financing Activities			
Dividend Paid (including Tax on Dividend)		(1448.02)	(1379.78)
Finance Cost		(445.50)	(132.83)
Borrowings/(Repayment) of Loans		5,006.67	4.66
Net Cash generated from Financing Activities		**3,113.15**	**(1,507.95)**
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		(11,563.93)	6,329.14
Opening Cash & Cash Equivalents		12,459.62	6,130.46
Closing Cash & Cash Equivalents		**895.69**	**12,459.60**
Reconciliation of Cash & Cash Equivalents			
Cash and Cash Equivalent Comprises of			
Cash on hand		0.41	0.80
Balances with banks:			
– On current accounts		989.69	4,752.62
– Cheques, drafts and stamps on hand		-	-
– Deposits with original maturity of less than three months		-	7,973.56
– Secured, Cash Credit		(94.41)	(267.38)
		-	-
Cash and Cash Balances as per Balance Sheet		**895.69**	**12,459.60**

Notes:- -

1. The Statement of Cash Flow has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
2. Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mohd. Raquim	**Kaushik Rakshit**	**V. Mohan**	**V.K.Gaur**
Company Secretary	SGM(F&A)	Director (Finance)	Chairman-cum-Managing Director
		DIN - 07296539	DIN- 03289716

As per our report of even date

For Lalit Gupta & Associates
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 004540N

Sd/-
L.K. Gupta
Partner
Membership No. 082727

Place : New Delhi
Dated : 16th August, 2018

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि की इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क- इक्विटी शेयर पूंजी (रु. लाख में)

	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2016 को शेष	5,41,709	5,417.09
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2017 को शेष	5,73,199	5,731.99
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2018 को शेष	5,73,199	5,731.99

ख- अन्य इक्विटी (रु. लाख में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम ऋण साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल
	खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित	सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित	भूमि विकास आरक्षित	प्रतिधारित कमाई				
31 मार्च, 2016 को शेष	326.70	139.30	334.88	49,004.63	-	1,464.92	-	51,270.43
लेखा नीति अथवा पूर्वावधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2016 के प्रारम्भ में पुनः वर्णित शेष राशि	**326.70**	**139.30**	**334.88**	**49,004.63**	**-**	**1,464.92**	**-**	**51,270.43**
बोनस शेयर जारी	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	5,180.33	-	-	-	5,180.33
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर	-	-	-	(1,379.78)	-	-	-	(1,379.78)
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	-	(3.00)	-	351.43	-	348.43
प्रतिधारित कमाई से/को स्थानांतरण	14.29	-	-	(14.29)	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि)/ (कमी)(निवल)	-	-17.00	18.31	-	-	-	-	1.31
31 मार्च, 2017 को शेष	**340.99**	**122.30**	**353.19**	**52,787.89**	**-**	**1,816.36**	**-**	**55,420.72**
लेखा नीति अथवा पूर्वावधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2017 को पुनः वर्णित शेष	**340.99**	**122.30**	**353.19**	**52,787.89**	**-**	**1,816.36**	**-**	**55,420.72**
बोनस शेयर जारी	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	2497.50	-	-	-	2,497.50
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर	-	-	-	(1,448.02)	-	-	-	(1,448.02)
अन्यं व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	-	(332.73)	-	459.42	-	126.69
प्रतिधारित कमाई से/को स्थानांतरण	15.55	-	-	(15.55)	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)(निवल)	-	(17.37)	9.83	-	-	-	-	(7.54)
31 मार्च, 2018 को शेष	**356.54**	**104.93**	**363.02**	**53,489.09**	**-**	**2,275.77**	**-**	**56,589.35**

ह0/-
(मो.राकिम)
कंपनी सचिव

ह0/-
(कौशिक रक्षित)
वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)

ह0/-
(वि. मोहन)
निदेशक(वित्त)
डिन सख्या - 07296539

ह0/-
(वी.के.गौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन सख्या - 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
ललित गुप्ता एंड एसोसिएटेस के निमित्त

सनदी लेखाकार
एफआरएन-0045401एन
ह0/-
एल.के.गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं : 082727

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त, 2018

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Statement of changes in equity for the period ended 31st March 2018

A. Equity share capital (₹ In Lakhs)

	No. of Shares	Amount
Balance at 1st April 2016	**5,73,199**	**5,731.99**
Changes in equity share capital during the year	-	-
Balance as on 31st March 2017	**5,73,199**	**5,731.99**
Changes in equity share capital during the year	-	-
Balance as on 31st March 2018	**5,73,199**	**5,731.99**

B. Other Equity (₹ In Lakhs)

Particulars	Reserve & Surplus				Debt instruments through other comprehen-sive income	Equity Instruments through other comprehensive Income	Other items of Other comprehensive Income(specify nature)	Total
	Unspent CSR Reserve	Retired Employees Welfare Reserve	Land Development Reserve	Retained Earnings				
Balance as at 31st March 2016	326.70	139.30	334.88	49,004.63	-	1,464.92	-	51,270.43
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of 01st April 2016	**326.70**	**139.30**	**334.88**	**49,004.63**	**-**	**1,464.92**	**-**	**51,270.43**
Bonus Shares Issued	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit for the year	-	-	-	5,180.33	-	-	-	5,180.33
Dividends and Dividend Distribution Tax	-	-	-	(1,379.78)	-	-	-	(1,379.78)
Other Comprehensive Income (Net of Tax)	-	-	-	(3.00)	-	351.43	-	348.43
Transfer to/from retained earning	14.29	-	-	(14.29)	-	-	-	-
Addition/ (deletion) during the year (Net)	-	-17.00	18.31	-	-	-	-	1.31
Balance as on 31st March 2017	**340.99**	**122.30**	**353.19**	**52,787.89**	**-**	**1,816.35**	**-**	**55,420.72**
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated balance as at 31st March 2017	**340.99**	**122.30**	**353.19**	**52,787.89**	**-**	**1,816.35**	**-**	**55,420.72**
Bonus Shares Issued	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit for the year	-	-	-	2,497.50	-	-	-	2,497.50
Dividends and Dividend Distribution Tax	-	-	-	(1,448.02)	-	-	-	(1,448.02)
Other Comprehensive Income (Net of Tax)	-	-	-	(332.73)	-	459.42	-	126.69
Transfer to/from retained earning	15.55	-	-	(15.55)	-	-	-	-
Addition/ (deletion) during the year (Net)	-	(17.37)	9.83	-	-	-	-	(7.54)
Balance as on 31st March 2018	**356.54**	**104.93**	**363.02**	**53,489.09**	**-**	**2,275.77**	**-**	**56,589.35**

Sd/-
Mohd. Raquim
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
Sr. GM(F&A)

Sd/-
V. Mohan
Director (Finance)
DIN - 07296539

Sd/-
V.K.Gaur
Chairman-cum-Managing Director
DIN- 03289716

As per our report of even date

For Lalit Gupta & Associates
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 004540N

Sd/-
L.K. Gupta
Partner
Membership No. 082727

Place : New Delhi
Dated : 16th August, 2018

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. निगमित परिचय

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी)के स्थापना आधारीय एवं प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए 19 मार्च, 1963 को की गई, जो कि भारत में अधिवासित और निगमित एक सार्वजनिक उपक्रम है । यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है । यह अनुसूची 'बी'-मिनीरत्न, श्रेणी-I निगम है। वर्ष 1974 में राष्ट्रीय बीज परियोजना (एनएसपी) के शुभारंभ के साथ ही, देश में बीज उद्योग के समुचित विकास में मुख्य भूमिका निभाने की जिम्मेदारी एनएससी को सौंपी गई थी । यह अपने फार्मो और अपने पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से 60 फसलों की लगभग 600 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कार्य करता है । पूरे देश में 8 फार्मस तथा लगभग 8000 पंजीकृत बीज उत्पादक हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में बीज उत्पादन कार्यक्रम कर रहे है ।

देश भर में विविध कृषि परिस्थितिक परिस्थितियों की मांगों को पूरा करने के लिए एन.एस.सी. के पास 10 क्षेत्रीय कार्यालय, 65 प्रक्षेत्र कार्यालय, 44 बीज विधायन संयंत्र, 07 वातानुकूलित बीज भंडारण सुविधाएं,2सब्जी पैकिंग केन्द्र, 04 बीज परिक्षण प्रयोगशालायें और 01 डीएनए फिंगर प्रिटिंग प्रयोगशाला है । एन.एस.सी. गुणवत्ता बीजों के उत्पादन व वितरण के अलावा, केले आदि के टिशू कलचर पौध के उत्पादन से भी जुड़ा है । यह निजी समझौता ज्ञापन भागीदारी से खरीद के माध्यम से, रोपण फसलों / पौध सस्यों की आपूर्ति भी करता है । बीज विपणन का कार्य तीन चैनलों द्वारा जैसे डीलरों / वितरकों, सरकार (राज्य / केन्द्र) और स्वयं के बीज बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है । निगम के लगभग 2,550 डीलर हैं । जिनका बिक्री कारोबार में 50 x से भी अधिक का योगदान है ।

एन.एस.सी. भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे तिलहन एवं आयॅल पॉम पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और बागवानी के एकीकृत विकाश के लिए मिशन (एमआईडीएच)के कार्यान्वायन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्य बीज निगमों सहित बीज उत्पादक एजेन्सियों के बीज उत्पादन में कार्यरत कार्मिकों को बीज प्रशिक्षण प्रदान करके, तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है ।एन.एस.सी., निजी क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में प्रसंस्कंरण संयंत्रों एवं भंडारण गोदामों की स्थापपना हेतु अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेन्सी है । निगम, भारतीय कम्पनी अधिनियम,1956 के तहत पंजीकृत है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली 110012 में स्थित है ।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियॉ

2.1 लेखाकंन का आधार

क)? अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) एवं उसके बाद जारी किए किए प्रासंगिक संशोधित नियमों के अनुसार तैयार किए गए है।

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 का अनुपालन करते हैं । अधिनियम की अनुसूची-III में निर्धारित निर्देशानुसार, जहां भी लागू है, सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को चालू अथवा गैर चालू रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

ख) परिमापन का आधार

टिप्पणी संख्या 46 में उल्लखित मदों को छोड़ कर, वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत सिंद्वात के तहत तथा प्रोद्धवन के आधार पर तैयार किया गया है ।

ग) अनुमान व मूल्यांकन की उपयोगिता

इन्ड-एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में निर्णय लेने, अनुमान एवं कल्पना करने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुपालन और परिसंपत्तियों, देनदारियों की रिपोर्ट अनुसार राशि, आकस्मिक संपत्ति व देनदारियों के खुलासे और वित्तीय विवरणों की तारीख में दी गई देयताओं और आय व व्यय की रिपोर्ट अनुसार राशि को प्रभावित करते हैं । इस प्रकार के अनुमानिक उदाहरणों में ,कर्मचारियों की सेवानिवृति लाभ योजनाएं और अनुमानिक उपयोगी जीवन के तहत सम्पति, संयंत्र और उपकरण, कर्मचारी लाभ व्यय, प्रावधान, जैविक संपत्तियों का मूल्याकंन आदि शामिल है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकतें हैं और वास्तविक परिणाम व अनुमानों के बीच के अन्तर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिस अवधि में परिणाम ज्ञात / कार्यान्वित हुआ है।

घ) सभी वित्तीय जानकारी, भारतीय रूपयों में प्रस्तुत किए गए हैं व सभी मूल्य निकटतम लाख में गिने जाते हैं, सिवाए जहां अन्यथा निर्दिष्ट हो ।

Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2018

1- Corporate Information

National Seeds Corporation Limited (NSC) is a public limited company domiciled and incorporated in India on 19th March 1963 to undertake production of foundation and certified seeds. It is wholly owned by Government of India under the administrative control of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It is a Schedule 'B'-Miniratna Category-I Company.With the launching of the National Seed Project (NSP) in 1974, NSC was assigned the lead role to develop the seed industry in the country on sound lines. It undertakes production of certified seeds of nearly 600 varieties of 60 crops through its own farms and registered seed growers. There are 8 Farms and about 8,000 registered seed growers all over the country who are undertaking the seed production programmes in different agro-climatic conditions.

NSC has 10 Regional Offices, 65 Area Offices, 44 Seed processing plants, 7 Air-conditioned seed storage facilities, 2 vegetable seed packing centres, 4 seed testing labs and one DNA finger printing lab to meet the demands of diverse agro ecological situations across the country. Besides production and distribution of quality seeds, NSC is also involved in the production of Tissue Culture Plants like banana. It also undertakes supply of seedlings/saplings of fruits crops through procurement from the MOU Partners. Seed marketing is carried out through three channels namely sale through dealers/distributors, Government (State/Central) and through its own sales counters. There are about 2,550 dealers of the Corporation who account for more than 50% of the sales turn over.

NSC plays a key role in the implementation of various schemes of the Government of India like, "National Mission on Oilseeds and Oil Palm" (NMOOP), "National Food Security Mission (NFSM)" and "Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)". It also provides technical support to the seed producing agencies including State Seed Corporations by imparting training of personnel engaged in the production of seeds in that organization. NSC is the nodal agency for the implementation of the Central Sector Scheme to create infrastructure facilities for establishment of processing plants and storage godowns in different states in the private sector. The company was registered under the Indian Companies Act, 1956 and the registered office of the company is located at Beej Bhavan Pusa Complex, New Delhi 110012

2- Significant Accounting policy

2.1 Basis of Preparation

a) Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules issued thereafter.

The financial statements adhere to the relevant presentational requirement of the Companies Act, 2013. All assets and liabilities are classified as current or non-current, wherever applicable as per the guidance as set out in schedule III to the Act.

b) Basis of Measurement

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the items (Refer note 46)

c) Use of estimates and judgment

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates includes future obligations under employee retirement benefit plans and estimated useful life of property, plant and equipment, Employee benefit expenses, provisions, valuation of biological assets etc. actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialized.

d) All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakhs except where otherwise stated.

2.2) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश :

(i) नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके प्रतिवेदित किया जाता है, जिससे कर पूर्व लाभ /(हानि) का गैर-नकदी प्रकृति के लेनेदेन के प्रभाग और पिछले या भविष्य की नकदी प्राप्ति या भुगतान के किसी डेफरल या प्रोद्भवन के लिए समायोजित किया जाता है । उपलब्ध जानकारी के आधार पर निगम की परिचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों के नकदी प्रवाह को पृथक किया जाता है ।

नकदी प्रवाह के विवरणों के प्रयोजनों हेतु, नकद और हस्तगत रोकड़ सहित नकद समतुल्य, बैंकों पर नकद और बैंकों में मांग पत्र (DD), मांग पर चुकौती के निवल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट, निगम की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं ।

इंडएएस-7 में संशोधन

01 अप्रैल, 2017 से प्रभावी, कंपनी ने इंड एएस-7 के संशोधन को अपनाया है जिसके लिए संस्थाओं को खुलासा करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्त पोषण गतिर्वविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है जिसमें नकदी प्रवाह और गैर नकदी परिवर्तन, प्रकटीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलनपत्र में प्रारंभिक एवं अंतिम शेष के बीच समझौते करने का सुझाव देते है। संशोधनों को अपनाने में वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ii) कार्यात्मक और प्रजेंटेशन मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रू0 (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो निगम की प्रजेंटेशन मुद्रा के साथ-साथ कार्यात्मक भी है ।

i) विदेशी मुद्रा में लेन देन प्रभावित होने पर प्रचलित विनिमय दर पर रिकार्ड में लिया जाता है । विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटारे से उत्पन्न विनिमय अंतर लाभ एवं हानि विवरणों में अभिज्ञात (recognized) किया गया है।

ii) विदेशी मुद्रा में अंकित मदों को पुनः वर्णित किया जाता है और तुलन पत्र की तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर उपयोग करके भारतीय रूपये में परिवर्तित किया जाता है और परिणामी विनिमय अन्तर को लाभ एवं हानि के विवरण में अभिज्ञात किया जाता है ।

(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत के रूप में बताया गया है जिसमें मूल्यह्रास / परिशोधन तथा क्षति यदि कोई , को घटाया गया है ।
2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद में लागत शामिल है:
   क) इसका खरीद मूल्य, जिसमें व्यापार छूट के पश्चात आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य खरीद छूट शामिल है।
   ख) प्रबंधन द्वारा लक्षित तरीके से परिचालन करने के लिए आवश्यक स्थान एवं स्थिति में संपत्ति लाने के लिए प्रत्यक्ष सभी लागत जिम्मेदार है।
   ग) वस्तु का प्रारंभिक अनुमान मद को हटाने और स्थान को बहाल करने के लिए जिस पर वह स्थित है, वह दायित्व जिसके लिए काई इकाई किसी वस्तु के दौरान या किसी विशेष दौरान मद के प्राप्त होने पर अथवा अवधि के दौरान मद के प्रयोग में माल सूची तैयार करने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी एक विशेष अवधि होती है।
3. पट्टेदार भूमि के अधिग्रहण पर प्रीमियम के भुगतान को लागत माना जाता है ।
4. कार्यशील पूंजीगत लागत पर किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय तथा यहां तक कि उधार पर ब्याज भी शामिल है ।
5. सभी व्यय परियोजना के निर्माण / कार्यान्यिन स्तर पर किए गए जैसे कि शीर्ष परियोजना के तहत दिखाए गए है और पूर्व प्रभावी व्यय परियोजना के चालू होने पर विभिन्न अचल परिसंपत्तियों की लागत को अनुपातिक आधार पर पूंजीकृत किया गया है।
6. यदि अभिज्ञान मानदंड मिलते हैं तो प्रतिस्थापन्न की लागत प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत और दीर्घाकालीन निर्माण परियोजना के लिए उधार की लागतों को पूंजीकृत किया जाता है।
7. संपत्ति, संयंत्रों और उपकरण के मद के अभिज्ञात से उत्पन्न लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खातें में शामिल किया जाएगा। (जब तक कि इंड एएस 17 की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा बिक्री एवं लीजबैक पर)

(iv) अमूर्त संपत्ति

किसी मूर्त संपत्ति को अभिज्ञात किया जाता है, जहॉं पर संभव है कि संपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ निगम को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वासपूर्वक आंका जा सकता है। अमूर्त संपत्तियां परंपरागत लागत, न्यून संचित परिशोधन और नुकसान हानि, यदि कोई, पर वर्णित की गई

2.2 Summary of Significant Accounting Policies

(i) Cash flow statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Corporation are segregated based on the available information.

For the purposes of the Statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

Amendment to Ind-AS 7:

Effective April 1, 2017, the company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

(ii) Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Indian Rupee (INR), which is functional as well as presentation currency of company.

i) Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected.

Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss.

ii) Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

(iii) Property, plant and equipment

1. Property,Plant and equipment shall be carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.
2. The cost of an item of property, plant and equipment comprises:
   (a) Its purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and rebates.
   (b) Any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
   (c) The initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.
3. Premium paid on acquisition of leasehold land, is treated as cost.
4. Capital work-in-progress is carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and interest on borrowing to the extent attributed to them.
5. All expenditure incurred during construction / implementation stage of the project as shown under the head Project and Pre-operative expenditure has been capitalized on pro-rata basis to the cost of various property, plant and equipments on commissioning of the Project.
6. Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts and borrowing costs for long-term construction projects are capitalized if the recognition criteria are met.
7. The gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment shall be included in profit or loss when the item is derecognised (unless Ind AS 17 requires otherwise on a sale and leaseback).

(iv) Intangible Assets

An intangible Asset is recognized where it is probable that the future economic benefits attributable to the assets will flow to the company and cost of the asset can be measured reliability. Intangible assets are stated at historical cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

(v) निवेश संपत्ति :-

(क) निवेश संपत्ति में, व्यापार की सामान्य अवधि या उत्पादन इस्तेमाल या प्रशासनिक कार्यो में उपयोग की बजाय, पूर्ण संपत्ति, निर्माणधीन संपत्ति और वित्तिय लीज के तहत संपत्ति शामिल है जिसे किराया कमाने या पूँजी बढ़ोत्तरी या दोनों हेतु रखा जाता है।

(ख) निवेश संपत्ति का निर्धारण मूल्य, संचित अवमूल्यन के शुद्ध और संचित हानि, यदि कोई, के आधार पर किया जाता है।

(ग) निगम, निवेश संपत्ति के निर्माण घटकों का अवमूल्यन, मूल खरीद की तारीख से 30 साल पर करता है।

(घ) निवेश संपत्ति की मान्यता तब रद्द की जाती है, जब इनका निपटान किया जाता है या जब इन्हें उपयोग से पूर्णतया वापस लिया जाता है और भविष्य में इनके निपटान से कोई वित्तीय लाभ की उम्मीद न हो। शुद्ध निपटान प्रकिया और परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर को मान्यता रद्द होने की अवधि में लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है।

(vi) प्रावधानः

देनदारियों के संबंध में केवल उन प्रावधानों को अभिज्ञात किया जाता है जिनका आकलन केवल एक पर्याप्त अनुमानित डिग्री का उपयोग करके किया जाता है, जब:

1. एक अतीत की घटना के परिणामस्वरूप निगम की वर्तमान देनदारी हो।
2. आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाह का दायित्व तय करने की आवश्यकता होगी, तथा
3. देनदारी की मात्रा का पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों की छूटः

जिन प्रावधानों का 12 महीने से अधिक समय में निपटान संभावित है उन्हें पूर्व छूट दर जो दायित्व के विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है का उपयोग कर वर्तमान मूल्यपर आकलन किया जाता है। समय बीतने के कारण प्रावधान में हुई वद्धि को ब्याज व्यय में दिखाया जाता है।

(vii) राजस्व

राजस्व निर्धारण

(क) बिक्री एवं सेवाओं से राजस्व को तब अभिज्ञात किया जाता है जब यह बिक्री के समय या सेवा देने के समय आकंलन योग्य हो और सेवा प्रतिपादन के समय आकलन योग्य हो और कोई महत्वपूर्ण अनिश्चित्ता मौजूद न हो कि बिक्री अथवा सेवा प्रतिपादन से निर्धारित राशि से प्राप्त हो जाएगी

(ख) बिक्री से जुड़े लेनदेन स्टॉक में सभी महत्वपूर्ण जोखिम और माल के स्वामित्व का हक तथा सेवा प्रतिपादन के मामले में योग्य निष्पादन क्रेता के स्थानातरण को आधार पर है।

(ग) अंतिम संग्रह की अनिश्चिता के कारण राजस्व की पहचान स्थगित किया गया तथा राजस्व को उस अवधि में अभिज्ञात किया गया जब ऐसे अनिश्चिता का अस्तित्वसमाप्त हो गया हो।

अन्य राजस्व मान्यताः

(क) ब्याज आय को बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर के लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, समानुपात आधार पर अभिज्ञात किया गया है।

(ख) लाभांश तब मान्य होगा जब इकाईयों को भुगतान का अधिकार स्थापित हो, आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होगा और राशि का पूरी तरह निर्धारण किया जा सकता है।

(viii) **पट्टेः**

जहॉ पट्टादाता प्रभावी रूप से पट्टे में दिए गए कार्यकाल के सभी जोखिमों और स्वामित्व के लाभ को पर्याप्त रूप से बरकरार रखता है, उन्हें संचालित पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग लीज भुगतान या रसीद को पट्टा अवधि के आधार पर सीधे तौर पर लाभ और हानि के विवरण में एक व्यय या आय के रूप में पहचाना जाता है, सिवाय जहॉ पट्टे के भुगतान या प्राप्ति को अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ बढ़ने के लिए तैयार किया जाता है ताकि अनुमानित मुद्रास्फीति क्रय वृद्धि की क्षतिपूर्ति की जा सके।

(ix) मूल्यह्रास और परिशोधनः

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची – ।। के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार उल्लिखितदरों पर ह्रास पद्धति (डब्ल्यूडीवी) पर प्रावधान किया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान खरीदी गई/बेची गई संपत्तियों पर मूल्याह्रास कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुपातिक आधार पर लगाया जाता है।

(ग) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अनुपालन में, सभी संपत्तियों का अविशिष्ट मूल्य, जिनका उपयोगी जीवन 31.03.2014 को समाप्त हो गया है, और रखरखाव राशि पर नए लागत से 5 प्रतिशत से कम है, को रखरखाव राशि पर किया गया है। अन्य सभी संपत्तियों के मामलों में अवशिष्ट जीवन परिसंपत्ति की मूल लागत को 5x से कम रखा गया है।

(v) Investment properties

a) Investment property comprises completed property, property under construction and property held under finance lease that is held to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for sale in the ordinary course of business or for use in production or administrative functions.
b) Investment Properties are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.
c) The company depreciates building component of investment property over 60 years from the date of original purchase.
d) Investment properties are derecognized either when they have been disposed of or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. Difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period of de-recognition.

(vi) Provisions

Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:

1. The Company has a present obligation as a result of a past event.
2. Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
3. The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

Discounting of Provisions

Provision which expected to be settled beyond 12 months are measured at the present value by using pretax discount rate that reflects the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expenses.

(vii) Revenue

Revenue Recognition

a) Revenue from sales and services is recognized when the same is measurable at the time of sale or the rendering of the service and no significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration that will be derived from the sale or rendering the service.
b) Transactions involving sales are based on transfer to the buyer, of all significant risks and rewards of ownership in the goods and, in the case of rendition of service, of the eligible performance.
c) Recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainties of ultimate collection, and revenue is recognized in the period when such uncertainties cease to exist.

Other Revenue Recognition

a) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable using Effective Interest rate Method.
b) Dividend will be recognized when the entities right to receive payment is established, economic benefit will flow to the entity and amount can be measured reliably.

(viii) Leases

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments or receipt are recognized as an expense or income in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term except where lease payment are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost increase.

(ix) Depreciation &Amortization

Property, Plant and Equipment

(a) Depreciation on Property, plant and Equipment is provided on Written down value method (WDV) over the useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.
(b) Depreciation on assets purchased/ sold during the year is charged on prorate basis as per Companies Act, 2013.
(c) The residual value of all assets, whose useful life has been exhausted as on 31.3.2014 following scheduled-II of the Companies Act, 2013 and the carrying amount is below 5% of the new cost, has been carried at carrying amount. In case of all other assets, the residual life is kept at 5% of the original cost of assets.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण वस्तुओं की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्ननुसार है

विवरण	**उपयोगी जीवन**
संयंत्र और मशीनरी	10-15 वर्ष
कार्यालय भवन	60 वर्ष
गोदाम	30 वर्ष
कम्प्यूटर	3-6 वर्ष
कार्यालय उपकरण	10-15 वर्ष
जनेरेटर	15 वर्ष
विद्युत स्थापना	10 वर्ष
नलकूप	5 वर्ष
टैंक एवं रिजर्ववायर	15 वर्ष
केन्द्रीय धूरी सिंचाई	15 वर्ष
तार बाड़	10 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	10 वर्ष
वाहन	10 वर्ष

(घ) लीज होल्ड सुधारों को अनुसूची 2 के तहत कम्प्यूट किए गए निचले अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है और लीज अवधि को उस वर्ष से जब ऐसे सुधारों को पूंजीकृत किया गया है।

(ड.) मूल्यह्रास के तरीकों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों के प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।

(च) लीज होल्ड भूमि, जो सतत पट्टे पर है, से अतिरिक्त प्रीमियम को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त संपत्तिः

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधे-सीधे उपयोग हेतु उपलब्धता की तारीख से परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

अमूर्त संपत्ति	**उपयोगी जीवन**	**स्वयं उत्पन्न या आंतरिक रूप से उत्पन्न**
सॉफ्टवेयर	1-5 वर्ष	अधिग्रहित

परिशोधन के तरीकों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोटिंग तारीख पर की जाती है।

(x) गैर वित्तीय संपत्तियों की हानिः

(क) इन्ड एएस 36 संपत्तियों की हानि के अनुसार निगम की परिसंपत्तियो की Carrying राशि की प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर हानि के संकेत की पहचान के लिए समीक्षा की जाती है।

(ख) जब किसी परिसम्पत्ति की रख-रखाव लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जाती है तो उस परिसम्पतियों को ह्रासयुक्त माना जाता है। जिस वर्ष परिसम्पत्ति में ह्रास चिन्हहित होता है, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में वह ह्रास नामे डाली जाती है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन के परिणामस्वरुप चिन्हहित ह्रास को पूर्व लेखा अवधि में अभिज्ञात किया गया है।

(ग) प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर निगम आकस्मिक नुकसान की अनुमानित राशि का मूल्यांकन करता है। पूर्व लेखा अवधियों में पहचाने गए आकस्मिक नुकसान को उत्क्रम किया जाता है यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव है और ऐसे नुकसान या तो अब नहीं हैं या कम हो चुके हैं। आकस्मिक नुकसान का उत्क्रम लाभ एवं हानि खातों में अभिज्ञात किया जाता है।

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment are generally as follows:

Particulars	**Useful Life**
Plant and Machinery	10-15 years
Office Building	60 years
Building Godowns	30 years
Computers	3-6 years
Office Equipment's	10-15 years
Generators	15 years
Electric Installations	10 years
Tubewells	5 years
Tanks and Reserviors	15 years
Pivot Irrigation	15 years
Fencing	5 years
Furniture and fixtures	10 years
Vehicles	10 years

(d) Leasehold improvements are amortized over the lower of estimated useful life as computed under schedule-II and lease term from the year in which such improvement are capitalized.

(e) Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date.

(f) Premium on leasehold land, other than on perpetual lease, is amortized over the period of the lease.

Intangible Assets

Intangible assets are amortized over their respective estimated useful lives on a straight- line basis from the date that they are available for use.

The estimated useful life of intangibles are as follows:

Intangible Assets	**Useful Life**	**Internally generated or self-generated**
(g)Software	(1 - 5 years)	Acquired

(h) Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date.

(x) Impairment of non-financial assets

a) In accordance with Ind AS-36 Impairment of Assets, the carrying amounts of Company's assets are reviewed at each Balance Sheet date to determine whether there is any indication of impairment.

b) An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value and impairment loss is charged to the Statement of Profit & Loss in the year in which an asset is identified as impaired.

c) At each reporting date company assesses the estimate amount of impairment loss. The impairment loss recognized in prior accounting period(s) is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount and such losses either no longer exists or has decreased. Reversal of impaired loss is recognized in the Statement of Profit & Loss.

(xi) मालसूची :

क) माल का मूल्यांकन न्यूनतम लागत एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के आधार पर किया जाता है।

ख) माल के संबंध में लागत निर्धारण का आधार निम्न प्रकार है :

- बीजों के लिए भारित औसत लागत।
- भंडार, अतिरिक्त कल-पुर्जे तथा उपभोज्य सामाग्रियों जैसे प्रमाणीकरण पैंकिग एवं उपचार सामाग्रियों के लिए अनुमानित लागत। वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।
- बेकार/बिक्री योग्य तथा उपयोग में न आने वाले बीजों के स्टॉक का मूल्याकंन वर्ष के दौरान वास्तव में बेचे गए ऐसे स्टॉकों के बिक्री मूल्य को भारित औसत के आधार पर संगणित अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है या यदि वर्ष के दौरान ऐसे स्टॉक का निपटान नहीं किया जाता है तो पिछले वर्ष के दर पर यह मूल्यांकन किया जाता है।

ग) इस्तेमाल हो चुके गनी थैलों का मूल्य निर्धारण मूल खरीद मूल्य के 50x पर किया जाता है।

घ) उपयोग की गई फैबरीकेटेड सामग्री को प्रत्यक्ष लागत में लेखांकन किया जाता है।

ङ) एक इकाई की जैविक संपत्ति से पैदा किए गए कृषि उत्पाद का मापान उचित मूल्य रहित लागत पर किया जाता है ताकि कटाई के समय बेचा जा सके। ऐसे उचित मूल्य को इन्वेंटरी मूल्य निर्धारण के मकसद से लागत के रूप में समझा जाता है।

च) खरीद माल सूची के स्थगित भुगतान में ब्याज अंश भी शामिल है जिसे वित्त लागत में अलग से अभिज्ञात किया गया है और इस माल सूची में लागत शामिल नहीं है।

(xii) जैविक संपत्तियॉ :

1. जैविक संपत्तियॉ बढ़ते हुए पौधों का प्रतिनिधित्व करती है जिनका निर्धारन उचित मूल्य कम लागत पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बेचने के लिए किया जाता है। निगम माल की लागत के अंतर्गत जैविक संपत्तियों के लिए उचित दाम की तुलना में जैविक संपत्तियों की पुर्नगणना से लाभ और हानि का वर्गीकरण करता हैं।

2. रबी की खड़ी फसलों और पौध शाला की इन्वेंटिरी का मूल्य निर्धारण उचित दाम रहित बिक्री पर यानि फसल/पौधशाला को विपणन योग्य बनाने हेतु होने वाले खर्च के लिए एलाउन्स करने के बाद ओर कृषि कार्यो से जुड़े जोखिमों के लिए प्रावधान करने के बाद, किया जाता है। पूर्व खरीफ का मूल्यो निर्धारण लागत पर किया जाता है, जब यह अपने उचित दाम के लगभग बराबर है और जैविक संपत्ति मद के तहत मान्य होती है।

3. आउट लीवड वृक्षारोपण सहित बर्बाद भूमि/सीमाओं या अन्यथा कहीं उगाए गए वाणिज्यिक पेड़ों जिनके लिए या तो उपर्युक्त प्राधिकरण से इनके डिस्पोतजल हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है या जहॉ यह आवश्यक है, वहॉ डिस्पोजल हेतु ऐसी अनुमति पहले ही हासिल की जा चुकी है, का मूल्य निर्धारण खड़े पेड़ों की उचित कीमत पर जैविक संपत्ति मद के तहत किया जाता है। खड़े पेड़ों के लिए उचित कीमत का आधार वन विभाग द्वारा घन सेंटीमीटर में पेड़ के घेरे पर निर्धारित दर हैं।

(xiii) उधार लागत :

(1) उधार लागत चुनी गई संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण हुई है, को ऐसी संपत्तियों की कीमत के एक हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। एक चुनी गई संपत्ति/योग्योता संपत्ति वो हैं जो अपन ऐैच्छिक उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लेती है।

(2) अन्य सभी उधार लागत, को उस अवधि में व्यय के रुप में अभिज्ञात किया जाता है जिस अवधि में खर्च हुए थे।

(xiv) सरकारी अनुदानः

(क) प्रमोटर के योगदान की प्रकृति की सहायता में अनुदानों को इक्विटीधारकों से योगदान के रूप में माना जाता है।

(ख) ग्रांट इन एड से संबंधित या इसके कारण अधिग्रहित की गई अचल संपत्ति की कीमत को "इस्तेमाल पूंजी ग्रांट", जिसकी प्रकृति उत्क्रम की तहत है के क्रेडिट किया जाता है ऐसी संपत्तियों के मूल्यह्रास को इस रिजर्व में से काटा जाता है और लाभ एवं हानि खातों में इसे "कमाई" के रूप में रखा जाता है।

(ग) अनुदान की अप्रयुक्त/बिना खर्ची राशि का खुलासा पूंजी अनुदानों के तहत किया जाता है।

(घ) गैर मौद्रिक संपत्ति रूप सरकारी अनुदान को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में इस अनुदान को अस्थगित आय के रूप में सेट किया जाता है।

(xi) Inventory

a. Inventories are valued at lower of cost and net realizable value.

b The basis of cost determination in respect of inventories carried is:
- The Weighted Average cost for seeds.
- Estimated cost/realizable value for stores, spares and consumables comprising certification, packing and treatment materials.
- Condemned and unserviceable seed stocks are valued at estimated realizable value calculated on the basis of weighted average of sale price of such stocks actually disposed off during the year or at previous year rate if such stocks are not disposed off during the year.

c. The used gunny bags are valued at 50% of the procurement cost.

d. The fabricated material consumed is accounted for at direct cost plus related overheads.

e. Agriculture produce harvested from an entity's biological assets are measured at fair value less cost to sell at the point of harvest such fair value is treated as cost for the purpose of inventory valuation.

f. Deferred payment of inventory purchased includes the interest element which is recognized separately in finance cost, and that does not includes in the cost of inventory.

(xii) Biological Assets

1. Biological assets represent growing plants which are measured at the fair value less cost to sell at the end of each reporting period. Company classifies gain and losses from re-measuring biological assets to fair value for biological assets within cost of goods.

2. Rabi standing crops and inventory of nursery is valued at the Fair value less cost of sale i.e. after making allowance for the expenses yet to be incurred to make the crop/nursery marketable and after providing for risks associated with the agricultural operations. The pre-kharif would be valued at cost when it approximates its fair value and recognized under the head biological asset.

3. The commercial trees grown on waste land/boundaries or otherwise including out lived plantation trees for which either the permission of appropriate authority for its disposal is not required or where it is required, such permission has been obtained for disposal, are valued on fair value of standing trees under the head Biological Assets. The Fair value for standing trees is based on rates fixed by forest department applied on girth in cubic meters.

(xiii) Borrowing Cost

1. Borrowing costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.

2. All other borrowing costs are recognised as expenses in the period in which they are incurred.

(xiv) Government Grants

a) Grants in aid of the nature of promoter's contribution are treated as contribution from equity holders.

b) Cost of depreciable property, plant and equipments acquired out of and having nexus to grant-in-aid, is credited to "Utilized Capital Grant" which is in the nature of a reserve. Depreciation on such assets is reduced from this reserve and is recognized as 'Income' in the Statement of Profit and Loss.

c) Unutilised/unspent amount of the grants are disclosed under Capital Grants.

d) Government grant in the form of non-monetary asset is recognized at fair value and presented in balance sheet by setting up the grant as deferred income.

(xv)रोजगार उपरांत लाभ और अन्य दीर्घकालिक लाभ योजनाएँ:

क) उपदान :

उपदान की देयता के लिए पात्र कर्मचारी (दैनिक मजदूरी कामगारों सहित) के लिए निगम ने इन्ड एएस-19 कर्मचारी लाभ के अनुपालन में शामिल, एक ग्रेच्यूटी ट्रस्ट का गठन किया हे और ट्रस्ट के फंडों को एलआईसी द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। निगम बीमांकित मूल्यांकन पर आधारित प्रीमियम का भुगतान एलआईसी को फंड की आवश्यकता/उपलब्धता के अनुसार इस उद्देश्य हेतु प्रोजेक्ट युनिट क्रेडिट विधि लगाकर करता है।

ख) अवकाश नकदीकरण

इन्ड एएस-19 के अनुसरण में अर्जित छुट्टी और अर्धवेतन छुट्टी की ओर निगम के दायित्व को बीमाकिंत आधार पर निर्धारित एवं प्रदान किया जाता है।

ग) भविष्य निधि :

निगम, कर्मचारी भविष्य निधियों और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार सांविधिक भविष्य निधि में योगदान देता है। निगम द्वारा थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को एक निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है चूँकि निगम को ब्याज और अन्य कमियों, यदि कोई, को पूरा करना होता है। तद्नुसार, देय या किए जा चुके भुगतान और व्यय, यदि कोई, को कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान एक व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

घ) निपटान भत्ता:

इन्ड एएस-19 के अनुसरण में निपटान भत्ते की ओर निगम के दायित्व को बीमाकिंत आधार पर निर्धारित एवं प्रदान किया जाता है। सभी परिभाषित लाभ दायित्वों से संबंधित बीमाकिंत लाभ एवं हानि, उस अवधि जिसमें वे होते हैं, को ओ.सी.आई के माध्यम से पूरी तरह मान्य किया जाता है।

अन्य दीर्घ अवधि लाभ योजनाएँ :

क) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ योजना:

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार और निदेशक मंडल की मंजूरी से, विगत वर्ष के कर पूर्व लाभ के निर्धारित प्रतिशत पर गणना की गई राशि को लाभ और हानि खातों में रखा जाता है और इसके लिए "सेवानिवृत्ति कर्मचारी कल्याण आरक्षित" बनाया गया है।

ख) पेंशन निधि:

निगम, मूलवेतन का 10x +डीए के बराबर या अन्य ऐसे प्रतिशत जो नियोक्ता समय-समय पर निर्णय करता है, के बराबर योगदान देता है और ऐसे योगदान का भुगतान तब तक होगा जब तक भुगतान आयोजन हो। निगम ने एक ट्रस्ट बनाया है और इस ट्रस्ट की निधि का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जाता है।

निर्धारित दर पर ट्रस्ट, बीमा कंपनी और सभी सदस्यों को तीन महीने का नोटिस देकर ऐसे योगदान को आगामी वर्ष में रोका जा सकता है यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निगम का कर उपरांत लाभ 20 करोड़ से नीचे रहता है। हालांकि रोके गए योगदान को चरणबद्ध तरीके से ट्रस्ट को, सभी संचित घाटे को पूरा करने के बाद और कर पश्चात लाभ 20 करोड़ से अधिक होने पर अगामी वर्ष के दौरान, मासिक योगदान के ऐसे बकाया पर बिना ब्याज के जारी कर दिया जाएगा।

ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना:

कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/वियुक्ति के लिए विकल्प प्रस्ताव कर रही लागू योजना के तहत अर्जित मुआवजे को कर्मचारी द्वारा ऐसी योजना के तहत विकल्प चुनने के वर्ष में, लाभ और हानि खातों में दिखाया किया जाता है।

अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उम्मीद किए गए अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के भुगतान की छुट रहित राशि को कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं की अवधि के दौरान एक व्यय के रूप में माना जाता है।

(xv) Post-employment benefits and other long term benefits plans:

a. Gratuity

To meet its liability towards gratuity covering eligible employees (including daily rated workers), in compliance of Ind AS 19 – Employee Benefits, the Corporation has created a Gratuity Trust and funds of the trust are managed by LIC. Corporation pays premium based on actuarial valuation applying the Project Unit Credit Method for this purpose to LIC as per requirement/availability of the funds.

b. Leave Encashment

The Company's obligation towards earned leave and half pay leave, are actuarially determined and provided for, as per Ind AS –19.

c. Provident Fund

The Corporation makes contributions to a statutory provident fund in accordance with the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The provident fund trust set up by the Company is treated as a defined benefit plan since the Company has to meet the interest and other shortfalls, if any. Accordingly, the contribution paid or payable and expenses, if any are recognized as an expense in the period in which services are rendered by the employee.

d. Settlement Allowance

The company's obligation towards settlement allowance (TTA) are actuarially determined and provided as per Ind AS-19

Actuarial gains and losses related to all defined benefit obligations are recognized in full through OCI for the period in which they occur.

Other Long term benefit plans:

a. Medical Benefit Scheme for retired employees

In accordance with the guidelines of the Department of Public Enterprises, Government of India and the approval of the Board of Directors, an amount computed at the prescribed percentage of the Profit before Tax of the previous year is charged to the Statement of Profit and Loss and a Reserve titled "Retired Employees Welfare Reserve" is created for the corresponding amount.

b. Pension Fund:-

· The Corporation makes Contributions equal to 10% of Basic Pay plus DA or such other percentage as the employer may decide from time to time and such contribution shall be payable until the happening of payment events. The company has created a Trust and the funds of the Trust is managed by LIC.

· Such contribution at the prescribed rate shall be withheld in subsequent year if in a particular financial year profit after tax of the Corporation dips below Rs.20 Crore, after giving three months' notice to the Trust, the Insurer and all the Members. However, the withheld contribution shall be released in a phased manner to the Trust from the financial year subsequent to the year when all the previous accumulated losses are wiped out and the profit after tax becomes more than Rs.20 crore, without any interest on such arrears of monthly contributions.

c. Voluntary Retirement Scheme

Compensation accruing under a scheme for the time being in force, offering option for voluntary retirement/ separation to employees is charged to the statement of profit and loss, in the year when the employees exercise option under such scheme.

Short Term Employee Benefits

The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by the employees, is recognized as an expense during the period when the employees rendered those services.

(xvi) करः

वर्तमान आयकरः

i. वर्ष के लिए कर खर्च में वर्तमान आयकर और आस्थगित कर शामिल हैं।

ii . वर्तमान कर का आकंलन, लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को भुगतान की जाने वाली संभावित राशि पर किया जाता है।

iii . राशि की गणना हेतु इस्तेमाल कर दरें और कर कानून वो हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तारीख पर उन देशों में जहां निगम संचालित है और कर योग्य आय उत्पन्न करता है, वहॉं अधिनियमित हैं या पर्याप्त रूप से लागू हैं।

iv . अन्य व्यापक मदों से संबंधित वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है।

आस्थगित करः

भारतीय लेखा मानक 12 के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आयकर"

i . आस्थगित आयकर संपत्ति और देनदारियों को अस्थायी अंतरों/मतभेदों, जिन्हें कर दरों और कर कानून, जो रिपोर्टिंग तारीख पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से लागू हैं, का इस्तेमाल करके मान्य किया जाता है।

ii . आस्थगित आयकर संपत्तियों को उस हद तक मान्य किया जाता है जहां तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उत्पन्न होगा, जिसके तहत छूट अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और आगे बढ़ाए गए अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सके।

iii . आस्थगगित आयकर की वहन राशि की प्रत्ये क रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है और उस हद तक कम की जाती है जहाँ कि यह संभावना नहीं है कि आस्थगित आयकर संपत्ति का हिस्सा या पूरी को इस्तेमाल करने पर पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

iv . अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित आस्थ्गित कर को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है।

(xvii). प्रतिशेयर उपार्जन :

i . प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों की आर्टिब्यूटेबल अवधि के लिए शुद्घ लाभ और हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस जारी करने और शेयर विभाजन के मामलें में समायोजित किया जाता है।

ii . प्रति शयेर डिलुटेड आय की गणना के उद्देश्य हेतु इक्विटी शेयरधारकों की आर्टिब्यूटेबल अवधि के लिए शुद्घ लाभ और हानि एवं अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी डिलुटिव पोटेंशनल इक्विटी शेयरों के इफैक्ट के लिए समायोजित किया जाता है।

(xviii) आकस्मिक देयताऐं और आकस्मिक संपत्तिः

(क) आकस्मिक देयताओं का निम्नलिखित में से किसी भी मामलें में खुलासा किया जाता है:

i . किसी पिछली घटना से उत्पन्न वर्तमान देयता, जब यह संभावित नहीं है कि देयता को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक हो।

ii . वर्तमान देयता का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सके, या

iii . एक संभावित देयता, जब तक कि संसाधन के बहिर्वाह की संभावना बहुत ही कम है।

(ख) आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा आर्थिक लाभों के प्रवाह की संभावना पर किया जाता है।

(ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर की जाती है।

(घ) आकस्मिक देयता, निपटान पर संभावित बहिर्वाह को ध्यान में रखकर अनुमानित प्रावधानों का कुलमान है।

(xix) उचित मूल्य मापनः

(क) निगम प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर कुछ वित्तीय साधनों का उचित मूल्य पर मापन करता है। उचित मूल्य वह कीमत है जिसे माप की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में एक संपत्ति को बेचने पर प्राप्त होगी या एक देयता को हस्तातंरण करने पर भुगतान की जाए। निष्पक्ष मूल्य माप इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता हस्तातंरित करने पर लेनदेन, या तो

(i) परिसंपत्ति या देयता के लिए सैद्घांतिक बाजार में, या

(ii) प्रमुख बाजार की अनुपलब्धता में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में होता है।

(xvi) Taxes

Current income tax

i. Tax expense for the year comprises of current Income tax and deferred tax.
ii. Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities using the applicable tax rates.
iii. The tax rates and tax laws used to compute the taxable amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date in the countries where the company operates and generates taxable income.
iv. Current tax related to OCI Items is recognized in Other Comprehensive Income (OCI).

Deferred tax

In accordance with the Indian Accounting Standard (Ind-AS 12) "Income Taxes" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

i. Deferred income tax assets and liabilities are recognized for temporary differences which is computed using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.
ii. Deferred income tax asset are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilized.
iii. The carrying amount of deferred income tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilized.
iv. Deferred tax related to OCI Item are recognized in Other Comprehensive Income (OCI).

(xvii) Earnings Per Share

1. Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. The weighted average number of equity shares outstanding during the period are adjusted for events of bonus issue and share split.
2. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

(xviii) Contingent Liabilities and contingent Assets

(a) Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:
i) A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or
ii) A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or
iii) A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.

(b) Contingent assets is disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

(c) Contingent Liability and Contingent Assets are reviewed at each Reporting date.

(d) Contingent Liability is net of estimated provisions considering possible outflow on settlement.

(xix) Fair Value Measurement

a) Company measures certain financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:
i) In the principal market for the asset or liability, or
ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

(ख) निगम के लिए प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता के मूल्य निर्धारण में करता है, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागियों ने अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य किया है। निगम उन मूल्य निर्धारण तकनीकों का इस्तेमाल करता है जो परिस्थितियों में उपर्युक्त है और जिसके लिए उचित कीमत निर्धारण हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रांसगिक अवलोकनात्मक इनपुट का उपयोग अधिकतम है और अप्रभावी इनपुट का उपयोग कम से कम है।

(xx) इक्विटी धारकों के लिए लाभांश:
भुगतान किए जा चुके/ किए जाने वाले लाभांश को उस वर्ष में मान्य किया जाता है जिसमें संबंधित लाभांशों को शेयरधारकों या निदेशक मंडल, जो भी उचित हो, द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(xxi) वित्तीय साधन:
प्रारंभिक पहचान:
वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब निगम, साधन के संविदागत प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाता है1 वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन लागतें जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण से हुई हैं, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रांरभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

अगला निर्धारण:
वित्तीय संपत्तियाँ:
वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:-

(क) परिशोधित लागत पर:
वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बाजार में होल्ड किया जाता है जिसका उद्देश्य इन परिसंपत्तियों को, संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने हेतु होल्ड करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंध शर्ते निर्धारित तारीखों प र नकदी प्रवाहों जो बकाया मूलधन राशि पर केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान हैं, को वृद्धि देती है।

(ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर:
i .वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारण किया जाता है। यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों के ऐसे व्यापार में रोका जाता है जिसका उद्देश्य, दोनों, संविदात्मक नकदी प्रवाह संग्रह और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर पूरा होता है और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंध शर्ते निर्धारित तारीखों पर नकदी प्रवाहों जो केवल बकाया मूलधन राशि पर केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान है, को वृद्धि देती हैं।
ii .निगम ने अन्य व्यापक आय में पेश करने के लिए एक अनिश्चित चुनाव किए हैं जो व्यापार के लिए नहीं जुड़ें इक्विटी निवेश के उचित मूल्य में बाद के बदलावों में शामिल हैं।

(ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर:
वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारण किया जाता है, जब तक कि इसे प्रांरभिक पहचान पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम अमूल लागत या उचित मूल्य पर से निर्धारित नहीं किया जाता है। उचित मूल्य पर लाभ या हानि के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष लेन देन लागत प्रभावी रुप से लाभ या हानि में अभिज्ञात किया जाता है।

(घ) एसोसियटस में निवेश:
एसोसियटस में निवेश को इंड-एएस 27 वित्तीय विवरण के अनुसार लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देनदारियाँ:
वित्तीय देनदारियाँ निम्नानुसार वर्गीकृत हैं:

(क) परिशोधित लागत पर:
व्यापार और अन्य देय, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण पैसा आदि द्वारा प्रतिनिधित्व की गई परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर निर्धारण किया जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग कर परिशोधित लागत पर कैरी किया जाता है।

(ख) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)
निगम ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर किसी भी वित्तीय देनदारी को नामित नहीं किया है।

b) The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

(xx) Dividend to equity holders

Dividend paid/payable is recognized in the year in which the related dividends are approved by shareholders or board of directors as appropriate.

(xxi) Financial instruments:-

Initial Recognition:

Financial Assets and Liabilities are recognized when the company becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Subsequent measurement

Financial Assets

Financial assets are classified in following categories:

a. At Amortised Cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

b. Fair Value through Other Comprehensive Income

* Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
* The company has made an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value of equity investments not held for trading.

c. At Fair Value through Profit and Loss

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in profit or loss.

d. Investment in Associates

Investment in Associates are measured at cost as per Ind AS-27- Separate Financial Statements.

Financial Liabilities

Financial Liabilities are classified as follow:

a) Financial liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortised cost represented by trade and other payables, security deposits and retention money etc. are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

b) Financial liabilities at FVTPL

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL

(ड) डी-रिकोगनाइजेशन

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसपंत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता केवल तब रद्द की जाती है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्ता हो जाते हैं या वित्तीय अनुबंधों और संपत्ती के अधिकतर सभी जोखिमों और स्वामित्व के अधिकारी स्थानातंरित हो जाते हैं।

वित्तीय देनदारी:

एक वित्तीय देयता को गैर अभिज्ञात किया जाता है जब देयता के तहत दायित्व पूरा हो जाता है या निरस्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से दूसरी द्वारा पूरी तरह अलग शर्तो पर बदल दिया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तो को पूरी तरह संशोधित कर दिया जाता है, इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की अस्वीकृत और नई देयता की पहचान मानी जाती है और संबंधित वहन राशियों के अंतर को लाभ - हानि के विवरण/लेखों में अभिज्ञात किया जाता है।

05 वर्ष से अधिक गैर ऑपरेटिव पार्टियों के प्रत्याभूत डिपोजिट और धरोहर राशि सहित खातों में पड़े बकाया शेष को प्रत्येक पार्टी को 21 दिन का नोटिस देकर वापस लिखा जाता है।

(च) वित्तीय संपत्तियों की हानि:

कंपनी हानि के निर्धारण एवं अभिज्ञात के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है। व्यापार प्राप्य पर हानि की पहचान के लिए "सरलीकृत दृष्टिकोण" का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों की पहचान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि की पहचान करता है।

कंपनी परिशोधित लागत एवं एफवीटीओसीआई ऋण पर ली गई संपत्तियों से जुड़ें अपेक्षित क्रेडिट नुकसान का आंकलन आगे के आधार पर करती है। हानि पद्धति तब लागू होता है जब क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हो। अवधि के दौरान ईसीएल हानि (या उल्टा) लाभ एवं हानि के विवरण में आय एवं व्यय के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

व्यापार प्राप्तियों, ऋण और अग्रिम के तहत बकाया और सरकारी विभागों / पक्षों के विरूद्ध अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों जो 06 वर्षों से कम या बराबर अवधि से बकाया हैं और निजी पार्टियों के लिए तीन वर्षों से कम या बराबर, को अच्छा माना जाता है और तद्नुसार संदिग्धि ऋण के लिए प्रावधान बनाया गया है।

.

e. De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit an loss.

Credit balances lying in the accounts including security and EMD for non-operative parties for more than 5 years is written back after giving a notice of 21 days to each party.

f) Impairment of financial assets:

- Company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss. The Company follows' simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on trade receivable. The application of simplified approach does not require the Company to track changes in credit risk. Rather, it recognises impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition
- Company assesses on a forward looking basis the expected credit losses associated with its assets carried at amortised cost and FVTOCI debt instruments. The impairment methodology applies on whether there has been significant increase in credit risk.
- ECL impairment loss allowance (or reversal) recognised during the period is recognised as income/expense in the statement of profit and loss.

- Dues under trade receivables, loans and advances and other Current Assets against the Government Departments/parties outstanding for a period equal to or less than six years and private parties for a period of equal to or less than three years are considered good and accordingly provision is made for doubtful debt.

टिप्पणी-3
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रु. लाख में)

विवरण	फ्री होल्ड भूमि	पट्टे वाली भूमि	भूमि विकास फार्म	भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	पौध रोपण एवं बागवानी	सिंचाई	फर्नीचर/ फिक्सर	कार्यालय उपस्कर	कंप्यूटर	रु. 5000/- से कम राशि की परिसंपत्तियां	किताबें	वाहन	तिरपाल एवं धूनी आवरण	सड़कें	कुल
लागत अथवा मान्य लागत																
1 अप्रैल, 2016 को	460.46	219.93	672.85	7,890.76	6,269.69	228.94	6,041.93	571.95	371.63	409.43	48.61	4.80	281.62	53.70	136.91	23,663.21
वृद्धि	-	-	100.16	899.77	897.67	3.61	608.80	25.54	41.07	2.12	1.19	-	-	3.33	-	2,583.26
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	31.68	4.00	-	0.01	-	-	-	-	3.53	1.33	-	40.55
31 मार्च, 2017 को	**460.46**	**219.93**	**773.01**	**8,790.53**	**7,135.68**	**228.55**	**6,650.73**	**597.48**	**412.70**	**411.55**	**49.80**	**4.80**	**278.09**	**55.70**	**136.91**	**26,205.92**
वृद्धि	0.72	-	145.80	1,147.22	194.97	5.59	775.42	40.54	29.22	15.11	0.26	0.46	1.22	2.07	-	2,358.60
निपटान/समायोजन	-	-	-	(2.06)	(34.32)	(0.27)	-	(0.04)	(1.76)	(0.15)	-	-	(13.34)	(0.23)	-	(52.17)
31 मार्च, 2018 को	**461.18**	**219.93**	**918.81**	**9,935.69**	**7,296.33**	**233.87**	**7,426.15**	**637.98**	**440.16**	**426.51**	**50.06**	**5.26**	**265.97**	**57.54**	**136.91**	**28,512.35**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि																
1 अप्रैल, 2016 को	-	24.34	-	2,425.63	3,865.99	90.24	1,801.95	393.50	328.59	365.91	48.41	4.77	246.52	44.39	77.41	9,717.65
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	-	3.56	-	499.37	524.40	10.96	758.26	50.34	19.47	20.02	1.19	-	12.25	6.38	14.40	1,920.60
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	28.38	-	-	-	0.22	-	-	-	3.40	-	-	32.00
31 मार्च, 2017 को	**-**	**27.90**	**-**	**2,925.00**	**4,362.01**	**101.20**	**2,560.21**	**443.84**	**347.84**	**385.93**	**49.60**	**4.77**	**255.37**	**50.77**	**91.81**	**11,606.25**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	0.69	2.71	0.42	564.57	522.46	7.83	651.55	43.99	28.22	12.57	0.11	0.42	5.51	2.38	4.96	1,848.39
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	2.35	32.72	-	(0.01)	0.89	0.86	0.04	-	-	12.76	0.23	-	49.84
31 मार्च, 2018 को	**0.69**	**30.61**	**0.42**	**3,487.22**	**4,851.75**	**109.03**	**3,211.77**	**486.94**	**375.20**	**398.46**	**49.71**	**5.19**	**248.12**	**52.92**	**96.77**	**13,404.80**
निवल वहन मूल्य																
31 मार्च, 2018 को	**460.49**	**189.32**	**918.39**	**6,448.47**	**2,444.58**	**124.84**	**4,214.38**	**151.04**	**64.96**	**28.05**	**0.35**	**0.07**	**17.85**	**4.62**	**40.14**	**15,107.55**
31 मार्च, 2017 को	**460.46**	**192.03**	**773.01**	**5,865.53**	**2,773.67**	**127.35**	**4,090.52**	**153.64**	**64.86**	**25.62**	**0.20**	**0.03**	**22.72**	**4.93**	**45.10**	**14,599.67**
1 अप्रैल, 2016 को	**460.46**	**195.59**	**672.85**	**5,465.13**	**2,403.70**	**138.70**	**4,239.98**	**178.45**	**43.04**	**43.52**	**0.20**	**0.03**	**35.10**	**9.31**	**59.50**	**13,945.56**

Note: - 3

Property, Plant and equipment

(₹ In Lakhs)

Particulars	Freehold Land	Leasehold Land	Land Development farm	Building	Plant and Machinery	Plantation & Horticulture	Irrigation	Furniture & Fixtures	Office Equipment	Computers	Assets Less than Rs. 5000/-	Books	Vehicles	Tarpaulins and Fumigation cover	Roads	Total
Cost or deemed cost																
At 01 April 2016	460.46	219.93	672.85	7,890.76	6,269.69	228.94	6,041.93	571.95	371.63	409.43	48.61	4.80	281.62	53.70	136.91	23,663.21
Additions	-	-	100.16	899.77	897.67	3.61	608.80	25.54	41.07	2.12	1.19	-	-	3.33	-	2,583.26
Disposals/ Adjustments	-	-	-	-	31.68	4.00	-	0.01	-	-	-	-	3.53	1.33	-	40.55
At 31 March 2017	**460.46**	**219.93**	**773.01**	**8,790.53**	**7,135.68**	**228.55**	**6,650.73**	**597.48**	**412.70**	**411.55**	**49.80**	**4.80**	**278.09**	**55.70**	**136.91**	**26,205.92**
Additions	0.72	-	145.80	1,147.22	194.97	5.59	775.42	40.54	29.22	15.11	0.26	0.46	1.22	2.07	-	2,358.60
Disposals/ Adjustments	-	-	-	(2.06)	(34.32)	(0.27)	-	(0.04)	(1.76)	(0.15)	-	-	(13.34)	(0.23)	-	(52.17)
At 31 March 2018	**461.18**	**219.93**	**918.81**	**9,935.69**	**7,296.33**	**233.87**	**7,426.15**	**637.98**	**440.16**	**426.51**	**50.06**	**5.26**	**265.97**	**57.54**	**136.91**	**28,512.35**
Accumulated Depreciation and impairment																
At 01 April 2016	-	24.34	-	2,425.63	3,865.99	90.24	1,801.95	393.50	328.59	365.91	48.41	4.77	246.52	44.39	77.41	9,717.65
Depreciation charge for the year	-	3.56	-	499.37	524.40	10.96	758.26	50.34	19.47	20.02	1.19	-	12.25	6.38	14.40	1,920.60
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	-	-	28.38	-	-	-	0.22	-	-	-	3.40	-	-	32.00
At 31 March 2017	**-**	**27.90**	**-**	**2,925.00**	**4,362.01**	**101.20**	**2,560.21**	**443.84**	**347.84**	**385.93**	**49.60**	**4.77**	**255.37**	**50.77**	**91.81**	**11,606.25**
Depreciation charge for the year	0.69	2.71	0.42	564.57	522.46	7.83	651.55	43.99	28.22	12.57	0.11	0.42	5.51	2.38	4.96	1,848.39
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	-	2.35	32.72	-	(0.01)	0.89	0.86	0.04	-	-	12.76	0.23	-	49.84
At 31 March 2018	**0.69**	**30.61**	**0.42**	**3,487.22**	**4,851.75**	**109.03**	**3,211.77**	**486.94**	**375.20**	**398.46**	**49.71**	**5.19**	**248.12**	**52.92**	**96.77**	**13,404.80**
Net carrying value																
At 31 March 2018	**460.49**	**189.32**	**918.39**	**6,448.47**	**2,444.58**	**124.84**	**4,214.38**	**151.04**	**64.96**	**28.05**	**0.35**	**0.07**	**17.85**	**4.62**	**40.14**	**15,107.55**
At 31 March 2017	**460.46**	**192.03**	**773.01**	**5,865.53**	**2,773.67**	**127.35**	**4,090.52**	**153.64**	**64.86**	**25.62**	**0.20**	**0.03**	**22.72**	**4.93**	**45.10**	**14,599.67**
At 1 April 2016	**460.46**	**195.59**	**672.85**	**5,465.13**	**2,403.70**	**138.70**	**4,239.98**	**178.45**	**43.04**	**43.52**	**0.20**	**0.03**	**35.10**	**9.31**	**59.50**	**13,945.56**

टिप्पणी-4 : अन्य अगोचर परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	साफ्वेयर	कुल
लागत अथवा मान्य लागत		
1 अप्रैल, 2016 को	87.92	87.92
वृद्धि	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2017 को	**87.92**	**87.92**
वृद्धि	0.46	0.46
निपटान/समायोजन	(0.15)	(0.15)
31 मार्च, 2018 को	**88.53**	**88.53**
संचित परिशोधन एवं हानि		
1 अप्रैल, 2016 को	**73.36**	**73.36**
वर्ष के लिए परिशोधन	4.50	4.50
हानि	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2017 को	**77.86**	**77.86**
वर्ष के लिए परिशोधन	3.94	3.94
हानि	-	-
निपटान/समायोजन	(0.04)	(0.04)
31 मार्च, 2018 को	**81.84**	**81.84**
निवल वहन मूल्य		
31 मार्च, 2018 को	**6.69**	**6.69**
31 मार्च, 2017 को	**10.06**	**10.06**
1 अप्रैल, 2016 को	**14.56**	**14.56**

Note: - 4: Other intangible assets

(₹ In Lakhs)

Particulars	Software	Total
At Cost or Deemed Cost		
At 1 April 2016	87.92	87.92
Additions	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2017	**87.92**	**87.92**
Additions	0.46	0.46
Disposals/Adjustments	(0.15)	(0.15)
At 31 March 2018	**88.53**	**88.53**
Accumulated Amortisation and impairment		
At 1 April 2016	**73.36**	**73.36**
Amortisation for the year	4.50	4.50
Impairment	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2017	**77.86**	**77.86**
Amortisation for the year	3.94	3.94
Impairment	-	-
Disposals/Adjustments	(0.04)	(0.04)
At 31 March 2018	**81.84**	**81.84**
Net carrying value		
At 31 March 2018	**6.69**	**6.69**
At 31 March 2017	**10.06**	**10.06**
At 1 April 2016	**14.56**	**14.56**

.

टिप्पणी-5
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	123.97	505.26
कुल	**123.97**	**505.26**

टिप्पिणी-6
निवेश परिसंपत्ति

(रु. लाख में)

विवरण	भूमि	भवन	कुल
सकल वहन राशि/मान्य लागत			
1 अप्रैल, 2016 के प्रारम्भ में शेष	-	28.24	**28.24**
वृद्धि (बाद में व्यय)	-	-	-
निपटान	-	-	-
31 मार्च, 2017 को शेष	**-**	**28.24**	**28.24**
वृद्धि (बाद में व्यय)	-	-	-
निपटान	-	-	-
31 मार्च, 2018 को शेष	**-**	**28.24**	**28.24**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि			
1 अप्रैल, 2016 के प्रारम्भ में शेष	-	26.61	26.61
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास चार्ज	-	0.03	0.03
निपटान	-	-	-
31 मार्च, 2017 को शेष	**-**	**26.64**	**26.64**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास चार्ज	-	0.03	0.03
निपटान	-	-	-
31 मार्च, 2018 को शेष	**-**	**26.67**	**26.67**
निवल वहन राशि			
31 मार्च, 2018 का	**-**	**1.57**	**1.57**
31 मार्च, 2017 को	**-**	**1.60**	**1.60**
1 अप्रैल, 2016 का	**-**	**1.63**	**1.63**

निवेश परिसंपत्तियों की आय एवं व्यय से संबंधित सूचना

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त किराया आय	4.30	3.76
प्रत्यक्ष परिचालन व्य्य (मरम्मत एवं रखरखाव सहित) उत्पन्न किराया आय	(0.10)	(0.10)
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत एवं रखरखाव सहित) जिससे किराया आय उत्पन्न नहीं हुआ	-	-
मूल्यह्रास से पूर्व निवेश परिसम्पत्तियों से उत्पन्न लाभ	4.20	3.66
घटाएं : मूल्यह्रास	0.03	0.03
निवेश परिसम्पत्तियों से उत्पन्न लाभ	4.17	3.63

Note: - 5

Capital work-in-progress

(₹ In Lakhs)

Particulars	31-03-18	31-03-17
Capital Work in Progress	123.97	505.26
Total	**123.97**	**505.26**

Note: - 6
Investment property

(₹ In Lakhs)

Particulars	Land	Building	Total
Gross carrying amount/Deemed cost			
Opening balance at 1 April 2016	-	28.24	**28.24**
Additions (subsequent expenditure)	-	-	-
Disposals	-	-	-
Closing balance at 31 March 2017	**-**	**28.24**	**28.24**
Additions (subsequent expenditure)	-	-	-
Disposals	-	-	-
Closing balance at 31 March 2018	**-**	**28.24**	**28.24**
Accumulated Depreciation and impairment			
Opening balance at 1 April 2016	-	26.61	26.61
Depreciation charged during the year	-	0.03	0.03
Disposals	-	-	-
Closing balance 31 March 2017	**-**	**26.64**	**26.64**
Depreciation charged during the year	-	0.03	0.03
Disposals	-	-	-
Closing balance 31 March 2018	**-**	**26.67**	**26.67**
Net Carrying Amount			
at 31 March 2018	**-**	**1.57**	**1.57**
at 31 March 2017	**-**	**1.60**	**1.60**
at 1 April 2016	**-**	**1.63**	**1.63**

Information regarding income and expenditure of Investment property

(₹ In Lakhs)

Particulars	31-03-18	31-03-17
Rental income derived from investment properties	4.30	3.76
Direct operating expenses (including repairs and maintenance) generating rental income	(0.10)	(0.10)
Direct operating expenses (including repairs and maintenance) that did not generate rental income'	-	-
Profit arising from investment properties before depreciation	4.20	3.66
Less: Depreciation	0.03	0.03
Profit arising from investment properties	4.17	3.63

उचित मूल्य का पुन: मिलान (स्तर-3 में आवर्ती मूल्यांकन, यदि आवश्यक हो)

(रु. लाख में)

विवरण	भूमि	भवन	कुल
1 अप्रैल, 2016 को प्रारम्भिक शेष	-	312.94	**312.94**
उचित मूल्य अंतर	-	-	-
खरीद	-	-	-
31 मार्च, 2017 को शेष	**-**	**312.94**	**312.94**
उचित मूल्य अंतर	-	0.81	0.81
खरीद	-	-	**-**
31 मार्च, 2018 को शेष	**-**	**313.75**	**313.75**
अवधि के लिए उचित मूल्य अंतर	-	-	-
टिप्पणी :			
निवेश सम्पत्ति अधिग्रहित	-	-	-
निवेश सम्पत्ति स्वनिर्मित	-	-	-
	-	**-**	**-**

टिप्पणी :

निवेश सम्पत्ति की खरीद, निर्माण अथवा विकास अथवा इसके मरम्मत/रखरखाव या वृद्धि के लिए अनुबंधात्मक प्रतिबद्धता शून्य है ।

उचित मूल्य का आकलन:

कम्पनी ने अपने निवेश सम्पत्तियों के लिए वार्षिक स्वतंत्र मूल्यांकन कराया है। उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण इसी प्रकार की सम्पत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमत है ।.

निवेश पर सम्पत्तियों का उचित मूल्य पूरे देश में स्वतंत्र मूल्यांकनों द्वारा निर्धारित किया गया है । उपयोग की गई मुख्य इनपुट सम्पत्ति की सरकारी दरें हैं । परिणामस्वरुप निवेश सम्पत्तियों के लिए उचित मूल्य के स्तर-3 मे शामिल किया गया है ।

Reconciliation of fair value (Required if recurring valuation within level-3)

(₹ In Lakhs)

	Land	Building	Total
Opening balance as at 01-04- 2016	-	312.94	**312.94**
Fair value difference	-	-	-
Purchases	-	-	-
Closing balance as at 31-03-2017	**-**	**312.94**	**312.94**
Fair value difference	-	0.81	**0.81**
Purchases	-	-	**-**
Closing balance as at 31-03-2018	**-**	**313.75**	**313.75**
Fair value difference for the period	-	-	-
Note:-			
Investment Property acquired	-	-	-
Investment Property self constructed	-	-	-
	-	**-**	**-**

Note:
Contractual commitment for purchase, construction or development of investment property or for its repair maintenance or enhancement are Nil.

Estimation of Fair Value
The company obtains independent valuation for its investment properties at least annually. The best evidence of fair value is current prices in active market for similar properties.

The fair value of investment properties have been determined by Independent valuers throughout the country. The main inputs used are Government rates of Property. All resulting fair value for investment properties are included in level 3.

टिप्पणी-7 : निवेश

टिप्पणी-7.1 : गैर चालू निवेश

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
(क) इक्विटी में निवेश				
(i) एसोशियटेस लागत पर				
आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 90,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2017 : (90,000)		90.00		90.00
हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,13,312 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2017 : 1,13,312)		113.31		113.31
उत्तराचंल बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 84,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2017: 84,000)		84.00		84.00
महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,48,330 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2017 : 1,48,330)		148.33		148.33
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 63,829 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2017 : 63,829)	63.83		63.83	
घटाएं शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान'	(63.83)	-	(63.83)	-
शेयर आवेदन प्रदत्त राशि :				
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 3,226 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2017 : 3,226)	3.23		3.23	
घटाएं: शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	(3.23)	-	(3.23)	-
कुल (क) का (i)		435.64		**531.79**
(ii) अन्य व्यापक आय से अन्य उचित मूल्य				
उड़ीसा राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 25,039 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2017: 25,039)		434.93		33.80
कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 62,230 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2017 को : 62,230)		544.51		545.76
पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 96,151 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2017 : 96,151) संदर्भ टिप्पणी संख्या 7.1 (i)		41056		509.60
मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में प्रत्येक 10000 रु. के पूर्णत प्रदत्त 482 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2017 : 482)		73.97		73.97
राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1, 13,930 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2017 : 1,13,930)		1,592.74		1,319.31
सरस्वती किसान सहकारी शुगर मिल लिमिटेड बहराइच में प्रत्येक 200 रु. के पूर्णत प्रदत्त 2500 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2017: 2500)		5.00		5.00
को-ऑपरेटिव औद्योगिक वसाहत लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 05 इक्विटी शेयर(31 मार्च, 2017 : 05)		0.01		0.01
कुल (क) का (ii)		3,061.72		2,487.45
कुल क {(i) + (ii)}		**3,497.36**		**2,923.09**
ख. अधिमानी शेयरो में निवेश				
(i) एसोशियटेस - लागत पर				
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 37,021 अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2017 : 37,021)	37.02		37.02	
घटाएं: शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान'	(37.02)		(37.02)	
शेयर आवेदन प्रदत्त राशि : *		-		-
शेयर आवेदन प्रदत्त राशि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 2,304 अधिमानी शेयर (31 मार्च, 2017 : 2,304)	2.30		2.30	
घटाएं: शेयरो के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान'	(2.30)	-	(2.30)	-
कुल (ख) का (i)		-		-

Note:- 7: Investment

Note 7.1 : Non Current Investment

(₹ In Lakhs)

Particulars		31 March 2018		31 March 2017
a) Investment in equity instruments				
(i) Associates at cost				
90,000 [31-March-17 : 90,000] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Andhra Pradesh State Seeds Development Corporation Ltd.		90.00		90.00
1,13,312 [31-March-17 : 1,13,312] Equity Shares of Rs.100 each fully paid-up of Haryana State Seeds Development Corporation Ltd.		113.31		113.31
84,000 [31-March-17 : 84,000] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Uttarakhand Seeds & Tarai Development Corporation Ltd.		84.00		84.00
1,48,330 [31-March-17 :: 1,48,330] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Maharashtra State Seeds Corporation Ltd.		148.33		148.33
63,829 [31-March-17 : 63,829] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	63.83		63.83	
Less: Provision for diminution in value of shares	(63.83)	-	(63.83)	-
Share application money paid:*				
3,226 [31-March-17 : 3,226] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	3.23		3.23	
Less: Provision for diminution in value of shares	(3.23)	-	(3.23)	-
Total a) (i)		**435.64**		**435.64**
(ii) Others at Fair Value through Other Comprehensive Income				
25,039 [31-March-17 : 25,039] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Odisha State Seeds Corporation Ltd.		434.93		33.80
62,230 [31-March-17 : 62,230] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Karnataka State Seeds Corporation Ltd.		544.51		545.76
96,151 [31-March-17 : 96,151] Equity Shares of Rs.100 each fully paid-up of Punjab State Seeds Corporation Ltd.		410.56		509.60
482 [31-March-17 : 482] Equity Shares of Rs. 10000 each fully paid-up of Madhya Pradesh Rajya Beej Evam Farm Vikas Nigam.		73.97		73.97
1,13,930 [31-March-17 : 1,13,930] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Rajasthan State Seeds Corporation Ltd.		1,592.74		1,319.31
2,500 [31-March-17 : 2,500] Equity Shares of Rs. 200 each fully paid-up in Sharavasti Kissan Sehkari Sugar Mills Ltd. Nanpura, Janpad Bahraich(U.P)		5.00		5.00
5 [31-March-17 : 5] Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Cooperative Audhyogik Vasahat Ltd.		0.01		0.01
Total a) (ii)		3,061.72		2,487.45
Total a) {(i) + (ii)}		**3,497.36**		**2,923.09**
b) Investment in Preference Shares :				
(i) Associates at Cost				
37,021 [31-March-17 : 37,021] Preference Shares of Rs.100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	37.02		37.02	
Less: Provision for diminution in value of shares	(37.02)	-	(37.02)	-
Share application money paid: *				
2,304 [31-March-17 : 2,304] Preference Shares of Rs. 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	2.30		2.30	
Less: Provision for diminution in value of shares	(2.30)	-	(2.30)	-
Total b) (i)		-		-

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
(ii) अन्य परिशोधित लागत पर		
उड़ीसा राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 14,301 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2017 : 14,301)	14.30	14.30
कुल (ख) का (ii)	14.30	14.30
कुल (ख) का {(i)+(ii)}	**14.30**	**14.30**
(ग)अन्य में		
डाकघर राष्ट्रीय बचत पत्र	-	0.02
कुल (ग)	-	0.02
कुल गैर चालू निवेश (क+ख+ग)	**3,511.66**	**2,937.41**
टिप्पणी-7.2 : चालू निवेश		
क- मैचुअल फंड में लाभ हानि निवेश के माध्यम से		
उचित मूल्य पर निवेश	-	3,499.64
कुल चालू निवेश	-	**3,499.64**
उद्धृत निवेश एवं उसका बाजार मूल्य की कुल राशि	-	-
अउद्धृत निवेश की कुल राशि	3,511.88	2,937.41
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	106.38	106.38

* बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा शेयरो के आबंटन को उनके निदेशक मंडल ने दिनांक 31.1.1998 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है, अभी भी शेयर प्रमाण पत्र जारी किए जाने है, निवेश को प्रदत्त शेयर आवेदन राशि के रुप में दिखाया गया है।

टिप्पणी :

7.1.(ii). बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधिमानी शेयर में निवेश को परिशोधित लागत पर लिया गया है, यद्यपि लाभांश के प्रभाव को लेखा बहियों में नहीं दिखाया जाता है क्योंकि निगम ने पिछले कई वर्षो से इस कम्पनी से लाभांश प्राप्त नहीं किया है ।

*संदर्भ टिप्पणी संख्या 63

टिप्पणी-8 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
प्रत्याभूत जमा				
वसूली वाले	233.48		243.66	
संदिग्ध वसूली वाले	20.60		20.60	
	254.08		264.26	
घटाएं : संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए अलाउन्स	(20.60)	**233.48**	(20.60)	**243.66**
कुल		**233.48**		**243.66**

टिप्पणी-9 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
पूंजीगत अग्रिम*		
अप्रत्याभूत, वसूली वाले जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट	97.75	97.75
कुल	**97.75**	**97.75**

संदर्भ टिप्पणी सं0 44 (vii)

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
(ii) Others at Amortised Cost		
14,301 [31-March-17 : 14,301] Preference Shares of Rs.100 each fully paid-up of Odisha State Seeds Corporation Ltd.	14.30	14.30
Total b) (ii)	14.30	14.30
Total b) {(i)+(ii)}	**14.30**	**14.30**
c) Others		
Post Office National Saving Certificate	-	0.02
Total c)	-	0.02
Total of Non-Current Investment (a+b+c)	**3,511.66**	**2,937.41**

Note:- 7.2 : Current Investments

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
a) Investment at Fair Value Through Profit and Loss		
Investment in Mutual Funds	-	3,499.64
Total of Current Investment	**-**	**3,499.64**

Aggregate amount of quoted investment and market value there of	-	-
Aggregate amount of unquoted investment	3,511.66	2,937.41
Aggregate amount of impairment in value of investment	106.38	106.38

* The allotment of shares by Bihar Rajya Beej Nigam Ltd. have been approved by their Board of Directors in its meeting held on 3.1.1998. Since the share certificates are yet to be issued, the investments are shown as Share Application Money paid.

Notes:
Note 7.1(b)(i) : Investment in preference shares of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd are carried at Amortised cost, however impact of cumulation of dividend is not taken in books, since company has not recieved dividend since past serveral years.
Refer Note No.65

Note:- 8: Other financial assets

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018		31 March 2017	
Security Deposit				
Considered Good	233.48		243.66	
Considered Doubtful	20.60		20.60	
	254.08		264.26	
Less: Allowances for Doubtful Loans & Advances	(20.60)	**233.48**	(20.60)	**243.66**
Total		**233.48**		**243.66**

Note: - 9: Other non-current assets

(₹In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
Capital Advances*		
Unsecured, considered good unless otherwise specified	97.75	97.75
Total	**97.75**	**97.75**

***Note: Refer note no. 44(vii)**

टिप्पणी-10 : अस्थगित कर परिसंपत्तियां
शेष में अस्थायी अंतर शामिल है

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अस्थगित कर परिसंपत्तियां		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 बी के अंतर्गत डिसअलाउन्स	2,457.58	2,247.74
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	588.70	601.47
अन्य	581.85	767.93
कुल	**3,626.13**	**3,617.14**
अस्थगित कर देयताएं		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण से संबंधित	352.86	381.08
निवेश का पुर्नमूल्यांकन	435.39	320.53
	788.25	**701.61**
अस्थागित कर परिसंपत्तियां (अस्थगित कर देयताओं का निवल)	**2,839.88**	**2,915.53**

टिप्पणी संख्या 10.1 : अस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं में गतिविधि (रु. लाख में)

विवरण	पीपीई एवं अगोचर संपत्तियां	प्रावधान	निवेश	43बी	अन्य	कुल
1 अप्रैल, 2016 को	(412.59)	500.80	(258.52)	2,299.15	741.13	**2,869.97**
प्रभार/(जमा)						
लाभ हानि के लिए	31.51	100.67	-	(53.00)	26.80	**105.98**
अन्य व्यापक आय के लिए	-	-	-62.01	1.59	-	**(60.42)**
31 मार्च, 2017 को	**(381.08)**	**601.47**	**(320.53)**	**2,247.74**	**767.93**	**2,915.53**
प्रभार/(जमा)						
लाभ हानि के लिए	(26.22)	(12.77)	-	31.12	(188.08)	**(139.51)**
अन्य व्यापक आय के लिए	-	-	-114.86	178.72	-	**63.86**
31 मार्च, 2018 को	**(352.86)**	**588.70**	**-435.39**	**2,457.58**	**581.85**	**2,839.88**

आयकर एवं अस्थगित कर
क) आयकर व्यय (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर	400.00	2,535.00
पिछले वर्ष के चालू आयकर से संबंधित समायोजन	-	177.12
कुल चालू कर व्यय	**400.00**	**2,712.12**

ख) अस्थगित कर

विवरण		
अस्थगित कर पहचान	139.51	(105.99)
कुल अस्थगित कर व्यय (लाभ)	**139.51**	**(105.99)**
जारी परिचालन के लिए आयकर व्यय के कारण	**539.51**	**2,606.13**

टिप्पणी संख्या 10.2 : वर्ष के दौरान ओसीआई में अभिज्ञात मदों से संबंधित कर

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
निवेश का उचित मूल्यांकन	(114.86)	(62.01)
परिभाषित लाभ का पुन: निर्धारण	178.72	1.59
ओसीआई के लिए चार्ज की गई आयकर	**63.86**	**(60.42)**

Note: - 10 : Deferred Tax Assets
The balance comprises temporary differences attributable to:

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
Deferred Tax Assets		
Disallowances under section 43B of Income Tax Act, 1961	2,457.58	2,247.74
Provision for doubtful debts & advances	588.70	601.47
Others	581.85	767.93
Total	**3,628.13**	**3,617.14**
Deferred Tax Liability		
Related to Property plant and equipment	352.86	381.08
Revaluation of Investment	435.39	320.53
	788.25	**701.61**
Deferred Tax Asset (Net of deferred tax liability)	**2,839.88**	**2,915.53**

Note 10.1 : Movement in deferred Tax assets/liabilities:

(₹ In Lakhs)

Particulars	PPE and Intangible assets	Provisions	Investment	43B	Other	Total
At 1 April 2016	**(412.59)**	**500.80**	**(258.52)**	**2,299.15**	**741.13**	**2,869.97**
Charged/(credited)						
To Profit & Loss	31.51	100.67	-	(53.00)	26.80	**105.98**
To other comprehensive income	-	-	(62.01)	1.59	-	**(60.42)**
At 31 March 2017	**(381.08)**	**601.47**	**(320.53)**	**2,247.74**	**767.93**	**2,915.53**
Charged/(credited)						
To Profit & Loss	(28.22)	(12.77)	-	31.12	(186.08)	**(139.51)**
To other comprehensive income	-	-	(114.86)	178.72	-	**63.86**
At 31 March 2018	**(352.86)**	**588.70**	**(435.39)**	**2,457.58**	**581.85**	**2,839.88**

Income Tax & Deferred Tax

a) Income Tax Expenses

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
Current Tax on profits for the years	400.00	2,535.00
Adjustments in respect of current income tax of previous year	-	177.12
Total Current tax Expenses	**400.00**	**2,712.12**

b) Deferred tax

Particulars		
Deferred tax recognition	139.51	(105.99)
Total Deferred Tax Expenses (Benefits)	**139.51**	**(105.99)**
Income tax expense attributable to continuing operations	**539.51**	**2,606.13**

Note 10.2 Tax related to items recognised in OCI during the year:

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
Fair valuation of Investment	(114.86)	(62.01)
Re-measurment of defined benefits	178.72	1.59
Income tax charged to OCI	63.86	(60.42)

टिप्पणी संख्या 10.3 : 31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2018 के लिए भारत की घरेलू कर की दर से गुणात्मक कर व्यय एवं लेखांकन लाभ का मिलान :

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
जारी परिचालन से कर पूर्व लेखांकन लाभ	3,037.11	7,786.43
गैर चालू परिचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	-	-
आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	**3,037.11**	**7,786.43**
34.61x के भारत के सांविधिक आयकर दर (31 मार्च 2018 को 34.61x)	1,051.14	2,694.88
आयकर पर ब्याज	-	77.28
गैर कर योग्य आय/अन्य कटौती योग्य खर्चों के कारण कर प्रभाव		
कृषि आय (व्यय का निवल)	(462.24)	(294.93)
लाभांश आय (व्यय का निवल)	(21.13)	(46.37)
घरेलू संपत्ति आय	(45.36)	(42.00)
स्वीकार्य खर्चे	-	(6.65)
गैर कटौती योग्य व्यय के कारण कर प्रभाव	39.02	37.68
निगमित सामाजिक उत्तदायित्व	(7.88)	-
सेवानिवृत्ति कर्मचारी कल्याण	2.95	9.11
पूर्णांक (Rounding off)कर प्रावधान सहित अन्य मदें	(44.14)	-
दर एवं अन्य मदों में परिवर्तन का प्रभाव	27.15	-
अतिरिक्त प्रावधान	**539.51**	**2,429.00**
प्रभीव आयकर दर	17.76%	31.20%

टिप्पणी संख्या 10.4 : लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाई गई वर्तमान वर्ष के लिए कर खर्चे :

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर	400.00	2,535.00
अस्थगित कर	139.51	(105.99)
वर्तमान वर्ष में कुल कर व्यय जो लाभ एवं हानि विवरण में दिखाए गए	**539.51**	**2,429.01**

टिप्पणी-11 : माल का स्टॉक

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
तैयार माल	9,219.34	9,216.73
प्रमाणित पैकिंग एवं उपचार सामग्रियाँ	1,532.86	2,380.09
अनुपयोगी बीज	632.39	1,184.17
फार्म स्टॉक	7,911.50	4,270.96
अन्य (भंडार एवं कलपुर्जे, पीओएल, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, दवाईयाँ)	141.83	172.90
कुल	**33,026.74**	**17,224.85**

टिप्पणी :

मूल्याकन विधि पैरा(xi) टिप्पणी 2.2 में दी गई है उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सार

Note 10.3 Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by India's domestic tax rate for 31st March 2018 and 31st March 2017:

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
Accounting profit before tax from continuing operations	3,037.11	7,786.43
Profit/(loss) before tax from a discontinued operation	–	–
Accounting profit before income tax	**3,037.11**	**7,786.43**
At India's statutory income tax rate of 34.61 % (31st March 2017: 34.61%)*	1,051.14	2,694.88
Interest on Income Tax	–	77.28
Tax Effect due to Non taxable Income / Other Deductiable Expenses		
Agriculture income (Net of Expenses)	(462.24)	(294.93)
Dividend Income (Net of Expenses)	(21.13)	(46.37)
House property Income	(45.36)	(42.00)
Expenses Allowable	-	(6.65)
Tax Effect due to non Deductible Expenses		
Corporate Social Responsibility	39.02	37.68
Retired Employee Welfare	(7.88)	–
Other Items including rounding off of tax provision	2.95	9.11
Impact of Change in rate and other Items	(44.14)	–
Additional Provision	27.15	–
At effective Income tax rate	**539.51**	**2,429.00**
	17.76%	31.20%

Note 10.4 Tax expense for current year reported in Statement of profit and loss

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
Current Tax on profit for the year	400.00	2,535.00
Deferrred Tax	139.51	(105.99)
Total tax expense for current year charged to statement of profit and loss	**539.51**	**2,429.01**

Note 11 : Inventories

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
Finished Goods	22,808.16	9,216.73
Certification, Packing and Treatment Materials	1,532.86	2,380.09
Unserviceable Seeds	632.39	1,184.17
Farm Stock	7,911.50	4,270.96
Others(Stores & Spares, POL, Printing & Stationary, Medicines)	141.83	172.90
Total	**33,026.74**	**17,224.85**

Note:
Valuation method is given in para (xi) note-2.2 Summary of Significant Accounting Policies.

टिप्पणी 12 : वाहक पौधों के अलावा अन्य जैविक परिसम्पत्तियॉं

(रु. लाख में)

विवरण	Non Current	Current		
	Trees	Standing Crops	Nursery	Total
1 अप्रैल, 2016 को शेष	3,817.65	5,228.51	54.69	**5,283.20**
खरीद के कारण वृद्धि	-	-	-	-
जैविक बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	239.72	4,023.65	1.00	**4,024.65**
मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	(16.80)	-	(3.35)	**(3.35)**
माल स्टॉक में फसल सम्पत्तियों का स्थानांतरण	-	(5,228.50)	-	**(5,228.50)**
31 मार्च, 2017 को शेष	**4,040.57**	**4,023.66**	**52.34**	**4,076.00**
खरीद के कारण वृद्धि	-	-	-	-
जैविक बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	222.19	4,539.88	7.62	**4,547.50**
मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य में परिवर्तन	-	-	-	-
माल स्टॉक में फसल सम्पत्तियों का स्थानांतरण	-	3,093.34	-	**(3,093.34)**
31 मार्च, 2018 को शेष	**4,262.76**	**5,470.20**	**59.96**	**5,530.16**

टिप्पणी :-

(i) जैविक सम्पत्ति में खड़ी फसल तथा खड़े पेड़ शामिल है जोकि कम्पनी द्वारा अपने फार्मो पर उत्पादित किए जा रहे हैं।

(ii) कम्पनी को अपने बीज व्यवसाय में कीटनाशकों और फसल पर मौसम के प्रभाव का जोखिम का सामना करना पड़ता है । इन जोखिमों को पौधों के निरंतर पोषण से कम किया जाता है ।

(iii) अन्य इकाई की जैविक सम्पात्ति के उचित मूल्य की गणना सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर की गई है । इन्हें निष्पक्ष मूल्य पदानुक्रम में स्तर-3 उचित मूल्यों के रुप में वर्गीकृत किया गया है ।

(iv)31 मार्च, 2018 को निगम के पास 2,95,504 पेड़ थे (31 मार्च, 2017 को 2,98,049 पेड़ थे) वर्ष के दौरान कम्पनी ने 3094 पेड़ बेचे ।

(v) 31 मार्च, 2018 को निगम के पास 21,826.71 है0 खेती थी (31 मार्च, 2017 को 19,522 है0 थी) वर्ष के दौरान कम्पनी ने 11,56,133 क्विं0 प्रमाणित बीज की बिक्री की ।

टिप्पणी 13 : व्यापार प्राप्य

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
संबंधित पार्टियों से प्राप्य		-		-
अन्यों से प्राप्य				
अप्रत्याभूत वसूली वाले	24,587.85		24,006.33	
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	794.31	25,382.16	843.89	24,850.22
घटाएं : अमान्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अलाउन्स		(794.31)		(843.89)
कुल व्यापार प्राप्य योग्य		**24,587.85**		**24,006.33**

टिप्पणी-14 : नकदी एवं नकद समतुल्य

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
-बैंकों के पास शेष (नकद एवं नकदीतुल्य)	989.69	4,752.61
- हाथ में चैक, डिमांड ड्राफ्ट एवं टिकट	-	7,973.57
- हाथ में नकद	0.41	0.82
- अन्य तीन माह से कम के मूल परिपक्वता जमा	-	-
कुल	**990.10**	**12,727.00**

Note: - 12: Biological Asset other than bearer plants

(₹ In Lakhs)

Particulars	Non Current	Current		
	Trees	Standing Crops	Nursery	Total
Balance at 1 April 2016	3,817.65	5,228.51	54.69	**5,283.20**
Increase due to purchases	-	-	-	**-**
Changes in fair value due to biological transformation	239.72	4,023.65	1.00	**4,024.65**
Changes in fair value due to price changes	(16.80)	-	(3.35)	**(3.35)**
Transfer of harvested assets to inventory	-	(5,228.50)	-	**(5,228.50)**
Balance At 31 March 2017	**4,040.57**	**4,023.66**	**52.34**	**4,076.00**
Increase due to purchases	-	-	-	**-**
Changes in fair value due to biological transformation	222.19	4,539.88	7.62	**4,547.50**
Changes in fair value due to price changes	-	-	-	**-**
Transfer of harvested assets to inventory	-	(3,093.34)	-	**(3,093.34)**
Balance At 31 March 2018	**4,262.76**	**5,470.20**	**59.96**	**5,530.16**

Note:

(i) Biological Assets comprises of the standing crops and standing trees which is being produced by the company in its own farms.

(ii) The Company's seeds business is exposed to risks from pests and the effect of the weather on crops. These risks are mitigated by continuous nurturing of plants.

(iii) The fair value of biological assets of other entity were calculated based on quoted price in active market that the entity can access at the measurement date. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy.

(iv) As at 31st March 2018, there were 2,95,504 No. of trees plantation (31st March 2017: 2,98,049) during the year, the company sold 3,094 No. of trees.

(v) As at 31st March 2018, there were 21,826.71 hectare of cultivation. (31st March 2017: 19,522 hectare) during he year, the company sold 11,56,133 quintals of certified seeds.

Note:- 13: Trade Receivables

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018		31 March 2017	
Receivables from related parties		-		-
Receivables from Others				
Unsecured, Considered good	24,587.85		24,006.33	
Unsecured, Considered Doubtful	794.31	25,382.16	843.89	24,850.22
Less: Allowances for bad and doubtful debts		(794.31)		(843.89)
Total Trade Receivables		**24,587.85**		**24,006.33**

Note: - 14: Cash and cash equivalents

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
(a) Balances with banks(of the nature of cash and cash equivalents)	989.69	4,752.61
(b) Cheques, drafts and stamps on hand	-	7,973.57
(c) Cash on hand	0.41	0.82
(d) Others (Deposits with original maturity of less than three months)	-	-
Total	**990.10**	**12,727.00**

टिप्पणी-15 : नकदी एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
(क) बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि	152.74	249.73
निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन संवर्धन हेतु सहायता के लिए बैंक में शेष		
(ख) बैंक गांरटी के विरुद्ध सीमांत राशि /प्रत्याभूत के रुप में सांविधि जमा	260.58	200.60
कुल	**413.32**	**450.33**

टिप्पणी-16 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
क- उपार्जन				
जमा पर ब्याज उपार्जित		18.48		31.15
ख- अन्य प्राप्य				
-वसूली वाले	930.58		631.39	
-संदिग्ध वसूली वाले	8.76		9.09	
	939.34		640.48	
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए अलाउन्स	(8.76)	930.58	(9.09)	631.39
ग- वसूली योग्य दावे				
- वसूली वाले	83.86		72.17	
- संदिग्ध वसूली वाले	6.59		6.59	
	90.45		78.76	
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए अलाउन्स	(6.59)	83.86	(6.59)	72.17
घ- बीज /उत्पादन-आर्थिक सहायता/मिनिकिटस के विरुद्ध भारत सरकार से वसूली योग्य : *				
- वसूली वाले	15,634.29		10,058.99	
- संदिग्ध वसूली वाले	447.13		447.13	
	16,081.42		10,506.12	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए अलाउन्स	(447.13)	15,634.29	(447.13)	10,058.99
ड- बिक्री/उत्पादन आर्थिक सहायता के विरुद्ध राज्य सरकारो से वसूली योग्य *				
- वसूली वाले	7,146.27		5,333.75	
- संदिग्ध वसूली वाले	349.67		349.67	
	7,495.94		5,683.42	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए अलाउन्स	(349.67)	7,146.27	(349.67)	5,333.75
च- स्टाफ से वसूली योग्य :				
अप्रत्याभूत, वसूली वाले	54.51		5.15	
अप्रत्याभूत, संदिग्ध वसूली वाले	4.02		3.13	
	58.53		8.28	
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए अलाउन्स	(4.02)	54.51	(3.13)	5.15
कुल		**23,867.99**		**16,132.60**

*केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से प्राप्य खर्चो की आर्थिक सहायता/अनुदान/प्रतिपूर्ति के लिए क्रेडिट संबंधित प्राधिकारी से दावा योग्य राशि के आधार पर लिया गया है, जो कि समायोजन के अधीन, यदि कोई : संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इसके अंतिम निपटान/स्वीकृति के समय किया जाता है ।

टिप्पणी-17 : चालू कर सम्पत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अग्रिम एवं स्रोत पर कर कटौती (निवल)	2,066.07	1,947.84
कुल	**2,066.07**	**1,947.84**

Note: - 15: Bank Balances other than cash and cash equivalents

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
(a) Earmarked balances with banks:		
Balance with bank for assistance for boosting seeds production in Pvt. Sector	152.74	249.73
(b) Fixed deposit held as margin money/security against bank borrowings/guarantee	260.58	200.60
Total	**413.32**	**450.33**

Note:- 16: Other financial assets

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018		31 March 2017	
a) Accrued				
Interest accrued on deposit		18.48		31.15
b) Other Receivables				
- Considered good	930.58		631.39	
- Considered Doubtful	8.76		9.09	
	939.34		640.48	
Less: Allowance for Doubtful Claims	(8.76)	930.58	(9.09)	631.39
c) Claims Receivables				
- Considered good	83.86		72.17	
- Considered Doubtful	6.59		6.59	
	90.45		78.76	
Less: Allowance for Doubtful Claims	(6.59)	83.86	(6.59)	72.17
d) Recoverable from Govt.of India against * sales/production-subsidy/Minikits:				
- Considered Good	15,634.29		10,058.99	
- Considered Doubtful	447.13		447.13	
	16,081.42		10,506.12	
Less: Allowance for Doubtful Claims	(447.13)	15,634.29	(447.13)	10,058.99
e) Recoverable from state government against * sales/production subsidy:				
- Considered Good	7,146.27		5,333.75	
- Considered Doubtful	349.67		349.67	
	7,495.94		5,683.42	
Less: Allowance for Doubtful Claims	(349.67)	7,146.27	(349.67)	5,333.75
f) Recoverable from staff				
Unsecured, Considered Good	54.51		5.15	
Unsecured Considered Doubtful	4.02		3.13	
	58.53		8.28	
Less: Allowance for Doubtful claims	(4.02)	54.51	(3.13)	5.15
T O T A L		**23,867.99**		**16,132.60**

*Credit for subsidies/grants-in-aid/reimbursement of expenses receivable from Central/State Government have been taken on the basis of amount claimable from respective authority subject to adjustment, if any, being made at the time of final settlement/acceptance of the same by the respective authority.

Note:- 17 : Current Tax Assets

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
Advance Tax & Tax Deducted at Source (Net)	2,066.07	1,947.84
Total	**2,066.07**	**1,947.84**

टिप्पणी-18 : अन्य चालू सम्पत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
क- अन्य अग्रिम				
उत्पादकों को अग्रिम	4,582.88		7,979.18	
अप्रत्याभूत वसूली वाले	50.73		52.47	
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	4,633.61		8,031.65	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए अलाउन्स	(50.73)	4,582.88	(52.47)	7,979.18
अन्यों को अग्रिम	143.86		21.38	
अप्रत्याभूत वसूली वाले	3.09		4.85	
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	146.95		26.23	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए अलाउन्स	(3.09)	143.86	(4.85)	21.38
ख- अन्य				
पूर्व प्रदत्त व्य्य		36.51		20.97
ग- दावें				
वसूली योग्य दावें		80.50		-
ध- स्टाफ को अग्रिम				
अप्रत्याभूत वसूली वाले	68.15		34.19	
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	-		0.44	
	68.15		34.63	
घटाएं : संदिग्ध दावे के लिए अलाउन्स	-	68.15	(0.44)	34.19
जीएसटी इनपुट		1.36		-
कुल		**4,913.26**		**8,055.72**

टिप्पणी-19 : इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रत्येक 1000 रु. के 17,36,100 इक्विटी शेयर(पिछले वर्ष 17,36,100)	17,361.00	17,361.00
	17,361.00	**17,361.00**
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी	5,731.99	5,731.99
प्रत्येक 1000 रु. के 5,73,199 इक्विटी शेयर(पिछले वर्ष 5,73,199)	**5,731.99**	**5,731.99**

(i) इक्विटी शेयरों की संख्या एवं बकाया शेयर पूंजी का समाधान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रांरभ में लंबित शेयर	5,73,199	5,731.99	5,73,199	5,731.99
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत तक लंबित जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	**5,73,199**	**5,731.99**	**5,73,199**	**5,731.99**

Note:- 18: Other current assets

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018		31 March 2017	
a) Other Advances				
Advance to Growers				
Secured, Considered Good	4,582.88		7,979.18	
Unsecured, Considered Doubtful	50.73		52.47	
	4,633.61		8,031.65	
Less: Allowance for Doubtful Advances	(50.73)	4,582.88	(52.47)	7,979.18
Advance to Others				
Secured, Considered Good	143.86		21.38	
Unsecured, Considered Doubtful	3.09		4.85	
	146.95		26.23	
Less: Allowance for Doubtful Advances	(3.09)	143.86	(4.85)	21.38
b) Others				
Prepaid Expenses		36.51		20.97
c) Claims				
Claims recoverable		80.50		-
d) Advance to staff				
Unsecured, Considered Good	68.15		34.19	
Unsecured Considered Doubtful	-		0.44	
	68.15		34.63	
Less: Allowance for Doubtful claims	-	68.15	(0.44)	34.19
GST INPUT		1.36		-
TOTAL		**4,913.26**		**8,055.72**

Note: - 19: Equity Share capital

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
Authorised share capital		
17,36,100 (previous Year 17,36,100) Equity Shares of Rs 1000 each	17,361.00	17,361.00
	17,361.00	**17,361.00**
Issued/Subscribed and Paid up Capital		
5,73,199 (previous Year 5,73,199) Equity Shares of Rs 1000 each	5,731.99	5,731.99
	5,731.99	**5,731.99**

(i) Reconciliation of the number of equity shares and share capital Outstanding

(₹ In Lakhs)

Particulars	As at 31 March 2018		As at 31 March 2017	
	No of shares	**Amount**	**No of shares**	**Amount**
Shares outstanding at the beginning of the year	573,199	5,731.99	573,199	5,731.99
Add: Shares Issued during the year	-	-	-	-
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**573,199**	**5,731.99**	**573,199**	**5,731.99**

(ii)शेयरों की प्रत्येक श्रेणी से संबंध राइटस , अधिनामी एवं प्रतिबंधित शेयर

कंपनी के पास रु 1000 के सम मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की एक ही श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है । निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, आगामी शेयर धारकों की बैठक के अनुमोदन के अधीन होता है, सिवाय अंतरिम लाभांश के । परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमानी राशि के वितरण के बाद कंपनी के शेष संपत्ति को अपने शेयर धारण के अनुपात में प्राप्त करने के हकदार है ।

(iii) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारक का विवरण

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
	शेयरों की संख्या	% धारक	शेयरों की संख्या	% धारक
भारत सरकार	5,73,199	100%	5,73,199	100%
कुल	**5,73,199**	**100%**	**5,73,199**	**100%**

(iv)(क) एनएससी ने पूर्णत: चुकता पूंजी प्रत्येक रु. 1000 के अंकित मूल्य के साथ ही इक्विटी शेयर जारी किए है ।
(ख)एनएससी ने कोई अधिमानी शेयर जारी नहीं किए ।.
(ग) एनएससी के द्वारा जीडीपी के विरुद्ध गैर परिवर्तनीय डिवेंचर, बाण्ड, परिवर्तनीय अवधि ऋण, शेयरवांरट जारी नहीं किए गए ।
(घ) एनएससी के द्वारा शेयरों की जब्ती नहीं की गई और इसके परिणामस्वरुप जब्त शेयरों का पुन: र्निगम नहीं हुआ ।
(ड) एनएससी ने अब तक अपने शेयरों की वापसी खरीद नहीं की ।
(च)सभी इक्विटी शेयर, जैसे की एनएससी के द्वारा जारी किए गए, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है ।

(v) वर्ष के दौरान नकद, जारी किए गए बोनस शेयर और वापस खरीदे गए शेयरों के अलावा विचारार्थ जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या :-

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
नकदी के अलावा विचारार्थ जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रुप में पूर्ण रुप से प्रदत्त जारी इक्विटी शेयर	-	-	31,490	-	-
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-

टिप्पणी-20 : अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
(क) प्रतिधारित उपार्जन	53,489.09	52,787.89
(ख) अन्य आरक्षित		
(i) खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित	356.54	340.99
(ii)सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित	104.93	122.30
(iii)भूमि विकास आरक्षित	363.02	353.19
(iv) एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश	2,275.78	1,816.35
कुल	**56,589.36**	**55,420.72**

(ii) **Terms/Rights attached to Equity Shares**

The Company has one class of equity shares having a par value of Rs. 1,000 per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The dividend proposed/ to be proposed by the Board of Directors is subject to approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting, except in case of interim dividend. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

(iii) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares in the company

Name of the shareholder	As at 31 March 2018		As at 31 March 2017	
	No. of Shares	% holding in the class	No. of Shares	% holding in the class
Government of India	573,199	100%	573,199	100%
Total	573,199	100%	573,199	100%

(iv) a. NSC has issued only equity shares with face value of Rs.1000/- each fully paid up.
b. No preference shares have been issued by NSC.
c. No convertible debentures, bonds, convertible term loan, share warrants against GDF has been issued by NSC.
d. No forfeiture of shares have been done by NSC and consequently there is no reissue of forfeited shares.
e. NSC did not buy back its own shares so far.
f. All the equity shares as have been issued by NSC are in the name of President of India.

(v) Aggregate number of equity shares issued for consideration other than cash, bonus shares issued and shares bought back during the Year :-

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015	As at 31st March 2014
Equity Shares issued for consideration other than cash	-	-	-	-	-
Equity Shares issued as fully paid up bonus shares	-	-	31,490	-	-
Equity Shares bought back	-	-	-	-	-

Note: - 20: Other Equity

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
(a) Retained Earnings	53,489.09	52,787.89
(b) Other Reserves		
(i) Unspent CSR Reserve	356.54	340.99
(ii) Retired Employees Welfare Reserve	104.93	122.30
(iii) Land Development Reserve	363.02	353.19
(iv) FVTOCI Equity Investment	2,275.78	1,816.35
Total	**56,589.36**	**55,420.72**

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017
(क) प्रतिधारित उपार्जन				
लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	52,787.90		49,004.63	
घटाएं : जारी किए गए बोनस शेयर	-		-	
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ	2,497.50		5,180.33	
जोड़े : परिभाषित लाभ योजना के पुन निर्धारण के लिए- अन्य व्यापक आय से लाभ/(हानि)(कर प्रभाव का निवल)	(332.74)		(3.00)	
	54,952.66		54,181.96	
घटाएं :				
लाभांश प्रदत्त	(1,203.10)		(1,146.40)	
लाभांश वितरण कर	(244.92)		(233.38)	
खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित में स्थानांतरण	(15.55)		(14.29)	
वर्ष के अंत में शेष	(1,463.57)	**53,489.09**	(1,394.07)	**52,787.89**
(ख) अन्य आरक्षित				
(i)खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	340.99		326.70	
जोड़े : लाभ हानि विवरण में अधिशेष से स्थानांतरित	15.55		14.29	
वर्ष के अंत में शेष		**356.54**	-	**340.99**
(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित :				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	122.30		139.30	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	5.40		2.22	
घटाएं :				
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	(22.77)		(19.22)	
वर्ष के अंत में शेष		**104.93**		**122.30**
(iii)भूमि विकास आरक्षित:				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	353.19		334.88	
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	32.92		18.31	
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	(23.09)		-	
वर्ष के अंत में शेष		**363.02**		**353.19**
(iv) एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,816.35		1,464.92	
एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	574.28		413.45	
अस्थगित कर	(114.85)	**2,275.78**	(62.02)	**1,816.35**
कुल		**56,589.36**		**55,420.72**

आरक्षितों की प्रकृति एवं उद्देश्य

एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश:

निगम ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से एसोशिएटस के अलावा इक्विटी में निवेश किए उचित मूल्यों में परिवर्तनों को अभिज्ञात किया है । इक्विटी में इन परिवर्तनों को एफवीटीओसीआई इक्विटी निवेश के तहत जमा किया है । कम्पनी इस आरक्षित से प्रतिधारित उपार्जन में तब राशि स्थानांतरण करती है जब इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार पूर्ववर्ती वित्तीय तीन वर्षो के दौरान औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2x सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च किया जाना चाहिए, तद्नुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए एक बजट निर्धारित किया गया था । सीएसआर बजट और सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई वास्तविक राशि का अंतर खर्च न की गई सीएसआर आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया गया है ।

सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित:

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन से, पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ को निर्धारित प्रतिशत पर गणना की गई राशि को लाभ/हानि विवरण एवं आरक्षित शीर्षक “सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित” पर दिखाया गया है ।

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018		31 March 2017	
(a) Retained Earnings				
Surplus in Statement of Profit and Loss:				
Balance as at the beginning of the year	52,787.90		49,004.63	
Less: Bonus shares issued	-		-	
Add: Profit for the year	2,497.50		5,180.33	
Add : Profit/(Loss) from Other comprehensive Income for Re-measurement of defined benefits plans (net of tax effect)	(332.74)		(3.00)	
	54,952.66		54,181.96	
Less:				
Dividend Paid	(1,203.10)		(1,146.40)	
Dividend Distribution Tax	(244.92)		(233.38)	
Transferred to Unspent CSR Reserve	(15.55)		(14.29)	
Balance as at the end of the year	(1,463.57)	**53,489.09**	(1,394.07)	**52,787.89**
(b) Other Reserves				
(i) Unspent CSR Reserve:				
Balance as at the beginning of the year	340.99		326.70	
Add: Transferred from Surplus in Statement of Profit & Loss	15.55		14.29	
Balance as at the end of the year		**356.54**	-	**340.99**
(ii) Retired Employees Welfare Reserve:				
Balance as at the beginning of the year	122.30		139.30	
Add: Subscription received during the year	5.40		2.22	
Less:				
Amount utilised during the year	(22.77)		(19.22)	
Balance as at the end of the year		**104.93**		**122.30**
(iii) Land Development Reserve:				
Balance as at the beginning of the year	353.19		334.88	
Add: Addition during the year	32.92		18.31	
Less:Utilised during the year	(23.09)		-	
Balance as at the end of the year		**363.02**		**353.19**
(iv) FVTOCI Equity Investment:				
Opening Balance	1,816.35		1,464.92	
Change in fair value of FVTOCI equity instrument	574.28		413.45	
Deferred Taxes	(114.85)	**2,275.78**	(62.02)	**1,816.35**
Total		**56,589.36**		**55,420.72**

Nature and purpose of Reserves

FVTOCI Equity Investment:

The NSC has elected to recognize changes in fair value of investment in equity instruments other than Associates through other comprehensive income. These changes are accumulated within the FVTOCI equity investments within equity. The company transfers amounts from this reserve to retained earnings when the relevant equity securities are de-recognized.

Unspent CSR Reserve:

As per section 135 of the Companies Act, 2013 at least 2% of the average net profit during the three immediately preceding financial years should be spent towards Corporate Social Responsibility, accordingly a budget was earmarked for the CSR activities. The difference of CSR budget and the actual amount spent on the CSR activity is transferred to unspent CSR Reserve.

Retired Employees Welfare Reserve:

In accordance with the guidelines of the Department of Public Enterprises, Government of India and approval of the Board of Directors, an amount computed at the prescribed percentage of the profit before tax of the previous year is charged to the statement of profit and loss and a Reserve titled "Retired Employees Welfare Reserve" is created for the corresponding amount.

भूमि विकास आरक्षित:

भूमि विकास व्यय फार्मों के विकास पर किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ष 1985-86 से स्थायी परिसंपत्तियों के रुप में माना गया है । मूल्यह्रास के बजाए, प्रति वर्ष डब्लू डी वी पर 5x की दर से भूमि विकास आरक्षित बनाया जा रहा है ।

वितरित एवं प्रस्तावित

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
इक्विटी शेयर पर घोषित एवं प्रदत्त अंतिम लाभांश		
31 मार्च, 2017को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश : रु. 200 प्रति शेयर	1,203.10	1,146.40
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	244.92	233.38
इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश*		
31 मार्च, 2018 समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश : (रु. 130.72 प्रति शेयर)	749.28	-
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	154.05	-

* यह भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.05.2016 के अनुपालन में नहीं है क्योंकि निगम के लिए 3002 लाख रू. (निवल मूल्य का 05 प्रतिशत) का भुगतान करना संभव नहीं था जबकि वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ रू. 24.97 करोड़ है। इसके अलावा निगम की नकदी प्रवाह की स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि निगम 7500 लाख रूपये की सीसी सीमा तथा 5000 लाख रूपये की एसटीएल पर चल रहा है। इसके अलावा निगम को अपनी सिचाई प्रणाली में सुधार के अलावा स्वयं की चल रही पूंजीकरण प्रक्रिया को वित्त पोषित करने के लिए बड़ी मात्रा में आंतरिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। उक्त दिशानिर्देशों से निगम को छूट देने के लिए पहले ही प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से छूट के लिए अनुरोध किया गया है।

Land Development Reserve:

The land development expenditure represents expenditure incurred on development of farm lands and has been treated as fixed assets from 1985-86. Instead of depreciation, land development Reserve is being created at the rate of 5% on W.D.V every year.

Distribution made and proposed

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
Cash dividend on equity shares declared and paid		
Final Dividend for the year ended 31st March 2017(Rs. 209.89 per share)	1,203.10	1,146.40
Dividend distribution Tax on Final dividend	244.92	233.38
Proposed Dividend on Equity shares*		
Proposed Dividend at 30% of PAT* for the year ended 31.03.2018 (Rs. 130.72 per share)	749.28	-
Dividend distribution Tax on Proposed Dividend	154.05	-

*Not in compliance of GOI OM dated 17-05-16 since it was not feasible for the corporation to pay Rs. 3002 lakhs (being 5% of the Net Worth) as PAT during the year is Rs. 24.97 Crores. Moreover the Cash Flow position is also highly precarious with the corporation thriving on a CC limit of Rs. 7500 lakhs and STL of Rs. 5000 lakhs. Further, a large amount of internal resources is to be ploughed back to Finance its own on-going capitalisation process including improvement of its irrigation system. Exemption request already submitted through the administrative ministry, to exempt the Corporation from the guidelines issued.

टिप्पणी-21 : पूंजीगत अनुदान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
क) उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	9,139.49		8,773.82	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रयोग किया गया	966.51		1,174.24	
जोड़े : मुख्यालय / फार्म से /को स्थानातंरित	(5.00)		(20.61)	
	10,101.00		9,927.45	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित अनुदान				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां (मूल्याह्रास)	(872.77)		-	
वर्ष के अंत में शेष	(832.19)	**8,396.04**	(787.96)	**9,139.49**
(ख)खर्च न किया गया पूंजीगत अनुदान				
i) बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं जीओटी फार्मर्स के उपकरणों की खरीद				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	219.94		95.45	
मुख्यालय / फार्म से /को स्थानातंरित	-		20.61	
जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	-		150.00	
	219.94		266.06	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	(153.40)		(46.12)	
घटाएं : अनुपयोगित राशि एमओए को वापसी	(8.15)		-	
वर्ष के अंत में शेष		**58.39**		**219.94**
ii) बीज भंडारण गोदाम के लिए				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	874.66		946.89	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त	1,189.57		316.24	
जोड़े : वर्ष के दौरान स्थानांतरित	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रयोग	(693.48)		(373.47)	
घटाएं : मंत्रालय को वापसी	-	**1,370.75**	(15.00)	**874.66**
iii) कम्प्यूटरीकरण के लिए				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	11.76		34.15	
मुख्यालय /फार्म से /को स्थानातंरित	-		-	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(11.76)	-	(22.39)	**11.76**
iv) प्रशिक्षण के लिए				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	3.28		12.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त	4.72		6.00	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(8.00)	-	(14.72)	**3.28**
v) बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन(एम आई डी एच)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	178.77		187.01	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त	515.77		639.44	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(91.02)		(645.55)	
घटाएं : स्थानातंरित राशि	(603.52)	-	(2.13)	**178.77**
vi) संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद के लिए				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		42.00	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	-	(42.00)	-
vii) अस्थगित सरकारी अनुदान (सीएसएफ बहराइच)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	85.61		85.61	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त	-		-	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	**85.61**	-	**85.61**
viii) अनुदान				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-		6.75	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	-	(6.75)	-

Note: - 21: Capital Grant

(₹ In Lakhs)

Particulars		31 March 2018		31 March 2017
a) Utilised capital grant:				
Balance as at the beginning of the year	9,139.49		8,773.82	
Add: Utilised during the year	966.51		1,174.24	
Add: Transferred from /to HO/Farms	(5.00)		(20.61)	
	10,101.00		9,927.45	
Less:Grant adjusted during the year	(872.77)		-	
Less: Deductions during the year (Depreciation)	(832.19)		(787.96)	
Balance as at the end of the year		**8,396.04**		**9,139.49**
(b) Unspent Capital Grant				
i) For Procurement of equipment of Seed Testing Labs & For G.O.T. Farms				
Balance as at the beginning of the year	219.94		95.45	
Transferred from /to HO/Farms	-		20.61	
Add: Addition during the year	-		150.00	
	219.94		266.06	
Less: Utilised during the year	(153.40)		(46.12)	
Less: Unutilised amount refunded to MOA	(8.15)		-	
Balance as at the end of the year		**58.39**		**219.94**
ii) For Seed Storage Godown				
Balance as at the beginning of the year	874.66		946.89	
Add: Received during the year	1,189.57		316.24	
Add: Transferred during the year	-		-	
Less: Utilised during the year	(693.48)		(373.47)	
less: Refunded to MOA	-	**1,370.75**	(15.00)	**874.66**
iii) For Computerisation				
Balance as at the beginning of the year	11.76		34.15	
Transferred from /to HO/Farms	-		-	
Less: Amount utilised	(11.76)	-	(22.39)	**11.76**
iv) For conduction training				
Balance as at the beginning of the year	3.28		12.00	
Add: Received during the year	4.72		6.00	
Less: Amount utilised	(8.00)	-	(14.72)	**3.28**
v) For Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)				
Balance as at the beginning of the year	178.77		187.01	
Add: Received during the year	515.77		639.44	
Less: Amount utilised	(91.02)		(645.55)	
Less: Amount Transferred	(603.52)	-	(2.13)	**178.77**
vi) For Procurement of Plant & Machinery				
Balance as at the beginning of the year	-		-	
Addition during the year	-		42.00	
Less: Amount utilised	-	-	(42.00)	-
vii) Deferred Govt. Grant (CSF Bahraich)				
Balance as at the beginning of the year	85.61		85.61	
Add: Received during the year	-		-	
Less: Amount utilised	-	**85.61**	-	**85.61**
viii) Grant in aid				
Balance as at the beginning of the year	-		6.75	
Less: Amount utilised	-	-	(6.75)	-

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017
ix) बीज गांव योजना के लिए पूंजीगत अनुदान				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	979.87		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		979.87	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(39.06)	**940.81**	-	**979.87**
x) फार्मो पर कृषि मशीनरी की खरीद				
वर्तमान देयताओं से स्थानांतरण	-		202.68	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	-	(202.68)	-
xi) फार्मो पर खलियान एवं सिंचाई का निर्माण				
फार्म पर प्रणाली				
वर्तमान देयताओं से स्थानांतरण	-		339.00	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	-	(339.00)	-
xii) बीज संरचना का विकास				
वर्ष के दौरान वृद्धि	18.95		141.83	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	(15.95)	**3.00**	(141.83)	-
(xiii) मत्स्य बीज हैचरी एवं नए तालाबों का निर्माण				
वर्ष के दौरान वृद्धि	93.00		-	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-93.00	-	-	-
(xiv) भारत-रूस राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ				
वर्ष के दौरान वृद्धि	20.97		-	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि-पूंजीगत व्यय	(14.87)		-	
घटाएं: प्रयोग की गई राशि-राजस्व व्यय	(6.10)	-	-	-
(xv) कृषि प्रतिरोधक एवं गैसीयकरण संयंत्र की स्थापना				
वर्ष के दौरान वृद्धि	10.00		-	
घटाएं : प्रयोग की गई राशि	-	**10.00**	-	-
कुल		**10,864.60**		**11,493.38**

टिप्पणी-22 : उधार

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
प्रत्याभूत अवधि ऋण बैंक से	71.28	64.60
कुल	**71.28**	**64.60**

संदर्भ सं0 :44 (viii) बैंकों से ऋण के लिए

टिप्पणी-23 : अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
धरोहर एवं अन्य जमा	653.94	613.55
उपदान (संदर्भ सं0 :75) *	3,383.00	1,960.65
कुल	**4,036.94**	**2,574.20**

* कम्पनी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी प्रदान करती है । 5 वर्ष की निरंतर सेवा करने पर कर्मचारी, ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाता है । सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारियों के अंतिम वेतन (बेसिक + डी.ए.) को सेवाकाल के वर्ष की संख्या पर प्रति वर्ष 15 दिन के वेतन की दर से गुणन करके अनुपातिक गणना की जाती है । ग्रेच्युटी योजना वित्त पोषित योजना है और कम्पनी भारत में मान्यता प्राप्त निधि में योगदान करती है ।

(₹ In Lakhs)

Particulars		31 March 2018		31 March 2017
ix) Capt. Grant for Seed Village Programme				
Balance as at the beginning of the year	979.87		-	
Additions during the year	-		979.87	
Less: Amount utilised	(39.06)	**940.81**	-	**979.87**
x) For purchase of agriculture machinery at Farms				
Transfer from current liabilities	-		202.68	
Less: Amount utilised	-	-	(202.68)	-
xi) Construction of threshing floor and irrigation system at Farms				
Transfer from current liabilities	-		339.00	
Less: Amount utilised	-	-	(339.00)	-
xii) Development of Seeds infrastructure				
Addition during the year	18.95		141.83	
Less: Amount utilised	(15.95)	**3.00**	(141.83)	-
xiii) Establishmement of fish seeds hatchery and construction of new ponds.				
Addition during the year	93.00		-	
Less: Amount utilised	(93.00)	-	-	-
xiv) For 70th Anniversary of Indo Russian Diplomatic Relations				
Addition during the year	20.97		-	
Less:Amount utilised-Capital Expenditure	(14.87)		-	
Less: Amount utilised-Revenue Expenditure	(6.10)	-	-	-
xv) Establishmement of agro residue based briquette making and gasification plant.				
Addition during the year	10.00		-	
Less: Amount utilised	-	**10.00**	-	-
Total		**10,864.60**		**11,493.38**

Note: - 22 : Borrowings

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
Unsecured Term Loan		
From Bank	71.28	64.60
Total	**71.28**	**64.60**

Refer note 44(viii)for term loan from bank

Note: - 23 : Other financial Liabilities

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018	31 March 2017
Security and other Deposit	653.94	613.55
Gratuity (Refer Note: 75) *	3,383.00	1,960.65
Total	**4,036.94**	**2,574.20**

* Company provides for gratuity for employees in India as per the payment of gratuity Act, 1972. Employees who are in continuous service for a period of 5 years are eligible for gratuity. The amount of gratuity payable on retirement/termination is the employees last drawn salary (Basic + D.A) per month computed proportionately for 15 days salary per year multiplied for the number of years service. The gratuity plan is funded plan and company makes a contribution to the recognized fund in India.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी-24 : अन्य चालू देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
परिक्रामी निधी के लिए:				
- सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन *	150.00		150.00	
- बीज बैंक योजना की स्थापना एवं रख-रखाव **	379.55		379.55	
- बीज बैंक योजना की स्थापना एवं रख-रखाव	163.63	693.18	289.17	818.72
- पूर्ववर्ती एसएफसीआई				
- क्रैश प्रोग्राम (तिलहन)***	147.00		147.00	
- क्रैश प्रोग्राम (तिलहन) - पूर्ववर्ती एसएफसीआई	60.00		60.00	
- क्रैश प्रोग्राम (दलहन)***	26.75		26.75	
- क्रैश प्रोग्राम (दलहन) - पूर्ववर्ती एसएफसीआई	150.00	383.75	150.00	383.75
उचित मूल्य समायोजन		30.15		12.51
कुल		**1,107.08**		**1,214.98**

*** सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि :-**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि में अनुदान राशि प्रदान की । यह निधि अलग खाते में रखी गई थी और इसे कार्यशील पूंजी के रुप में प्रयोग किया जायेगा। यह भी बताया गया है कि उपयोग की गई निधि वापस जमा हो गई थी। ताकि इस खाते से कोई कमी नहीं होनी चाहिए ।

** बीज बैंक योजनाओं की स्थापना एवं रखरखाव- परिक्रामी निधि- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बीज बैंक की स्थापना एवं रखरखाव के लिए परिक्रामी निधि के निर्माण हेतु निधि की मंजूरी प्रदान कर दी है । यह सहायता उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं दिशा निर्देश के अनुसार उपयोग किया जाना था तथा —कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को कार्यान्वयन योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी ।

***तिलहन एवं दलहन की गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी क्रैश प्रोग्राम लागू करने के लिए परिक्रामी निधि :- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने तिलहन एवं दलहन की गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधि के निर्माण हेतु निधि की मंजूरी प्रदान कर दी है । दलहनों एवं तिलहनों के उत्पादन के क्रैश प्रोग्राम के आयोजन हेतु इस निधि का प्रयोग किया जाना था ।

टिप्पणी-25 : प्रावधान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
कर्मचारी हितों के लिए प्रावधान				
क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ' *				
वर्ष के प्रांरभ में शेष	3,508.12		4,173.71	
वर्ष के दौरान वृद्धि	124.60		(665.59)	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	(700.35)		-	
वर्ष के अंत में शेष		**2,932.37**		**3,508.12**
सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण				
वर्ष के प्रांरभ में शेष	468.20		367.63	
वर्ष के दौरान वृद्धि	116.80		100.57	
वर्ष के अंत में शेष		**585.00**		**468.20**
टीटीए के लिए	356.93		-	
वर्ष के प्रांरभ में शेष	-		356.93	
वर्ष के दौरान वृद्धि	(356.93)		-	
वर्ष के अंत में शेष		-		**356.93**
कुल		**3,517.37**		**4,333.25**

*संदर्भ नोट संख्या 69

Note: - 24: Other non current liabilities

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018		31 March 2017	
Revolving Fund For:				
Seed Production under Drought Prone Area*	150.00		150.00	
For Establishment and Maintenance of Seed Bank Scheme **	379.55		379.55	
-For Establishment and Maintenance of Seed Bank Scheme - erstwhile SFCI	163.63	693.18	289.17	818.72
-Crash Programme (Oil Seeds)***	147.00		147.00	
-Crash Programme (Oil Seeds)-SFCI	60.00		60.00	
-Crash Programme(Pulses)***	26.75		26.75	
-Crash Programme(Pulses)-SFCI	150.00	383.75	150.00	383.75
Fair Value Adjustment		30.15		12.51
Total		1,107.08		1,214.98

* Revolving fund for seed production under drought prone area:-The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare granted approval of fund for seed production under drought prone areas. This fund was to be kept in a separate account and to be used as working capital. It was also stated that the funds utilized were to be deposited back so that there should be no depletion from this account.

** Revolving fund for establishment and maintenance of Seed Bank Scheme :- The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare granted approval for release of funds for creation of revolving fund for the purpose of establishment and maintenance of seed bank. This assistance was to be used as per the guidelines and utilization certificate and progress of implementation scheme was to be submitted to DAC & FW.

*** Revolving fund for implementation of Crash Programme for Quality Seed Production of Oilseeds and Pulses:- The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare granted approval of revolving fund for the purpose of implementation of quality seed production of Oilseeds and pulses. The funds were to be used for organizing crash programs for production of Oilseeds and pulses.

Note: - 25: Provisions

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018		31 March 2017	
Provision for Employees benefits				
For compensated Absences*				
Balance as at the beginning of the year	3,508.12		4,173.71	
Additions during the year	124.60		(665.59)	
Amounts utilised during the year	(700.35)		-	
Balance as at the end of the year		**2,932.37**		**3,508.12**
For Retired Employees welfare				
Balance as at the beginning of the year	468.20		367.63	
Additions during the year	116.80		100.57	
Balance as at the end of the year		**585.00**		**468.20**
For TTA				
Balance as at the beginning of the year	356.93		-	
Additions during the year	-		356.93	
Less:Adjusted during the year	(356.93)		-	
Balance as at the end of the year		**-**		**356.93**
Total		**3,517.37**		**4,333.25**

* Refer Note No. 69

टिप्पणी-26 : उधार (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
प्रत्याभूत, बैंक से मांग पर पुनः देय ऋण		
प्रत्याभूत (नकद उधार)*	94.41	267.38
अप्रत्याभूत	5000.00	-
कुल	**5094.41**	**267.38**

* कंपनी की सभी वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रांरभिक प्रतिभूति एवं देश के विभिन्न भागों में स्थित 26 परिसंपत्तियों पर साम्यिक बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूति ।

टिप्पणी-27 : व्यापार प्रदेय (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
-सूक्ष्म, लघु एवं *मध्यम उद्यमों को देय'	355.25	812.59
- अन्य	20,630.14	16,416.37
- संबंधित पार्टियों को देय	-	-
कुल	**20,985.39**	**17,228.96**

*संदर्भ नोट संख्या 51

टिप्पणी-28 : अन्य वित्तीय देयताएं (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
निरीक्षण शुल्क, पंजीकरण शुल्क इत्यादि	44.12	24.04
सुरक्षित जमा	2,958.94	3,029.81
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
स्थाई परिसंपत्तियों को देय	701.33	276.75
अन्य	6,746.61	4,336.97
कुल	**10,451.00**	**7,667.57**

टिप्पणी-29 : अन्य वर्तमान देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017
सांविधिक देय के लिए अग्रिम :		396.54		353.90
यू.एन.डी.पी के अंतर्गत संकर	-		2.81	
मक्का के प्रमाणित बीज का उत्पादन	171.97		180.26	
आर्थिक सहायता/अनुदान	-		-	
सिंचाई के विकास के लिए पूंजीगत अनुदान	152.74	324.71	249.73	432.80
		205.26		2,889.78
निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन संवर्धन के लिए सहायता				
एन.एफ.एस.एम. की परियोजना मिशन के लिए अंग्रिम				
अन्य वर्तमान देयताएं				
उचित मूल्य समायोजन		11.80		8.77
कुल		**938.31**		**3,685.25**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2018

Note: - 26: Borrowings

(₹ In Lakhs)

Particulars	**31 March 2018**	**31 March 2017**
Secured, Loan repayable on demand from bank		
Secured, Cash Credit*	94.41	267.38
Unsecured short term loan	5,000.00	-
Total	**5,094.41**	**267.38**

* Primarily secured by first charge on all present and future current assests of the company and collaterally secured by equitable mortage on 26 properties located at different parts of the country.

Note:- 27: Trade Payables

(₹ In Lakhs)

Particulars	**31 March 2018**	**31 March 2017**
- Due to MSME*	355.25	812.59
- Others	20,630.14	16,416.37
- Payable to related parties	-	-
Total	**20,985.39**	**17,228.96**

*Refer note no. 51

Note:- 28: Other financial liabilities

(₹ In Lakhs)

Particulars	**31 March 2018**	**31 March 2017**
Inspection fee, Registration fee etc.	44.12	24.04
Security Deposit	2,958.94	3,029.81
Current maturity of long term debt	-	-
Payable for fixed asset	701.33	276.75
Others	6,746.61	4,336.97
Total	**10,451.00**	**7,667.57**

Note: - 29: Other current liabilities

(₹ In Lakhs)

Particulars	**31 March 2018**		**31 March 2017**	
Statutory dues		396.54		353.90
Advances For :				
Production of maize hybrid Certified seeds Under UNDP	-		2.81	
Grant in Aid/Subsidy	171.97		180.26	
Capital Grant for Development of Sprinkler Irrigation	-		-	
Assistance for boosting seeds production in private Sector	152.74	324.71	249.73	432.80
Advance for National Food Security Mission Project Mission etc.		205.26		2,889.78
Other current liabilities				
Fair value adjustment		11.80		8.77
Total		**938.31**		**3,685.25**

टिप्पणी-30 : प्रावधान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
क्षतिपूरक अनुपस्थितियों के लिए *				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	636.22		83.15	
वर्ष के दौरान वृद्धि	184.82		1,128.12	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	-		(575.05)	
दीर्घावधि प्रावधान में स्थानातंरण	(124.60)		-	
वर्ष के अंत में शेष		696.44		636.22
पैंशन				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	341.85		625.00	
वर्ष के दौरान वृद्धि	16.35		-	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	-		(283.15)	
वर्ष के अंत में शेष		358.20		341.85
निष्पादन संबंधी वेतन				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,408.76		1,148.76	
वर्ष के दौरान वृद्धि	69.68		260.00	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	(740.01)		-	
वर्ष के अंत में शेष		738.43		1,408.76
टीटीए				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5.65		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		5.65	
प्रयोग की गई/समायोजित राशि	(5.65)		-	
वर्ष के अंत में शेष		-		5.65
कुल		**1,793.07**		**2,392.48**

*** संदर्भ नोट संख्या 75**

टिप्पणी-31 : वर्तमान कर देयताएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,397.06		1,421.65	
वर्ष के दौरान वृद्धि	400.00		2,535.00	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	(1,397.06)	400.00	(2,559.59)	1,397.06
कुल		**400.00**		**1,397.06**

टिप्पणी-32 : परिचालन से राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	
परिचालन से राजस्व				
प्रमाणित - गृह बाजार	65,522.56		74,360.95	
प्रमाणित - निर्यात	-		263.91	
बीज बिक्री पर मूल्य अंतर की प्रतिपूर्ति	5,268.19		4,598.80	
घटाएं : व्यापार छूट	(2,743.89)	68,046.86	(3,601.01)	75,622.65
मूल बीज	1,727.69		1,907.34	
प्रजनक बीज	454.92		221.65	
पौध सामग्री	57.61		-	
अनुपयोगी बीज	1,654.27		411.68	
विविध बिक्री	846.15	4,740.64	1,269.44	3,810.11
सेवाओं की बिक्री		50.23		25.25
अन्य प्रचालन राजस्व		8,746.31		6,776.15
कुल		**81,584.04**		**86,234.16**

Note: - 30: Provisions

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018		31 March 2017	
For Compensated Absences:*				
Balance as at the beginning of the year	636.22		83.15	
Additions during the year	184.82		1,128.12	
Amounts utilised during the year	-		(575.05)	
Transfer to Long-term Provision	(124.60)		-	
Balance as at the end of the year		696.44		636.22
Pension				
Balance as at the beginning of the year	341.85		625.00	
Additions during the year	16.35		-	
Amounts utilised during the year	-		(283.15)	
Balance as at the end of the year		358.20		341.85
Performance Related Pay				
Balance as at the beginning of the year	1,408.76		1,148.76	
Additions during the year	69.68		260.00	
Amounts utilised during the year	(740.01)		-	
Balance as at the end of the year		738.43		1,408.76
TTA				
Balance as at the beginning of the year	5.65		-	
Additions during the year	-		5.65	
Amount Utilised/Adjusted	(5.65)		-	
Balance as at the end of the year		-		5.65
Total		**1,793.07**		**2,392.48**

* Refer Note No. 75

Note:- 31: Current tax liabilities

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018		31 March 2017	
Balance as at the beginning of the year	1,397.06		1,421.65	
Additions for the year	400.00		2,535.00	
Amounts utilised during the year	(1,397.06)	400.00	(2,559.59)	1,397.06
Total		**400.00**		**1,397.06**

Note:- 32 : Revenue from Operations

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018		For the year ended 31st March 2017	
Revenue from operations				
Certified - Home Market	65,522.56		74,360.95	
Certified - Export	-		263.91	
Reimbursement of Price Differential on sale of seed	5,268.19		4,598.80	
Less: Trade Discount	(2,743.89)	68,046.86	(3,601.01)	75,622.65
Foundation Seeds	1,727.69		1,907.34	
Breeder Seeds	454.92		221.65	
Sapling	57.61		-	
Condemned Seeds	1,654.27		411.68	
Miscellaneous sales	846.15	4,740.64	1,269.44	3,810.11
Sale of Services		50.23		25.25
Other Operating Revenues		8,746.31		6,776.15
Total		**81,584.04**		**86,234.16**

टिप्पणी-33 : अन्य आय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	
ब्याज आय टीडीएस रु. 6.54 लाख (पिछले वर्ष रु. 17,66लाख)		77.45		200.71
म्यूचल फंड मे निवेश से शुद्ध लाभ		33.58		88.53
लाभांश आय: एसोसिएट से लाभांश		67.06		45.95
अन्य गैर परिचालन आय				
विविध प्राप्तियाँ *	565.99		263.48	
दावे	115.34		3.68	
किराया विद्युत प्रभार सहित	523.15		415.72	
वसूल किया गया निर्णीत हर्जाना	115.38	1,319.86	159.02	841.90
अलाउन्स/प्रावधान एवं देयताएं जिनकी अब आवश्यकता नहीं रही :				
-अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	18.27		0.88	
-संदिग्ध अग्रिम एवं जमा	6.80		6.62	
-बोनस	0.43		-	
-वेतन एवं भत्ते	17.56		5.00	
-आर्थिक सहायता	-	43.06	-	12.50
के लिए देयताएं				
सेवाएं	111.87		37.43	
माल	85.87	197.74	32.93	70.36
आर्थिक अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्याह्रास		832.19		787.96
कुल		**2,570.94**		**2,047.91**

* 31 मार्च,2018 जब्त किए गए धरोहर राशि एवं अन्य जमा रु. 66.65 लाख (पिछले वर्ष: रु. 27.91 लाख) शामिल है ।

टिप्पणी-34 : उपयोग की गई सामग्री की लागत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	
प्रारंभिक स्टॉक				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	1,935.88		1,731.49	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	444.21	2,380.09	372.11	2,103.60
जोड़े : क्रय				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	829.00		2,038.69	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	985.69	1,814.69	975.27	3,013.96
घटाएं: अंतिम स्टॉक				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	1,053.09		1,935.88	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	479.77	1,532.86	444.21	2,380.09
कुल		**2,661.92**		**2,737.47**

Note:- 33 : Other Income

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018		For the year ended 31st March 2017	
Interest Income [TDS Rs. 6.54 lakhs (previous year: Rs. 17.66 lakhs)]		77.45		200.71
Net Gain in Investment in Mutual Fund		33.58		88.53
Dividend Income				
Dividend from Associates		67.06		45.95
Other Non-Operating Income:				
Miscellaneous Receipts*	565.99		263.48	
Claims	115.34		3.68	
Rent including electricity charges	523.15		415.72	
Liquidated damages recovered	115.38	1,319.86	159.02	841.90
Allowances/Provisions & Liabilities no longer required:				
Allowances/Provisions for :				
Bad & Doubtful Debts	18.27		0.88	
Doubtful Advances & Deposits	6.80		6.62	
Bonus	0.43		-	
Salary and Allowances	17.56		5.00	
Subsidy	-	43.06	-	12.50
Liabilities for :				
Services	111.87		37.43	
Goods	85.87	197.74	32.93	70.36
Depreciation on assets purchased out of Grant- in- aid		832.19		787.96
Total		**2,570.94**		**2,047.91**

* Includes Rs. 66.65 lakhs for 31 March 2018 (31 March 2017 Rs. 27.91 lakhs) towards Security and Other Deposits Forfeited.

Note:- 34 : Cost of materials consumed

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018		For the year ended 31st March 2017	
Opening Stock				
Certification & Packing Materials	1,935.88		1,731.49	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	444.21	2,380.09	372.11	2,103.60
Add: Purchases				
Certification & Packing Materials	829.00		2,038.69	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	985.69	1,814.69	975.27	3,013.96
Less: Closing stock				
Certification & Packing Materials	1,053.09		1,935.88	
Fertilizer, Manure & Treatment Materials	479.77	1,532.86	444.21	2,380.09
Total		**2,661.92**		**2,737.47**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी-35 : व्यापारगत माल की खरीद

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
प्रमाणित बीज	69,366.91	57,762.93
मूल बीज	1,931.22	1,267.38
प्रजनक बीज	819.88	434.29
पौध सामग्री	54.35	0.90
कुल	**72,172.36**	**59,465.50**

टिप्पणी-36 : तैयार माल की सूची में परिवर्तन, स्टॉक- इन -ट्रेड एवं प्रगतिशील कार्य तथा जैविक सम्पत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
बीज का प्रारंभिक स्टॉक	10,400.90	6,271.37
फार्म का स्टॉक	4,270.96	3,128.35
जोड़े :		
फार्म का स्टॉक – जैविक सम्पत्तियों से स्थानातंरण	4,023.65	5,228.49
घटाएं : जैविक सम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(5,700.01)	(4,244.24)
घटाएं :		
बीजों का अंतिम स्टॉक	23,440.55	10,400.90
फार्म स्टॉक	7,911.50	4,270.96
कुल	**(18,356.55)**	**(4,287.89)**

टिप्पणी-37 : कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
वेतन, मजदूरी, भत्ते, अन्य प्रसुविधाएं एवं बोनस	12,523.19	10,687.24
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	1,039.76	782.13
पेंशन योजना के लिए प्रावधान	99.35	314.23
स्टॉफ कल्याण व्यय	414.77	409.09
कुल	**14,077.07**	**12,192.69**

टिप्पणी-38 : वित्त लागत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
ब्याज व्यय		
बैंक से प्रतिभूति ऋण पर (नकद ऋण)	394.48	97.42
अन्य उधार लागत:		
ऋण संसाधन शुल्क	31.72	-
छूट (Unbindig of discount)	19.30	35.41
कुल	**445.50**	**132.83**

टिप्पणी-39 : मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
मूल्यह्रास	1,848.41	1,920.63
परिशोधन	3.94	4.50
कुल	**1,852.35**	**1,925.13**

Note:- 35 : Purchases of stock in trade

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
Certified seeds	69,366.91	57,762.93
Foundation seeds	1,931.22	1,267.38
Breeder seeds	819.88	434.29
Saplings	54.35	0.90
Total	**72,172.36**	**59,465.50**

Note:- 36 : Changes in inventories of finished goods, Stock-in -Trade and work-in-progress and Biological Assets

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
Opening Stock of Seeds	10,400.90	6,271.37
Farm Stock	4,270.96	3,128.35
ADD:		
Transfer From Biological Assets - Farm Stock	4,023.65	5,228.49
Less : Difference in Fair Value of Biological Assets	(5,700.01)	(4,244.24)
Less :		
Closing Stock of Seeds	23,440.55	10,400.90
Farm Stock	7,911.50	4,270.96
Total	**(18,356.55)**	**(4,287.89)**

Note:- 37 : Employee Benefits Expense

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
Salary, Wages, Allowances, Other benefits and Bonus	12,523.19	10,687.24
Contribution to provident fund and other funds	1,039.76	782.13
Provision for Pension Scheme	99.35	314.23
Staff welfare expenses	414.77	409.09
Total	**14,077.07**	**12,192.69**

Note:- 38: Finance Costs

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
Interest Expense:		
On Secured loans(Cash Credit)/Short term Unsecured from Bank	394.48	97.42
Other Borrowing Costs:		
Loan Processing Fees	31.72	-
Unwinding of discount	19.30	35.41
Total	**445.50**	**132.83**

Note:- 39: Depreciation and amortization

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
Depreciation	1,848.41	1,920.63
Amortisation	3.94	4.50
Total	**1,852.35**	**1,925.13**

टिप्पणी-40 : अन्य व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
क.परिचालन व्यय				
मरम्मत व रख रखाव :				
गोदाम व संसाधन संयंत्र भवन	19.57		13.01	
संयंत्र व मशीनरी	75.92	95.49	50.01	63.02
आवक माल भाड़ा जिसमें माल एवं अचल संपत्तियों की अतंर इकाई सचंलन भाड़ा भी शामिल है ।	1,802.49		2,103.36	
घटाएं: परिवहन सहायता	(231.39)	1,571.10	(210.33)	1,893.03
भंडारण व संसाधन संयंत्रों का किराया		1,075.14		692.85
संसाधन, निरीक्षण व बीज परीक्षण प्रभार		2,047.27		1,894.78
उपयोग में आए भंडार, कल पुर्जे इत्यादि (स्वदेशी सहित)		206.81		174.26
बिजली व ईंधन		1,196.88		1,184.19
खरीद कर		1.11		9.90
सिंचाई प्रभार		40.62		23.38
प्रयोगशाला खर्च		0.30		4.46
कृषि प्रचालन खर्च		111.72		-
अन्य विविध खर्चे		173.00		87.70
कुल (क)		**6,519.44**		**6,027.57**
ख. प्रशासनिक व्यय				
मरम्मत एवं रखरखाव :				
कार्यालय व आवासीय भवन	31.01		72.67	
अन्य	76.56	107.57	87.23	159.90
किराया: कार्यालय एवं आवासीय भवन		161.05		115.72
यात्रा एवं स्थानीय वाहन *		191.47		557.39
टेलीफोन व ट्रंक काल		48.87		62.44
डाक टिकट, तार व टेलेक्स		18.16		18.89
मुद्रण व लेखन सामग्री		83.01		67.06
बिजली व पानी प्रभार		277.96		276.07
फर्नीचर, जुड़नार, वाहन आदि का किराया भाड़ा		63.42		60.75
मुकद्दमा व्यय (कानूनी खर्च)		38.61		48.00
दर व कर		253.78		154.98
कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान, समूह बीमा इत्यादि का प्रशासनिक प्रभार		9.82		11.14
बीमा		60.80		49.62
मनोरंजन व्यय		33.76		32.93
विज्ञापन (साधारण)		27.72		39.76
लेखा परीक्षकों को मानदेय (सेवा कर सहित)				
- लेखा परीक्षकों को	9.21		8.98	
- कराधान मामले	1.89		1.92	
- अन्य सेवाएं	1.25		1.56	
- खर्चो की प्रतिपूर्ति	2.60	14.95	3.60	16.06
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस एवं खर्चो की प्रतिपूर्ति		23.23		22.81
बैंक प्रभार		14.52		18.84
भूमि विकास व्यय बट्टे खाते		26.64		18.31
पौध रोपण फसल बट्टे खाते		(1.24)		(3.24)
विविध		74.09		58.49
कुल (ख)		**1,528.19**		**1,785.92**
ग.बिक्री व्यय:				
जावक भाड़ा		1,577.45		1,088.37
प्रचार व विज्ञापन		31.74		38.60
सेवा कर		18.15		114.95
बिक्री कर		0.34		5.97
धन वापसी गारंटी के अंतर्गत मुआवजा निर्णीत हर्जाना आदि		8.94		22.11
डायरी खर्च (निवल)		(1.26)		9.62
विदेशी व्यापार पर हानि		0.09		0.03
अन्य बिक्री व्यय		4.40		6.34
कुल (ग)		**1,639.85**		**1,285.99**

*इसमें क्रमश: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को चुकाया गया यात्रा व्यय रु. 10.69 लाख एवं निदेशको का रु.1.29 लाख(पिछले वर्ष : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रु. 10.76 लाख एवं निदेशको को 1.43 लाख) शामिल है ।

Note:- 40 : Other Expenses

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018		For the year ended 31st March 2017	
A - Operational Expenses:				
Repair and Maintenance:				
Godown and Processing Plant Building	19.57		13.01	
Plant and Machinery	75.92	95.49	50.01	63.02
Carriage Inwards including freight on Inter Unit movement of goods and fixed assets	1,802.49		2,103.36	
Less: Transport Subsidy	(231.39)	1,571.10	(210.33)	1,893.03
Rent for Storage and Processing Plants		1,075.14		692.85
Processing, Inspection and Seed Testing charges		2,047.27		1,894.78
Stores, Spares etc. Consumed (all indigenous)		206.81		174.26
Power and Fuel		1,196.88		1,184.19
Purchase Tax		1.11		9.90
Irrigation charges		40.62		23.38
Laboratory Expenses		0.30		4.46
Agriculture Operational Expenses		111.72		-
Other Miscellaneous Expenses		173.00		87.70
Total (A)		**6,519.44**		**6,027.57**
B - Administrative Expenses:				
Repair and Maintenance:				
Office and Residential Buildings	31.01		72.67	
Others	76.56	107.57	87.23	159.90
Rent : Office and Residential Buildings		161.05		115.72
Travelling and Conveyance *		191.47		557.39
Telephone and Trunk Calls		48.87		62.44
Postage, Telegrams and Telex		18.16		18.89
Printing and Stationery		83.01		67.06
Electricity and Water Charges		277.96		276.07
Hire Charges of Furniture, Fixtures, Vehicles etc.		63.42		60.75
Legal Expenses		38.61		48.00
Rates and Taxes		253.78		154.98
Admn. charges of EPF, Gratuity, Group Insurance etc.		9.82		11.14
Insurance		60.80		49.62
Entertainment Expenses		33.76		32.93
Advertisement (General)		27.72		39.76
Remuneration to Auditors (including service tax):				
- As auditor	9.21		8.98	
- For taxation matters	1.89		1.92	
- For other services	1.25		1.56	
- For reimbursement of expenses	2.60	14.95	3.60	16.06
Internal Audit Fees and reimbursement of expenses		23.23		22.81
Bank Charges		14.52		18.84
Land development expenses written off		26.64		18.31
Plantation crop written off		(1.24)		(3.24)
Miscellaneous		74.09		58.49
Total (B)		**1,528.19**		**1,785.92**
C- Selling Expenses:				
Freight Outward		1,577.45		1,088.37
Publicity and Advertisement		31.74		38.60
Service Tax		18.15		114.95
Sales Tax		0.34		5.97
Compensation paid under money back guarantee, Lignidated damages etc.		8.94		22.11
Diary Expenses (net)		(1.26)		9.62
Loss on Foreign Translation		0.09		0.03
Other selling expenses		4.40		6.34
Total (C)		**1,639.85**		**1,285.99**

*Includes travelling expenditure of CMD :Rs. 10.69 lakhs and Directors Rs. 1.29 lakhs respectively (Previous year : CMD Rs.10.76 lakhs and Directors Rs. 1.43 lakhs respectively)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
घ. अलाउन्स व बट्टे खाते		
अशोध्य व संदिग्ध के लिए अलाउन्स		
व्यापार प्राप्य	0.89	24.97
अग्रिम और दावे	0.40	274.83
बट्टे खाते		
व्यापार प्राप्य	-	-
घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्य के प्रावधान के विरुद्ध वसूली योग्य	-	-
बिक्री/उत्पादन सहायता के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्य	-	-
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों, दावों इत्यादि के प्रावधान के विरुद्ध वसूली योग्य	-	-
कुल (घ)	**1.29**	**299.80**
ड. सीएसआर पर व्य्य :	112.75	108.89
कुल (क+ख +ग+ घ +ड.) तक	**9,801.52**	**9,508.17**

टिप्पणी-41 : विशिष्ट मदें

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
कार्यशील पूंजी के लिए सीमांत राशि का उपयोग	-		(1,170.00)
पुराना पुंजीगत अनुदान एवं अन्य के विरुद्ध समायोजन*	(1,009.41)	-	-
रिर्टन बैंक पीआरपी का प्रावधान	(151.05)	-	-
रिर्टन बैंक (टी टी ए) प्रावधान	(362.58)	-	-
सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	(13.16)	-	(8.29)
कुल	**(1,536.20)**	-	**(1,178.29)**

* संदर्भ नोट संख्या 69

टिप्पणी-42 : अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	
मदें जो लाभ एवं हानि पर पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे				
परिभाषित लाभ योजना का पुन: निर्धारण (उपदान)	(511.45)		(4.59)	
परिभाषित लाभ योजना पर आयकर का प्रभाव	178.72	(332.7)	1.59	(3.00)
निवेश का उचित मूल्यांकन	574.28		413.45	
अन्य व्यापक आय के माध्यम से निवेश पर आयकर का प्रभाव	(114.86)	459.42	(62.02)	351.43
कुल		**126.69**		**348.43**

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
D - Allowances and write offs:		
Allowance for bad and doubtful:		
Trade Receivables	0.89	24.97
Advances and claims	0.40	274.83
Write-offs:		
Trade Receivables	-	-
Less: Charged against Provision for Doubt Trade Receivables	-	-
Recoverable from Government of India against sales/production subsidy	-	-
Less: Charged against Provision for Doubtful Advances, Claims etc.	-	-
Total (D)	**1.29**	**299.80**
E - Expenses on Corporate Social Responsibility	112.75	108.89
Total (A+B+C+D+E)	**9,801.52**	**9,508.17**

Note:- 41 : Exceptional Items

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
Utilisation of Margin Money for Working Capital	-	(1,170.00)
Adjustment against old Capital Grant and others*	(1,009.41)	-
Provision of PRP written back	(151.05)	-
Provision(TTA) written back	(362.58)	-
Profit on sale of asset	(13.16)	(8.29)
Total	**(1,536.20)**	**(1,178.29)**

* Refer note no. - 69

Note:- 42:
Components of Other Comprehensive Income (OCI)

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018		For the year ended 31st March 2017	
Items that will not be reclassified to profit and loss				
Remeasurement of Defined benefit plans (Gratuity)	(511.45)		(4.59)	
Income tax effect related to defined benefit plans	178.72	(332.73)	1.59	(3.00)
Fair Valuation of Investment	574.28		413.45	
Income tax effect related to Investment Through Other Comprehensive Income	(114.86)	459.42	(62.02)	351.43
Total		**126.69**		**348.43**

टिप्पणी-43 : प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस)

प्रति शेयर उपार्जन निर्धारण करने में, कंपनी कर पश्चात निवल लाभ पर विचार करती है । प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना में प्रयोग किए गए शेयरों की संख्या, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या है । अमिश्रित उपार्जन प्रति शेयर की गणना तब की जाती है यदि वर्ष के दौरान संभावित इक्विटी शेयर शामिल होते हैं ।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
मूल प्रति शेयर उपार्जन	435.73	903.76
डिल्यूटिड प्रति शेयर उपार्जन	435.73	903.76

मूल प्रति शेयर उपार्जन की गणना में आय तथा प्रयोग किए गए शेयर डाटा को दर्शाया गया है :-

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
मूल इक्विटी शेयर धारकों के लिए लाभ		
जारी परिचालन	2,497.60	5,180.33
बंद परिचालन	-	-
	2,497.60	**5,180.33**
मूल प्रति शेयर उपार्जन के लिए इक्विटी धारकों के लिए लाभ		
परिवर्तन योग्य अधिमान्य शेयरों पर ब्याज	-	-
	2,497.60	**5,180.33**

निम्म्लिखित भारित औसत शेयरों की संख्या जोकि मूल ईपीएस की संगणना में प्रयोग की गई है।

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े
मूल प्रति शेयर उपार्जन के लिए भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	5,73,199	5,73,199
डिल्यूशन का प्रभाव		
शेयर विकल्प	-	-
परिवर्तन योग्य अधिमान्य शेयर	-	-
डिल्यूशन के प्रभाव के लिए समायोजित भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	**5,73,199**	**5,73,199**

टिप्पणी-44 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(i) पटना (शेखपुरा) तथा कोलकाता (मिदनापुर) क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित निगम के पक्ष में भूमि का पट्टा विलेख/हक विलेख (जिस पर भवनों का निर्माण किया गया है) तथा भूमि के भुगतान का विवरण एवं उसके मूल्य हिसाब के विवरण उपलब्ध नहीं हैं । यद्यपि 1984 में प्रारंभिक तौर पर 30 वर्षों की अवधि के लिए मिदनापुर जमीन की प्राप्ति के संबंध में दस्तावेजी सबूतों की अवस्थिति का पता लगा लिया गया है तथा उनके आधार पर संबद्ध प्राधिकारियों से शीघ्र कार्रवाई के लिए कहा गया है ।

(ii) निगम द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से नंदयाल में बीज संसाधन संयंत्र तथा भंडार निर्माण के लिए 15.10.1994 को ली गई भूमि का पट्टा विलेख राशि को अंतिम रुप न दिए जा सकने के कारण इसका पट्टा विलेख निष्पादन लम्बित पड़ा हुआ है । यद्यपि कृषि विभाग ने अपने पत्र संख्या ए/242/94 दिनांक 02.04.2016 के द्वारा लीज किराए को प्रतिवर्ष रु. 0.83 लाख में दिया है , जिसका पट्टा विलेख को निष्पादन किया जाना है।

Note: - 43:
Earnings per share (EPS)

In determining earning per share, the company considers the net profit after tax. The number of shares used in computing basic earnings per share is the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The dilutive earning per share is computed in case there is potential equity share involved during the year.

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
Basic EPS (In ₹)	435.73	903.76
Diluted EPS (In ₹)	435.73	903.76

The following reflects the income and share data used in the basic EPS computations:-

(₹ In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
Profit attributable to equity holders of the parent:		
Continuing operations	2,497.60	5,180.33
Discontinued operation	-	-
Profit attributable to equity holders for Basic Earning Per Share	**2,497.60**	**5,180.33**
Interest on convertible preference shares	-	-
Profit attributable to equity holders adjusted for the effect of dilution	**2,497.60**	**5,180.33**

The following reflects the weighted average No of shares used in the basic EPS Computations

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the year ended 31st March 2017
Weighted average number of Equity shares for basic EPS	573,199	573,199
Effect of dilution:		
Share Options	-	-
Convertible preference shares	-	-
Weighted average number of Equity shares adjusted for the effect of dilution	**573,199**	**573,199**

Note:- 44 : Property Plant and Equipment:

(i) In respect of Patna (Sheikhpura) and Kolkata (Midnapore) Regional Offices, the lease/title deeds (of the land on which buildings are constructed) in favour of the Corporation and details of the payment for land and accounting of the value thereof are not available, although documentary proof about receipt of land in 1984 at Midnapur initially for a period of 30 years have since been located and based thereon the concerned authorities are being asked to expedite necessary action.

(ii) Execution of lease deed of land at Nandyal obtained by the Corporation on 15.10.1994 from the Department of Agriculture, Government of Andhra Pradesh for construction of Seed Processing Plant-cum-Store Complex, is pending due to non finalization of lease amount. However now the Department of Agriculture vide their letter No A/242/94 dt.02-04-2016 finalised the lease rent as ₹ 0.83 Lakhs per year and the lease deed is being executed.

(iii) गुंटी में पूर्ववर्ती एसएफसीआई ने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान रु. 16.97 लाख की राशि के फ्री होल्ड जमीन खरीदी थी । परंतु अभी तक इस जमीन का पंजीकरण निगम के नाम पर नहीं हुआ है। इन तथ्यों के कारण की गोदाम के निर्माण एवं मशीनरी स्थापित करने के पश्चात कंपनी के नाम पर स्थानातंरित होगा । प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार निर्माण कार्य एवं मशीनरी स्थापित करने का कार्य माह सितम्बर, 2014 में पूर्ण हो चुका है और पंजीकरण प्रक्रियाधीन है ।

(iv) हेमपुर (उत्तरांचल) की जमीन का पट्टा/हक विलेख अभी निष्पादित किया जाना है ।

(v) हेमपुर फार्म की भूमि का एक बड़ा भाग मार्च, 1987 में उत्तरप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को सौंपा गया था । एनएससी ने 07 एकड़ भूमि अपने पास रखी हुई है । उत्तर प्रदेश / उत्तरांचल सरकार से कंपनी द्वारा आधारभूत ढांचा बनाने के लिए एवं पट्टा प्रीमियम पट्टा किराया आदि के कारण रु. 25.00 लाख की राशि के भुगतान के समायोजन के संबंध में देय क्षतिपूर्ति का अंतिम निपटान लम्बित पड़ा होने से कोई समायोजन नहीं किया गया।

(vi) निवाड़ी स्थित भूमि रु. 0.40 लाख के प्रीमियम एवं रु 0.03 लाख प्रतिवर्ष के किराये पर एनएससी को स्थाई रुप से स्थानातंरित किया गया था । तथापि पट्टे की अवधि के आभाव में निवाड़ी स्थित भूमि को 99 साल की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है ।

(vii) गोरखपुर स्थित भूमि निगम ने वर्ष 2011-12 गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से रु. 97.75 लाख के भुगतान पर अधिग्रहण की है तथा इसके पट्टा विलेख को अपने नाम पर पंजीकृत कर दिया है । यद्यपि निगम के पक्ष में न ही मोटेशन किया गया है और न ही गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने वास्तविक कब्जा दिया है । भुगतान की गई राशि को पूंजीगत अग्रिम में दिखाया गया है । (टिप्पणी संख्या 9)

(viii) निगम ने ग्रमीण क्षेत्रों में गोदामों के लिए नाबार्ड योजना के अंतर्गत इलाहबाद बैंक से रु. 225.74 लाख का टर्म लोन लिया था । निगम रु. 45.00 लाख का आर्थिक सहायता का हकदार है, जिसे निगम की ओर से बैंक द्वारा दावा किया गया है । निगम की पात्रता के अनुसार वास्तविक राशि नाबार्ड द्वारा अभी वितरित की जानी है, जिसे भविष्य की किश्तों में देय के रुप में बैंक द्वारा विनियोजित किया जाएगा । यहां पर पहले वितरण की तारीख से दो वर्ष की ऋण स्थगन अवधि थी और तद्नुसार ऋण की अदायगी जनवरी, 2015 से शुरु कर दी गई । ब्याज बेस दर पर किया जा रहा है, जोकि 31.03.2018 को 9.15x (पिछले वर्ष 9.70) थी और उस तारीख को शेष बकाया रु. 71.28 लाख है ।

टिप्पणी-45 : पूंजी प्रबंधन

निगम अपनी पूंजी का प्रबंधन सतत व्यापार जारी रखते हुए (to continue on going concern) सही ढंग से करता है जिससे इसकी क्षमता एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, जिससे निगम अपने शेयरधारकों को अधिकतम वापसी प्रदान करना जारी रखे और अन्य हितधारकों को लाभान्वित कर सके ।

इसके अलावा निगम अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक स्थितियों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं में परिवर्तन के कारण समायोजन करता है । निगम पूंजी की लागत को कम करने के लिए ऋण इक्विटी का इस्टतम पूंजी संरचना रखता है । निगम के ऋणों में दीर्घावधि ऋण, ब्याज वाले ऋण, बैंकों से उधार शामिल हैं । निगम के प्रमुख क्रियाकलापों को सबसिडी तथा आंतरिक संसाधनों के माध्यम से वित्त पोसित किया जाता है ।

(रु. लाख में)

विवरण	**31-03-18**	**31-03-17**
उधार (टिप्पणी सं0 22)	71.28	64.60
अप्रत्याभूत अल्पावधि ऋण	5,000.00	-
निवल ऋण	**5,071.28**	**64.60**
इक्विटी शेयर पूंजी (टिप्पणी सं0 19)	5,731.99	5,731.99
अन्य इक्विटी (टिप्पणी सं0 20)	56,589.36	55,420.72
कुल इक्विटी	**62,321.35**	**61,152.71**
इक्विटी अनुपात में निवल ऋण	**0.081**	**0.001**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के लिए उद्देश्य, नीति अथवा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किए गए ।

(iii) Freehold Land at Gooty worth of ₹ 16.97 Lakhs was purchased by erstwhile SFCI during the F.Y 2009-10. But the land has not yet been registered in the name of the Corporation till date, due to the fact that the transfer of title will be done on completion of the construction of Godowns and installation of Machinery. The construction and installation of machinery has been completed in the month of September 2014 and the registration is under process.

(iv) The lease/title deed for land of Hempur (Uttarakhand), is yet to be executed.

(v) The major portion of the land at Hempur Farm was handed over to UP State Industrial Development Corporation in March, 1987. Balance 7 acres of land has been retained by the Corporation. Pending final settlement, no adjustment is made in respect of compensation of ₹ 25.00 Lakhs due from U.P./Uttarakhand Govt. towards infrastructure created by the corporation and amount payable on account of lease premium, lease rent etc.

(vi) Land at Niwari has been transferred to corporation permanently at a premium of ₹ 0.40 Lakhs and at a rent of ₹ 0.03 Lakhs per annum. However, in absence of periodicity of lease, land at Niwari is being amortized over a period of 99 years.

(vii) Land at Gorakhpur has been acquired in the Financial year 2011-12 from Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA) on payment of ₹ 97.75 Lakhs by the Corporation and lease deed registered. However, since neither mutation has been done in favour of Corporation nor possession handed over by the GIDA, the amount paid has been shown as a Capital Advance (Note No. 9).

(viii) The Corporation had availed a term loan of ₹ 225.74 Lakhs from Allahabad Bank under the NABARD scheme for funding of godowns in rural areas. The corporation is entitled to a subsidy of ₹ 45.00 Lakhs which has already been claimed by the bank on behalf of the corporation. The actual amount as per the eligibility of the Corporation is yet to be disbursed by NABARD which will be appropriated by the bank towards future installments payable. There was a two year moratorium period from the date of first disbursement, which was 17/12/12, and accordingly repayment of the loan started from January 2015 onwards. Interest is being charged at the base rate which is 9.15% (Previous Year 9.70 %) as on 31.03.2018 and the balance outstanding on that date is ₹ 71.28 Lakhs.

Notes :-45 : Capital management

The corporations objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that corporation can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders.

Further, corporation manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. The corporation maintains an optimal capital structure of Debt and equity to reduce the cost of capital. The corporations debts includes long term debt , interest bearing loans and borrowings from banks. Major activities of corporation are financed through subsidy and internal accruals.

(₹ In Lakhs)

Particulars	31-03-18	31-03-17
Borrowings (Note No. 22)	71.28	64.60
Unsecured short term loan	5,000.00	-
Net debt	**5,071.28**	**64.60**
Equity Share Capital (Note No. 19)	5,731.99	5,731.99
Other equity (Note No. 20)	56,589.36	55,420.72
Total equity	**62,321.35**	**61,152.71**
Net Debt to equity ratio	**0.081**	**0.001**

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the year ended 31 March 2018.

टिप्पणी-46 : उचित मूल्य निर्धारण

(i) श्रेणी द्वारा वित्तीय उपकरण

(रु. लाख में))

विवरण	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	FVTPL	FVTOCI	परिशोधित लागत	FVTPL	FVTOCI	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्तियां						
(i) निवेश	-	3,061.72	449.94	3,499.64	2,487.45	449.96
(ii) अन्य गैर चालू वित्तीय संपत्तियां	-	-	233.48	-		243.66
(iii) व्यापार प्राप्य	-	-	24,587.85	-		24,006.33
(iv) नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	990.10	-		12,727.00
(v) उक्त (iv) के अलावा बैंक शेष	-	-	413.32	-		450.33
(vi) अन्य चालू वित्तीय संपत्तियां	-	-	23,867.99	-		16,132.60
कुल वित्तीय संपत्तियां	**-**	**3,061.72**	**50,542.68**	**3,499.64**	**2,487.45**	**54,009.88**
वित्तीत देयताएं						
(i) उधार	-	-	5,165.69	-		331.98
(ii) अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं	-	-	4,036.94	-		2,574.20
(iii) व्यापार प्रदेय	-	-	20,985.39	-		17,228.96
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	10,451.00	-		7,667.57
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**40,639.02**	**-**		**27,802.71**

i) व्यापार प्राप्तियाँ, व्यापार देनदारी, अल्पकालिक धरोहर राशि, नकद एवं नकदी समतुल्य और अन्य अल्प अवधि प्राप्तियां तथा देनदारियों की लाई गई राशि को अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है ।

ii) कंपनी द्वारा दीर्घावधि परिवर्तनीय दर उधार का मूल्यांकन ब्याज दरों, विशिष्ट देश के जोखिम कारकों तथा अन्य जोखिम कारकों जैसे मानदंडों पर मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर ऐसी देनदारियों का उचित मूल्य उनकी लाई गई राशि से भौतिक रुप से अलग नहीं है ।

iii) अन्य इकाईयों की जैविक सम्पत्तियों का उचित मूल्य की गणना सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर की गई थी । इन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर-3 उचित मूल्यों के रुप में वर्गीकृत किया गया है ।

iv) धरोहर राशि और अन्य जमाओं के उचित मूल्य अनुमानित उचित मूल्य है, इसलिए लाई गई लागत एवं उचित मूल्य की तुलना का प्रकटीकरण नहीं किया गया है ।

v) कंपनी के वित्तीय साधनों के लिए लाई गई राशि एवं उचित मूल्य के श्रेणी के आधार पर तुलना उचित मूल्य पर अनुमानित है जोकि वित्तीय मूल्यों का उचित अनुमान है प्रस्तुत नहीं किए जाते है क्योंकि रिपोटिंग तारीख पर सभी वित्तीय साधनों का उचित मूल्य उनके वाहक मूल्य अनुमानित करता है।

31-03-2018 को उचित मूल्य पदानुक्रम

(रु. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
जैविक सम्पत्तियां				
खड़ी फसलें	-	-	5,470.20	5,470.20
पेड़	-	-	4,262.76	4,262.76
पौधशाला	-	-	59.96	59.96
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश	-	-	3,061.72	3,061.72
धरोहर राशि	-	-	-	-
	-	**-**	**12,854.64**	**12,854.64**

31-03-2018 को उचित मूल्य पदानुक्रम

(रु. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय देयताएं				
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं	-	-	653.94	653.94
धरोहर राशि एवं अन्य जमा	**-**	**-**	**653.94**	**653.94**

Note:- 46 :Fair Value measurements

(i) Financial Instruments by Category

(₹ In Lakhs)

Particulars	31 March 2018			31 March 2017		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
(i) Investment	-	3,061.72	449.94	3,499.64	2,487.45	449.96
(ii) Other Non Current Financial Assets	-	-	233.48	-		243.66
(iii) Trade Receivables	-	-	24,587.85	-		24,006.33
(iv) Cash and Cash Equivalents	-	-	990.10	-		12,727.00
(v) Bank balances other than (iv) above	-	-	413.32	-		450.33
(vi) Other Current financial assets	-	-	23,867.99	-		16,132.60
Total Financial Assets	**-**	**3,061.72**	**50,542.68**	**3,499.64**	**2,487.45**	**54,009.88**
Financial Liabilities						
(i) Borrowings	-	-	5,165.69	-		331.98
(ii) Other Non Current Financial Liablities	-	-	4,036.94	-		2,574.20
(iii) Trade payables	-	-	20,985.39	-		17,228.96
(iv) Other financial liabilities	-	-	10,451.00	-		7,667.57
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**40,639.02**	**-**		**27,802.71**

i) The carrying amounts of trade receivables, trade payables, Short term Security Deposit, cash and cash equivalents and other short term receivables and payables are considered to be the same as their fair values, due to short term nature.

ii) Long term variable rate borrowings are evaluated by company on parameters such as interest rates, specific country risk factors and other risk factors. Based on this evaluation the fair value of such payables are not materially different from their carrying amount.

iii) The fair value of biological assets were calculated based on quoted price in active market that the corporation can access at the measurement date. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy.

iv) Carrying value of security and other deposits approximates fair value. Therefore disclosure for comparision of carrying value and fair value is not provided.

(v) Comparision by class of the carrying amounts and fair value of the company's financial instruments other than those with carrying amounts that are reasonable approximation of fair values are not presented since fair value of all financial instruments as on reporting date approximates their carrying value.

Fair Value hierarchy as on 31-3-2018 (₹ In Lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Biological Assets				
Standing Crops	-	-	5,470.20	5,470.20
Trees	-	-	4,262.76	4,262.76
Nursery	-	-	59.96	59.96
Financial Assets				
Investment	-	-	3,061.72	3,061.72
Security Deposit	-	-	-	-
	-	**-**	**12,854.64**	**12,854.64**

Fair Value hierarchy as on 31-3-2018 (₹ In Lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Liabilities				
Financial Liabilities at Amortised Cost				
Security Deposit & other deposits	-	-	653.94	653.94
	-	**-**	**653.94**	**653.94**

31-03-2017 को उचित मूल्य पदानुक्रम

(रु. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
जैविक सम्पत्तियां				
खड़ी फसलें	-	-	4,023.66	4,023.66
पेड़	-	-	4,040.57	4,040.57
पौधशाला	-	-	52.34	52.34
वित्तीय परिसंपत्तिया				
निवेश	3,499.64	-	2,487.45	5,987.09
धरोहर राशि	-	-	-	-
	3,499.64	**-**	**10,604.02**	**14,103.66**

31-03-2017 को उचित मूल्य पदानुक्रम

(रु. लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय देयताएं				
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं	-	-	613.55	613.55
धरोहर राशि एवं अन्य जमा	**-**	**-**	**613.55**	**613.55**

टिप्पणी-47 : उचित मूल्य के निर्धारण हेतु उपयोगित मूल्यांकन तकनीक

(ii) उचित मूल्य के लिए मूल्यांकन आदान एवं सम्बन्ध

जैविक सम्पत्तियों के उचित मूल्य निर्धारण में उपयोगित उल्लेखनीय अप्रभावी आदानों के संबंध में गुणात्मक जानकारी का सार निम्नलिखित सारिणी के रुप में है । उचित मूल्यों को रियायती नकदी प्रभाव के आधार पर निर्धारित किया गया है ।

(रु. लाख में)

विवरण	उचित मूल्य पर 31 मार्च, 2018	उचित मूल्य पर 31 मार्च, 2017	अप्रभावी इनपुट	इनपुट के श्रेणी 31 मार्च, 2018	इनपुट के श्रेणी 31 मार्च, 2017	उचित मूल्य के लिए अप्रभावी इनपुट का संबंध
गैर उद्धत इक्विटी शेयर	3,061.72	2487.45	निगम ने स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से समायोजित आंतरिक मूल्य के आधार पर निवेश का मूल्य निर्धारित किया है	लागू नहीं		लागू नहीं
धरोहर एवं अन्य जमा (अन्य वित्तीय संपत्तियां)	653.94	613.55	धरोहर जमा की ब्याज दर एवं संविदात्मक शर्ते	7.50%	7.50%	ब्याज की दर अधिक, उचित मूल्य कम
फार्म स्टॉक	5,470.20	4,023.66	उपज - प्रति हैक्टेयर टन एवं मूल्य	धान 35-40 कु./है. मूंग 3-5 कु./है. उड़द 3-5 कु./है. तिल 2-3 कु./है. भिंडी 3-5 कु./है. गेहूं30-35 कु./है. जौं20-30 कु./है. सरसों 12-15 कु./है. चना 7-12 कु./है. पालक6-10 कु./है.	-	अधिक उपज, अधिक उचित मूल्य
पेड़	4,262.76	4,040.57	उपज - प्रति हैक्टेयर टन एवं मूल्य	-		परिधि में व्यापक, अधिक उचित मूल्य
पौधशाला	59.96	52.34	उपज प्रति हैक्टेयर टन एवं मूल्य	धान 35-40 कु./है.	-	उच्च बाजार मूल्य, अधिक उचित मूल्य

(ii) मूल्यांकन प्रक्रियाएं

जैविक परिसंपत्तियां

निगम के वित्त विभाग की एक टीम वित्तीय रिर्पोटिंग के लिए निगम की जैविक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करती है जिसमें स्तर-3 मूल्य शामिल है । यह टीम वित्त प्रमुख को रिपोर्ट करती है। प्रति वर्ष कम से कम एक बार मूल्यांकन टीम एवं वित्त प्रमुख के बीच मूल्य निर्धारण की प्रक्रियाओं और परिणामों पर चर्चा होती है ।असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों एवं जैविक परिसंपत्तियों के लिए मुख्य स्तर-3 आदानों को व्युत्पन्न तथा मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है ।

(i) उपज का निर्धारण पौध रोपण की आयु, ऐतिहासिक उपज, जलवायु संबंधी विविधताओं जैसे कि गम्भीर मौसम की घटनाएं, पौध नुकसान तथा उत्पादन में आने वाली नई बाधाओं के आधार पर किया जाता है ।

(ii) संबंधित क्षेत्र के लिए मूल्यों में लागत उद्धत हैं ।

Fair Value hierarchy as on 31-3-2017

(₹ In Lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Biological Assets				
Standing Corps	-	-	4,023.66	4,023.66
Trees	-	-	4,040.57	4,040.57
Nursery	-	-	52.34	52.34
Financial Assets				
Investment	3,499.64	-	2,487.45	5,987.09
Security Deposit	-	-	-	-
	3,499.64	**-**	**10,604.02**	**14,103.66**

Fair Value hierarchy as on 31-3-2017

(₹ In Lakhs)

Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Liabilities				
Financial Liabilities at Amortised Cost				
Security Deposit & other deposits	-	-	613.55	613.55
	-	**-**	**613.55**	**613.55**

Note:- 47 : Valuation techniques used to determine fair value:

(ii) Valuation inputs and relationships to fair value

The following table summarises the qualitative information about the significant unobservable inputs used in the fair value measurements of the biological assets. The fair values are determined based on discounted cash flow:

(₹ In Lakhs)

Description	Fair value at 31st March 2018	Fair value at 31st March 2017	Unobservable inputs	Range of Inputs 31st March 2018	Range of Inputs 31st March 2017	Relationship of unobservable inputs to fair value
Unquoted Equity Shares	3,061.72	2487.45	Corporation has determined value of investment based on adjsuted intrinsic value , through independent valuer	Not applicable		Not applicable
Security and other deposits (Other financial asstes)	653.94	613.55	Interest rate and contractual terms of security deposits	7.21%	7.50%	The higher the rate of interest, the lower the fair value
Farm Stock	5,470.20	4,023.66	Yield- tonnes per hectare and price	Paddy - 35-40 qtl/ha Moong - 3-5 qtl/ha Urd - 3-5 qtl/ha Til - 2-3 qtl/ha Bhindi - 3-5 qtl/ha Wheat - 30-35 qtl/ha Barley - 20-30 qtl/ha Mustard - 12-15 qtl/ha Gram - 7-12 qtl/ha Palak 6-10 qtl/ha		The higher the yield, the higher the fair value
Trees	4,262.76	4,040.57	Yield- tonnes per hectare and price	-		The wider the girth, the higher the fair value
Nursery	59.96	52.34	Yield- tonnes per hectare and price	Paddy - 35-40 qtl/ha	-	The higher the market price, the higher the fair value

(iii) Valuation processes

Biological Assets

The corporation's finance department includes a team that performs the valuation of the corporations biological assets for financial reporting purposes, including level 3 values. The team reports to Finance Heads. Discussions of valuation processes and results are held between the valuation team and Finance Heads at least once in every year, in line with reporting requirements.

The main level 3 inputs for unlisted equity securities and biological assets are derived and evaluated as follows:

i) Yield is determined based on the age of the plantation, historical yields, and climate-induced variations such as severe weather events, plant losses and new areas coming into production.

ii) Prices are quoted prices for relevant region.

टिप्पणी-48 : वित्तीय जोखिम प्रबंधन

निगम की मुख्य वित्तीय देनदारियों में बैंक उधार, व्यापार एवं अन्य देनदारियां शामिल हैं । इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य निगम का संचालन तथा इस संचालन के लिए गांरटी प्रदान करना है । निगम की प्रमुख वित्तीय संपत्ति में व्यापार और अन्य प्राप्य तथा नकद तथा नकदी समतुल्य शामिल हैं, जो इसके परिचालन से सीधे प्राप्त होते हैं ।

निगम को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा तरलता जोखिम करना पड़ता है । निगम की वित्तीय जोखिम गतिविधियां विनियोजित नीतियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा शासित होती हैं और उस वित्तीय जोखिम की पहचान निगम की नीतियों तथा जोखिम उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित एवं प्रबंध किया गया है । निदेशक मंडल इन जोखिमों की समीक्षा करता है तथा इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए बनाई गई नीतियों से सहमत होता है, जो निम्न प्रकार से हैं :-

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के कारण भविष्य- में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है । ब्याज जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है । बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण एवं उधार, जमा एवं अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं ।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिससे बाजार की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है । निगम बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के जोखिम के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों को प्राथमिकता देता है । निगम अपनी नीतियों और जोखिम के उद्देश्य के अनुसार अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन करता है ।

ग) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम निगम के वित्तीय नुकसान के लिए जोखिम बन जाता है यदि कोई ग्राहक या किसी वित्तीय साधन का प्रतिपक्षी अपनी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है । निगम अपनी वित्तीय गतिविधियों जिसमें व्यापार प्राप्य, बैंक में जमा, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य वित्तीय साधनों से क्रेडिट जोखिम पर निगम अपनी नीति के अनुसार प्रबंध करता है ।

वित्तीय साधन एवं नकद जमा

निगम अपनी नीति के अनुसार बैंक के पास शेष राशि के लिए क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करता है । बैंकों से प्राप्त वित्तीय उद्धरणों के आधार पर अधिशेष का निवेश सिर्फ मान्यताप्राप्त बैंकों में किया जाता है ।

टिप्पणी-49 : आकलन अनिश्चिता के मुख्य स्रोत

भविष्य संबंधी निम्नलिखित मुख्य अवधारणाएं हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकलन के मुख्य स्रोत हैं, जिनका अगले वित्तीय वर्ष के लिए संपत्तियों और देनदारियों की लाई गई राशि के लिए सामग्री समायोजन होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है ।

क) उचित मूल्यांकन निर्धारण और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों से निर्धारित किया जाता है । इन पद्धतियों के लिए इनपुट जहां संभव हो वहां प्रभावी बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां पर उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक फैसले की आवश्यकता होती है । निर्णय में नकदी का जोखिम, क्रेडिट जोखिम और उतार-चढ़ाव जैसे निवेश शामिल हैं । इन कारकों से संबंधित धारणाओं में परिवर्तन, वित्तीय साधनों के बताए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है ।

ख) कर

अप्रयुक्त कर के नुकसान के लिए अस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की गई है और उस हद तक अवशोषित मूल्यह्रास यह कि कर योग्य लाभ उपलब्ध हो जाएगा जिसके विरुद्ध हानि का उपयोग किया जा सकता है तथा भावी कर नियोजन ऋण नीतियों के साथ भविष्य में कर योग्य लाभ की संभावना समय और स्तर के आधार पर अस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है ।

Note:- 48 : Financial risk management

The corporation's principal financial liabilities comprise Bank Borrowings, trade and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the corporations operations and to provide guarantees to support its operation. The corporations principal financial assets include trade and other receivables and cash and cash equivalents that derive directly from its operations.The corporation is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The corporation's financial risk activities are governed by appropriated policies and procedures and that financial risk are identified, measured and managed in accordance with the corporations policies and risk objectives. The Board of Directors reviews and agrees policies for managing each of these risk, which are summarised below:-

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loans and borrowing, deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The corporations exposure to the risk of changes in market interest rate relates primilarly to the company long term debt obligations with floating interest rate. The corporation manages its interest risk in accordance with the corporations policies and risk objective.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the corporation if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the corporations receivables from customers. The company is exposed to credit risk from its financial activities including trade receivable, deposits with banks, financial institutions and other financial instruments.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks is managed in accordance with the corporations policy. Investment of surplus are made only with approved banks on the basis of the financial quotes received from the banks.

Note:- 49: Key sources of estimation uncertainty

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial liabilities is measured the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

b) Taxes

Deferred tax assets are recognised for unused tax losses and unabsorbed depreciation to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which losses can be utilised. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax asset that can be recognised, based upon the likely timing and level of future taxable profit together with future tax planning strategies.

ग) अनुमान और निर्णय
जैविक परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करने में और उद्धृत इक्विटी में निवेश में अनुमान और निर्णय में तुलन पत्र की तारीख पर जैविक संपत्ति और इक्विटी उपकरणों की परिपक्वता की मात्रा और स्तर शामिल हैं । अविश्वससनीय निविष्टयों के बारे में प्रमुख मान्यताओं और उचित मूल्य के साथ उनके संबंध के लिए टिप्पणी संख्या 47 देखें ।

घ) निवेश का उचित मूल्यांकन
लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों का उपयोग करके संस्थाओं की निवल परिसंपत्तियों के समायोजित आंतरिक मूल्य के आधार पर निवेश का मूल्यांकन किया जाता है । हालांकि कुछ निगमों के लिए नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं थे, निवेश का और मूल्यांकन बाजार और आर्थिक कारकों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है । परिस्थितियों में परिवर्तन और नवीनतम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की उपलब्धता वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तित हो सकते हैं ।

टिप्पणी-50 : अनुबंधीय प्रतिबद्धताएं (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
शेष ठेके की अनुमानित राशि को पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाता है, और प्रावधान नहीं किया गया (अग्रिमों का निवल)	555.47	426.86
कुल	**555.47**	**426.86**

टिप्पणी-51 : सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम
निगम ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रुप में 17 विक्रेताओं की पहचान की है, जैसे कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी एक्ट) में परिभाषित है। उक्त अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण निम्न प्रकार से है :-

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को मूल राशि देय	355.25	812.59
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत उपरोक्त राशि पर आपूर्तिकर्ता के कारण अर्जित ब्याज और अप्रदत्त	-	-
वर्ष के दौरान नियुक्त तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को (ब्याज के अलावा) दिया गया भुगतान ।	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 16 क अलावा) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान ।	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 16) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान ।	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पहले से ही किए गए भुगतान के लिए आपूर्तिकर्ताओं के लिए देय/प्रदेय ब्याज	-	-

टिप्पणी-52 : विदेशी मुद्रा व्यापार (रु. लाख में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
विदेशी मुद्रा में अर्जन		
पोतपर्यन्त नि:शुल्क आधार पर बीजों का निर्यात	-	263.91
विदेश मुद्रा में व्यय		
विदेश भ्रमण	1.76	5.97
सदस्यता शुल्क	3.43	4.14
सीआईएफ आधार पर आयात बीजों का मूल्य	-	-

टिप्पणी-53

टिप्पणी-53.1
व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अंग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण/समाधान के अध्याधीन है । सरकारी विभागो / पार्टियों के विरुद्ध 06 वर्ष से कम अवधि के लिए लंबित देय वसूली योग्य है ।

टिप्पणी-53.2
क) एनएससी कोलकाता भवन में मैसर्स पार्क इंडीकॉम प्रा.लि. को रु. 0.83 लाख में किराये पर रखा गया था, जिसका करारनामा नवम्बर, 2011 में समाप्त हो गया था और किरायेदार द्वारा किराया नहीं देने के कारण निगम ने कानूनी कार्रवाई की थी । अधिवक्ता की सलाह के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 से अब तक लाइसेंस फीस के लिए कोई बिल नहीं दिया गया, और इस वित्त वर्ष 2017-18 में आय को बही खातों में नहीं दिखाया गया है । और सांविधिक देय का भुगतान नहीं किया गया।
ख)एनएससी कोलकाता ने रू. 197.85 लाख जमा करने पर पश्चिम बंगाल सरकार के शहरी विकास एवं नगर निगम विभाग से अनुमति लेने के बाद मैसर्स विट्जमैन इंडिया प्रा.लि को 05 जनवरी, 2018 से अब तक रू. 5.82 लाख प्रतिमाह के किराए पर 9200 वर्ग फुट स्थान प्रदान किया है जिसे वर्तमान वर्ष 2017-18 के लाभ/हानि विवरण में दिखाया गया है।

c) Estimates and judgment

Estimates and judgments in determining the fair value of biological assets and Investment in Unquoted Equity instrument includes the volume and stage of maturity of biological assets and Equity instruments at balance sheet date. See note 47 for key assumptions about unobservable inputs and their relationship to fair value.

d) Fair Valuation of Investment

Investments are valued based on adjusted intrinsic value of net assets of entities, using audited Financial Statements. However latest financial statement for some of the corporations were not available, further valuation of investment depends on various factors including market and economic factors. Changes in conditions and availability of latest audited financial statements may lead to change in value of financial assets.

Note :- 50: Contractual Commitments

(₹ In Lakhs)

Particulars	As at 31-03-18	As at 31-03-17
Estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of Advances)	555.47	426.86
Total	**555.47**	**426.86**

Note:- 51: Micro Small and Medium Enterprises.
The Corporation has identified 17 vendors as Micro, Small and Medium enterprises as defined in the Micro,Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act). The disclosures pursuant to the said Act is as under:-

(₹ In Lakhs)

Particulars	Figures for the current reporting period ended 31.03.2018	Figures for the previous reporting period ended 31.03.2017
Principal amount due to suppliers under MSMED Act	355.25	812.59
Interest accrued, due to suppliers under MSMED Act on the above amount, and unpaid	-	-
Payment made to suppliers (other than interest) beyond the appointed day during the year	-	-
Interest paid to suppliers under MSMED Act (other than section 16)	-	-
Interest paid to suppliers under MSMED Act (section 16)	-	-
Interest due and payable towards suppliers under MSMED Act for payments already made	-	-

Note:- 52: FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

(₹ In Lakhs)

Particulars	Figures for the current reporting period ended 31.03.2018	Figures for the previous reporting period ended 31.03.2017
Earnings in Foreign Exchange:		
Export of seeds on F.O.B. Basis	-	263.91
Expenditure in Foreign Currency:		
Foreign Travel	1.75	5.97
Membership fees	3.43	4.14
Value of Import of Seeds on CIF basis	-	-

Note:- 53:
Note:- 53.1

The balances under Trade Receivables, Loans and Advances, Other Current Assets, Trade Payables and Other Current Liabilities are subject to confirmation/ reconciliation. Dues against the Government Departments/Parties outstanding for a period of less than six years are considered good.

Note:- 53.2

a) NSC, Kolkata have a tenant for monthly rent of ₹ 0.83 Lakhs in their premises at Salt Lake named Park Indicom Pvt. Ltd. tenant ship agreement has expired in November 2011 and due to non payment by the tenant, legal action has been taken by the corporation. No bill has been raised for license fees as per Advocate advice in Financial Year 2016-17 onwards. So income is not booked in FY 2017-18 for the same and statutory dues not paid.

b) NSC,Kolkata has provided 9200 Sq. ft. building space to Witznmann India Pvt. Ltd. on rent of ₹ 5.82 lakhs per month from 05.01.2018 onwards after getting permission from Dept. of Urban Development & Municipal Affairs,Govt. of West Bengal on deposit of ₹ 197.85 lakhs which has charged to Profit & Loss Accounts of Current

टिप्पणी-54

(i) <u>सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा</u>

वर्ष 2013-14 के दौरान कम्पनी ने अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया था और तद्नुसार लाभ-हानि विवरण में पिछले वर्ष का कर-पूर्व लाभ का 1.5x दिखाया है और गैर वर्तमान देयताओं के अंतर्गत दीर्घावधि प्रावधान के अर्न्तगत दिखाया है । वर्तमान वर्ष में रु. 116.80 लाख जोकि पिछले वर्ष के कर-पूर्व लाभ का 1.5x है, को तद्नुसार लिया गया है ।

(ii) <u>सी.एस.आर. कार्यकलाप :</u>

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार तीन अग्रगामी वित्तीय वर्षो के दौरान औसतन निवल लाभ का कम से कम 2% राशि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत खर्च किया जाना चाहिए । तद्नुसार सी.एस.आर. कार्यकलापों के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 128.30 लाख की राशि का बजट बनाया गया था । वर्ष 2017-18 के दौरान सी.एस.आर. पर वास्तविक खर्च की गई राशि रु. 112.75 लाख थी और शेष राशि रु. 15.55 लाख को खर्च नहीं की गई सी.एस.आर. आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया गया । रु. 15.55 लाख की राशि निगम की इकाई द्वारा उपयोग नहीं किया गया क्योंकि कुछ जगहों पर स्थानीय प्राधिकरणों की अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ और कुछ मामलों में निविदाएं आमंत्रित की गई थी परन्तु कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नही हुई अथवा ठेकेदार पीछे हट गया ।

टिप्पणी-55 : संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

टिप्पणी-55.1 संस्था के मुख्य प्रबंधन अधिकारीगण

नाम	**पदनाम**
श्री वी.के. गौड़	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री कौशिक रक्षित (मुख्य वित्त अधिकारी)	व. महाप्रबंधक (वित्त)
मो. राकिम	कम्पनी सचिव

टिप्पणी : 55.2 संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटीकरण ।

मुख्य प्रबंधन अधिकारीगणों को क्षतिपूर्ति

वर्ष के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक एवं अन्य मुख्य प्रबंधन अधिकारीगणों का मानदेय

(रु. लाख में)

विवरण	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष के आंकड़े**
श्री वी.के. गौड़ (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	54.30	29.41
श्री एस.बी. खताल (निदेशक (वाणिज्यिक) (13.10.2017 को त्याग पत्र)	34.71	24.80
श्री वि. मोहन (निदेशक (वित्त)	24.27	23.01
श्री कौशिक रक्षित (व. महाप्रबंधक (वित्त)	18.92	15.40
श्री मो. राकिम (कम्पनी सचिव)	23.92	20.96
	156.12	**113.58**

मुख्य प्रबंधन अधिकारी को मानदेय का विवरण **(₹ In Lakhs)**

विवरण	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	**141.11**	**112.09**
सेवानिवृत्ति कर्मचारी लाभ	**8.52**	**-**
अन्य दीर्घकालिक लाभ	**6.49**	**1.49**
समाप्ति लाभ	**-**	**-**
	156.12	**113.58**

Note :- 54:
(i) Medical facility for retired employees:

During the year 2013-14, the company had changed its Accounting Policy and accordingly charged 1.5% of the previous year's PBT to the Statement of Profit and Loss and showed as long term provision under Non-Current Liabilities. In the current year ₹ 116.80 Lakhs being 1.5% of the previous year's PBT has been treated accordingly.

(ii) CSR Activities:

As per Section 135 of the Companies Act, 2013, at least 2% of the average net profits during the three immediately preceding financial years should be spent towards Corporate Social Responsibility. Accordingly a budget of ₹ 128.30 lakhs was earmarked during 2017-18 for CSR activities. Actual amount spent on account of CSR during 2017-18 was ₹ 112.75 lakhs. The remaining amount of ₹ 15.55 Lakhs was transferred to unspent CSR Reserve. The amount of ₹ 15.55 Lakhs could not be utilized by the units of the Corporation as in some places approval of local Authorities was not received and in some cases where tenders were invited but no response was received or the contractor later backed out.

Note:- 55 : Related Party Disclosures

55.1 : Key Managerial personnel of the entity

Name	Position
V.K Gaur	Chairman cum Managing Director
Kaushik Rakshit (Chief Financial Officer)	Sr. GM (Finance)
Mohd. Raquim	Company Secretary

55.2: Disclosure of transaction with related parties:

Compensation of Key Managerial Personnel

The remuneration of CMD, whole time directors and other members of Key Managerial Personnel during the year was as follows:

(₹ In Lakhs)

Particulars	Year ended 31/03/2018	Year ended 31/03/2017
Shri V.K Gaur (Chairman cum Managing Director)	54.30	29.41
Shri S.B Khatal (Director Commercial) (resigned on 13.10.2017)	34.71	24.80
Shri. V. Mohan (Director Finance)	24.27	23.01
Shri. Kaushik Rakshit (Senior General Manager (Finance))	18.92	15.40
Shri. Mohd. Raquim (Company Secretary)	23.92	20.96
	156.12	**113.58**

Details of Remuneration to KMP

(₹ In Lakhs)

Particulars	Year ended 31/03/2018	Year ended 31/03/2017
Short-Term Employee Benefits	**141.11**	**112.09**
Post-Employment Benefits	**8.52**	**-**
Other Long-Term Benefits	**6.49**	**1.49**
Termination Benefits	**-**	**-**
	156.12	**113.58**

55.3 सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन

ऊपरी दी गई लेनदेन के अलावा, कंपनी के पास अन्य सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन सीमित नहीं हैं:-

सरकार का नाम: भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव)

कुछ महत्वरपूर्ण लेनदेन:-

(रू. लाख में)

पार्टी	लेनदेन की प्रकृति	2017-18	2016-17
भारत सरकार	मिनीकिट	7,141.60	5,225.80
भारत सरकार	बीज बैंक	1,085.28	897.12
भारत सरकार	उत्पादन सब्सिडी	1,983.43	6,726.89
भारत सरकार	एमआईडीएच	515.77	781.27
भारत सरकार	परिवहन सब्सिडी	184.93	275.02
भारत सरकार	अनुदान	1,197.71	1,403.22

सरकार पर शेष (रू. लाख में)

पार्टी	लेनदेन की प्रकृति	2017-18	2016-17
भारत सरकार	मिनीकिट	1,440.95	1,530.34
भारत सरकार	बीज बैंक	-	-
भारत सरकार	उत्पा.दन सब्सिडी	15,348.23	9,725.22
भारत सरकार	एमआईडीएच	265.22	538.17
भारत सरकार	परिवहन सब्सिडी	185.25	138.78
भारत सरकार	अनुदान	2,140.32	1,743.20

अन्य खुलासे : (यदि कोई)

ये लेनदेन कंपनी के कारोबार में सामान्यता: आयोजित किए जाते हैं।

टिप्पणी-56

निदेशक मंडल की राय में सभी सम्पत्तियों (सिवाए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा गैर चालू निवेश के) की लागत कम से कम उस राशि के बराबर है, जिस पर उन्हें तुलन पत्र में बताया गया है ।

टिप्पणी-57 : आकस्मिक देयता **(रु. लाख में)**

आकस्मिक देयताऐं :	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
कम्पनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया -कर्मचारियों एवं अन्यों द्वारा	3,609.35	3,043.27
धन वापसी गारंटी योजना के अंतर्गत लम्बित जांच/स्वीकृति के लिए दाखिल किए गए दावे	39.59	18.65
विवादित बिक्री कर मांग	261.08	52.18
विवादित बिक्री कर मांग असम	19.26	19.26
विवादित प्रवेश कर मांग पश्चिम बंगाल	-	2.48
विवादित आय कर की मांग	3,231.33	3,231.33
लाईव एवं लेट लाईव (पार्टी ने साख एवं धन के लिए एनएससी के विरुद्ध मुकदमा दाखिल किया है)	47.89	47.89
विभिन्न पार्टियां (जिला उपभोक्ता फोरम बालसोर)	0.29	0.29
विवादित मांग - कर्मचारी राज्य बीमा निगम	6.38	6.38

55.3 : Transactions with the Government Related entities

Apart from transactions reported above, the company has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following:-

Name of Government: Government of India, through Ministry of Agriculture and Farmers welfare (Significant Influence over company)

Certain significant Transactions:- (₹ In Lakhs)

PARTY	NATURE OF TRANSACTION	2017-18	2016-17
GOI	Minikit	7,141.60	5,225.80
GOI	Seed Bank	1,085.28	897.12
GOI	Production Subsidy	1,983.43	6,726.89
GOI	MIDH	515.77	781.27
GOI	Transport Subsidy	184.93	275.02
GOI	Grant	1,197.71	1,403.22

Balance with Goverment (₹ In Lakhs)

PARTY	Partculars	2017-18	2016-17
GOI	Minikit	1,440.95	1,530.34
GOI	Seed Bank	-	-
GOI	Production Subsidy	15,348.23	9,725.22
GOI	MIDH	265.22	538.17
GOI	Transport Subsidy	185.25	138.78
GOI	Grant	2,140.32	1,743.20

Other Disclsoures: (if any)

These transactions are conducted in the ordinary course of the Company's business.

Note:- 56:

In the opinion of the Board, all the assets (other than Property, Plant & Equipment and non current investments) have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

Note:- 57: Contingent liability (₹ In Lakhs)

Contingent Liabilities:	31 -03-2018	31-03-2017
Claims against the Company not acknowledged as debt		
- by employees and others	3,609.35	3,043.27
Claims lodged under money back guarantee scheme , pending investigation /acceptance.	39.59	18.65
Disputed Sales-tax demands	261.08	52.18
Disputed Sales-tax demands - Assam	19.26	19.26
Disputed Demand for Entry Tax, West Bengal	-	2.48
Disputed Income tax demands	3,231.33	3,231.33
Live & Let Live (party has filed a case against NSC for loss of Goodwill & finance)	47.89	47.89
Various Parties(District Consumer Redressal Forum, Balasore)	0.29	0.29
Disputed Employee State Insurance Corporation demand	6.38	6.38

टिप्पणी-58 : सम्पत्तियों की हानि

समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि कम्पनी की गैर चालू परिसम्पत्तियों का आर्थिक मूल्य अपेक्षित से कम नहीं है और इसलिए तुलन पत्र की तारीख पर सम्पत्ति की कोई हानि नहीं है ।

टिप्पणी-59

क) सीएसएफ कोकिलाबारी के लिए आंकलन वर्ष 1988-89 से 1994-95 तक असम सरकार के कृषि आयकर विभाग द्वारा रू. 85.78 लाख (पिछले वर्ष रू. 85.78 लाख) का समय बाधित मांग के लिए अपीलीय प्राधिकारी के पास मामला दायर किया हुआ है।

ख) दिनांक 28 फरवरी, 2017 के परिपत्र के द्वारा 17 फरवरी से बीजों के परिवहन पर सेवा कर के भुगतान पर रोक के निर्देश जारी किए गए थे क्योंकि बीजों को "कृषि उत्पाद" की श्रेणी में शामिल किया गया है जोकि 01 मार्च, 2013 के सेवाकर की अधिसूचना संख्या 30/2003 के अनुसार छूट योग्य था। इसी परिपत्र के द्वारा विभाग को धन वापसी/ समायोजन के लिए निर्देश भी जारी किए गए थे। तद्नुसार, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विभाग द्वारा रू. 35 लाख की राशि वापस कर दी गई थी।

टिप्पणी-60

केन्द्रीय राज्य फार्म, लाढोवाल के मामले में, पूर्व भा.रा.फा.नि. से पी.एल.डी. एवं आर.सी./पी.ए.यू./पंजाब सरकार को स्थानांतरित परिसम्पत्तियों की कीमत के गैर भुगतान के कारण, भा.रा.फा.नि. ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश/निर्णय प्राप्त कर लिया है हालांकि पी ए यू ने भा.रा.फा.नि. के दावे का अपनी देयता की सीमा तक भुतान तय कर दिया है परन्तु पी.एल.डी. एवं आर.सी. ने इसी उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष एल पी ए दायर की है, जो निपटान के लिए लम्बित है ।

टिप्पणी-61

वी.आर.एस. के मामले में, सूचना अवधि के वेतन का भुगतान जैसा लागू है, अनुदान की राशि से रू. 59.38 लाख (पिछले वर्ष रू. 59.38 लाख) के भुगतान को लोक उद्यम विभाग से स्पष्टीकरण न आने के कारण भुगतान करने के लिए रोका गया है जोकि लम्बित पड़ा है ।

टिप्पणी-62

"प्रखंड रिर्पोटिंग" पर भारतीय लेखा मानक 108 के अनुपालन में, अपेक्षित सूचना अनुबंध - क में दिया गया है ।
व्यवसायिक खंड : व्यवसायिक खंड निम्न प्रकार से चिहिन्त किए गए हैं :-
1. उत्पादन खंड
2. खुदरा बिक्री एवं वितरण खंड

टिप्णी-63

लेखा मानक-17 के अनुसार "पट्टा विलेख" पर निगम ने विभिन्न पार्टियों के साथ नई दिल्ली स्थित फार्म भवन और के.रा.फा., सूरतगढ़ के कुछ हिस्से को किराए पर देने के लिए कुछ पार्टियों के साथ लीज़ समझौता किया है । कुछ हद तक लीज़ चालू हालत में है । इसके नेहरू प्लेस स्थित फार्म भवन का तथा सूरतगढ़ की दुकानों से पट्टा किराया क्रमश: मासिक एवं वर्षिक रूप से प्राप्त किया जा रहा है ।

टिप्पणी-64

1. केन्द्रीय राज्य फार्म, रायबरेली :- पूर्ववर्ती एस.एफ.सी.आई. की भूमि, परिसंपत्तियां एवं पेड़ों का कब्जा वापस लेने के बावजूद, राज्य सरकार रू. 28.43 लाख की राशि का भुगतान नहीं कर रही है, जबकि दिनांक 11.06.2013 को हुए उच्चस्तरीय बैठक में समझौता हो गया था, जिसमें श्री वी.के. गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कम्पनी सचिव और क्षेत्रीय प्रबंधक, लखनऊ प्रतिनिधित्व कर रहे थे । अनेक अनुस्मारक भेजने तथा अनेक निजी बैठकें करने के बावजूद उत्तरप्रदेश सरकार बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ।

2. केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच :- वर्ष 2013 के दौरान उच्चत्म न्यायलय, लखनऊ के निर्णय के पश्चात, केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराईच के पेड़ों तथा सम्पत्तियों की लागत का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्चा स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल थे और उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की गई थी । तद्नुसार मूल्यांकन किया गया था और उच्च स्तरीय समिति ने मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार किया और दोनों पक्षों के दावों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय दिए :-

Note :-58 : Impairment of Assets

On the basis of review, the management is of the opinion that the economic performance of non financial assets of the Company is not lower than expected and therefore there is no impairment of any assets as on the Balance Sheet date.

Note:- 59:

(a)Time barred demand of ₹ 85.78 Lakhs (previous year ₹ 85.78 Lakhs) by the Agriculture Income Tax Deptt. of Govt. of Assam for the Assessment Year 1988-89 to 1994-95 for CSF Kokilabari is, being contested with the Appellate Authority.

(b)Wide its circular dated 28-02-2017, instructions were issued to stop payment on service tax on transportation of seeds from February 2017 onwards, as seeds were covered under " Agriculture Produce" which was exempt as per notification no. : 30/2003 of service tax dated 01-03-2013. Instructions were also given vide the same circular to ask the department for refund/adjustment. Accordingly an amount of ₹ 35.00 lakhs was refunded by the department during 2017-18.

Note:- 60:

In case of CSF Ladhowal, due to non-payment of value of assets transferred from erstwhile SFCI to PLD & RC /PAU/ Punjab Govt., SFCI has obtained orders in its favour from P & H HC. Whereas PAU have paid and settled SFCI's claim to the extent of their liability, PLD & RC have filed LPA before Division Bench of the same High Court which is pending for disposal.

Note:- 61:

In case of VRS, the payment of notice period pay as applicable, amounting to ₹ 59.38 Lakhs (previous year ₹ 59.38 lakhs) paid out of grant has been withheld pending clarification from Deptt. of Public Enterprise.

Note:- 62:

In compliance of Ind AS 108 on "Operating Segment", the required information is given as per Annexure - A.

Business segments: The Business segments have been identified as:-
1. Producing Segment
2. Retailing & Distribution Segment

Note:- 63:

As per Ind AS-17 on 'Leases' the Corporation has entered into a lease agreement with parties to let out part of its Nehru Place office building at New Delhi and shops at CSF Suratgarh on rent. The lease to some extent is operating in nature. Monthly and yearly lease rentals are received from its Nehru Place office building and shops at Suratgarh respectively.

Note:- 64:

1. **CSF Raebareilly**: Despite taking back the possession of land, assets and trees of erstwhile SFCI, State govt. are not paying the amount ₹ 28.43 lakhs which was settled at the high level meeting held on 11.6.2013 represented by Shri V.K. Gaur, CMD, CS and RM, LKO. A number of reminders sent and personal meetings held but no action by U.P. Govt. in paying the dues.

2. **CSF Bahraich**: After the decision of the Hon'ble High Court Lucknow Bench during 2013, a High power Committee comprising higher level functionaries of Central and State Government was constituted by the High Court to assess the value of trees and assets of Central State Farms, Bahraich by a valuer appointed by the U.P. Government. The valuation was done accordingly and High Power Committee considered the valuation report and after hearing the claims of both the parties decided as under:-

i. पूर्ववर्ती एसएफसीआई रू. 25.00 लाख की राशि वापस लेगी जोकि इसके द्वारा अन्तरिम आदेश के लिए वर्ष 1998 के दौरान उच्चत्म न्यायलय, लखनऊ में जमा किए गए थे ।

ii. पेड़ों तथा सम्पत्तियों की कीमत, उत्तरप्रदेश सरकार के रू. 180.00 लाख के बकाया राशि के समायोजन के पश्चात रू. 477.27 लाख की राशि पूर्ववर्ती एसएफसीआई को दी जाए ।

iii. यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायलय, लखनऊ में विचाराधीन है ।

टिप्पणी-65

राष्ट्रीय बीज निगम के पास कोई सहायक कम्पनी नहीं हैं । यहां 05 राज्य बीज निगमों में 20% या अधिक शेयरहोल्डिंग है जिन्हें "एसोसियेटस कंपनी कहा गया है। इन निगमों के खातों को निगम के खातों के साथ समेकित करना तथा अलग से संलग्न करना जरूरी था । हालांकि एमओए और एफडब्ल्यू में संयुक्त सचिव (सीड्स) के साथ एसोसिएट राज्य बीज निगमों के प्रबंध निदेशकों की बैठक सहित सभी प्रयासों के बावजूद वे अपने बैकलाग खातों को इंड एएस में तैयार करने और समय पर जमा करने में असमर्थ थे । तद्नुसार, इन एसोसिएट राज्य बीज निगमों के खातों को समेकित और निगम के खातों के साथ संलग्न नहीं किया जा सका है । चूंकि राज्य बीज निगमों में निवेश की राशि भारत सरकार के एनएसपी के अधीन थी, इसलिए निगम का इन एसोसिएट कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं है । तद्नुसार एनएससी ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ अपने पत्र दिनांक 08 नवम्बकर, 2016 के द्वारा मामले को उठाया जिसे स्वीकार कर लिया है तथा इन एसोसिएट कंपनियों में हिस्सेदारी 19% तक कम करने के लिए मंजूरी दे दी है । निगम ने एसोसिएट कंपनियों से शेयरों को वापस खरीदने के लिए अनुरोध किया है ।

टिप्पणी-66

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जनवरी, 2014 में एनएससी, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद का संयुक्त औचक निरीक्षण किया था और वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान बीज उत्पादन, बीज विपणन से संबंधित रिकार्डों और एनएससी के अन्य राज्यों को प्रेषित रिकार्डों को जब्त कर लिया । सीबीआई कोर्ट में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र में वारांगल एवं नंदियाल प्रक्षेत्र कार्यालयों के कर्मचारियों की कुछ निजी पर्टियों के साथ मिलीभगत से भारत सरकार को रू. 255.41 लाख एवं रू. 697.23 लाख का गलत तरीके से नुकसान पहुँचाया । यद्यपि प्रक्षेत्र कार्यालय कुरनूल का मामला अभी भी जांच के अधीन है ।

टिप्पणी--67

सीएसएफ सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर और रायचूर में कब्जे वाली भूमि भारत सरकार के स्वामित्व में है और एनएससी केवल कब्जाधारक है । सीएसएफ हिसार, नालहाटी, बीजापुर और सुकंडा की जमीन संबंधित राज्य सरकारों के स्वामित्व में है जहां निगम पट्टेदार है । इन सभी फार्मों को कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है तद्नुसार गैर-राजस्व अनुदान के तहत इनका खुलासा नहीं किया गया है ।

टिप्पणी-68

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अपने पत्र दिनांक 03 अगस्त , 2017 के द्वारा केन्द्रीय लोक उद्यमों के निदेशक मंडल स्तर / इससे नीचे के अधिकारियों तथा गैर संघी पर्यवेक्षकों का वेतनमान दिनांक 01.01.2017 से संशोधित करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं । निदेशक मंडल ने 01.01.2017 से वेतन संशोधन का अनुमोदन कर दिया है। इसका बकाया वेतन रू. 1849.25 लाख वर्ष के दौरान लेखांकित किया गया है।

टिप्पणी-69

असाधारण मदों में अतिरिक्त देयता/प्रावधान को रिर्टन बेक माना गया है।

क) वर्ष 2017-18 के दौरान अतिरिक्त प्रावधान की राशि रू. 151.05 लाख वितरित की गई जोकि वर्ष 2012-13 एवं 2013 -14 से संबंधित वास्तविक पीआरपी की राशि थी।

ख) विभिन्न क्षेत्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सैक्टर योजना के खाते पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त रू. 11.10 लाख लेखा खातों में देयता के रूप में दिखाया जा रहा है जोकि उपयोगिता प्रमाणपत्र के लिए लंबित था। इसका वर्तमान वर्ष के दौरान पता लगा लिया है।

ग) वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए टीटीए से संबंधित रू. 362.58 लाख का प्रावधान, जिसे रिर्टन बैक किया गया है, परिभाषित लाभ योजना नहींहै,जैसा कि सीएजी द्वारा उसी वर्ष से संबंधित अपने लेखा-परीक्षा नोट में निर्देशित किया गया है।

घ) वर्ष के दौरान समाप्त- हुए फार्मों की परिसंपत्तियों के समायोजन के पश्चाात पूंजीगत आरक्षित राशि रू. 872.77 लाख अभिज्ञात की गई।

i. Erstwhile SFCI will withdraw a sum of ₹ 25.00 Lakhs which was deposited by it in the High Court Lucknow Bench During the year 1998 for grant of Interim Stay.

ii. Net amount of ₹ 477.27 lakhs is recoverable from UP Govt. on account of the value of trees and assets of central state farm Bahraich after adjustment of their outstanding dues of ₹ 180.00 lakhs.

iii. The matter is still subjudice before the High court Lucknow Bench.

Note :- 65:

National Seeds Corporation does not have any Subsidiary Company. It is holding 20% or more shareholdings in five State Seeds Corporations which are called 'Associate Companies'. The Accounts of such corporations were required to be consolidated and separately attached with the Accounts of corporation. However inspite of all efforts including a meeting of the Managing Directors of the Associate State Seeds Corporations with the Joint Secretary (Seeds) in MOA & FW, they were unable to either complete their backlog Accounts or prepare their current year accounts in Ind AS and submit in time. Accordingly the Accounts of these Associate State Seeds Corporations could not be consolidated and attached with the accounts of the corporation. Since the amount invested in the State Seeds Corpoaration was under NSP of Government of India, corporation has no control on these Associate Companies. Accordingly NSC has taken up with the MOA & FW and Ministry vide its letter Dated 8th November 2016 has approved for reducing the stakes in these Associate Companies to 19%. Corporation has requested the Associate Companies to buy back the shares to that extent.

Note :- 66:

The CBI has conducted joint surprise check at the Hyderabad Regional Office in the month of January 2014 and seized the records pertaining to the seed production, seed marketing and dispatches to other states of NSC for the period 2010-11 to 2013-14. As per the Charge sheet filed by the CBI in the CBI Court the total wrongful loss caused to Govt. of India was ₹ 255.41 Lakhs, ₹ 697.23 Lakhs and ₹ 438.39 lakhs by some private parties in collusion with the officials of Warangal, Nandyal and Kurnool area offices respectively.

Note :- 67:

Lands under possession in CSF Suratgarh, Sardargarh, Jetsar and Raichur are under the ownership of Government of India and NSC is only the custodian. Lands at CSF Hisar, Nalhati, Baliapur and Sukinda are under the ownership of the respective State Governments where Corporation is the lessee. Accordingly all these farms being utilised for agricultural purpose have not been disclosed under Non-monetory Grant.

Note :- 68:

Department of Public Enterprises vide their letter dated 3rd of August 2017 has issued an Office Memorandum towards Revision of Pay for Board level and below Board level Executives and Non-Unionised Supervisors of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) w.e.f. 01.01.2017. The Board has approved the Pay Revision from 01.01.2017. The arrears towards the same amounting to ₹ 1,849.25 lakhs has been booked during the year.

Note :- 69: Excess Liabilty/Provisions Written Back treated as an exceptional item.

a) Excess provision of ₹ 151.05 lakhs made towards performance related pay pertaining to the years 2012-13 & 2013-14 as actual PRP for these years were disbursed during 2017-18.
b) ₹ 11.10 lakhs received from the MOA on account of Central Sector Scheme for providing assistance under national programme for varietal development was lying in the books as a liability since then in want of utilization certificates. The same was traced during the current year.
c) Provision of ₹ 362.58 lakhs made during the year 2016-17 towards TTA not being a defined benefit plan has been written back as directed by CAG in its Audit note pertaining to the same year.
d) Capital reserve amounting to ₹ 872.77 lakhs identified during the year after adjustment towards assets of closed Farms.

ङ) पूववर्ती एसएफसीआई से संबंधित वर्ष 2000–01 के दौरान अनुदान सहायता के रूप में रू. 125.54 लाख प्राप्त किया गया था जिसका वर्ष के दौरान उपयोगिता प्रमाणपत्र का पता लगाया गया।

टिप्पणी–70

दिनांक 17.10.2011 के पांच बैंक डी.डी प्रत्येक 2000/–रू. के, दिनांक 12.10.2011 का रू. 0.26 लाख का एक डी.डी. और दिनांक 13.01.2012 का रू. 4.50 लाख का एक डी.डी./ मांग पत्र भारतीय स्टे ट बैंक, नेहरू प्लेस शाखा द्वारा गुम हो गए। तद्नुसार निगम की लेखा बहियों में रू. 4.86 लाख का शेष दिखाया जा रहा है । इस मामले को बैंक के समक्ष रखा गया और बैंक को कई पत्र लिखे जा चुके हैं परंतु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ इसलिए प्रबंधन ने भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष 09.08.2017 को शिकायत दर्ज किया है ।

टिप्पणी–71

पिछले वर्ष के आंकड़े पुन: एकजुट / पुन:वर्गीकृत किए गए है जहां आवश्यक है, ताकि वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप वर्गीकरण / प्रकटीकरण हो सके ।

टिप्पणी–72

वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

निदेशक मंडल द्वारा 16 अगस्ती, 2018 को वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किया गया।

टिप्पणी–73

लेखाकंन नीति संख्या 2.1 (घ) के अनुसार मूल्यों को निकटतम लाख में राउंड आफ किया जाना चाहिए था। यद्यपि, समेकन के दौरान सटीकता के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/फार्मों के वित्तीय जानकारी रूपयों में दी गई थी और मुख्यालय स्तर पर समेकन के समय मूल्यों को निकटतम लाख पर राउंड ऑफ किया गया।

टिप्पणी–74

पूर्वावधि मदें

इंड एएस–1 के तहत परिभाषित भौतिकता के विभाजन के अनुसार सामाग्री को गलत तरीके से सामग्री माना जाता है। यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करता है। परि भाषा भौतिकता के अनुसार, आसपास के परिस्थितियों के अनुसार और प्रकृति पर निर्भर करता है। तद्नुसार 49.04 लाख की कुल पूर्वअवधि की मदों को जो कुल राजस्व का 1 प्रतिशत से कम है वर्ष के दौरान अभिज्ञात किया गया है को वर्तमान अवधि में बुक किया गया है, उनका आकार असमान है और उनकी प्रकृति अर्थिक निर्णयों को प्रभावित नहीं करती है। यह इंड एएस–8 के अनुरूप है, जहां पहले की अवधि को पुन: निरीक्षण करने के लिए पूववर्ती सामग्री पूर्वावधि त्रुटियों को सही करने के लिए प्रावधान है जिसमें त्रुटि है

.

e) ₹ 125.54 lakhs received as Grant-in-aid during the year 2000-01 pertaining to erstwhile SFCI, the utilization certificate for which was traced during the year.

Note:- 70:

Five demand drafts dated 17.10.2011 of ₹ 2000/- each, one demand draft dated 12.10.2011 of ₹ 0.26 Lakhs and one demand draft dated 13.01.2012 of ₹ 4.50 Lakhs were misplaced by State Bank of India, Nehru Place Branch. Accordingly a balance of ₹ 4.86 Lakhs is appearing in the books of the Corporation. The matter was taken up with the bank and several letters were written to them over the years. Getting no response, the management has filed a complaint to RBI on 09.08.2017.

Note:- 71:

Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

Note:- 72: Approval of financial statement

The financial statements were approved for issue by the Board of Directors on 16th August 2018.

Note:- 73:

As per Accounting Policy No.2.1(d), the values had to be rounded off to the nearest lakhs. However, for more accuracy during consolidation, the financial information of Regional Offices/Farms are presented in Rupees and the values are rounded off to the nearest lakhs at the time of consolidation at HO.

Note:- 74: Prior Period items

As per the deifinition of materiality as defined under Ind AS-1; Material misstatements are considered to be material if they individually or collectively influence the economic decisions. Further as per the definition materiality depends on the size and nature of misstatement judged in the surrounding circumstances. Accordingily the total prior period items of ₹ 49.04 lakhs- recognised during the year being less than 1% of the total revenue has been booked in the current period, their size being immaterial and their nature does not influence the economic decisions. This is in line with Ind AS-8 where there is a provision to correct only material prior period errors retrospectively by restating the prior period in which the error has occured.

टिप्पणी-75 :
इंड-एएस 19 में परिभाषित "कर्मचारी हितलाभ" का प्रकटीकरण निम्न प्रकार से है ::

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
कंपनी द्वारा कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए विभिन्न हितों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है :-		
(क) परिभाषित अंशदान योजना		
वर्ष के दौरान		
(i) भविष्य निधि		
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	552.23	564.98
(ii) राज्य बीमा योजना		
कर्मचारी का राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में नियोक्ता का अंशदान	1.71	1.80
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नियोक्ता का अंशदान	200.19	217.58
ख) परिभाषित लाभ योजना		
कर्मचारी उपदान निधि योजना एक परिभाषित हित योजना है। देयता के वर्तमान मूल्य परियोजना एकक ऋण विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है ।		
	ग्रेच्यूटी (निधिकृत)	**ग्रेच्यूटी (निधिकृत)**
तालिका 1		
1 बीमांकिक धारणाएं		
मृत्यु दर तालिका	**आईएएलएम** 2006-08 अंतिम	**आईएएलएम** 2006-08 अंतिम
घर्षण दर	01.00% प्रतिवर्ष	01.00% प्रतिवर्ष
आरोपित ब्याज दर/ (छूट दर)	07.55% प्रतिवर्ष	7.50% प्रतिवर्ष
क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	बेसिक 3%और डीए 4% प्रतिवर्ष	09.00% प्रतिवर्ष
आयोजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ	07.50% प्रतिवर्ष	8.00% प्रतिवर्ष
शेष कार्यशील जीवन	8 वर्ष	9 वर्ष
तालिका 2		
2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)		
वर्ष के प्रारम्भ में पीवीओ	5,387.54	5,836.78
ब्याज लागत	404.07	394.72
वर्तमान सेवा लागत	224.42	311.84
कटौती लाभ हानि सहित आंशिक सेवा लागत	1,049.13	-
भुगतान की गई प्रसुविधायें	1,298.92	1,147.71
देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि अप्रत्याशित अनुभव के कारण,	(521.43)	52.56
देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	1,000.65	(60.64)
वर्ष के अंत में पीवीओ	6,245.45	5,387.54

Note;- 75:

The disclosures of Employee benefits as defined in Ind-AS 19 'Employee Benefits' are given below:

(₹ In Lakhs)

	Particulars	**Figures for the current reporting period ended 31.03.2018**	**Figures for the previous reporting period ended 31.03.2017**
	The Company has classified the various benefits provided to employees as under :		
A)	**Defined Contribution Plan:**		
	During the year, the		
(i)	**Provident Fund:**		
	Employer's Contribution to Provident Fund	552.23	564.98
(ii)	**State Plans:**		
	Employers' Contribution to Employee's State Insurance Act, 1948	1.71	1.80
	Employers' Contribution to Employee's Pension Scheme, 1995	200.19	217.58
B)	**Defined Benefit Plan:**		
	The **Employee Gratuity Fund** Scheme is a defined benefit plan. The present value of the obligation is based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method.		
		Gratuity (Funded)	Gratuity (Funded)
	Table 1		
1	Actuarial Assumptions		
	Mortality Table	IALM 2006-08 Ultimate	IALM 2006-08 Ultimate
	Attrition Rate	01.00% p.a.	01.00% p.a.
	Imputed rate of Interest/(discount rate)	07.55% p.a.	07.50% p.a.
	Rate of Compensation Increase (Salary Inflation)	Basic-3% & DA-4%	09.00% p.a.
	Expected Return on plan assets		07.50% p.a.
	Remaining Working Life	8.76 Years	8 Years
	Table 2		
2	Changes in the Present value of obligations (PVO)		
	PVO as at beginning of year	5,387.54	5,836.78
	Interest Cost	404.07	394.72
	Current Service cost	224.42	311.84
	Part service cost including curtailment gains/losses	1,049.13	-
	Benefits Paid	1,298.92	1,147.71
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial	(521.43)	52.56
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	1,000.65	(60.64)
	PVO as at end of year	6,245.45	5,387.54

तालिका 3

3 **आयोजना सम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**

वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	3,426.89	3,491.02
ब्याज आय	257.02	261.83
नियोक्ता अंशदान	479.13	834.43
भुगतान की गई प्रसुविधायें	1,268.36	1,147.71
वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	(32.23)	(12.68)
	2,862.45	3,426.89

तालिका 4

4 **तालिका तुलन पत्र में समाधान दिखा रहा है**

वित्त पोषित स्थिति	(3,383.00)	(1,960.65)
वित्त पोषित परिसम्पत्तियां	2,862.45	3,426.89
निधि देयता	6,245.45	5,387.54

तालिका 5

5 **लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे**

वर्तमान सेवा लागत	1,273.55	311.84
ब्याज लागत	147.05	132.89
लाभ लागत (लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे)	1,420.60	444.73

तालिका 6

6 **अन्य व्यापक आय**

वित्तीय परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि		
जनसांख्यिकी धारणा के कारण,देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि		
अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि		
कुल बीमाकिंक (लाभ) /हानि		
ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ		
संपत्ति सीलिंग का प्रभाव	(521.43)	52.56
अवधि के अंत में शेष	-	-
ओसीआई में अभिज्ञात अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	1,000.65	(60.64)
	479.22	**(8.09)**
	(32.23)	(12.68)
	-	-
	511.45	4.59
	511.45	4.59

निगम ने स्थाई कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान केनरा, एचएसबीसी, ओरियेंटल बैंक आफॅ कामर्स में उपदान निधि के रुप में रु. 150.00 लाख जमा किए थे । अंशदान, उपार्जित ब्याज एवं जीवनांनकीय लाभ के पश्चात वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 , 2016-17 एंव 2017-18 के दौरान निधि लागत रु. 727.98 लाख रह गई।

अर्जित अवकाश /अर्ध वेतन अवकाश का जीवनानंकीय मूल्यांकन नीचे दिया जा रहा है:

तालिका 1

1 **योजना आकलन**

मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2006-08 अंतिम	आईएएलएम 2006-08 अंतिम
घर्षण दर	01.00% प्रतिवर्ष	01.00% प्रतिवर्ष
इम्प्यूटेड ब्याज दर/ (छूट दर)	07.55% प्रतिवर्ष	07.70% प्रतिवर्ष
क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	बेसिक 3%और डीए 4% प्रतिवर्ष	09.00% प्रतिवर्ष
आयोजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ	-	
शेष कार्यशील जीवन	8.76 वर्ष	8 वर्ष

	Table 3		
3	Changes in the fair value of plan assets		
	Fair Value of Plan Assets at beginning of year	3,426.89	3,491.02
	Interest Income	257.02	261.83
	Employer Contributions	479.13	834.43
	Benefits paid	1,268.36	1,147.71
	Actuarial (gain)/loss for the year on assets	(32.23)	(12.68)
	Fair value of Plan Assets at the end of year	2,862.45	3,426.89
	Table 4		
4	Table Showing Reconciliation to Balance Sheet		
	Funded Status	(3,383.00)	(1,960.65)
	Funded Assets	2,862.45	3,426.89
	Fund Liability	6,245.45	5,387.54
	Table 5		
5	Expenses recognised in Statement of Profit and Loss		
	Current Service Cost	1,273.55	311.84
	Interest Cost	147.05	132.89
	Benefit Cost (Expense Recognised in Statement of Profit and Loss)	1,420.60	444.73
	Table 6		
6	Other Comprehensive Income		
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial	(521.43)	52.56
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to Demographic Assumption	-	-
	Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	1,000.65	(60.64)
	Total Actuarial (Gain)/Loss	**479.22**	**(8.09)**
	Return on Plan Assets excluding Interest Income	(32.23)	(12.68)
	The Effect of asset ceiling	-	-
	Balance at the end of the Period	511.45	4.59
	Net (Income)/Expense for the Period Reconized in OCI	511.45	4.59

a. The Corporation has deposited ₹ 150.00 Lakhs in CANARA bank, HSBC bank and OBC during the financial year 2011-12 towards the gratuity fund of regular staff. Fund value after taking contribution, accrued interest and pay out benefits during the financial year 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 and 2017-18 is ₹ 788.05 lakhs.

Actuarial valuation in respect of EL/HPL has been given as under:

Table 1

1. Plan Assumptions

Mortality Table	IALM 2006-08 Ultimate	IALM 2006-08 Ultimate
Attrition Rate	01.00% p.a	01.00% p.a
Imputed rate of Interest/(discount rate)	07.55% p.a.	07.50% p.a.
Rate of Compensation Increase (Salary Inflation)	Basic-3% & DA-4%	09.00% p.a.
Return on plan assets	-	-
Remaining Working Life	8.76 Years	8 Years

तालिका 2

2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)

	(अनिधिकृत)	(अनिधिकृत)
पिछले मूल्यांकन पर पीवीओ	4,144.33	4,260.38
वर्तमान सेवा लागत	225.82	562.09
ब्याज लागत	310.82	297.96
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण,देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	(379.91)	60.37
अप्रत्योशित अनुभव के कारण,देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	28.09	(461.42)
भुगतान की गई प्रसुविधायें	700.35	575.05
वर्ष के अंत में पीवीओ	3,628.80	4,144.33

तालिका 3

3 आयोजना सम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	-	-
ब्याज आय	-	-
आयोजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-
अंशदान	-	-
भुगतान की गई प्रसुविधायें	-	-
ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	-	-
वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-

तालिका 4

4 तालिका तुलन पत्र में समाधान दिखा रहा है

वित्त पोषित स्थिति	N/A	N/A
वत्त पोषित परिसम्पत्तियां	-	-
निधि देयता	3,628.80	4,144.33

तालिका 5

5 लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे

वर्तमान सेवा लागत	225.82	562.09
शुद्ध ब्याज लागत	310.82	297.96
केवल पिछले वर्ष के लिए बीमाकिंक लाभ/हानि	(351.82)	(401.05)
लाभ लागत (लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे)	184.82	459.00

तालिका 6

6 अन्य व्यापक आय

वित्तीय परिवर्तन के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
जनसांख्यिकी धारणा के कारण,देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
अप्रत्याशित अनुभव के कारण, देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
कुल बीमाकिंक (लाभ)/हानि	**-**	**-**
ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	-	-
संपत्ति सीलिंग का प्रभाव	-	-
अवधि के अंत में शेष	-	-
ओसीआई में अभिज्ञात अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	-	-

सेवा निवृत्ति पर यात्रा के लिए यात्रा भत्ता से संबंधित बीमाकिंक मूल्यांकन नीचे दिया गया है

तालिका 1

1 योजना आकलन

मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2006-08 अंतिम	आईएएलएम 2006-08 अंतिम
घर्षण दर	-	02.00% प्रतिवर्ष
इमप्यूटड ब्याज दर/ (छूट दर)	-	07.50% प्रतिवर्ष
क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	-	09.00% प्रतिवर्ष
कार्यशील जीवन शेष	-	8 वर्ष

Table 2

2 Changes in the Present value of obligations (PVO)

	(Unfunded)	(Unfunded)
PVO as on last Valuation	4,144.33	4,260.38
Current Service cost	225.82	562.09
Interest Cost	310.82	297.96
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in Financial Assumption	(379.91)	60.37
Actuarial (gain)/loss on obligations due to Unecpected Experience	28.09	(461.42)
Benefits Paid	700.35	575.05
PVO as at end of year	3,628.80	4,144.33

Table 3

3 Changes in the fair value of plan assets

Fair Value of Plan Assets at beginning of year	-	-
Interest Income	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Return on plan Assets excluding Interest Income	-	-
Fair value of Plan Assets at the end of year	-	-

Table 4

4 Table Showing Reconciliation to Balance Sheet

Funded Status	N/A	N/A
Funded Assets	-	-
Fund Liability	3,628.80	4,144.33

Table 5

5 Expenses recognised in Statement of Profit and Loss

Current Service Cost	225.82	562.09
Net Interest Cost	310.82	297.96
Actuarial (Gain)/Loss only for last year	(351.82)	(401.05)
Benefit Cost (Expenses recognised in Statement of Profit and Loss)	184.82	459.00

Table 6

6 Other Comprehensive Income

Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to Demographic Assumption	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	-	-
Total Actuarial (Gain)/Loss	**-**	**-**
Return on Plan Assets excluding Interest Income	-	-
The Effect of asset ceiling	-	-
Balance at the end of the Period	-	-
Net (Income)/Expense for the Period Reconized in OCI	-	-

Actuarial valuation in respect of Travelling Allowance for Journey on Retirement has been given as under:

Table 1

1 Plan Assumptions

Mortality Table	IALM 2006-08 Ultimate	IALM 2006-08 Ultimate
Attrition Rate	-	02.00% p.a
Imputed rate of Interest/(discount rate)	-	07.50% p.a.
Rate of Compensation Increase (Salary Inflation)	-	09.00% p.a.
Remaining Working Life	-	8 Years

तालिका 2
2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)

	(अनिधिकृत)	(अनिधिकृत)
पिछले मूल्यांकन पर पीवीओ	-	-
वर्तमान सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	-	-
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण,देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
अप्रत्याशित अनुभव के कारण,देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
भुगतान की गई प्रसुविधायें	-	-
वर्ष के अंत में पीवीओ	-	362.58

तालिका 3
3 आयोजना सम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-
ब्याज आय	-	-
आयोजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-
अंशदान	-	-
भुगतान की गई प्रसुविधायें	-	-
ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	-	-
वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-

तालिका 4
4 तालिका तुलन पत्र में समाधान दिखा रहा है

वित्त पोषित स्थिति	N/A	N/A
वित्त पोषित परिसम्पत्तियां	-	-
निधि देयता	-	362.58

तालिका 5
5 लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे

वर्तमान सेवा लागत	-	-
शुद्ध ब्याज लागत	-	-
आयोजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-
केवल पिछले वर्ष के लिए बीमाकिंक लाभ/हानि	-	-
लाभ लागत (लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे)	-	362.58

तालिका 6
6 अन्य व्यापक आय

वित्तीय परिवर्तन के कारण,देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
जनसांख्यिकी धारणा के कारण,देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
अप्रत्याशित अनुभव के कारण,देयताओं पर बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
कुल बीमाकिंक (लाभ)/हानि	-	-
ब्याज आय को छोड़ कर आयोजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	-	-
संपत्ति सीलिंग का प्रभाव	-	-
अवधि के अंत में शेष	-	-
ओसीआई में अभिज्ञात अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	-	-

टिप्पणी: वर्ष 2017-18 के दौरान निगम अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से अपने नकदी ऋण सीमा एवं एसटीएल पर निर्भर था जिसके लिए पूंजीकरण प्रक्रिया को कम किया गया। तदनुसार, निगम अवकाश नकदीकरण के लिए अलग से दीर्घाकालीक लाभ निधि बनाने की स्थिति में नहीं था।

Table 2

2 Changes in the Present value of obligations (PVO)

	(Unfunded)	(Unfunded)
PVO as on last Valuation	-	-
Current Service cost	-	-
Interest Cost	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in Financial Assumption	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to Unecpected Experience	-	-
Benefits Paid	-	-
PVO as at end of year	-	362.58

Table 3

3 Changes in the fair value of plan assets

Fair Value of Plan Assets at beginning of year	-	-
Interest Income	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Return on plan Assets excluding Interest Income	-	-
Fair value of Plan Assets at the end of year		

Table 4

4 Table Showing Reconciliation to Balance Sheet

Funded Status	N/A	N/A
Funded Assets	-	-
Fund Liability	-	362.58

Table 5

5 Expenses recognised in Statement of Profit and Loss

Current Service Cost	-	-
Net Interest Cost	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/Loss only for last year	-	-
Benefit Cost (Expenses recognised in Statement of Profit and Loss)	-	362.58

Table 6

6 Other Comprehensive Income

Actuarial (gain)/loss on obligations due to change in financial	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to Demographic Assumption	-	-
Actuarial (gain)/loss on obligations due to unexpected Experience	-	-
Total Actuarial (Gain)/Loss	-	-
Return on Plan Assets excluding Interest Income	-	-
The Effect of asset ceiling	-	-
Balance at the end of the Period	-	-
Net (Income)/Expense for the Period Reconized in OCI		

Note: During the year 2017-18, the Corporation completely depended on its CC limit and STL for its working capital requirements reducing its capitalisation process to a bare minimum due to acute shortage of funds. Accordingly, the Corporation was not in a position to create a separate long-term employee benefit fund for leave encashment.

(ग) संवेदनशील विश्लेषण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आंकड़े (रु. लाख में)

	अवधारणाओं में परिवर्तन	उपदान दायित्व पर प्रभाव		अर्जित/अर्धवेतन अवकाश पर प्रभाव	
		डीबीओ में वृद्धि%	देयताएं	डीबीओ में वृद्धि%	देयताएं
छूट दर	+0.50%	-2.02%	-126.05	-2.26%	-82.07
	-0.50%	2.12%	132.61	2.40%	86.98
वेतन वृद्धि दर	+0.50%	1.95%	122.09	2.40%	87.02
	-0.50%	-1.90%	-118.69	-2.28%	-82.86

C) Sensitivity Analysis

For the year ended March 31st 2018

	Change in assumptions	Effect on Gratuity obligation		Effect on EL/HPL	
		% Increase in DBO	Liability	% Increase in DBO	Liability
Discount Rate	+0.50%	-2.02%	-126.05	-2.26%	-82.07
	-0.50%	2.12%	132.61	2.40%	86.98
Salary Growth Rate	+0.50%	1.95%	122.09	2.40%	87.02
	-0.50%	-1.90%	-118.69	-2.28%	-82.86

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
वर्ष 2017-18 के लिए खंड रिपोर्टिंग

(रु. लाख में)

क्र.सं.	खंड	उत्पादन खंड	खुदरा बिक्री एवं वितरण खंड	समेकित
1	**राजस्व**			
	बाहरी बिक्री/आर्थिक सहायता/अन्य आय	7,503.48	76,651.50	84,154.98
	कुल राजस्व	7,503.48	76,651.50	84,154.98
2	**परिणाम**			
	खंड परिणाम			
	व्यय	6,140.33	76,513.84	82,654.17
	असाधारण मदें	(12.48)	(1,523.72)	(1,536.20)
	असाधारण मदों के बाद कुल व्यय	6,127.85	74,990.12	81,117.97
	कर पूर्व लाभ	1,375.63	1,661.38	3,037.01
	कराधान के लिए प्रावधान		400.00	400.00
	पिछले वर्षो के लिए चालू कर		-	-
	अस्थगित कर परिसंपत्तियां		139.51	139.51
	निवल लाभ/हानि	**1,375.63**	**1,121.87**	**2,497.50**
3	**अन्य सूचना**			
	खंड परिसंपत्तियां	35,045.32	86,535.48	1,21,580.80
	खंड देयताएं (बाहरी देयताएं)	34,682.30	24,577.15	59,259.45
	पूंजीगत व्यय	1,794.85	563.75	2,358.60
	मूल्याह्रास	1,351.88	500.47	1,852.35

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(मो.राकिम)	**(कौशिक रक्षित)**	**(वि. मोहन)**	**(वी.के.गौड़)**
कंपनी सचिव	वरिष्ठ महा प्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		डिन सख्या - 07296539	डिन सख्या 03289716

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
ललित गुप्ता एंड एसोसिएटेस के निमित्त
सनदी लेखाकार
एफआरएन-004540एन
ह0./-
एल.के.गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं : 082727

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त, 2018

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
Notes on Financial statements for the year ended 31st March 2018
Segment Reporting for the financial year 2017-18

(₹ In Lakhs)

S. No.	SEGMENTS	Producing Segment	Retailing & Distribution segment	Consolidated
1	**Revenue**			
	External Sales/ Subsidy/Other Income	7,503.48	76,651.50	84,154.98
	Total Revenue	7,503.48	76,651.50	84,154.98
2	**Results**			
	Segment Result			
	Expenditure	6,140.33	76,513.84	82,654.17
	Exceptional Items	(12.48)	(1,523.72)	(1,536.20)
	Total Expenditure after Exceptional Items	6,127.85	74,990.12	81,117.97
	Profit Before Tax	1,375.63	1,661.38	3,037.01
	Provision for Taxation	-	400.00	400.00
	Current Tax for earlier years	-	-	-
	Deferred Tax Asset	-	139.51	139.51
	Net Profit / Loss	**1,375.63**	**1,121.87**	**2,497.50**
3	**Other Information**			
	Segment Assets	35,045.32	86,535.48	1,21,580.80
	Segment Liabilities (outside Liabilities)	34,682.30	24,577.15	59,259.45
	Capital Expenditure	1,794.85	563.75	2,358.60
	Depreciation	1,351.88	500.47	1,852.35

Sd/-
Mohd. Raquim
Company Secretary

Sd/-
Kaushik Rakshit
SGM(F&A)

Sd/-
V. Mohan
Director (Finance)
DIN - 07296539

Sd/-
V.K.Gaur
Chairman-cum-Managing Director
DIN- 03289716

As per our report of even date
For Lalit Gupta & Associates
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 004540N
Sd/-
L.K. Gupta
Partner
Membership No. 082727

Place : New Delhi
Dated : 16.08.2018